मंगलवार, 9 अप्रैल 1985

19 चैत्र 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

9 अप्रैल, 1985/19 चैत्र 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय-सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 11, "बांध परियोजना" के स्थान पर "बाघ परियोजना" पढ़िये ।

विषय-सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 28, "श्री सरकराज अहमद" के स्थान पर "श्री सरफराज अहमद" पढ़िये ।

विषय-सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 1 में "फलोरी" के स्थान पर "फलीरो" और पंक्ति 6 में "डी०" के स्थान पर "री" पढ़िये ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 22, "तत्पश्चात्" के बाद "सदस्यगण" अंतःस्थापित करिये तथा पूरी पंक्ति रेखांकित करिये ।

पृष्ठ 1, पंक्ति नीचे से 2, "जयन्त" के स्थान पर "जयन्ती" पढ़िये ।

पृष्ठ 5, पंक्ति नीचे से 2, "श्री के० तिवारी" के स्थान पर "श्री के० के० तिवारी" पढ़िये ।

पृष्ठ 8, पंक्ति 9, तथा पृष्ठ 25, पंक्ति 24, "(अनुवाद)" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 14, पंक्ति 5, "रोग" के स्थान पर "क्षेत्र" पढ़िये ।

पृष्ठ 14, पंक्ति 10 के पश्चात् यह अंतःस्थापित करिये :—

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि बहुत से क्षेत्रों के लिये बातचीत की जा रही है ।

पृष्ठ 30, प्रथम पंक्ति के ऊपर बाईं ओर "[अनुवाद]" अंतःस्थापित करिये ।

पृष्ठ, 34, पंक्ति 7, ता० प्र० संख्या "363" के ऊपर "(हिन्दी)" अंतःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 43, पंक्ति 13, अ० प्र० संख्या "217" के स्थान पर "2178" पढ़िये ।

पृष्ठ 51, नीचे से पंक्ति 7, अ० प्र० संख्या "2189" के ऊपर "(हिन्दी) अंतःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 63, पंक्ति नीचे से 3, "(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।

पृष्ठ 64, पंक्ति 4, शीर्षक में से "अनुवाद" का लोप करिये । तथा पंक्ति 4 के नीचे बाईं ओर "[अनुवाद]" अंतःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 66, पंक्ति 13, अ० प्र० संख्या 2211 के ऊपर "(हिन्दी)" अंतःस्थापित करिये ।

पृष्ठ 82, पंक्ति 9, "श्री एस० एल शिकराम" के स्थान पर "श्री एम० एल० शिकराम" पढ़िये ।

पृष्ठ 89, पंक्ति नीचे से 2 तथा 5, "आयाल/आयात इंडिया' के स्थान पर 'आयल इंडिया" पढ़िये ।

पृष्ठ 99, पंक्ति 20, "बाद" के स्थान पर "बन्द" पढ़िये ।

पृष्ठ 101, पंक्ति नीचे से 6, "शैक्षित बेराजगारी" के स्थान पर "शिक्षित बेरोजगारों" पढ़िये ।

पृष्ठ 112, पंक्ति 7, पृष्ठ 114, पंक्ति नीचे से 6, तथा पृष्ठ 115, पंक्ति नीचे से 9, "रेड्डि" के स्थान पर "रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 116, पंक्ति 2, "श्री ई० अय्यापु" के स्थान पर "श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 141, पंक्ति नीचे से 2, "जो हां" से पूर्व "(क)" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 164, पंक्ति 17, अ० प्र० संख्या "2236" के स्थान पर "2326" पढ़िये।

पृष्ठ 169, पंक्ति नीचे से 3, "सुरेस कुरूप" के स्थान पर "श्री सुरेश कुरुप" पढ़िये।

पृष्ठ 176, पंक्ति 22, "प्रो०" के पश्चात "मधु" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 181, बाद टिप्पण में "2952" के स्थान पर "खंड 2" पढ़िये।

पृष्ठ 183, पंक्ति 20, समय "12·2 म० प०" के स्थान पर "12·12 म०प० पढ़िये।

पृष्ठ 183, पंक्ति 21, शीर्षक में "उच्च न्यायालय" के बाद "और" अंतःस्थापित करिये तथा "सेवा शर्त" के स्थान पर "सेवा-शर्तें" पढ़िये।

पृष्ठ 184, पंक्ति 8, "पुरःस्थापित" को दुहरा तारांकित करिये तथा पृष्ठ 181 पर दिये गये दूसरे बाद-टिप्पण "राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित" को वहां से लोप करके पृष्ठ 182 पर पढ़िये।

पृष्ठ 187, पंक्ति 23 के बाद "(व्यवधान)*" अंतःस्थापित करिये तथा पृष्ठ 138 पर पंक्ति 3 का लोप करिये।

पृष्ठ 192, पंक्ति 4 के नीचे समय "12·36 म० प०" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 197, पंक्ति 15 तथा पृष्ठ 198 पंक्ति 4, "(सिरहार)" के स्थान पर "(बसिरहाट)" पढ़िये।

पृष्ठ 204, नीचे से तीसरी पंक्ति "(बालासोर्ट)" के स्थान पर "(बालासोर)" पढ़िये।

पृष्ठ 210, पंक्ति 23, "जुनुल" के स्थान पर "जैनुल" पढ़िये।

पृष्ठ 213, पंक्ति 4, "जिजों" के स्थान पर "जिलों" पढ़िये।

पृष्ठ 214, पंक्ति 6, "नैमिस्तिक" के स्थान पर "नैमित्तिक" पढ़िये।

पृष्ठ 214, पंक्ति 20, "पीड़ितों के" पश्चात् "विष के" अंतःस्थापित करिये तथा पंक्ति 21 में "थामोसल्फेट" के स्थान पर "थायोसल्फेट" पढ़िये।

पृष्ठ 214, पंक्ति 22, "श्री बन्नान मोल्लाह" के स्थान पर "श्री हन्नान मोल्लाह" पढ़िये।

पृष्ठ 215, पंक्ति 20, "सरफरज" के स्थान पर "सरफराज" पढ़िये।

पृष्ठ 215, पंक्ति 17 के नीचे बाईं ओर "2·00 म० प०" अंतःस्थापित करिये।

पृष्ठ 216, पंक्ति 4, "2·0 म० प०" के स्थान पर "2·01 म० प०" पढ़िये।

पृष्ठ 250, पंक्ति प्रथम, "शलांग" के स्थान पर "शिलौंग" पढ़िये।

पृष्ठ 257, प्रथम पंक्ति, "किन" के स्थान पर "लेकिन" और "तैयारियों के स्थान पर "तैयारियां" पढ़िये।

पृष्ठ 257, पंक्ति 2, "मानवता" के बाद "को खतरे में डाल रही है" पढ़िये।

पृष्ठ 257, पंक्ति 14, "(बसिरहार)" के स्थान पर "(बसिरहाट)" पढ़िये।

पृष्ठ 264, पंक्ति 10, "श्री सोमनाथ रथ" के बाद "(आस्का)" अंतःस्थापित कीजिये।

पृष्ठ 274, पंक्ति 27, "(मद्रास दक्षिण)" के स्थान पर "(मद्रास उत्तर)" पढ़िये।

अंक 19 मंगलवार, 9 अप्रैल, 1985/19 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 344 से 347, 349 और 350	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—177
तारांकित प्रश्न संख्या : 343, 348, 351 से 353 और 355 से 363	1—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2172 से 2343	39—176
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	178—189
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश	181
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	181—182
श्री वीरेन्द्र पाटिल	181
प्रो॰ मधु दंडवते	181
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	183
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	184—211
पश्चिम बंगाल में अनेक पटसन मिलों के बंद कर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति	184
श्रीमती गीता मुखर्जी	184
श्री चन्द्र शेखर सिंह	184
श्री ललित माकन	192
श्री इन्द्रजीत गुप्त	195
श्री चिन्तामणि जेना	205

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री जैनुल बशर	208
नियम 377 के अधीन मामले	212—215
(एक) देश में औद्योगिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जाना	212
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	212
(दो) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल तथा अन्य जिलों में सूखे की स्थिति और काकातिया नहर पर उद्वह सिंचाई योजना की व्यवस्था करने की आवश्यकता	213
श्री सी० जंगा रेड्डी	213
(तीन) बाघों की संख्या में कमी को रोकने के लिए सिरासका, जिला अलवर, में राष्ट्रीय बांध परियोजना की परिसीमा के साथ-साथ कांटेदार तार की बाड़ लगाने की आवश्यकता	213
श्री राम सिंह यादव	213
(चार) सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित तथा स्थायी करने की आवश्यकता	214
डा० ए० कलानिधि	214
(पांच) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार भोपाल गैस रिसाव से पीड़ितों के विष के प्रभाव को समाप्त करने (डि-टौक्सोफिकेशन) के लिए उनका सोडियम थायोसल्फेट द्वारा उपचार	214
श्री हन्नान मोल्लाह	214
(छः) चित्तौड़गढ़ में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की मांग	215
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	215
(सात) गिरिडीह स्थित अभ्रक परिष्करण कारखाने में कर्मकारों की कार्य करने की स्थिति असंतोषजनक और "मिडको" मुख्यालय को पटना से हटाकर गिरिडीह में लाने की आवश्यकता	215
श्री सरफराज अहमद	215
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1985-86	216—283
विदेश मंत्रालय	216
श्री एन० वेंकट रत्नम	217

विषय	पृष्ठ
श्री एडुआर्डो फैलीरी	225
श्री सैफुद्दीन चौधरी	231
श्री दिनेश सिंह	234
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	239
श्री शरद दिघे	244
श्री बी० कुलनदईवेलू	246
श्री विजय एन० पाटिल	247
श्री जी० जी० स्वैल	250
श्री बृजमोहन महन्ती	256
श्री इन्द्रजीत गुप्त	257
श्री सोमनाथ रथ	264
श्री डी० पी० जदेजा	266
श्री सी० पी० ठाकुर	271
श्री एन० बी० एन० सोमू	274
श्री राम नगीना मिश्र	281

लोक सभा

मंगलवार, 9 अप्रैल, 1985/19 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री गनपति राम के दुखद निधन की सूचना देनी है। श्री गनपति राम पहली, दूसरी तथा तीसरी लोकसभा के 1952 से 1967 तक सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्रमशः जौनपुर और मछली शहर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक जाने-माने समाज सेवक थे। उन्होंने अपना समग्र जीवन अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा दिया। बनारस तथा जौनपुर की भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के सदस्य होने के साथ-साथ वे योजना, अस्पताल तथा अनेक सामाजिक संगठनों के भी सदस्य थे।

श्री गनपति राम का निधन 59 वर्ष की आयु में 3, अप्रैल 1985 को जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहन शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सदन भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगा।

सदस्य अब दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा के उद्योग-विहीन जिलों में उद्योग लगाना

[अनुवाद]

*344. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष उड़ीसा के उद्योग-विहीन जिलों में माध्यम बड़े उद्योग लगाने के लिए कितने आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) उड़ीसा में इन जिलों में इस प्रकार के उद्योग लगाने के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, और उन पर कब तक निर्णय कर दिया जाएगा ; और

(ग) उद्योगपतियों को उद्योग विहीन जिलों में अपने उद्योग लगाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1984 और जनवरी-मार्च 1985 के दौरान, उड़ीसा राज्य के "उद्योग रहित जिलों" में उद्योग की स्थापना के लिए 6 आशयपत्र स्वीकृत किए गए थे ।

(ख) 1-4-1985 को, उड़ीसा के "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना के लिए आशयपत्रों की स्वीकृति देने सम्बन्धी 3 आवेदन औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में विचाराधीन थे । लम्बित पड़े सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने का सरकार का निरन्तर प्रयास रहता है ।

(ग) 1-4-1983 से, "उद्योग रहित जिलों को पिछड़े क्षेत्रों के वर्ग "क" में शामिल कर लिया गया है और इन जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति में सर्वोपरि प्राथमिकता, 25 प्रतिशत की उच्चतम दर से अधिकतम 25 लाख रुपए की केन्द्रीय निवेश राजसहायता, अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थानों की रियायती विद्युत सुविधाएँ कर सम्बन्धी रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता मूल सीमांत धनराशि की सहायता और जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से अनेक प्रकार की विस्तार सेवाएँ प्रदान की जाती हैं । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों को केवल 30 प्रतिशत के निर्यात-दायित्व के आधार पर लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित न होने वाले परिशिष्ट-1 से इतर उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है ।

सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा "उद्योग रहित जिलों" में चुने हुए केन्द्रों में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने के लिए कुल लागत की एक-तिहाई सीमा तक जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए प्रति जिला होगी, सहायता प्रदान करने का भी निश्चय किया है ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मंत्री महोदय ने उत्तर में यह नहीं बताया है कि आवेदन पत्रों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा । विवरण के भाग ग में उन्होंने कहा है "सरकार ने

राज्य सरकारों द्वारा उद्योग रहित जिलों में चुने हुए विकास केन्द्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास करने के लिए कुल लागत की एक-तिहाई सीमा तक जिसकी अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये प्रति जिला होगी, सहायता प्रदान करने का भी निश्चय किया है।

मैं यह समझ नहीं पाई कि क्या राज्य सरकारें स्वयं इतनी राशि जुटा पाने में समर्थ होंगी क्योंकि वे राज्य स्वयं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े जिले भी हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है। इस सहायता से इन जिलों में नए उद्योगों को लगाने में किस हद तक सहायता मिली है। इस सहायता के प्रावधान से पहले स्थिति क्या थी और अब अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता का प्रावधान करने के बाद नए उद्योगों को लगाने में इससे क्या सहायता मिली है।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, माननीय सदस्या यह जानना चाहती है कि उड़ीसा के उद्योग रहित जिलों में उद्योग लगाने संबंधी आशय पत्रों के लिए आवेदन मंत्रालय के पास अभी तक क्यों विचाराधीन है जैसा कि मै माननीय सदस्या को बता चुका हूं कि मंत्रालय के पास केवल तीन आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और हाल ही में आशय पत्रों के लिए फाइल किया गया है। एक आवेदन को 24 नवम्बर 84 को, दूसरे 28 मार्च 85 को और तीसरा एक मार्च 85 को फाइल किया गया हम यह कोशिश करेंगे कि इन आवेदनों के संबंध में निर्णय यथाशीघ्र लिया जाए।

माननीय सदस्या ने यह जानना चाहा है कि क्या अवस्थापना संबंधी सुविधाओं हेतु सरकार द्वारा समुचित वित्तीय सहायता दी जा रही है।

सहायता की यही पद्धति हमने तैयार की है और उसका अनुमोदन भी किया है। सहायता की यह योजना 1982-83 में 'जिला रहित उद्योग' की परिभाषा के अंतर्गत लागू की गई। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सुधार करना है जहां क्षेत्रीय असंतुलन है इसलिए अभी यह बता पाना बहुत कठिन है कि यह योजना सफल रही अथवा नहीं क्योंकि इसे लागू किए हुए बहुत-कम समय हुआ है। कुछ अरसे बाद ही इसका उचित जायजा लिया जा सकता है।

हाल ही में सरकार ने कतिपय निर्णय लिए हैं उनके बारे में भी मैं इस अवसर पर सदन को जानकारी देना चाहता हूं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि 'उद्योग रहित जिला' और पिछड़े क्षेत्रों में प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त करने की यह योजना 1983 में लागू की गई थी। 'उद्योग रहित जिला' को, परिभाषा। अप्रैल 1983 को कार्य रूप दिया गया और यह छठी योजना के अन्त तक चली अर्थात यह 31 मार्च 1985 को समाप्त हो गई उस अवधि के समाप्त होने से पहले हमें निर्णय लेना था कि क्या योजना को जारी रहने दिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए। इस संदर्भ में सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण और औद्योगिक निखराव की केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना

जो 31 मार्च 1985 को समाप्त हुई उसकी अवधि एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 1986 तक बढा दी जाए। अब योजना की विस्तार पूर्वक समीक्षा की जाएगी और इस उद्देश्य हेतु एक अन्त: मंत्रालय दल का गठन किया जा रहा है और इसमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान के बाड़मेर और चुरु जिले जिन्हें पहले उद्योग रहित जिलों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, अब श्रेणी 'क' में 'उद्योग रहित जिलों' के रूप में 1 अप्रैल 1985 से शामिल किए गए हैं।

जैसा राज्य सभा में पहले घोषित किया गया महाराष्ट्र के घाट चिरोली जिले को 1-4-85 से उद्योग रहित जिले में शामिल किया गया है पहाड़ी इलाकों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है लेकिन इमदाद की राशि 25 प्रतिशत ही रहेगी। आशा की जाती कि इस विशेष प्रोत्साहन से उन उद्योग पतियों को जो पहाड़ी जिलों में इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं प्रेरणा मिलेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत खुशी की बात है कि यह घोषणा उन्होंने सभा में की है कि बाहर।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपसे ही उसका संकेत लिया है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों को परिशिष्ट 1 से इतर उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों को उद्योग रहित जिलों में उद्योग लगाने के लिए कहा जाएगा तथा उनको लाइसेंस देने के लिए निर्धारित मानदंडों में कुछ रियायत दी जाएगी। अब छूट की सीमा बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है, और कई पुराने एकाधिकार गृह जहां चाहे उद्योग लगा सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : और जो चाहें कर सकते हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इससे उद्योग रहित जिलों के औद्योगिकीकरण की प्रगति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या सरकार इस संबंध में जांच करेगी यदि तो मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इस योजना के बाद भी एकाधिकार गृह और गैर एकाधिकार और अन्य उद्यमी जहां चाहे उद्योग लगा सकते हैं लेकिन प्रोत्साहन उन्हें केवल पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगा ने के लिए दिए जाएगें। जैसे वहां उद्योग लगाने पर उन्हें कुछ राज सहायता, नगद सहायता और वित्तीय संस्थानों से सहायता भी प्राप्त होगी। तथा वे कुछ अन्य वित्तीय राहतों के भी हकदार होंगे इसीलिए तीन-श्रेणियों बनाई

गई हैं। श्रेणनिक में उद्योग लगाने पर उन्हें 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख जो भी कम हो नगद केन्द्रीय राज सहायता प्राप्त होगी। श्रेणी 'ख' में उद्योग लगाने पर 15 प्रतिशत अथवा 15 लाख रुपये जो भी कम हों तथा श्रेणी 'ग' में उद्योग लगाने पर प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपये जो भी कम हो को केन्द्रीय नगद राज सहायता दी जाएगी। अन्य वित्तीय रियायतें भी दी जाएंगी। अतः पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और दोनों क्षेत्र इसका लाभ उठा सकते हैं। अब यह उद्योगियों पर है कि वह इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाएं।

श्री कुलनवई बेलु : मंत्री महोदय के मार्च में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले के उद्योग रहित क्षेत्रों में एक भारी उद्योग स्थापित किया जाएगा। क्या सरकार प्रत्येक जिले में एक भारी उद्योग स्थापित करेगी यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मानानीय सदस्य किस वक्तव्य के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। जैसाकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई व्यक्ति, कोई संगठन अथवा कोई सैक्टर यदि किसी पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। यह अब उन पर निर्भर करता है कि वह इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाएं।

श्री कुलनवई बेलु : क्या सरकार प्रत्येक जिले में भारी उद्योग स्थापित करने के संबंध में कदम उठाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए पृथक से प्रश्न पूछना होगा।

श्री जगन्नाथ राव : पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त उनके लिए समुचित बिजली की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि बिजली की कमी सबसे बड़ी अड़चन है और बिजली बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आती है क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में बिजली संयंत्र लगाने के संबंध में कार्रवाई करेगी ताकि लोग वहां उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हों।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि चाहे हम जितने भी प्रोत्साहन दे दें जब तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के मामले में स्वयं केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा है कि वह बुनियादी सुविधाओं के मामले में अमुक राशि उन्हें देने के लिए तैयार है बुनियादी सुविधाओं, जिसमें बिजली भी शामिल है, की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि वे सुविधाओं की व्यवस्था करें तो काफी लोग उन क्षेत्रों में जाने को तैयार हो जाएंगे।

प्रो० के० तिवारी : इस प्रश्न पर तो आधे घंटे की चर्चा कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई मुश्किल बात नहीं। आप सूचना दीजिए।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चीन की सहायता

*345. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से अपने देश में विभिन्न परियोजनाओं में उसकी सहायता करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट करने के लिए दोबारा आग्रह करूंगा कि क्या चीन सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से संपर्क किया है अथवा नहीं क्योंकि ऐसा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है यदि उन्होंने संपर्क किया है तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

प्रो० मधु दंडवते : यह खबर केवल "नेशनल हेराल्ड" में प्रकाशित हुई। इसलिए मंत्री जी ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं हर समाचार पत्र को गंभीरता से लेता हूं तथा "नेशनल हेराल्ड" को तो और भी।

मैंने जो भी जवाब दिया है उस पर मैं अडिग हूं। मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या चीन ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से चीन में विभिन्न परियोजनाओं के लिए उनकी सहायता करने का अनुरोध किया है। चीन ने भारत के समक्ष ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखा है। पिछले कुछ सालों से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा चीन के मध्य परस्पर वार्ता हुई है और दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने परस्पर यात्राएं भी की हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि चीन ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से चीन में विभिन्न परियोजनाओं में उसकी सहायता करने का अनुरोध किया है।

श्री एन० वेंकटरत्नम : महोदय मैं इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछता हूं। क्या हमारे देश ने किसी और देश से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता करने का अनुरोध किया है यदि हां तो वे देश कौन से हैं तथा उन देशों ने क्या वायदे किए हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : अन्वेषण तथा सर्वेक्षण के लिए अनेक देशों ने अनुरोध किया है ?

(व्यवधान)

श्री एम० वेंकटरत्नम : मेरा प्रश्न है कि वे कौन से देश हैं जिनसे हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता करने का अनुरोध किया है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : उसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है। इसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिए।

श्री एम० वेंकटरत्नम : क्या उन देशों में चीन शामिल है ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्हें प्रश्न को दूसरे तरीके से रखने की अनुमति है।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय ने उस भ्रम को दूर कर दिया है जो समाचार पत्र को पढ़कर हो गया था। उनके जबाव को देखते हुए उक्त प्रश्न अनुपयुक्त है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे इन 7 आंकड़ों की पुष्टि या खंडन कर सकते हैं कि 1979 में चीन ने 1060 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था उसके कारण उसका स्थान विश्व में तेल उत्पादन करने वाले प्रथम दस राष्ट्रों में आ गया है।

आज समाचार यह है कि वे लगभग :0 करोड़ टन का उत्पादन कर रहे हैं तथा 45 करोड़ टन तक पहुंच जाएंगे जिससे वे विश्व के प्रथम पांच तेल उत्पादकों में आ जाएंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कुछ अमरीकी भूविज्ञानियों ने यह अनुमान लगाया है कि तेल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन शीघ्र ही सोवियत संघ को पीछे छोड़ देगा ? वास्तव में अधिकांश तेल समुद्र तट पर होता है तथा चीनियों ने अपने तटवर्ती क्षेत्रों में जहां हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तेल की खोज के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए द्वार लगभग खोल दिए हैं ऐसी स्थिति में क्या आप सोचते हैं कि चीन कभी हमारे पास आऐगा या हम कभी चीन के पास जाएंगे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : चीन जो उत्पादन कर रहा है जहां तक इसका प्रश्न है, मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मेरी अधिकतम जानकारी तथा सूचना के अनुसार चीन तेल के उत्पादन में भारी सफलता प्राप्त कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वह तेल के मामले में रूस को पीछे छोड़ने में सफल होगा या नहीं। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसीलिए उस पर मैं प्रमाणिक तौर पर कुछ भी करने में असमर्थ हूं। दूसरे देशों के उत्पादन के बारे में हमारे पास कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी जो हमें समाचार पत्रों से प्राप्त होती है।

(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल : जितनी जानकारी मेरे पास हैं उससे अधिक आपके पास होनी चाहिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह सच है परन्तु दूसरे देशों के तेल उत्पादन कार्यक्रम तथा सभी ऐसी बातों के बारे में मेरी भी कोई पहुंच नहीं है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल से कुछ सहायता ले लीजिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : कई बार जो हम समाचार-पत्रों के माध्यम से जानते हैं, वही जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न है मेरे विचार से उसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं।

माइक्रोवेव दूरसंचार व्यवस्था

[अनुवाद]

*346. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान दूरसंचार प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार संसार के लिए वर्तमान भूमिगत केबल प्रणाली के स्थान पर माइक्रोवेव प्रणाली लाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोवेव पर आधारित संचार प्रणाली की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बड़े शहरों के बीच लंबी दूरी की संचार व्यवस्था के लिए माइक्रोवेव अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, को एक्सीअल एवं आप्टीकल फाइबर प्रणालियों को संस्थापना द्वारा तथा गौण क्षेत्रों में मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली एवं इंटिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क की संस्थापना द्वारा मौजूदा दूरसंचार प्रणालीस में निरंतर विकास एवं सुधार किया जाता है।

(ख) और (ग) माइक्रोवेव प्रणाली केबिल प्रणाली के बदले स्थापित नहीं की जाती अपितु यह मौजूद केबिल प्रणाली की पूरक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ग्रामीण संचार व्यवस्था के लिए माइक्रोवेव प्रणाली की योजना तैयार नहीं की जाती है। फिर भी, वी०एच० एफ० बैंड एवं यू० एच० एफ० प्रणालियों का उपयोग करते हुए एम० ए० आर० आर० प्रणाली की योजना बनाई गई है और ऐसी संभावना है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान काफी ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

श्री हुसैन दलवाई : बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे महा-नगरों में संचार में खराबियां बारम्बार होती हैं तथा हरबार दूर-संचार प्रणाली की गड़बड़ी से यातायात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि यातायात की इन समस्याओं

को रोकने के लिए महानगरों में वर्तमान भूमिगत केबल प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महानगरों में केवल प्रणाली पूरी तरह से बदली नहीं जा सकती । वास्तव में हम उन केबलों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं जो पुराने हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं । जहां कहीं भी व्यवहारिक है हम माइक्रोवेव प्रणाली को ऊंचे भवनों तथा दूसरे स्थानों पर लगावट, इसे शुरू कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान में हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा यह सम्भव भी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है ।

श्री हुसैन दलवाई : क्या माइक्रोवेव प्रणाली भूमिगत केबलों से सस्ती पड़ती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : वे दो भिन्न प्रयोजक पूरा करती है । माईक्रोवेव प्रणाली वहां प्रयुक्त होती है जहां स्थल पर लाइन होती है और कोई बाधा नहीं होती है तथा जहां केबल कहीं भी बिछाया जा सकें । इसीलिए यह किसी भौगोलिक आधार पर होता है । स्थलाकृति ठीक होने पर दी माईक्रोवेव प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि विशेष रूप से महानगरों में हम धीरे-धीरे उस केबल प्रणाली को बदलने का प्रयास कर रहे हैं जो पुरानी पड़ चुकी हैं या प्रयोग में आने लायक नहीं है । सातवीं योजना में हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में यह भी एक है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं छठी पचंवर्षीय योजना के दौरान दूर संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सरकार को बधाई देता हूँ। दूर संचार नेटवर्क के लिए हमारा बहु-प्रयोजनीय उपग्रह इनसैट-आई बी 8000 उपयोगी चैनलों से सुसज्जित है । मैं समझता हूं कि मल्टी-एम्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली तथा अल्ट्रा हाइ फ्रिम्बेन्स प्रणाली इनसैट आई बी के द्वारा प्रचालित की जायेंगी । इसीलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सातवीं पचंवर्षीय योजना की अवधि में इनसैट आई-बी की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या उनके मन्त्रालय ने कोई विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि ऐसा है, तो वर्तमान प्रणाली, माइक्रोवेव प्रणाली, अल्टा हाई फ्रिम्बेन्सी प्रणाली में तथा आप्टीकल फाइबर प्रणालियों में एकीकृत तथा किफायत का मार्ग कैसे संभव हो सकेगा ।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने उपग्रह से शुरू किया । उपग्रह वहां पहले से ही मौजूद हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : बधाई देने के लिए उन्हें धन्यवाद कीजिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां, महोदय, नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए माननीय सदस्य द्वारा सरकार को बधाई देने के लिए- मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए उपग्रह के जिस दृष्टान्त का उल्लेख उन्होंने किया है वह निश्चित रूप से नवीनतम प्रौद्योगिकी है तथा हम इस्तेमाल कर रहे हैं । इनसैट-आई बी के लगभग 4000 चैनल हैं– यदि हम दोनों ओर के

शामिल करें तो 8000 चैनल हो जाते हैं। इनमें से 2000 का हम पहले ही उपयोग कर चुके हैं तथा बाकी 2000 का अर्थात बचे हुए चेनलों का इस वर्ष के दौरान उपयोग होगा। दूसरे शब्दों में इस वर्ष के अन्त तक इसका पूरा उपयोग होने लगेगा। इसका जो प्रयोग हम कर रहे हैं उससे हम पूरी तरह अवगत हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली के लिए जहां तक उपग्रह के उपयोग का सम्बन्ध है, हमने इसे सम्भव तथा किफायती नहीं समझा। लम्बी दूरी के परिषण के लिए हमारे पास दूसरे उपयोग हैं, उदाहरण के लिए जैसे महानगरों के बीच या अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच या दूसरे स्थानों पर। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने एक विशेष प्रणाली निकाली है, जैसा कि मैंने कहा। वह है, मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली जो दूरभाष सेवाओं के साथ 50 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले क्षेत्रों में शामिल करेगी यह वायरलेस के साथ जोड़ी जाएगी। जिसका आशन है वी० एच० एल० प्रणाली तथा अन्य इसी प्रकार की प्रणालियां। इसीलिए, इसी तरह का विकास हम ग्रामीण क्षेत्रों में चाहते हैं। परन्तु उपग्रह का इस्तेमाल अधिक यातायात के क्षेत्रों तथा लम्बी दूरी के परिषण के लिए किया जायेगा।

जहां तक आप्टिकल फाइबर प्रणाली है, जो अध्यतम प्रौद्योगिकी है, का सम्गन्ध है मैं श्री स्वैल का, इस अति महत्वपूर्ण अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास की ओर संकेत करने तथा सरकार तथा सदन को इसके उपयोग के बारे में बताने के लिए जो कि हम करने जा रहे हैं, दोबारा धन्यवाद करूंगा। हम इसके बारे में भली-भांति जानते हैं तथा जैसा मैंने उस दिन बताया था कि हमने प्रयोग के तौर पर पूना में कुछ को एक्सिअल केबल बिछाए हैं, बम्बई शहर में हम वैसे ही कुछ और केबल बिछाना चाहते हैं, अहमदाबाद तथा बड़ौदा के बीच एक ऐसा ही लम्बी दूरी वाल केबल बिछाने का प्रस्ताव है। केवल यही नहीं हम इससे भी आगे निकल गए हैं तथा हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान केवल लिमिटेड हमारे देश में आप्टिकल फाइबर केबल बनाने का काम ले लें। यही हमारा कार्यक्रम है।

अध्यक्ष महोदय : अब हमारे पास मछली, तेल तथा संचार के क्षेत्र में नये विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय हम ऐसे विशेषज्ञ और अधिक चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, इनकी संख्या में वृद्धि होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इस सदन में उन विषयों पर बोलने वाले और सदस्य होने चाहियें।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के 'ख' और 'ग' भाग के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत अब

सट्टा खुलने का समय होता है तो उस समय आप पूरा सिस्टम जीवित हो जाता है और दूसरे वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत कब तक सारे देश के पंचायत मुख्यालयों को आप पी० सी० ओ० से जोड़ देंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन, पंचायत मुख्यालयों को कब तक पी० सी० ओ० से जोड़ सकेंगे यह सब कुछ इस बात पर मुनस्सिर है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमें कितना प्रावधान मिलता है। इन टेलीफोन सेवाओं को दूर गांवों में ले जाने की हमने योजना अवश्य बनाई है लेकिन योजना आयोग से हमें कितना प्रावधान मिलता है इस पर विचार चल रहा है। जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है हम दो तरह के सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका उल्लेख मैंने किया है। देहाती क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी टेलीफोन व्यवस्था करने का हमारा प्रयत्न है।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, विश्व में यह सर्व विदित है कि आजकल सूचना टेलीफोन लाइनों द्वारा विशेषकर आकड़ों के माध्यम से प्रेषित की जाती है। उन्हीं प्रणालियों में एक के माध्यम से प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया में स्क्रैनिंग की जाती है तथा टेलीफोन प्रणाली पर ही इन्डियन एयर लाइन्स की बुकिंग निर्भर है। यह सच हैं कि हमारे टेलीफोन प्राय: निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या मन्त्रालय द्वारा इनके लिए तार बिछाने अर्थात विशेष लाइनें बिछाने तथा माइक्रोवेव या यू० एस० एफ० के माध्यम से या किसी अन्य प्रणाली से संचार के विशेष उपाय करने का प्रस्ताव है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय को पता है कि ऐसी स्थिति आ गई है तथा डिजिटल डैटा संचार की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए मन्त्रालय क्या योजना बना रहा है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, वायस टेलीफोनों के अतिरिक्त हमारे पास डैटा संचार तथा प्राकृतिक संचार व्यवस्था भी है तथा आज भी हमारे पास इस प्रयोजन के लिए कुछ (विश्वसनीय) लाइनें हैं। परन्तु किस सीमा तक हम विद्यमान वायस टेलीफोन लाइनों को इस प्रणाली के लिए दे सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशेष लाइन पर तथा उस विशेष क्षेत्र में कितना यातायात है, और सबसे अधिक इस बात पर निर्भर करता है, जैसा मैंने पहले कहा कि योजना आयोग से हमें इन योजनाओं के लिए क्या प्रावधान प्राप्त होता है ?

आवश्यक क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी

*347. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन, टेलैक्स, ट्रंकों आदि जैसे आवश्यक क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने का है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या नीति है ; और

(ख) किन-किन क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी स्वीकार्य है और किन-किन क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी ;

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक विशाद प्रौद्योगिक आधार स्थापित किया गया है। प्रौद्योगिकी में तेजी हो रहे परिवर्तन तथा राष्ट्रीय दूर संचार नेटवर्क की बढ़ती संख्या के कारण आने वाले समय में हमारी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाए रखने की आवश्यकता निरन्तर बनी रहेगी।

स्विचिंग, ट्रांसमीशन तथा टर्मिनल उपकरण सहित दूर संचार नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कुछ उपकरणों का उत्पादन विदेशी सहयोग से किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक है। प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति जटिल प्रकार के और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, निर्यातोन्मुख अथवा आयात प्रतिस्थापक उत्पादनों अथवा उपभोक्ताओं की परिवर्तनशील प्राथमिकताओं को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने और/अथवा निर्यात बाजार में प्रतियोगी बनने के लिए अथवा भारत में देशी उद्योग को विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने हेतु दी जाती है।

ऐसे उद्योगों की जिनमें विदेशी सहयोग वित्तीय अथवा तकनीकी आवश्यक नहीं समझा गया है, एक विस्तीय सूची सरकार द्वारा जारी की गई है और उसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भी भेजी गई हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय यह विवरण में सरकार की नीति को स्पष्ट करता है। इस विवरण में सरकार ने यह घोषित किया कि उपकरणों की बहुत सी किस्में जिसमें स्विचिंग ट्रांसमीशन तथा टर्मिनल उपकरण भी शामिल हैं तथा उस किस्म के कुछ अन्य उपकरण विदेशी सहायता से तैयार किए जाते हैं। यह हमारा एक दुःखद अनुभव है कि हमारे देश में गैर सरकारी क्षेत्र की बहुत सी कम्पनियां लाइसेंस ले लेती हैं तथा सम्पूर्ण कार्य को लागू करने में विलम्ब करती हैं। इसके साथ साथ ये दूसरों को इस क्षेत्र में आने पर बाधा उत्पन्न करती है जिसका परिणाम यह होता है कि लोग नवीनतम दूर-संचार प्रणाली के समग्र विकास तथा टेलेक्स तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में विलम्ब को रोकने के लिए के क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान टेलेप्रिन्टर्स जो आलिवेदी के साथ मिलकर टेलेक्स मशीनें बना रहे थे, अचानक विद्युत टाइपराईटिंग मशीन बनाने के लिए आलिवेदी की तरफ क्यों झुक गए, जो आवश्यक नहीं हैं तथा जो देश में ही बनाई जा सकती हैं।

परन्तु वे टेलेक्स मशीन नहीं बना रहे। उस पर आपके क्या विचार हैं ? इस पर आप क्या कहने जा रहें हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय जहां तक दूर संचार का सम्बन्ध है सरकार ने संसद में 23 मार्च को अपना वक्तव्य दे दिया है जिसमें उन्होंने नीति में कुछ छूट दी है तथा दूर-संचार उपकरण बनाने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि पार्टियां आकर लाइसेंस तो ले लेती हैं परन्तु उत्पादन करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाती इसलिए यह गैर-सरकारी पार्टियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खुला है। कोई विशेष पार्टी लाइसेंस लेकर उत्पादन करने के लिए यदि प्रभावी कदम नहीं उठाती तो दूसरी पार्टियां उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं। आई०-डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस मिलने के बाद मुझे बताया गया है कि उस लाइसेंस को रद्द करना बड़ा कठिन है। इसलिए लाइसेंस देने से पूर्व हमारी एक प्रणाली है कि पार्टी को आशय पत्र के लिए लिखना पड़ता है। आशय पत्र मिल जाने के बाद उसे लाइसेंस में परिवर्तन कराने के लिए उसे किसी किसी विशेष समयावधि में आना पड़ता है। पार्टी को लाइसेंस तभी दिया जाता है जब वह उद्योग शुरू करने के लिए प्रभावी कदम उठा लेती है।

इसलिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई पार्टी लाइसेंस लेने के बावजूद भी यदि उत्पादन चालू नहीं करती तो आप गैर-सरकारी पार्टियों को आगे की छूट दे तथा वे उन उपकरणों का उत्पादन शुरू कर सकती हैं जिसकी देश को अति आवश्यकता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : विवरण में आगे यह उल्लेख किया गया है ;

"इस तरह के कुछ उपकरण विदेशी सहयोग से बनाए जाएंगे"।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि हाल में कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए उद्योग मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव की आवश्यकता में भारत सरकार के दल ने अमरीका का दौरा किया था ? यदि हां तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि किन चुनिन्दा क्षेत्रों के लिए आप अमरीका से प्रौद्योगिकी मंगा रहे हैं मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसमें दूर-संचार प्रणाली भी शामिल हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास यह जानकारी नहीं है लेकिन मुझे बताया गया है कि संचार मंत्रालय ने संभवतः संबंधित मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके कुछ औद्योगिक का चयन किया है। मेरे विचार से तीन या चार पार्टिया प्रथम चार प्रौद्योगिकियां चुनी गई हैं। अगर वे पार्टियां कोई काम शुरू करना चाहती है तो उन्हें उक्त चुनी गई प्रौद्योगिकी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यह मामला संचार मंत्रालय देखता है अतः मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। यदि माननीय मंत्री की रुचि हो। तो वे संचार मंत्रालय को लिख सकते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय मैंने पूछा था :

"क्या उनके मंत्रालय को पता है कि उनके मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक दल ने चुनिंदा क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अमरीका का दौरा किया था ?"

वे कौन से रोग हैं जिनके लिए आप अमरीका से प्रौद्योगिकी मंगा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वे अमरीका से विदेशी प्रौद्योगिकता आयात के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे है मैं नहीं जानता किस क्षेत्र के लिए यदि वे विशिष्ट प्रश्न पूछे तो मैं जानकारी एकत्र करने का प्रयास करूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मेरा प्रश्न भारत में विदेशी प्रौद्योगिक के आयात के संबंध में हैं। मेरे प्रश्न का भाग (क) दूर संचार से संबंधित है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उन्होंने कहा था "चुनिन्दा क्षेत्र"। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से चुनिन्दा क्षेत्र है जिनके लिए अमरीका से प्रौद्योगिकी मंगाई जा रही है। प्रश्न "चुनिन्दा क्षेत्र का है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर वे यह जानना चाहते है कि दूर संचार उद्योग के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी चुनी जा रही है तो मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन संचार मंत्रालय ने कुछ प्रौद्योगिकी चुनी है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उन्होंने कहा था कि केवल चुनिंदा क्षेत्रों के लिए ही प्रौद्योगिकी की मंजूरी दी गई है। एक दल अमरीका आया। मैं जानना चाहता हूं कि वे चुनिंदा क्षेत्र हैं जिनके लिए विदेशी प्रौद्योगिकी भारत में मंगाई जा रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य अगर विशिष्ट प्रश्न पूछे अलग से प्रश्न पूछे तो उन्हें सूचना मिल सकती है।

श्री बो० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मैं प्रश्न के भाग 'ख' का हवाला दे रहा हूं जिसमें यह पूछा गया है कि किन क्षेत्रों से विदेशी प्रौद्योगिक स्वीकार्य है और किन क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं है सदनों के पटल पर रखे गए विवरण में मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि सरकार की नीति उन क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की है जहां विकास और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से परिवर्तन होता रहता है तथा आधुनिकतम तथा अति प्राथमिकता वाले कुछ अन्य क्षेत्रों में भी, जहां उद्योग निर्यातोन्मुख हो सकते हैं, प्रौद्योगिकी का आयात किया जाता है।

जहां तक प्रौद्योगिकी के आयात का संबंध है, इस बारे में बहुत भ्रान्ति है। मंत्री महोदय ने विवरण में यह कहा है, वहां ओली थिट्टी टाइपराइटरों के निर्माण के लिए, जिसकी प्रौद्योगिकी 20 या 30 हो गई है, मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए 'लोहिया' को प्रौद्योगिकी

आयातित करने तथा वेस्पा स्कूटरों के लिए बजाज को भी, तकनीकी जानकारी तथा विदेशी सहयोग लेने की मंजूरी दी गई है। इन लोगों को छोटे इंजन मिले हैं और इन्हें केवल ट्रेड नेम् ब्रांड नेम के कारण ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। यहां तक कि आवश्यक खाद्य मदों, जैसे नूडलस् मेगी और अन्य बहुत सी वस्तुओं के लिए भी आप विदेशों से प्रौद्योगिकी आयात करते हैं। अंततः वास्तव में हो क्या रहा है कि भारत में विदेशी ट्रेड नाम को देखने के लिए दिखावे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के आयात के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के बाद भी देश को खाद्य वस्तुओं, टाइपराइटरों, मोटर साइकिलों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए देश में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी आयात करने की जरूरत है।

सरकार ने इसी सदन में, पिछली लोक सभा के दौरान, श्री एस० राम कृष्ण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, इस विशिष्ट प्रश्न पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया था। लेकिन सरकार ने कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि कोठारी चीनी मिल भी विदेशी सहयोग से पेय तैयार कर रही है। ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हमने कुछ पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में पढ़ा है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सरकार की नीति, खासकर विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करने तथा इन सब वस्तुओं के लिए विदेशी सहयोग लेने की नीति, को त्याग दें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार विदेशी प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध आयात करने को प्रोत्साहन नहीं दे रही है। सरकार की नीति है कि विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात चुनिन्दा आधार पर किया जाना चाहिए तथा यह राष्ट्रीय प्राथमिकता पर आधारित होना चाहिए। एक बोर्ड है जिसे विदेशी निवेश बोर्ड कहा जाता है। किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात करने के पूर्व उसका प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। उसकी उपयुक्त ढग से जांच की जाती है। केवल आधुनिकतम प्रौद्योगिकी, जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, जिससे हमारा आयात और निर्यात प्रतिस्थापन बढ़ेगा, जिससे निर्माणाधीन वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और जो देश के हित मे हो का आयात किया जाता है तो उसके आयात के लिए स्वीकृति दी जाएगी।

श्री एडुआर्डो फलेरो : जब हमारे यहां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं खासकर गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन होते हैं तो हम प्रौद्योगिकी-सहयोग सहित दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर व्याख्यान देते हैं। विकासशील देश अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ देशों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत विकास कर लिया है लेकिन उसका लाभ समस्त जनसंख्या को नहीं मिला है। जब हम सामान्य बातों पर बोलते हैं तो इतना बढ़-चढ़ कर बोलते हैं लेकिन विशिष्ट बात होती है तो हम हमेशा-अमरीका की ओर, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री दास मुंशी ने उल्लेख किया था अथवा इंग्लैंड अथवा फ्रांस की ओर क्यों भागते हैं। किन्हीं क्षेत्रों में बहुत विकास कर चुके देशों अन्य विकासशील देशों की ओर क्यों नहीं भागते? ऐसा क्यों है कि विकासशील देशों में परस्पर प्रौद्योगिकी सहयोग का आदान-प्रदान नहीं हो रहा है? विकासशील देश से

प्रौद्योगिकी के आयात को प्राथमिकता देने के विचार का क्या हुआ ? इन सब का क्या हुआ ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है। जहां तक प्रौद्योगिकी के आयात का संबंध है, यह चयनात्मक है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रौद्योगिकी का आयात करते समय हम चाहते हैं कि उसी प्रौद्योगिकी का आयात किया जाए जो विश्व में सर्वोत्तम हो। किसी को सहयोग या प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं है।

यदि हम प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहते हैं तो यह देश के हित में ही होनी चाहिए। अतः हम चाहते हैं कि सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का ही आयात किया जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि शीतल पेय पेप्सी कोला के उत्पादन के लिए एक भारतीय कम्पनी को एक अमरीकी फर्म के साथ सहयोग करने की मंजूरी दी गई है। क्या भारत सरकार प्रौद्योगिकी के आयात के लिए इस क्षेत्र को अनिवार्य क्षेत्र समझती है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने विशिष्ट प्रश्न पूछा है। मुझे नोटिस चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसमें क्या विशिष्टता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे एकदम नहीं बता सकेंगे। अगर वे कुछ गलत कहेंगे तो आप उन्हें पकड़ लेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कृपया मंत्री जी को मेरे प्रश्न का उत्तर देने की सलाह दें।

अध्यक्ष महोदय : आप विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं और वे उसका उत्तर देंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : उनके स्वास्थ्य के नाम पर पीयें और प्रश्न पूछें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शीतल पेय को अति प्राथमिकता वाला क्षेत्र समझती है। यदि वे पेप्सी कोला पर उत्तर नहीं दे सकते तो उन्हें शीतल पेय जवाब देने दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अगला प्रश्न।

भोपाल गैस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा

*349. **श्री सुरेश कुरूप** :

श्री एडुआर्डो फलेरो : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को अंतरिम मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ;

(ख) इस भुगतान की क्या कसौटी है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से ग)) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रभावित व्यक्तियों को नकद और माल के रूप में राहत उपलब्ध करने में उन्होंने 10 करोड़ रु० से अधिक की राशि खर्च की है। इसमें अनुग्रह पूर्वक राहत के रूप घायलों और मृतकों के आश्रितों को नकद बांटी गई धनराशि शामिल है।

प्रासंगिक तौर पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 5 करोड़ रु० की सहायता साधन जुटाने हेतु दी है।

श्री सुरेश कुरुप : मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। आप माननीय मंत्री जी से कहें कि वे मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर दें।

मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है कि भोपाल में गैस-प्रभावित क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी संगठन से संपर्क नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि क्या कोई ऐसा सरकारी संगठन है जिसने गंदी बस्तियों में रहने वाले इन लोगों से संपर्क किया है।

क्या सरकार प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए एक समिति का गठन करेगी जोकि गंदी बस्तियों का, समस्त प्रभावित क्षेत्र का, सर्वेक्षण करें, सूचना एकत्र करें तथा मृत तथा प्रभावित लोगों की सूची तैयार करें। ऐसे बहुत से प्रभावित लोग हैं जो किसी के पास नहीं गए, उनकी सूची बनाएं तथा उन्हें मुआवजा और अन्य वस्तुयें प्राप्त करने में सहायता दें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य की यह धारणा है कि राज्य सरकार जो भी दे रही है। उसे मुआवजा समझा जा रहा है। यह मुआवजा नहीं है। यह तो केवल राहत है। जैसा कि आप जानते हैं मुआवजे के लिए हम कार्यवाही कर चुके हैं और मामले दायर किए जा रहे हैं।

जहां तक राहत का संबंध है, राहत दी गई है और अभी भी दी जा रही है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या लोगों को हुई क्षति आदि के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों की नियुक्ति की है जोकि सर्वेक्षण तथा सूचना एकत्र कर रही हैं। आंकड़ों का विश्लेषण अभी भी किया जा रहा है तथा मध्य प्रदेश सरकार के पास जो भी राहत के लिए पहुंचता है उसे वस्तु तथा नकद के रूप में भी राहत दी जा रही है। इसलिए मैंने कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार अब तक, प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए 10 करोड़ से भी अधिक व्यय कर चुकी है।

श्री सुरेश कुरूप : मैं दोबारा विशेष तौर पर कहूंगा कि मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। आप माननीय मंत्री जी से कहें कि वे बताएं कि मुआवजे के रूप में कितनी राशि की सहायता दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री पहले ही कह चुके हैं कि अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री सुरेश कुरूप : मेरा तात्पर्य राहत से है तथा उत्तर में इसे राहत ही बताया गया है।

कितने व्यक्तियों को यह अन्तरिम राहत दी तथा इसके देने का माप दंड क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं राहत वस्तुओं तथा नकद के रूप में दी गई है। अभी तक दी गई नकद राहत की मात्रा प्रति मृतक व्यक्ति 10.000 रु० गंभीर रूप से घायलों को प्रति व्यक्ति 2.000 रु० तक तथा कम घायल हुए व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 1000 रु० तक है। प्राप्त सूचना के अनुसार इसका वितरण 4 दिसम्बर से शुरू हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 5,791 व्यक्तियों को 37.41 लाख रु० वितरित किए गए हैं तथा 5,65 लाख रु० वितरण के लिए पड़ोसी जिलों के जिलाधीशों को दिए गए हैं तथा 8.436 प्रभावित व्यक्तियों को वितरित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को 30.50 लाख रु० दिए गए हैं। मृतकों के 267 परिवारों को 26.70 लाख लाख रु० दिए गए हैं।

जहां तक वस्तु के रूप में राहत का संबन्ध हैं, मध्यप्रदेश सरकार ने 1,36,750 क्विंटल गेहूं, 44, 243 क्विंटल चावल 4,485 क्विंटल चीनी, 3,78,500 लीटर खाद्य तेल, 17,83,000 लीटर दूध वितरित किया है तथा वस्तु के रूप में वह राहत कार्य अभी भी जारी है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : हमारे ख्याल से इस समय भारत में संयुक्त राष्ट्र अमरीका से एक दल आया हुआ है जो न्यायालय के बाहर इस मामले को निपटाने का प्रयास कर रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति क्या है। क्या वे अमरीकी न्यायालय में मुकदमा दायर कर रहे हैं तथा इस उद्देश्य से हमारे विधि सचिव वहां गए हुए है अथवा वे न्यायालय से बाहर मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा भाग, जोकि मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है। भोपाल में जो दुर्घटना घटी है वैसी दुर्घटना दोबारा न घटे। अब स्थिति यह है कि बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील राष्ट्रों में आते हैं। उनके अनुसार विकासशील देशों के लोग वस्तु मात्र हैं, व्यय करने योग्य वस्तुएं हैं। उनके पास आर्थिक शक्तियां बहुत अधिक होती हैं। इसलिए वे नौकरशाही और अन्य स्तरों को बहुत आसानी से पार कर लेती हैं। इस बारे में जागरूकता न होने के कारण तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास बहुत अधिक शक्तियां होने के कारण, ये कंपनियां बहुत

अधिक क्षति पहुंचाने में समर्थ हैं। भोपाल दुर्घटना तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हैं जो मेरे अपने निर्वाचन-क्षेत्र में ही घटी हैं। मेरा प्रश्न यह है कि इस मामले को सामान्य कानून पर छोड़ने के बजाय क्या-सरकार एक ऐसा विधान बनाएगी जिससे इस खतरनाक काम में शामिल तथा लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक क्षति तथा दायित्व निर्धारित किया जा सके।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : भारत सरकार ने एक कानूनी फर्म की नियुक्ति की है।

हाल ही में उस विधि फर्म से एक अभिवक्ता सरकार से बातचीत करने के लिए यहां आया था। वे लोग भोपाल भी गये थे ताकि जो दुर्घटना हुई है उसका जायजा लिया जा सके तथा संयंत्र की स्थिति आदि को भी देखा जा सके। माननीय सदस्यों ने यह समाचार पढ़े होंगे कि भारत सरकार ने अमरीका की अदालत में पहले ही दावा दायर कर दिया है।

समझौते के प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार को यूनियन कार्बाइड की तरफ से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, परन्तु वे प्रस्ताव इतने बेतुके हैं कि मैं नहीं समझता उन पर विचार करने से कोई लाभ होगा। अतः सरकार उन प्रस्तावों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अगर मुआवजे के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव आए तो सरकार उन पर विचार करने के लिए तैयार है।

संशोधन के बारे में माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है। यह कार्यवाही के लिए दिया गया सुझाव है। इस पर ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपना प्रश्न पिछली बार सदन में आपने जो जवाब दिया था। उस से प्रारम्भ करके मैं पूछूंगा। मुआवजे के मामले को सुलझाने के बारे में आपने कहा था कि तीन विकल्प हैं। पहला, अमरीका की अदालत में इस बात का फैसला हो ; दूसरा ; भारत की अदालत में और तीसरा, अदालत से बाहर। पिछली दफा आपने कहा था कि आप तीनों विकल्पों के तुलनात्मक लाभ-हानियों को देखेंगे और उन्हीं के अनुसार आप निर्णय लेंगे चूंकि थोड़ा समय वैसे ही बीत चुका है मुझे विश्वास है कि आपने कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा। और उस समय आपका दिमाग स्पष्ट था। स्पष्ट दिमाग खुले हुए पैराशूट की भांति कार्य करता है। मैं यह जानना चाहूंगा। क्या आपने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अमरीका की अदालत में जब कुछ पीड़ित और उनके रिश्तेदार पहुंचे तो वहीं की अदालत ने न सिर्फ मृतकों के रिश्तेदारों को भारी मुआवजे की रकम दी अपितु उन्हें भी दी जो घायल हुए थे? क्या आपने इस तथ्य की भी सुनाई की है कि अमरीका में रह रहे बहुत से जन-हित करने वाले भारतीयों ने यह प्रस्ताव रखा है कि वे यहां की सरकार से बिना कुछ वसूल किये इन श्रमिकों के तथा जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके मामले का बचाव पक्ष बनकर अदालत में जाने को तैयार हैं? अगर उन्होंने सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे ताकि हम उन पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा दिला सकें। इस ज्यादा मुआवजा दिलाने का आधार विगत में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को दिये गए मुआवजे पर होगा? आप इसे देखिए। यह राशि करोड़ों डालर में बैठेगी।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सच है, कि मैंने कहा था कि सरकार के पास तीन विकल्प थे। अब हमने निर्णय ले लिया है। हम न्यूयार्क अदालत में मुकदमा दायर कर चुके हैं। इसका अर्थ है सरकार ने अमरीका की अदालत में जाने का निर्णय पहले ही ले लिया था। अतः मुकदमे दायर कर दिए गए हैं अब प्रश्न है क्या हम उन लोगों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो स्वेच्छा से अपनी सेवाऐं देने को तैयार हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है हमने एक विधि फर्म को नियुक्त किया है। यह विधि फर्म विधि मन्त्रालय तथा वाशिंगटन में हमारे दूतावास में सम्बन्धित व्यक्तियों से सलाह मशविरे के बाद नियुक्त की गई है। अतः विधि फर्म नियुक्त करने के पश्चात में नहीं समझता कि इस विधि फर्म को बदलना अथवा अभिवक्ता को बदल कर किसी और व्यक्ति को लेना मेरे लिए उचित होगा। अंततः हमें वही मार्ग अपनाना चाहिए जो कि पीड़तों के हित में हो। हम इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि यूनियन कार्बाइड फर्म अधिकाधिक मुआवजा प्राप्त हो।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या हम यह समझें कि मुकदमा दायर करने के पश्चात भी, मुआवजे के मामले में किसी भी चरण पर अदालत के बाहर समझौते की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक यूनियन कार्बाइड से जो भी प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं वे बहुत ही अल्प राशि के हैं। उस पर हम विचार नहीं करेंगे और मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई उचित प्रस्ताव वे रखते हैं तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं और हम उस प्रस्ताव को तभी स्वीकार करें जब वह पीड़ितों से ज्यादा से ज्यादा हित में होगा।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, भोपाल की घटना विश्व की सबसे बड़ी अपने ढंग की दुर्घटना है, जिस में दो-ढाई हजार लोग मरे हैं और लगभग 200 लोग शारीरिक रूप से और 20-25 लाख आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। करीब 50 हजार खानदान ऐसे हैं, जिन के सामने खाने-पीने की समस्या है। सरकार ने फ्री राशन अब तक दिया। वह इस महीने और देगी। अब उनके सामने रोजगार की समस्या है और दो महीने के बाद जब वर्षा ऋतु सामने आयेगी तो जितने रोजगार हैं वह और कम होने वाले है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन लोगों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ? यदि मांगी है और क्या आपने वाइट आउट उसे रिजैक्ट कर दिया है। क्या इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं करते कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद केन्द्रीय सरकार केवल 5 करोड़ रुपया वंज एंड मिनल के लिए देकर अपनी जिम्मेदारी पूरा करने की कोशिश करती है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, मैंने अभी कहा कि रिलिफ काम अभी चालू है और मध्य प्रदेश सरकार खर्च कर रही और रिलिफ भी दे रही है। आज तक केन्द्र सरकार ने 5 करोड़ रुपये की सहायता दी है। माननीय सदस्य ने जैसा कि पूछा कि कितने पैसे की सहायता मांगी

है। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं वह जानकारी हासिल करके माननीय सदस्य को दूंगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने 10 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए और मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार नें सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने सारे विकास के जितने कार्य थे, उनको रोक कर इस घटना के लिये अपने फंड से रुपए खर्च किए। मैं जानना चाहता हूं कि इस काम के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए और मांगे हैं और आगे भी यह राहत कार्य जारी है, उनको पूरा करने के लिए यह धनराशि दी जायेगी या नहीं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, अभी बोलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। जो भी पैसे देने होंगे उसके किए फाइनांस मिनिस्ट्री और दूसरे मंत्रालयों से पूछ-ताछ करके निर्णय लिया जाएगा। इसलिए आज इस वक्त कितना पैसा या रकम गवर्नमेंट आफ इन्डिया दे सकती है, मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय अभी माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि अमेरिका कोर्ट में कम्पेनसेशन के लिए केस फाइल किए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि देश के गरीब लोग जो मारे गए, उनकी राहत दिलाने के लिए अमेरिका की कोर्ट के दरवाजे खटकाने पड़ते हैं। हमारे यहां कोई ऐसा प्रावीजन नहीं है कि यहां पर कोई स्पैशल कोर्ट बनाकर, हम भारत की भूमि के हित में, भारत की भूमि पर हमारे यहां के गरीब लोगों को क्या हम न्याय या पैसा नही दिलवा सकते। जहां पर दुर्घटना हुई है, उसकी 2-3 कम्पनियां हैं, वह प्रापर्टी को सीज करके वह पैसा उनको दिलाया जा सकता है और इसके लिए न्यायपालिका कोई जजमेंट देगा तो उसकी वसूली वहां हो सकती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए आपको अमेरिकी में कितना खर्चा करके आपको अमेरिका के अन्दर उसके लिए केस फाइल करना पड़ता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, यहां पर कोर्ट में क्यों नहीं गये, ये केसिज फाइल नहीं किये इसके बारे में बराबर सोच-विचार हुआ और तय हुआ कि अमेरिका की कोर्ट में हम को यह फाइल करना चाहिए क्योंकि भोपाल ट्रेजडी से जो लोग मरे हैं, जो पीड़ित हैं उनका हित इसी में है कि यह केस वहां फाइल किये जाएं। इस बारे में लीगल एडवाइजर्स से सलाह मशिवरा करके ही गवर्नमेंट आफ इंडिया यह तय किया चूंकि कम्पनी का हैड आफिस वहां पर है और कम्पनी जिस के यहां पर तकरीबन 50·9 शेयर हैं वह कम्पनी अमेरिका में है। अगर यहां पर हम केसिज दाखिल करते हैं और डिक्री हम पाते हैं तो फिर डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिये फिर हम को अमेरिका की कोट में जाना पड़ता है इन तमाम हालातों को सामने रखकर गवर्नमेंट ने तय किया कि अमेरिका की कोर्ट में केस फाइल किये जायें।

खाना पकानें की गैस के सिलेंडरों का निर्माण करने वाले कारखाने

[अनुवाद]

350. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के सिलेंडर बनाने वाले कारखाने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) कम निर्माण करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तेल कम्पनियों द्वारा कम सिलेंडर दिया जाना भी इसका एक कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का नए लाइसेंस देना बन्द करने का विचार है ;

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्पादन क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण पूर्ति आदेशों की कमी के अलावा औद्योगिक संबंध तथा बिजली की पूर्ति संबंधी समस्याएं हैं वर्तमान वार्षिक उत्पादन तेल कम्पनियों की आवश्यकताओं से अधिक है।

(घ) एलपीजी सिलेण्डरों के बनाने वाले औद्योगिक एककों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री विजय एन० पाटिल : मैं उन कम्पनियों की संख्या जानना चाहता हूं जो कि गैस सिलिण्डर बनाने के कार्य में लगे हैं और पिछले वर्ष उनका इत्पादन कितना था।

श्री नवल किशोर शर्मा : हमारी जानकारी के अनुसार 68 कम्पनियां हैं जोकि गैस सिलेंडरों का उत्पादन कर रही हैं और 1984-85 के लिए अनुमानित उत्पादन 50 लाख सिलिंडरों का है।

श्री विजय एन० पाटिल : जब उत्पादन पर्याप्त है तो आप जरूरतमंद लोगों को कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय गैस सिलेंडरों का उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक है परन्तु एल० जी० जी० गैस की उपलब्धता इतनी अधिक नहीं है कि हम सभी लोगों को गैस कनेक्शन दे सके। इसके बाद बोटलिंग क्षमता तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे कि आवंटन का कार्य रैल मार्ग परिवहन आदि की समस्याएं हैं। इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए हम सभी जरूरतमन्द लोगों को गैस सप्लाई करने में असमर्थ हैं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुछ कारखानों को उनकी क्षमता से ज्यादा के आर्डर दिये गए हैं, कुछ कारखानों को उनसे ज्यादा कीमत में सिलेंडर लिए जा रहे हैं, जबकि नये कारखाने लगे, उन्हें कम आर्डर पर सिलेंडर दिये जा रहे हैं और कुछ लोगों को उनकी उत्पादन क्षमता से 4 साल पूरे नहीं कर सके उनको आर्डर दिए हैं। क्या इन सब बातों पर आप विचार करेंगे और जिनको ज्यादा आर्डर दिये हैं, उनको

सरकार कैंसिल करने का विचार कर रही है और हिन्दुस्तान की जो क्षमता है, उनके बावजूद इम्पोर्ट किए हैं, क्या आगे इम्पोर्ट बन्द किया जायेगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : एक सवाल में बहुत से सवालात किए गए हैं। चाहा मुझे से यह गया है कि मैं यह बताऊं कि इस देश में कितनी कैपेसिटी रजिस्टर की गई और क्यों रजिस्टर की गई तथा बाहर से क्यों इम्पोर्ट किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डी० जी० टी० डी० इसको रजिस्ट्रेशन करती है और चूंकि यह नान शेड्यूल इंडस्ट्री है, इसका इसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमैटिक है। इसमें हमारा कहीं नियंत्रण नहीं है और इस कारण करीबन 600 यूनिट रजिस्टर हो चुके हैं और 68 यूनिट ऐसे हैं।

जो प्रोडक्शन में आ चुकी है या आ रही हैं और उनकी कुल उत्पादन क्षमता 1 करोड़ 70 लाख सिलेंडर्स की है चूंकि उनकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है और हमारी आवश्यकता 50 लाख सिलेंडर्स की है इसलिए जो नयी इण्डस्ट्रीज आई हैं उनको काम नहीं मिल रहा है जिसके कारण उनको नुकसान हो रहा है। यह सही है कि 8 लाख सिलेंडर्स हमने इम्पोर्ट किए लेकिन जिस समय सिलेंडर्स इम्पोर्ट करने का निर्णय लिया गया था उस समय न तो इतना उत्पादन था और न इतनी क्षमता थी। चूंकि नया प्रोग्राम तेजी से चालू किया, 15-16 लाख हर साल नए एल० पी० जी० कनेक्शन्स देने का तो उस वक्त यह मुनासिब समझा गया कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिलेंडर्स इम्पोर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए 8 लाख सिलेंडर्स इम्पोर्ट किए गए। यह भी सही है कि उस वक्त जो लोग इण्डस्ट्री में थे उनको तीन साल के आडर्स दिए गए और वह इस खयाल से दिए गए कि वे अपनी क्षमता को बढ़ा सकें। तो तीन साल के आर्डर्स देने की वजह से और सिलेंडर्स इम्पोर्ट करने की वजह से नए जो लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनको आर्डर नहीं मिल रहे हैं। मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि उनको भी कुछ आर्डर्स मिलें।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच फार्मास्युटिकल के क्षेत्र में सहयोग

[अनुवाद]

*343. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच फार्मास्युटिकल्स उत्पादों में सहयोग के लिए विशेषज्ञों के उपदल की एक बैठक दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और चैकोस्लोवाकिया की आर्थिक व्यापार तथा तकनीकी सहयोग

सम्बन्धी संयुक्त समिति की 21-24 मई, 1984 को हुई बातचीत के अनुसरण में, भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच औषधों तथा भेषजों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए औषध और भेषज सम्बन्धी एक उप दल का गठन किया गया था। 21-2-1985 को नई दिल्ली में हुई उप दल की पहली बैठक के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श हुआ था :—

1. चैकोस्लोवाकिया में फार्मूलेशनों के पंजीकरण की पद्धति।

2. भेषजों के व्यापार को बढ़ाने की संभावनाए।

3. प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान की संभावनाएं।

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय-पत्र

[हिन्दी]

*348. **श्री हरीश रावत :** क्या उद्योग और कम्पनी मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों को कुल कितने आशय-पत्र जारी किये गये ;

(ख) उनमें से प्रति वर्ष कितने आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन किये गए तथा कितने उद्योग स्थापित किए गए ; और

(ग) सरकार का शेष आशय-पत्रों का समय पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए 1982 से 1984 की अवधि में 371 आशय पत्र मंजूर किए गए थे।

(ख) आशय पत्र प्रारम्भ में एक वर्ष तक की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है और बाद में 6 महीने तक की अवधि पर्याप्त औचित्य के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। उद्यमी द्वारा आशय पत्र की शर्तें पूरी कर लिये जाने के बाद इसे औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। वर्ष 1984 के दौरान जारी किए गए उपर्युक्त 371 आशय पत्रों को पहले ही औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जा चुका है 56 आशय पत्रों को व्यपगत मान लिया गया है।

(ग) सरकार उन सभी औद्योगिक परियोजनाओं का जिनके सम्बन्ध में आशय/

लाइसेंस जारी किए गए हैं शीघ्र ही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की इच्छुक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों को आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की प्रगति की मॉनीटरी करने के लिए अपने-अपने प्रशासनिक तंत्रों को पुनर्गठित करने व सुदृढ बनाने और उद्यमियों को परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए कहा गया है।

गुजरात में खाना पकाने वाली गैस की डीलर शिप देना

[अनुवाद]

*351. **श्री नर सिंह मकवाना** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने शहरों में खाना पकाने वाली गैस की डीलरशिप दी गई है और कितने शहरों में अभी डीलरशिप दी जानी शेष है ;

(ग) जो शहर बाकी हैं वहां डीलरशिप कब तक दे दी जाएगी ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) वर्तमान में गुजरात में 93 स्थानों पर एल० पी० जी० की डिस्ट्री ब्यूटरशिपें कार्य कर रही हैं। तेल उद्योग को वर्ष 1984-85 को विपणन योजना के अधीन, 21 स्थानों के लिए वितरकों का चयन किया जा रहा है। तेल उद्योग द्वारा एल० पी० जी० को प्राप्यता, भरण क्षमता में वृद्धि, बिक्री सम्भाव्यता आर्थिक व्यवहार्यता तथा अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से नए क्षेत्रों में एल० पी० जी० की डिस्ट्री ब्यूटरशियें स्थापित की जायेंगी। वर्तमान में केवल कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, जो उन शहरों व कस्बों के निकट हैं जिनमें एल० पी० जी० का विपणन किया जा रहा है, यह सुविधा दी जा रही है।

बसोहली (जम्मू और काश्मीर) में सीमेंट का कारखाना

[अनुवाद]

*352. **श्री जनकराज गुप्त** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बसोहली (जिला कठुआ, जम्मू और काश्मीर) में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखने का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में उर्वरक उद्योग

*353 श्री कमल नाथ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बतायें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है और वहां पर कोई उद्योग नहीं है ;

(ख) क्या जौनपुर जिले में मोगरा बादशाहपुर में एक उर्वरक उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में लगाया जाएगा ; और

(घ) क्या कोई आशयपत्र जारी किया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को आल इंडिया टर्म लेंडिंग इन्स्टीट्यूशन द्वारा रियायती वित्त पोषण की पात्रता अचल पूंजी निवेश आदि पर आर्थिक सहायता के लिए श्रेणी "क" में रखा गया है ।

(ख) से (घ) सिंगल सुपर फास्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने के लिए जिला जौनपुर की मोगरा बादशाहपुर तहसील में एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने हेतु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन एक गैर सरकारी पार्टी से हाल ही में एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है । देश के विभिन्न क्षेत्रों/अचलों में सिंगल सुपरफास्फेट की स्थापना के लिए प्राप्त हुए इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ-साथ ही इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जायेगा ।

"निर्यात गांव कम्पलैक्स"

*355. श्री चिंता मणि जेना :

श्री नवीन रावणी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग परिषद् एक "निर्यात ग्राम कम्पलैक्स" की स्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पलैक्स के मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) दिनांक 5 मार्च, 1985 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अलावा सरकार की ओर कोई जानकारी नहीं है ।

फील्ड गन फैक्टरी कानपुर में त्रुटिपूर्ण उत्पादन और चोरी

[हिन्दी]

*356. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फील्ड गन फैक्टरी कानपुर में त्रुटिपूर्ण उत्पादन एवं चोरी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) फील्ड गन फैक्टरी कानपुर द्वारा प्रयोक्ताओं को निम्न स्तर का सामान सप्लाई किए जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चोरी या चोरी करने के प्रयासों के संबंध में फैक्टरी के प्रबंधकों ने हाल के महीनों में तीन घटनाएं होने की सूचना दी है जिनका ब्यौरा और उस संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले 12 महीनों में फील्ड गन फैक्टरी कानपुर में हुई चोरी की घटनाएं मार्च, 1984 से फरवरी, 1985

क्रम सं०	महीना	चोरी की तारीख	ब्यौरा	चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदम
1.	जुलाई, 1984	28/29-7-84	28/29-7-84 की रात फैक्टरी के ठीक बाहर रेलवे गेट के पास रेल की पटरी के साथ दो सही 1/2" व्यास का एक ट्विस्ट ड्रिल टेपर शैंक छिपाया हुआ मिला।	(1) फैक्टरी के सुरक्षा स्टाफ द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल सका।
2.	नवम्बर, 1984	15-11-83	15-11-84 को फैक्टरी की चार दीवारी के नीचे से जाने वाली नाली में 2500 रु० मूल्य के एल्यूमिनियम के 19 टुकड़े छिपाए हुए मिले।	(2) रात के समय फैक्टरी की चार-दीवारी की गश्त भी बढ़ा दी गई है सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल सका।
3.	जनवरी, 1985	17-1-85	17-1-85 को फैक्टरी के इस्तेमाल में नहीं आ रहे क्षेत्र से	संबंधित गोदाम के इंचार्ज श्री बी० पी० सोना अधीक्षक "ख"

1	2	3	4	5
			झाड-झंखाड में छिपाया हुआ एक सील किया हुआ ड्रम मिला जिसमें लगभग 25,000 रु० मूल्य की 250 कि० ग्रा० निकिल प्लेटें थीं।	को मुअत्तिल कर दिया है। मामले में विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
			जिस कारखाने में इस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है वहां के भंडार घर की अचारक जांच-पड़ताल की गई, और वहां यह सामग्री 975 कि० ग्रा० कम पाई गई।	
			सुरक्षा कर्मचारियों ने 1-2-85 फैक्टरी के अंदर की ओर इस्तेमाल में नहीं आ रहे क्षेत्र से आठ बोरियां बरामद हुई जिनमें 278 कि० ग्रा० निकिल प्लेटें थीं।	स्टोरों/गोदामों से निकिल प्लेटें देने/लिने से संबंधित व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी गई है। शेष 447 कि० ग्रा० निकिल प्लेटें बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस के लिए एजेंटों की नियुक्ति

*357. डा० वी० वेंकटेश :

श्री वी० श्री निवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की 1984-85 के लिए विपणन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए खाना पकाने की गैस "इंडेन" के वितरण के लिए एजेंटों की नियुक्ति के निर्णय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है तथा उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है, चयन सम्बन्ध में उक्त नियुक्तियों को अंतिम रूप दिए जाने बाकी हैं ; और

(ग) तेल चयन बोर्ड (उत्तर) द्वारा इस बारे में अंतिम निर्णय कब किया जाएगा;

पेट्रोलियम मन्त्रालयम के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1984-85 की विपणन योजना के अधीन इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को 22 एल० पी० जी० डिस्टीब्यूटर शिपों में से 20 डिस्टीब्यूटर शिपों के चयन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इन स्थानों की सूची सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण में दी गई है।

(ग) साक्षात्कार तथा सम्बन्धित जांच-पड़ताल के पूरा हो जाने पर तेल चयन बोर्ड (उत्तर) द्वारा प्रत्येक स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

1. मिर्जापुर
2. खैरातपुर
3. इलाहबाद-क
4. इलाहबाद-ख
5. कसगज
6. मुरादाबाद
7. अटारा
8. अलीगढ़
9. उधैनी
10. कैराना
11. बहेरी

12. हाथरस

13. ओखला

14. नोएडा

15. हसनपुर

16. इटावा

17. सहजहांपुर

18. सेहरा

19. सैसवान

20. मगेह

न्यायालय फीस समाप्त करना

*358. भोला नाथ सेन :

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए, और कि : शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए और/या उच्चतम न्यायालय में न्यायालय फीस समाप्त करने के लिए और/या देश के लिये न्यायालयों में न्यायालय फीस समाप्त करने के लिए विधि बताने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण कोई नागारिक न्याय से वंचित न हो पाए, क्या कदम उठाए गए हैं उठाने का विचार है ;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) 1982 नई दिल्ली में हुए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में न्यायालय फीस समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया था। सम्मेलन का यह विचार कि था वित्तीय प्रतिबंधों के कारण, यह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि न्यायालय फीस को समाप्ती करने के बजाय उनका सुव्यवस्थीकरण किया जाए। सम्मेलन ने न्यायालय फीस के सुव्यवस्थीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए पांच राज्यों के विधि मंत्रियों की एक समिति गठित की है। उपयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और रिपोर्ट शीघ्र ही राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधि मंत्रियों के सम्मेलन में, जिस के शीघ्र किये जाने का प्रस्ताव है, विचार के लिए रखी जाएगी।

रायगढ़ में कैल्शियम कार्बाइड यूनिट

*359. कुमारी पुष्पादेवी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में एक कैल्शियम कार्बाइड यूनिट स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) उक्त यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा, और

(घ) उक्त यूनिट स्थापित करने के लिए कौन सा स्थान चुना गया है ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न, ही नहीं उठते ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों और उपकरणों की सप्लाई

*360. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना है कि पाकिस्तान द्वारा अमरीका से आयात किए गए आधुनिक हथियार भारत की पश्चिमी सीमा पर जमा किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अमरीकी सरकार को इस बारे में सूचना दे दी गई है ; और

(घ) क्या पाकिस्तान को हथियारों और उपकरणों की इस सप्लाई से पाकिस्तान तुलना में भारत की सैन्य क्षमता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) पता चला है कि पाकिस्तान अमेरिका से अति आधुनिक हथियार खरीद रहा है। भारतीय सीमा पर ऐसे कितने हथियार जमा हैं इस बारे में ठोस आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सारे हथियार हमारी सीमा पर जमा किए जाने के बारे में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है।

(ग) पाकिस्तान को अति आधुनिक हथियारों की सप्लाई के बारे में सरकार की चिन्ता से अमेरिकी सरकार को अवगत करा दिया गया है।

(घ) हमारे पड़ोस में अति आधुनिक हथियारों के बढ़ने से निश्चय ही हमारी सुरक्षा

को खतरा है। लेकिन ऐसी सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जाती है और पूर्ण रक्षा यारी सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं।

श्री नगर (कश्मीर) में टेलीफोन कनेक्शन

*361. श्री सैफुद्दीन सोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री नगर (कश्मीर) में 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये ;

(ख) ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मांग पूरी नहीं हुई ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिसंबर, 1984 को समाप्त होने वाली पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान श्री नगर शहर (कश्मीर) में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या
जनवरी से दिसम्बर 1982	194
जनवरी से दिसम्बर 1983	225
जनवरी से दिसम्बर 1984	119

(ख) श्री नगर में 4,723 ऐसे आवेदक शेष बचे हैं जिन्हें 31 दिसम्बर, 1984 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके।

(ग) देश में उपस्कर, केबिल एवं अन्य साधनों की कमी होने के कारण प्रतिक्षा सूची के शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सके।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का कार्यकरण

*362. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण की जांच के लिये पहले भी एक जांच समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कारंवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रत्येक जिले में एक बड़ा उद्योग

*363. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि देश के प्रत्येक जिले में एक बड़ा उद्योग लगाया जाएगा और यदि हां, तो 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के किन-किन जिलों को शामिल किया जायेगा तथा कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उनमें केन्द्र, राज्य और गैर-सरकरी क्षेत्रों के कितने-कितने प्रतिशत उद्योग होंगे ; और

(ग) देश में राज्य वार जिलों की संख्या कितनी हैं तथा उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को कब तक शामिल किये जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) विशिष्ट जिलों/क्षेत्रों के औद्योगीकरण का दायित्व प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार की रियायतें तथा प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों में सहायता करती है।

ऐसे नब्बे जिलों का चयन किया गया है जिनमें कोई भी बड़ा अथवा मझोला उद्योग नहीं है, और 1-4-83 से पिछड़े क्षेत्रों के पुन: वर्गीकरण के बाद इन जिलों को श्रेणी "क" में सम्मिलित कर लिया गया है। (इन) जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी लाइसेंसों की मंजूरी, केन्द्रीय निवेश राज सहायता की उच्चतम दर अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाओं राज्य सरकारों द्वारा अवस्थापना पर सुविधाओं के विकास में केन्द्रीय सहायता के मामलों में अत्यधिक प्राथमिकता पाने के पात्र हैं और इन जिलों में अनुबंध-1 से भिन्न उद्योगों की स्थापना करने वाली एम० आर० टी० पी/फेरा" कम्पनियों के लिए निर्यात वचनबद्धता में रियायत दी जाती है। राज्य सरकारों से विकास केन्द्रों का चयन करने तथा उन बड़े

मंझौले एवं लघु उद्योगों का उल्लेख करते हुए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है। जिनकी स्थापना हेतु गुंजाइश है और इन जिलों में जिनकी स्थापना का प्रस्ताव है।

विवरण

(1) असम

1. लखीमपुर

2. उत्तरी कचार पहाड़ियां

(2) बिहार

1. औरंगाबाद

2. भोजपुर

3. खगरिया

4. नालन्दा

5. पुर्णिया

6. सहरसा (इसमें माधोपुर से अलग करके बनाया गया नया जिला भी सम्मिलित है)।

(3) गुजरात

1. डांग्स

(4) हिमाचल प्रदेश

1. चम्बा

2. कांगड़ा

3. किन्नौर

4. कुलू

5. लाहोल और स्पीती

(5) जम्मू और काश्मीर

1. डोडा

2. कुपवाड़ा

3. लद्दाख
4. पूंछ
5. पुलवामा
6. राजौरी
7. ऊधमपुर

(6) कर्नाटक

1. बीदर

(7) केरल

1. व्यानाड
2. इडुक्की

(8) मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. भिण्ड
3. छतरपुर
4. छिंदवाड़ा
5. दमोह
6. दतिया
7. धार
8. गुना
9. झबुआ
10. मांडला
11. नरसिंहपुर
12. पन्ना
13. राजगढ़
14. सिवनी
15. शिवपुरी

16. सीधी

17. सुरगुजा

18. टीकमगढ़

(9) मणिपुर

1. मणिपुर (केन्द्रीय)

2. मणिपुर (पूर्वी)

3. मणिपुर (उत्तरी)

4. मणिपुर (दक्षिणी)

5. मणिपुर (पश्चिमी)

6. तागनुपाल

(10) मेघालय

1. पुर्वो गारो पहाडियां

2. पश्चिमी गारो पहाड़ियां

3. जयन्तिया पहाड़ियां

4. पश्चिमी खासी पहड़ियां

(11) नागालैंड

1. तुएनसांग

(12) उड़ीसा

1. बालासोर

2. बोलनगीर

3. बोढखोंडमल्स (फुलबनी)

(13) राजस्थान

1. जैसलमेर

2. सिरोही

(14) सिक्किम

1. गंगटोक

2. ग्यालसिंग

3. मं न

4. नामची

(15) त्रिपुरा

1. उत्तर त्रिपुरा
2. दक्षिण त्रिपुरा
3. पश्चिम त्रिपुरा

(16) उत्तर प्रदेश

1. बाँदा
2. चमोली
3. हमीरपुर
4. फतहपुर
5. जालौन
6. जौनपुर
7. पौड़ी गढ़वाल
8, सुल्तानपुर
9. टिहरी गढ़वाल
10. उत्तर काशी
11. कानपुर देहात

(17) पश्चिम बंगाल

1. बांकुरा
2. कूच बिहार
3. दार्जेलिंग
4. जलपाईगुड़ी
5. मालदा

(18) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

1. निकोबार द्वीप समूह

(19) अरुणाचल प्रदेश

1. कामेंग

2. सियांग

3. सुबंसरी

4. तिरप

(20) लक्षद्वीप

1. लक्षद्वीप

(21) मिजोरम

1. एजल

2. लंगतज

(22) दादरा और नागर हवेली

(1) दादर और नागर हवेली

अशोधित तेल का आयात

[अनुवाद]

2172. अनन्त प्रसाद सेठी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में अशोधित तेल के आयात के लिये हाल में कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुये है ;

(ख) यदि हां तो किन देशों के साथ और कब समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ग) प्रत्येक देश से अशोधित तेल की कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा और इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) :

देश	मात्रा
	(मि० मी० टन)
1. इराक	2.35
2. सोवियत यूनियन	3.00

1	2
3. इरान	2·00
4. आबू धाबो	0·50
5. ओमन	0·50
9. नाइजीरिया	0·175

सोवियत संघ में आयात की गई मात्रा को छोड़कर जिसके लिए रुपयों में भुगतान किया गया है शेष क्रूड तेल के आयात पर लगभग 1120 मि. डालर विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ।

सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन के रूप में गैर-सरकारी व्यक्तियों के चयन नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश

2173. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न सरकारी उपक्रमों के चेयरमैन के रूप में गैर-सरकारी व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति के लिए योग्यता और-शैक्षणिक तथा अन्त और उद्योग निर्माण विशेष के क्षेत्र में कोई दिशा निर्देश विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के चेयरमैन की नियुक्ति की स्वीकृति अध्ययनत: किस प्राधिकार द्वारा की जाती है—उनके मंत्रालय द्वारा अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा जिसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों संबंधी ब्यूरो कार्य करता है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सामान्य नीति यह है कि जब तक किसी विशिष्ट मामले में अंशकालिक अध्यक्ष का होना समयोचित न समझा जाए, किसी सार्वजनिक उद्यम के निदेशक बोर्ड की अध्यक्षता साधारणतय: अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जाना चाहिए अंशकालिक अध्यक्ष के चयन के लिए सरकार ने कोई विशिष्ट योग्यता अथवा अनुभव या किसी उद्योग विशेष में पद निर्दिष्ट नहीं किए हैं तथापि, अंशकालिक अध्यक्ष का चयन लोक उद्यम चयन निकाय की सिफारिश के आधार पर होता है और नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मंत्री मंडलीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाती है ।

बालापुर छावनी के कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

2174. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पटना शाखा की दानापुर छावनी के कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध जनता तथा छावनी बोर्ड के निर्वाचन सदस्यों से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितने मामलों को निपटाया गया है ; और

(ग) शेष शिकायते कब तक निपटा दी जायेंगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल उत्पादन

2175. श्री मोहन लाल पटेल : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के उत्पादन में घरेलू मांग के बराबर प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय मांग और प्रति में कितना अंतर है; और

(ग) इस अंतर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) विगत में कच्चे तेल के उत्पादन तथा उसकी मांग का ब्यौरा नीचे दिया है :

(आंकड़े मिलियन मी० टन में हैं)

	उत्पादन	आवश्यकता
1982-83	21·06	37·89
1983-84	26·02	39·55
1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर)	21·10	39·74

कमी को क्रूड तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जाता है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) प्रगतिशील तेल वसूली तकनीकों का प्रयोग;

(2) वर्क ओवर कार्य संचालनों को तेज करना ;

(3) अपेक्षाकृत अल्पज्ञात भू-वैज्ञानिक क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य को तेज करना जिससे कि अन्ततः उत्पादन में वृद्धि हो;

(4) उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरंभ करना।

मैसर्स बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड का बन्द होना

2176. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड, रानी गंज (पश्चिम बंगाल) गत 1 नवम्बर, 1983 से बन्द पड़ी है ;

(ख) क्या उक्त मिल को पुन: खोलने के प्रयास किये गए थे;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने मिल को पुनः खोलने के लिए श्रमिक विरोधी और अस्वीकार्य शर्तों का प्रस्ताव किया है ;

(घ) श्रमिक संघ ने और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मिल को पुन: खोलने के लिए क्या प्रस्ताव रखे हैं; और

(ङ) क्या सरकार मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने और इह प्रकार देश की कागज की आवश्यकताओं के हित में इसका राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) नकद हानियों को रोकने, वित्तीय स्थिति को सुधारने और दीर्घ कालीन जीव्यता बनाए रखने के लिए सितम्बर, 1983 में हुई केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, वित्तीय संस्थानों और बैंकों की एक विशेष संयुक्त बैठक में कारखाने के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम को दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने के लिए समर्थन देने हेतु समहति प्रगट की गई थी। वित्तीय संस्थानों ने योजना के प्रथम चरण को पूरा करने हेतु वित्त प्रदान करने के लिए 455 लाख रु० का सावधि ऋण भी स्वीकृत किया था। कारखाना और उसके बाद मुख्यालय के बंद हो जाने के कारण योजना को कार्यान्वियन हेतु शुरू नहीं किया जा सका यह जानकारी मिली है कि निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रबंधक कर्मचारी यूनियनों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और बातचीत अभी भी जारी है। प्रबन्धकों ने इस बात से इन्कार किया है कि उसकी नीति श्रमिक विरोधी है, अथवा उनके कारखाने को पुन: खोलने के लिए अस्वीकार्य शर्तें रखी गई हैं।

इसी दौरान कंपनी का मुख्यालय फरवरी, 1985 में पुन: खोला गया था और प्रबंधक अखिल भारतीय संस्थानों द्वारा संवीक्षा करने और उस पर आगे विचार करने के लिए पुनर्स्थापना तथा आधुनिकीकरण योजना को अद्यतन बनाने हेतु अपेक्षित सूचना संकलित करने में लगे हुए हैं ; और

(ङ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

"कावेरी" बेसिन" के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अनुसंधान केन्द्र

2177. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार तमिलनाडु के तंजौर जिले में कावेरी बेसिन के लिए एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम और गैस (एल० पी० जी) बिक रही है ; और

(ख) कावेरी बेसिन में पाए गए पेट्रोलियम का अद्यतन ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : जी नहीं ।

(ख) हाल ही में एक कुप केत्रिलकल्ला पल-1 से 1/4" की चोक से प्रतिदिन लगभग 31 बैरल तेल तथा लगभग 2.000 घन मीटर गैस का उत्पादन हुआ है । आगे और अन्वेषण कार्य जारी है ।

सीमा सड़क संगठन में विभिन्न निधियां

217 . **श्री ललित माकन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी आर ई एफ में रेजिमेंटल फण्ड, सी ई ट्रस्ट फण्ड कमान्डर्स फण्ड यूनिटर्स फण्ड, बार्डर रोड स्पेशल रिलीफ फण्ड सी आर ई एफ बेनेवोलेन्ट फण्ड आदी नामों से जाने वाली विभिन्न निधिया बनाई जा रही हैं और असैनिक कर्मचारियों को बिना रसीद दिये इन निधियों में अंशदान करने को बाध्या किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निधि में आज तक कुल कितनी धनराशि जमा हो चुकी है ;

(ग) सीमा सड़क महानिदेशक के कार्यालय में प्रत्येक निधि का हिसाब-किताब किस सरकारी प्राधिकारी के अधीन रखा जा रहा है ;

(घ) "ग्रेफ" (जी आर ई एफ) के प्रत्येक रैंक के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक निधि के लिए किए गये अंशदान का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बेनेवोलेंट फण्ड की राशि के उपयोग के ब्यौरा क्या हैं और आज इसमें कुल कितनी धनराशि जमा है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) चीफ इंजीनियर्स ट्रस्ट फण्ड कमाण्डर्स फण्ड और यूनिट फण्ड रेजिमेंटल फण्ड हैं और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की यूनिटों/फारमेशनों द्वारा इनका संचालन किया जाता है। सीमा सड़क स्पेशल रिलीफ फंड और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जी० आर० ई० एफ०) बेनेवोलेंट फंड जो कि रेजिमेंटल फंड नहीं है

इन्हें प्रमुख रूप से क्रमशः सीमा सड़क महानिदेशक मुख्यालय और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स सेंटर एवं रिकार्ड पूना द्वारा संचालित किया जा रहा है रेजीमेंटल फंड को दिया जाने वाला सारा अंशदान ऐच्छिक है। हालांकि सीमा सड़क स्पेशल रिलीफ फंड के लिए कोई अंशदान नहीं रखा गया है लेकिन जी आर ई एफ में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अंशदान किया जाता है । प्रत्येक अंशदान के लिए रसीद देना प्रशासनिक तौर पर व्यवहारिक नहीं है ।

(ख) यूनिट स्तर पर रखे गए प्रत्येक रेजीमेंटल फण्डों के आंकड़ों की वर्तमान राशि तत्काल उपलब्ध नहीं है । फिर भी 30 सितम्बर, 1983 को वह राशि इस प्रकार थी :

(1) चीफ इंजीनियर्स ट्रस्ट फण्ड	—	12,5?,746·67 रु.
(2) कमाण्डर्स फण्ड	—	2,59,904·34 रु.
(3) यूनिट फंड	—	27,51,288·10 रु.

31-12-1984 को जी आर ई एफ बेनेवोलेंट फण्ड में कुल राशि 14,37,658'39 रु. है और 29 मार्च, 1985 को सीमा सड़क स्पेशल रिलीफ फण्ड की राशि 30,22,770·60 रु. है ।

रेजीमेंटल फण्ड को रक्षा सेवा विनियमों और सीमा सड़क विनियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित किया जाता है सीमा सड़क स्पेशल रिलीफ फण्ड को राष्ट्रीय रक्षा फण्ड से प्राप्त अनुदानों से स्थापित किया गया थी और बाद में प्रधानमंत्री सहायता कोष से प्राप्त दान से इसमें वृद्धि की गई था । जी० आर० ई० एफ बेनेबोलेंट फण्ड को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों अनुसार संचालित किया जाता है ।

(घ) अफसरों सहित सभी रैंकों द्वारा रेजीमेंटल फण्डों को अंशदान प्रतिमाह 100 रु. के मूल वेतन पर 0.40 की दर पर दिया जाता है ।

(ङ) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स बेनेबोलेंट फण्ड का जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्यरत कर्मचारियों मृतक कर्मचारी के मामले में उसके उत्तराधिकारी और असमर्थता के कारण सेवा से मुक्त होने वालों के कल्याण और लाभ के लिए उपयोग किया जाता है । इस फण्ड में उपलब्ध कुल राशि ऊपर (ख) में बता दी गई है ।

दिल्ली के लिए नई औद्योगिक नीति

2179. श्री शोभनाथ दत्त : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक नई औद्योगिक नीति लागू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के लिए यह नई औद्योगिक नीति लागू करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) क्या सभी संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी ही औद्योगिक नीति लागू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार प्रशासन का दिल्ली संघ क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति लागू करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस सप्लाई करने में विलम्ब

2180. **श्री डी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस की अनुपलब्धता तथा उपभोक्ताओं को इसकी सप्लाई करने में बहुत विलम्ब होते, यहां तक कि कई मामलों में तो एक महीने तक का विलम्ब हो जाता है, की असंख्य शिकायतों की सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) भरे हुए सिलण्डरों को मुहैया करने में देर होने का कारण एल. पी. जी. की अपर्याप्त उपलब्धता, सीमित बोटलिंग क्षमता तथा स्थानीय समस्याएं हैं।

(ग) एल० पी० जी० उत्पादन को बढ़ाने, बोटलिंग तथा परिवहन क्षमता और संबंधित आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने की स्कीमों को लागू किया जा रहा है।

तेल खोज कार्यक्रम

2181. **श्री टी० बाला गौड** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान तेल खोज कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) उक्त कार्य किन-किन संगठनों को सौंपा गया था ;

(ग) क्या इन संगठनों का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड देश में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण तथा उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका योजना व्यय नीचे दिया गया है :—

	(रु० करोड)
1982-83	1475
1982-84	1711
1984-85	1960 (प्रत्याशित)

(ग) और (घ) जी हाँ। वर्ष 1982 तथा 1984 के दौरान वसूली योग्य शेष भंडारों में लगभग 98 मि० मी० टन की वृद्धि हुई है। वर्ष 1982-83 में कच्चे तेल में आत्म-निर्भरता 56 प्रतिशत थी जो वर्तमान में बढकर 69 प्रतिशत हो गई है।

कोटकापुरा पंजाब में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2182. डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटकापुरा कस्बे (पंजाब) के लिए एक स्वचालित टेलीफोन एक्स चेंज मंजूर हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो वहां पर स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य ऑटो एक्सचेंज के लिए एक बड़ी इमारत बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) कोटकपूरा के वर्तमान मैनुअल एक्सचेंज को स्वचल बनाने के लिए 1500 लाइनों के ऑटो एक्सचेंज उपस्कर का आवंटन कर दिया गया है और परियोजना प्राक्कलन की भी मंजूरी दे दी गई है ताकि मुख्य ऑटो एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो सके।

आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति राशि की वापसी

2183. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड उन भावी खरीददारों को, जो अब उक्त कम्पनी के स्कूटर खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, उनकी प्रतिभूति राशि वापिस नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का उचित ब्याज सहित प्रतिभूति राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मैसर्स आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स ने बताया है कि तीन महीने की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर आवेदकों को धनराशियां लौटाई जा रही हैं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

ट्रांसपोर्टनगर, कोटा के पास पेट्रोल पम्प खोलना

[हिन्दी]

2184. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में कोटा में ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक पेट्रोल पम्प खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नगर सुधार ट्रस्ट कोटा द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर कामपलैक्स में खुदरा बिक्री केन्द्र के विकास के लिए अभी किसी उपयुक्त स्थान को चुनना है।

राजस्थान में पेट्रोल पम्प खोलना

2185. **श्री विष्णु मोदी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में नये पेट्रोल पम्प खोलने की किसी योजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तेल उद्योग को वर्ष 1984-85 को विपणन योजना में राजस्थान में 67 स्थानों को शामिल किया गया है। इन स्थानों के लिए वितरकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र को आरंभ करने की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते, हुए ऐसे बिक्री केन्द्रों को आरम्भ करने में लगने वाले समय के बारे में बताना व्यवहार्य नहीं है।

लंबित मामलों का निपटारा

[अनुवाद]

2186. **श्री शांता राम नायक** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायालयों में न्यायिक मामलों के निपटारे के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा अधिकथित करने के लिए कोई विधि बनाने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार देश मे लंबित मुकदमों की समस्या से किस प्रकार प्रभावपूर्ण ढंग से निपटाने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार न्यायिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश में प्रक्रिया संबंधी विधियों में कोई संशोधन करने का है ;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। सरकार स्थिति से अवगत है और इस समस्या की ओर निरन्तर ध्यान दे रही है। वर्ष 1973 में एक पुनरीक्षित दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई थी और समय-समय पर उसमें संशोधन किए गए है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए वर्ष 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता में भी कुछ संशोधनों किए गए थे। इन संहिताओं में संशोधन तभी किए जाते हैं जब कभी आवश्यकता महसूस की जाती है।

दीनापुर छावनी, पटना (बिहार) में डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज की इमारतों का निर्माण

2187. श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय उर्दू संवाददाता संघ, दीनापुर छावनी पटना के अध्यक्ष ने दीनापुर छावनी, पटना के डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंज के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में 13 जनवरी, 1985 और 20 मार्च, 1985 को अभ्यावेदन दिए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। केवल तारीख 20.3.85 का ही एक अभ्यावेदन 28.3.85 को प्राप्त हुआ है।

(ख) अपने अभ्यावेदन में उन्होंने दीनापुर छावनी, पटना के डाकघर एवं टेलीफोन एक्चेंज के लिए नए विभागीय भवन के निर्माण की मांग की है;

(ग) टेलीफोन एक्चेंज के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। दीर्घकालीन अवधि पर उपयुक्त भूमि पट्टे पर देने के लिए रक्षा प्राधिकारियों से संपर्क किया गया है। दीनापुर छावनी डाकघर के लिए विभागीय भवन का निर्माण करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेंसिलिन और एम्पीसिलिन आदि के मूल्य

2188. श्री डी० पी० जडेजा : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे देश पेंसलिन जी, पेंसलीन वी, 6—ए. पी. ए. और एम्पीसिलिन का मासिक और एककवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन उत्पादों के लागत बीमा भाड़ा मूल्यों और स्थानीय मूल्यों में तुलनात्मक अन्तर क्या हैं; और

(ग) इन उत्पादों के मूल्य कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित किए गए स्वदेशी मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

क्रमांक	उत्पाद का नाम	स्वदेशी मूल्य (रु० कि० ग्रा०)
1	2	3
1.	पोटासियम पेंसिलिन जी फस्ट क्रिस्टल	582·03 (बीयू)
2.	पोटासियम पेन. 5	885·69
3.	6"एपीए	2107·00
4.	एम्पिसिलिन ट्रिहाइड्रेट	1677·00

पेंसिलिन के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। 6—एपीए और एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट के आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किए जाते हैं और एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट का कोई सरणीबद्ध आयात नहीं किया गया। 6—एपीए के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य समय-समय पर अलग-अलग होते हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधीन उक्त औषधों/मध्यवर्तियों के मूल्यों के निर्धारण से उनकी सस्ते मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

विवरण

क्रमांक	मद का नाम	उत्पादक एकक का नाम	निम्नलिखित वर्षों के लिए महीनावार उत्पादन का योग 1982-83 (टन)	1983-84	1984-85 (अप्रैल-फरवरी
1	2	3	4	5	6
1.	एम्पिसिलिन	आई डी पी एल	1·0	0·258	3·167
		रेनबेक्सी	44·89	45·04	61·19
		एलेम्बिक	2·42	2·48	1·65
		एचएएल	14·18	8·38	11·03
		कैडिला लेब्स	शून्य	0·286	11·55
		लिफिन कैमि०	शून्य	शून्य	6·37
		सिफाम लेब्स	50·54	42·28	42·53

2	3	4	5	6
	डेक्सो लेब्स	6.77	9.07	3.49
	बोगेल लेब्स	1 32	3.80	1.32
	एसिटो कैमिकल्स	0.131	0.009	शून्य
	सिंथोकेन	शून्य	1.06	अनुपलब्ध
	फार्मकिम	शून्य	9.70	7.44
	कैलिक्स कैम	शून्य	1.20	अनु.
	पोलीड्रग कैम	शून्य	शून्य	1.37
	केतिन फार्मा	शून्य	शून्य	1.77
	आरमर कैमिकल्स	शून्य	शून्य	6.94
6--एपीए	आईडीपीएल	3.75	17.10	22.90
	एलेम्बिक	शून्य	2.25	1.70
	एचएएल	शून्य	शून्य	13.40
पोटासियम पेनिसिलिन जी फ्रस्ट क्रिस्टल	आईडीपीएल	अनुपल.	123.1	122.05
	एचएएल	95.513 (एमएमयू)	110.12 (एमएमयू)	149.42 (एमएमयू)
पेसिलिन 5 फ्रस्ट क्रिस्टल	एचएएल	6.93 (एमएमयू)	20.63 (एमएमयू)	13.24 (एमएमयू)

खादी ग्रामोद्योग आयोग के संस्थानों के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

2189. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का अपने प्रत्येक संस्थान के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संस्थानों में कामगार/कर्मचारी कुछेक संस्थानों के

प्रबंध में भाग ले रहे हैं। उनकी सहभागिता का निर्णय अलग-अलग मामलों में गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

[अनुवाद]

2190. डा० जी० विजय रामा राव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज की कमी के कारण सभी उपभोक्ताओं को दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी, 19'4 में नहीं दी गई है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कागज का आयात किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को जो अभी तक, 1982 की डायरेक्टरी प्रयोग कर रहे हैं कब तक डायरेक्टरी उपलब्ध कर दी जाएगी;

(घ) यदि दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी, 1984 के प्रकाशन पर कर्मचारियों पर व्यय सहित कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का इसकी बिक्री का कार्य निर्धारित मामूली कमीशन पर गैर सरकारी एजेंसियों को देने का विचार है जैसाकि रेलवे ब्राडशा के संबंध में किया जा रहा है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी का 1984 का संस्करण दिल्ली विभिन्न एक्चेंजों में खोले गए वितरण केन्द्रों के माध्यम से अधिकांश उपभोक्ताओं को वितरित किया गया था।

(ख) टेलीफोन डाइरेक्टरी के मुद्रण के लिए यद्यपि कागज का साभान्यतया आयात नहीं किया जाता, फिर भी दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी के 1984 के संस्करण में आयातिक कागज प्रयोग किया गया।

(ग) जिन उपभोक्ताओं को सम्बन्धित वितरण केन्द्रों से नई डाइरेक्टरी प्राप्त नहीं हो पाई है, वह इस्टर्नकोर्ट, नई दिल्ली स्थित वितरण केन्द्र से डाइरेक्टरी प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख समाचार पत्रों में इसकी बाबत सूचना प्रकाशित कर दी गई है।

(घ) दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी के 1984 के संस्करण के प्रकाशन में, स्टाफ पर हुए व्यय सहित, किया गया व्यय लगभग 1.09 करोड़ रुपए है।

(ङ) दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी के मुद्रण का कार्य पहले से ही प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से कराया जाता है।

चीन द्वारा पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका को हथियारों की सप्लाई

2191. श्री जी० जी० स्वेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन बड़े भारी और बढ़ते हुये पैमाने पर पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका को हथियारों की सप्लाई कर रहा है ;

(ख) क्या चीन तीसरी दुनिया के देशों के लिए हथियारों के एक बड़े पूर्तिकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है और इसके साथ वह अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है ; और

(ग) क्या अधिक समय तक काम आते रहने और कम कीमत के होने के कारण चीनी हथियार पश्चिम देशों के हथियार से आगे निकल गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) पाकिस्तान और हमारे अन्य पड़ोसी देशों को चीन द्वारा हथियारों की सप्लाई किए जाने की सूचना मिली है।

(ख) चीन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उपस्कारों की बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाए जाने के समाचार मिले हैं।

(ग) चीन की मिलीटरी प्रौद्योगिक का सामान्य स्तर पश्चिमी देशों के हथियारों से अच्छा नहीं समझा जाता। फिर भी कुछ देश अपने ही कारणों से चीनी हथियार खरीद सकते हैं।

विधिक अस्पताल खोलना

2192. श्री आर० अन्नानाम्बी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कमजोर वर्गों और पददलितों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सिविल अस्पतालों की तरह प्रत्येक जिला मुख्यालय में विधिक अस्पताल तुरंत खोलने की आवश्यकता की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति द्वारा अपनाई जाने वाली विधिक सहायता के दो रूप हैं :—

(i) न्यायालय या मुकदमेबाजी के अनुकूल विधिक सहायता ; और

(ii) निवारक या अनुकूल विधिक सहायता समिति निवारक प्रकार की विधिक क्लिनिकों और अस्पतालों से तुलना की जा सकती है। समिति ने निर्धनों को परिविधिक सहायता पर अधिक बल देती है जिसकी विधिक और निवारक विधिक सहायता देने की दृष्टि से विश्व विद्यालयों और विधि महाविद्यालयों विधिक सहायता क्लिनिकों की भी स्थापना की है। उपयुक्त विधान बनाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

उदार बनाई गई लाइसेंस प्रक्रिया

2193. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग स्थापित करने तथा क्षमताओं का विस्तार करने संबंधी लाइसेंस प्रक्रियाओं को उदार बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कुछ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 25 उद्योगों को एम० आर० टी० पी०/"फेरा से भिन्न कम्पनियों के लिए लाइसेंस हटा दिया गया हैं। इनमें से कोई भी वस्तु बनाने वाले औद्योगिक उपक्रम को औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी और उनके लिए स्वयं को संबंधित प्राधिकरण जैसे कि तकनीकी विकास के महानिदेशालयों में पंजीकृत कराना ही पर्याप्त होगा। लघु उद्योग तथा सहायक औद्योगिक उपक्रमों के लिए भी निवेश सीमा क्रमशः 35 लाख रुपए तक बढ़ा दी गयी है। इसके परिणाम संयंत्र और मशीनों के रूप में जिन औद्योगिक उपक्रमों का निवेश लघु उद्योगों के मामलों में 35 लाख रुपए और सहायक एककों के मामलों में 45 लाख रुपए से अधिक नहीं है उन्हें औद्योगिक लाइसेंन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने एम० आर० टी० पी० कम्पनियों की सीमा भी 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ कर देने का निर्णय लिया है।

2 अभी हाल के उदारीकरणों के अलावा जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, लाइसेंसीकरण प्रक्रिया को उदार बनाने तथा अधिष्ठापित क्षमताओं का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में किए गए उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं —स्वतः विकास की योजना, कुछ चुने हुए आधारभूत और जनोपयोगी उद्योगों के संदर्भ में अधिक क्षमता को नियमित करने की योजना, निर्यात को लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक मानना, पूंजीगत समान आदि के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देने सहित 100 प्रतिशत निर्योतोन्मुख एककों की योजना, विगत किन्हीं पांच वर्षों में प्राप्त किए अधिकतम उत्पादन के आधार पर क्षमता के पुनः पृष्ठांकन की योजना, "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान करना, प्रवासी भारतीयों के लिए सुविधाओं का

प्रावधान करना और केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही उत्पादन किए जाने हेतु अनेक वस्तुएं आरक्षित करना।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

2194. श्री राम भगत पासवान : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कम से कम 20 अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया और उसके द्वारा बड़ी संख्या में मशीनों का आयात किया परन्तु वे अप्रयुक्त पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विदेशों का दौरा करने वाले अधिकारियों और उनके पदों का ब्यौरा क्या है तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों में अप्रयुक्त पड़ी आयातित मशीनों और पूंजीगत माल का ब्यौरा क्या है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) भारत हेवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड ने बड़ी संख्या में मशीनों का आयात किया है, लेकिन ये अप्रयुक्त नहीं पड़ी हुई हैं। जिन व्यक्तियों ने 1984 में विदेशों का दौरा किया था उनके ब्यौरे संलग्न सूची में दिए जाते हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 829/85]

कोयला तेल शोधक कारखाना, बड़ौदा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सूची

[हिन्दी]

2195. श्री सी० डी० गामित : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला तेल शोधक कारखाना, बड़ौदा में वर्ष 1980 से 1984 तक श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों में अलग-अलग कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए ;

(ख) उन सभी पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और उनमें से कितने साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था तथा उनमें से कितने लोगों को नियुक्त किया गया ;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का क्या कोटा निर्धारित किया गया है और इसे किस सीमा तक पूरा किया गया है ; और

(घ) उनका कोटा पूरा न किया जाने के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जाएगा।

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 836/85]

(घ) कोयला तेल शोधक कारखाने में पदों को 7 और 14 प्रतिशत पद क्रमशः अनुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नियुक्त अनुसूचित जातियों के सदस्य की कुल संख्या निर्धारित कोटे से अधिक है। अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों संख्या में कमी का मुख्य कारण बार-बार भर्ती के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बावजूद अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त व्यक्तियों को न मिलना। केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए कई बार विज्ञापन देने के बावजूद आरक्षित पदों को भरने के लिए आवश्यक संख्या के उपयुक्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुए। अनुसूचित जनजाजाति के लिए आरक्षित पदों को जल्दी से जल्दी सम्भव समय में भरने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले माइक्रोवेव टावर लगाना

2196. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर खीरी जिले में एक माइक्रोवेव टावर लगाने के लिए समान मंगा लिया गया है ; और

(ख) टावर कब तक बनकर पूरा हो जाएगा ;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। यह सामग्री आंसिक रूप में प्राप्त हुई है ?

(ख) पूर्ण सामग्री प्राप्त होने के बाद एक वर्ष के भीतर टावर स्थापित कर दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के नालगोण्डा जिले का सादरनागु टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

2197. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि आंध्र प्रदेश के नालागोण्डा जिले में सारूरनागु टेलीफोन एक्सचेंज की कार्य स्थिति बहुत खराब है;

(ख) क्या इस एक्सचेंज से कई वर्षों से कोई नया टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने और इस नए इलेक्ट्रोनिक्स टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह ; और

(च) इस टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार लाने और नए टेलीफोनों के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। सरूरनागू टेलीफोन एक्सचेंज की कार्य प्रणाली आम तौर पर संतोषजनक है।

(ख) जी हां।

(ग) मौजूदा एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस एक्सचेंज के बदले इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है।

(घ) सरूरनागू के मौजूदा 600 लाइनों वाले एक्सचेंज के बदले 1986-87 के दौरान 2000 लाइनों वाला इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज आवंटित किया गया है जिसे सिकंदराबाद के साथ जोड़ा जाएगा।

(ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है।

मौजूदा सेवाओं में सुधार लाने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

मुरबाड (जिला ठाणे, महाराष्ट्र), में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

2198. **श्री आर० एस० घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरबाड़, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का और मुरबाड तालुक के शिवले, सरलगांव धसई स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) मुरबाड जिले में टेलीफोन एक्सचेंज कब तक खोला जाएगा और शिवले, सरल गांव और धसई में टेलीफोन सुविधायें कब तक दे दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख)

(एक) मुरबाद में 100 लाइनों का एक स्वचल एक्सचेंज पहले से ही है।

(दो) शिवली में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(तीन) सारलगांव में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर के संस्थापन का कार्य प्रगति पर है, और शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जाएगी।

(चार) धांसी में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने के कार्य को टेलीफोन लाइनों के सामानंतर पावर लाइन होने से तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, इस प्रस्ताव की पुन: जांच की जा रही है।

उर्वरक संयंत्रों की संख्या और क्षमता

2199. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने उर्वरक एकक निर्माणाधीन हैं;

(ख) विभिन्न उर्वरक एककों की एककवार कुल क्षमता कितनी है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने उर्वरक एकक स्थापित किए जाने की संभावना है ; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित विभिन्न उर्वरक संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कार्यान्वयनाधीन/निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्रों के अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्रमांक तथा संयंत्र का स्थान	प्रतिवर्ष क्षमता नाइट्रोजन	पी2 ओ5
1. थाल वैशट, महाराष्ट्र	683,000 (संयंत्र को यांत्रिक रूप से पूरा कर लिया गया है)	—
2. हजारी, गुजरात	668,000	—
3. मंगलौर (डिया-अमोनियम फास्फेट प्लांट), कर्नाटक	24,850	63,500 संयंत्र को यांत्रिक रूप से पूरा कर लिया गया है)

संयंत्र का स्थान	प्रतिवर्ष क्षमता (टन) नाइट्रोजन	पी2 ओ5
4. गोवा एक्सपेंशन, गोवा	16,435	42,000
5. हिन्दुस्तान लीवर, हल्दिया, पश्चिम		(संयंत्र को यांत्रिक रूप से पूरा कर कर लिया गया है)
बंगाल	28,800	73,600
6. नामरूप-111 एक्सपेंशन असम	152,000	—
7. पारादीप उड़ीसा	117,000	300,000
8. विजयपुर (जिला गुना) मध्य प्रदेश	334,000	—
9. ओनला (बरेली जिला) उ. प्र.	334,000	—
10. जगदीशपुर (सुल्तानपुर) जिला (उ. प्र.	234,000	—

(ग) उपयुक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित संयंत्रों के अतिरिक्त सातवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित संयंत्रों के भी स्थापित किए जाने की संभावना है।

संयंत्र का स्थान	प्रतिवर्ष क्षमता (टन) नाइट्रोजन	पी2 ओ5
1. बियोपा (सवाईमाधोपुर (जिला) राजस्थान	334,000	—
2. बबराला (बदायूं जिला) उ. प्र.	334,000	—
3. शाहजहांपुर, उ० प्र०	334,000	—
4. नागर्जुन फर्टिलाइजर्स काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश	228,000	—
5. गोदावरी फर्टि० काकीनाडा, आ० प्र०	54,000	138,000
6. गुजरात स्टेट फर्टि० कंपनी, पोरबन्दर	59,000	150.000
7. सदर्न पेट्रोकैमिकल्स इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, टूटीकोरिन	18,900	48,300

(घ) उर्वरकों के लिए सातवीं योजना कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाए जाने वाले ऊन पर आधारित कुटीर उद्योग

2200. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सीमावर्ती जिलों मे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऊन पर आधारित किस प्रकार के कुटीर उद्योग चलाये जा रहे हैं ; यह किन स्थानों पर चलाये जा रहे हैं और कब से ;

(ख) वर्ष 1982 से आज तक इन कुटीर उद्योगों से खादी ग्रामोद्योग आयोग को कितना लाभ प्राप्त हुआ और क्या वर्ष-वार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उक्त कुटीर उद्योगों की गतिविधियों का विस्तरा करने और नये उद्योग स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा कितना प्रावधान किया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग दो दशकों से अधिक समय से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ऊनी खादी का विभागीय उत्पादन कर रहा है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत राजस्थाज के सीमावर्ती जिलों में निम्नलिखित संस्थानों द्वारा ऊनी खादी का निर्माण किया जाता है :

(1) खादी संस्थान जिनका स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व है ;

(2) राजस्थान राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ; तथा

(3) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे विभागीय केन्द्र । राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मिलने वाली ऊन अपेक्षाकृत उत्तम किस्म की होती है जो पहनने के वस्त्रों के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं और इसलिए ऊनी खादी से पहनने की वस्तुएं शालों तथा कुछ किस्म के बुने हुये वस्त्र बनाये जाते हैं। ये केन्द्र निम्न स्थलों पर हैं :—

जिला बीकानेर :— (1) बज्जू (2) बिकमपुर

जिला जैसलमेर :— 1. नचना

2. बैकुंठ ग्राम

3. माया जालेर।

जिला बारमेड़ :— 1. बवाड़ी

2. दुधवा

3. दइसला

4. बलेबा

5. हरसानी

6. शास्त्री ग्राम

7. गुंगा और

8. गाधरा रोड ।

इनके अलावा गंगानगर जिले के करणपुर में एक भण्डार है ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इन क्षेत्रों में अपने ऊर खादी उत्पादन और बिक्री का कार्य "लाभ-हानी रहित" आधार पर करता है जिसका एक मात्र उद्देश्य इन संवेदनशील क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पर बनाये रखना है ;

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की विभागीय गतिविधियों के लिए वर्ष 1985-86 में उत्पादन का अनन्तिम रूप से 60 लाख रु. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

विधि आयोग पर किया गया व्यय

2201. श्री ई० अय्यापू : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 1983-84 और 1984-85 में विधि आयोग पर कितना व्यय किया गया ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : व्यय का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :—

1982-83	11,33,935.00 रु०
1983-84	12,71,615.00 रु०
1984-85	13,14,946.00 रु०

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की गई खोजों का लाभ उठाना

2202. श्री के० राममूर्ति : क्या पेट्रोलियम मंत्री यस बतानें की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 75 स्थानों पर तेल की खोज की जहां से अभी तक भी तेल निकालने का कार्य शुरू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां तो पता लगे नये तेल स्रोतों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अशोधित तेल के आयात पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होने को ध्यान में रखते हुए उक्त तेल स्रोतों का शीघ्र उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री) नवल किशोर शर्मा) : (क) 1975 से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 73 स्थानों पर हाईड्रोकार्बन मिला है। उनमें से 17 स्थानों पर उत्पादन पहले ही आरंभ हो गया है।

(ख) तेल मिलने के बाद उसका वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए मूल्यांकन करना होता है। वास्तविक उत्पादन आरंभ करने से पहले रिजर्वायरों इंजीनियरी अध्ययन करना होता है तथा उत्पादन सुविधाओं को आयंभ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है।

(ग) व्यवस्थित आयोजना तथा परिवहन और उत्पादन सुविधाओं के लिए सामना को तेजी से प्राप्त करके इस लम्बे समय को कम करने के लगतार प्रयास किए जा रहे है।

राजस्थान में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

[हिन्दी]

2203. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान राजस्थान को खाना पकाने की कितनी गैस (एल० पी० जी०) का आबंटन किया गया ;

(ख) क्या सरकार को राज्य में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन दिये जाते तथा ईंधन की लकडी की अनुपलब्धता के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ग) यदि हां ; तो क्या नगरपालिका वाले प्रत्येक शहर में अधिक गैस कनैक्शन मंजूर किये जायेंगे और यदि हां, तो अतिरिक्त कनैक्शन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में इसकी कमी को समाप्त करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) एल० पी० जी० का आबंटन नहीं किया जाता। राजस्थान सहित पूरे देश में एल० पी० जी० के नए कनैक्शन एलपीजी को उपलब्धता, बॉटलिंग क्षमता और आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र में पंजीकृत व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तेल उद्योग द्वारा देश भर में 1984-85 में 14.50 लाख और 1985-86 में 17.50 लाख नए कनैक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य है। ग्राहकों की बेहतर सेवा प्रदान करने तथा नए कनैक्शन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेल उद्योग एलपीजी को उपलब्धता, बॉटलिंग क्षमता तथा परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्कीमें लागू कर रहा है।

"बम्बई हाई" से प्राप्त अशोधित तेल का निर्यात

[अनुवाद]

2204. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1985 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "बिगलांस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बम्बे हाई क्रूड" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि "बम्बई हाई"; प्राप्त से बढिया किस्म के अशोधित तेल के निर्यात में अब भारी नुकसान उठाना पड रहा है ;

(ख) क्या हानी से चिन्ता इसलिए और भी बढ गई है कि ठेकों की बाध्यता के कारण देश के आयात में कटौती नहीं की जा सकती ;

(ग) यदि हां, तो कितनी हानी होने का अनुमान है ; और

(घ) देश में ही पर्याप्त तेल-शोधन क्षमता का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) वर्ष के दौरान 7.75 मि. मी. टन प्रतिवर्ष की अतिरिक्त रिफाइनरी क्षमता से बम्बई हाई क्रूड के संसाधन का कार्य आरंम्भ किया जा रहा है, इससे निर्यात के लिय अधिशेष बहुत कम मात्रा में बचेगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के नियम

[हिन्दी]

2205. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रकार के कोई नियम बनाए हैं जिनके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता बनाए सत्यनिष्ठा के आधार पर की जाएगी ; और

(क) उक्त नियम कब गए और क्या उनका पालन किया जा रहा है ;

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के

अनुच्छेद 124 (2) और 217 (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के परामर्श से की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध राज्य प्राधिकारियों से है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुवाद मारुति उद्योग की शाखाएं

2206. श्री चित्त महाटा : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में जनता की मांग को पूरा करने के लिए मारुति उद्योग की शाखाएं खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने पर वर्तमान संयंत्र जनता की मांग को पूरा करने की स्थिति में होगा।

डाक संचार के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र के नये सिन्धुदुर्ग जिले को पिछड़ा हुआ मानना

2207. प्रो० मधु दण्डवते : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के भूतपूर्व रत्नगिरि जिले को रत्नगिरि तथा सिन्धुदुर्ग दो जिलों में विभाजित करने के पश्चात डाक संचार प्रयोजनों के लिए केवल रत्नगिरि जिले को, पिछड़ा हुआ, माना जाता है ;

(ख) क्या नये सिन्धुदुर्ग जिले को डाक प्रयोजनों के लिए अब भी 'पिछड़ा हुआ' नहीं माना जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या नये रत्नगिरि जिले की भांति नये सिन्धुदुर्ग जिले को भी 'पिछड़ा हुआ' नहीं माना जायेगा जिससे कि उसे पिछड़े क्षेत्रों को उपलब्ध सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) 1-5-1981 से रत्नगिरि एवं सिंधुदुर्ग जिलों का पुनर्गठन करते समय कोल्हापुर जिले के गगनबावड़ा तालुका को सिंधुदुर्ग जिले में जोड दिया गया था और वैभववाडी तालुका का गठन किया गया था। 29-9-81 से वैभववादी तालुका को छोडकर इन दो जिलों को समान्य

ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया गया क्योंकि शेष ज़िलों को डाक विकास की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने का औचित्य नहीं बनता है।

बिहार में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस

2208. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** (क) क्या बिहार में 1884 में केवल 25 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए जैसा कि 11 मार्च, 1985 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों को जारी किए गए लाइसेंस की तुलना में इसे संतोषजनक मानती है; और

(ग) बिहार में उद्योग स्थापित करने की इस कम दर के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष .984 में 26 औद्योगिक लाइसेंस और 21 आशयपत्र जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) किसी राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए औषध पत्र/. औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति देना उस राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पर निर्भर करता है। उपसी द्वारा किसी द्यीग कीस्थापनी करने के लिए स्थापना स्थल का चुयन अन्त वातों के साथ-साथ अवस्थापना सम्पन्धी सुविधाओं, कच्चे माल आदि की उपलब्धता को देखते हुए किया जाता है।

उड़ीसा में पारादीप में तेल टर्मिनल की स्थापना

2209. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उडीसा में पारादीप में एक तेल टर्मिनल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पारादीप में तेल टर्मिनल की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को इस परियोजना पर एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में संशोधन

2210. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में जीवन रक्षक औषधियों के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) जीवन रक्षक औषधियों सहित अधिकतर औषधियों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमित किए जाते हैं। इस प्रकार के विनियमन उचित एवं युक्ति संगत पर उनकी उपलब्ध को सुनिश्चित करते हैं।

सरकार ने अभी तक औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 का संशोधन करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखानों की स्थापना

2211. **श्री के० डी० सुल्तान पुरी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 15 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखानें स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गये ;

(ख) चूना पत्थर के खनन के लिए कितने एकड़ भूमि के लिए पट्टे अथवा स्वामित्व अधिकार दिए गए ; और

(ग) उस राज्य में चूना खनन के लिए गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की स्वीकृति से कितने व्यक्तियों को और किन-किन स्थानों पर भूमि पट्टे पर दी गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हिमाचल प्रदेश राज्य में सफेद सीमेंट बनाने के सन्यन्त्रों सहित सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 3 औद्योगिक लाइसेंसों के साथ-साथ 6 आशय-पत्र और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 15 पंजीकरणों की भी स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों/आशयपत्रों/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण की स्वीकृति देते समय प्रमुख कच्चे माल अर्थात् चूना-पत्थर के निरन्तर मिलते रहने को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। फिर भी, आवेदक संबंधित राज्य सरकारों के साथ जैसा कि वे अन्य कच्चे माल के

मामले में करते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। भूमि के जिस क्षेत्र के लिए पट्टे/स्वामित्व अधिकार दिए गए हैं, व्यक्तियों और पट्टे के स्थलों के नाम आदि के संक्षिप्त ब्यौरे संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध हैं और इसलिए इन्हें केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत नारियल-जटा उद्योगों की स्थापना

[अनुवाद]

2212. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में नारियल-जटा उद्योग स्थापित करने के लिए कर्नाटक सर्वोत्तम स्थान है क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र में नारियल-जटा उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कर्नाटक देश में केयर उद्योग के विकास के लिए अच्छी क्षमता वाला नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला तीसरा राज्य है। सातवीं योजना की अवधि में कर्नाटक सहित केयर का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों में केयर उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में केयर एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में कालाहांडी जिले के लिए पृथक डाक मंडल

2213. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कालाहांडी जिला, एक डाक मंडल खोलने के लिए सभी पूर्व शर्तें पूरी करता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उड़ीसा के इस पिछड़े जिले के लिए कब तक एक पृथक डाक मंडल स्थापित करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) नए डाक मंडल के सृजन के साथ-साथ नए पदों का भी सृजन करना होता है। नए पदों के सृजन पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक के कारण, फिलहाल कालाहांडी डाक मंडल का सृजन करना व्यवहार्य नहीं है।

केरल शिक्षा विभाग को कागज की सप्लाई

2214. **श्री के० मोहन दास** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के शिक्षा विभाग ने अभ्यास पुस्तकों तथा पाठ्य पुस्तकों की छपाई और अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए कागज की कुल कितनी मात्रा की मांग की थी और उनको कागज कितनी मात्रा में आवंटित की गई है ;

(ख) कागज की अपर्याप्त सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा केरल शिक्षा विभाग के लिए कागज की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केरल सरकार ने वर्ष 1984-85 के लिए शिक्षा मंत्रालय को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए रियायती छपाई के सफेद कागज की 12, 111 मीट्रिक टन की आवश्यकता की सूचना दी है। वर्ष 1984-85 के दौरान केरल को किया गया कुल आवंटन 9,484 मीट्रिक टन था जिसमें से 4375.3 मीट्रिक टन की आपूर्ति अब तक की गई है।

(ख) और (ग) कुछेक ने विद्युत की कटौती तथा कच्चे माल की कमी आदि को आपूर्ति कम होने का कारण बताया है। जब कभी आवंटियों से आपूर्ति कम होने अथवा न होने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं, कागज की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सम्बद्ध कागज मिलों को कहा जाता है।

औद्योगिक विकास-दर

2215. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए औद्योगिक विकास-दर 10 प्रतिशत निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष के पिछले कुछ महीनों के दौरान वास्तविक विकास-दर क्या रही ; और

(ग) यदि परिणाम सन्तोषजनक नहीं हैं, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना (1985-90) के नीति पत्र में योजना अवधि के दौरान 7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर की परिकल्पना की गई है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से औद्योगिक उत्पादन (अनन्तिम) के सूचकांक के आधार पर वर्ष 1984-85 के औद्योगिक उत्पादन की विकास दर अप्रैल,-दिसम्बर, 1983 की अपेक्षा 6.2 प्रतिशत अधिक थी।

(ग) सरकार औद्योगिक लाइसेंस देने और निर्यात संबंधी नीतियों में उपयुक्त परिवर्तनों द्वारा तथा साथ ही आर्थिक और वित्तीय अभ्युपायों और अवस्थापना ढांचे में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के अनेक उपाय कर रही है।

खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

2216. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त सिलेंडर सप्लाई करने की योजना समूचे देश में कार्यन्वित की जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन शहरों के नाम क्या हैं, जिनमें यह सुविधा उपलब्ध है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1984 को प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों के पास खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त सिलेंडर था ;

(घ) क्या काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास खाना पकाने की गैस का कनैक्शन नहीं है और दूसरी ओर लोगों के पास अतिरिक्त सिलेंडर हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का देश में प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस के कनैक्शन मिलने तक उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सिलेंडर की सप्लाई करने के अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग पूरे देश में चिन किस्म के सिलिंडरों के उपभोक्ताओं को दूसरा सिलिंड जारी कर रहा हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूसरा सिलिंडर दिए जाने से नये कनैक्शनों का जारी किया जाना जिसे योजनानुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, प्रभावित न हो, सरकार का दूसरा सिलिंडर देने के निर्णय की पुनरीक्षा का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को जारी किए गए दूसरे सिलिंडरों की संख्या

राज्यों के नाम :

1	2
1. आंध्र प्रदेश	61,270

1	2
2. असाम	11,204
3. बिहार	5,272
4. गुजरात	32,536
5. हरियाणा	10,651
6. हिमाचल प्रदेश	10,900
7. जम्मू और कश्मीर	1,802
8. कर्नाटक	6,736
9. केरल	5,926
10. मध्य प्रदेश	6,716
11. महाराष्ट्र	53,417
12. मनीपुर	—
13. मेघालय	—
14. नागालैंड	—
15. उड़ीसा	1,291
16. पंजाब	40,804
17. राजस्थान	1,954
18. सिक्किम	136
19. तमिल नाडु	55,017
20. त्रिपुरा	—
21. उत्तर प्रदेश	62,537
22. पश्चिमी बंगाल	56,610
संघ राज्य क्षेत्र :	
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
24. अरुणाचल प्रदेश	—

1	2
25. चंडीगढ	22,829
26. दादर और नगर हवेली	—
27. दिल्ली	1,12,904
28. गोआ दमन और द्वीव	350
29. लक्षद्वीप	—
30. मिजोरम	—
31. पाँडीचेरी	3,208

महिला औद्योगिक उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

2217. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में महिला औद्योगिक उद्यमियों के विकास के संबंध में प्रथम छह दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी ;

(ख) उद्यमी विकास अभियान में और अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, प्रवर्तक अधिकरणों तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) इस बारे में अन्य संबंधित ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह संबंधित राज्य सरकारों एवं इस कार्य में संलग्न अधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है।

विभिन्न राज्यों की कानूनी सहायता योजनाओं की पुनरीक्षा

[हिन्दी]

2218. **श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा चलायी जा रही कानूनी सहायता योजनाओं की पुनरीक्षा की है ; और

(ख) क्या इन योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार का विचार इनमें एकरूपता लाने और व्यापक परिवर्तन करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) राज्यों में विधिक सहायता स्कीमों का कार्यान्वयन इस समय पूर्णत: राज्य सरकारों के पास है। अत: सरकार द्वारा इन स्कीमों की समीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने सम्पूर्ण देशों में विधिक सहायता कार्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए विधिक सहायता कार्यक्रम के बारे में एक आदर्श स्कीम तैयार की है। विधिक सहायता कार्यक्रम को योग्य व्यक्तियों अर्थात् समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाने के लिए कई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

चुनावों में मतदान की प्रतिशतता

3219. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान चुनावों में औसतन कितने प्रतिशत मत डाले गए और मतदान कम होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा मतदान की प्रतिशतता बढ़ाने हेतु मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा भेजा गया विवरण जिसमें 1980 और 1984 के बीच हुए लोक सभा और राज्यविधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों में मतदान का प्रतिशत दर्शित किया गया है, सदन के पटल पर रख दिया गया है। दिसम्बर, 1984 में आयोजित लोक सभा निर्वाचनों और मार्च, 1985 में हुए विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित मतदान प्रतिशत के आंकड़े आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं और आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। किन्तु आयोग ने बताया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि औसत मतदान अन्य लोक तांत्रिक देशों की तुलना में कम माना जा सकता है।

(ख) निर्वाचन आयोग मतदान के महत्व के बारे में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए अनेक कदम उठाता रहा है। उदाहरणार्थ, लोक सभा के 1984 के साधारण निर्वाचनों के दौरान दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा देश की 13 भाषाओं में 20 लाख से अधिक पोस्टर प्रकाशित किए गए और वे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए थे। आयोग के आग्रह पर "आपका बहुमूल्य मत" नामक एक वृत्तचित्र सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था और उसे दूरदर्शन पर दिखाया गया था। राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों ने भी निर्वाचनों पर वृत्त और कार्टून फिल्में तैयार कराई और उन्हें संप्रदर्शित किया। निर्वाचकों को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रचार तंत्रों जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। आयोग ने कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को अभित्रास किए जाने से बचाने और मत देने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण

1980 से 1984 तक साधारण निर्वाचनों में मतदान का प्रतिशत दर्शित करने वाला विवरण

साधारण निर्वाचन का वर्ष	कुल निर्वाचक	उन निर्वाचकों की कुल संख्या जिन्होंने मतदान किया	मतदान का प्रतिशत
1	2	3	4
1980 में लोक सभा के साधारण निर्वाचन	355,590,700	202,405,413	56 92
1980 में विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन . .			
(1) बिहार	39,826,772	22,804,404	57.26
(2) गुजरात*	16,501,328	7,981,995	48·37
(3) केरल	13,26",837	9,587,663	72·28
(4) मध्य प्रदेश	25,394,590	12,429,154	48.94
(5) महाराष्ट्र**	33,677,974	17,946,372	53·14
(6) मणिपुर	909,268	749,404	82·42
(7) उड़ीसा	13,909,145	6,549,074	47.08
(8) पंजाब	9,857,270	6,341,549	64·33
(9) राजस्थान	18,062,012	9,421,870	52·16

1	2	3	4
(10) सिक्किम	117,157	76,299	65·13
(11) तमिल नाडु	29,499,969	19,101,113	64·75
(12) उत्तर प्रदेश	58,552,512	26,288,276	54·90
संघ राज्य क्षेत्र***			
(1) अरुणाचल प्रदेश	258,112	180,052	69·76
(2) गोवा, दमन और दीव	522,652	363,273	69·51
(3) मिजोरम	241,944	165,344	68·34
(4) पांडिचेरी	319,237	256,603	80·38

इन आंकड़ों में निम्नलिखित विधान सभाओं के निर्वाचक सम्मिलित नहीं हैं।

*गुजरात : 33—कुटियाना सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन निर्विरोध हुआ था।

**महाराष्ट्र : 153—सिरोंचा (अ० ज० जा०) सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन निर्विरोध हुआ था।

***अरुणाचल प्रदेश : 29—निओसाकनुबाड़ी सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन निर्विरोध हुआ था।

साधारण निर्वाचन का वर्ष	कुल निर्वाचक	उन निर्वाचकों की कुल सं० जिन्होंने मतदान किया	मतदान का प्रतिशत
1) 1982 में विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन			
(1) हरियाणा	7,152,281	4,997,435	69.87
(2) हिमाचल प्रदेश	2,211,524	1,571,574	71.06
(3) केरल	13,115,037	9,641,193	73·51

1	2	3	4
(4) नागालैंड	596,453	443,972	74.44
(5) पश्चिमी बंगाल	29,897,619	22,984,685	76.34
2) 1983 में विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन			
(1) असम*	7,284,812	2,385,190	32.74
(2) आन्ध्र प्रदेश	31,387,299	21,560,642	68.69
(3) कर्नाटक	19,832,133	13,216,269	66.79
(4) मेघालय	682,079	495,023	72.58
(5) त्रिपुरा	1,134,257	941,785	83.03
(6) जम्मू-कश्मीर**	3,101,665	2,271,809	73.24
(7) दिल्ली (महानगर)	3,349,987	1,863,526	55.63
3) 1984 में विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन			
(1) तमिल नाडु	—	—	—
(2) मिजोरम	265,510	192,867	72.64
संघ राज्य क्षेत्र			
(1) अरुणाचल प्रदेश			
(2) गोवा, दमण और दीव			
(3) मणिपुर			

*एक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रत्यादिष्ट किया गया और 16 सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अस्थगित किया गया, 4 स्थान निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इसलिए 105 सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आंकड़े दिए गए हैं।

**आंकड़ों में 40—डोडा सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सम्मिलित नहीं हैं।

[अनुवाद].

2220. श्री वी० सोभना द्रीसवराराव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी उपक्रम नागार्जुन फर्टीलाइजर्स केमिकल्स लि०, ने जिसे आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा में 2.28 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरक तैयार करने के लिए लाइसेंस दिया गया था, दिसम्बर, 1982 में केन्द्रीय सरकार को व्यवहार्यता और आर्थिक पहलुओं के बारे में ब्यौरा भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा में 2.28 लाख टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में फयूल आयल तथा नेफथा के सम्बन्धित आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने का कार्य नागर्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (एनएफसीएल) द्वारा मैसर्स प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पीडीआईएल) को सौंपा गया था। पीडीआईएल द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में फयूल आयल की तुलना में नेफथा संभव तथा बेहतर विकल्प है। इन परिस्थितियों में पार्टी के औद्योगिक लाइसेंस का नवीकरण किया गया और कच्चे माल को फ्यूल आयल से नेफथा में परिवर्तित करने की सहमति दी गई।

शीरा की कमी

2221. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीरा की कमी के कारण शराब बनाने वाले कारखाने बन्द होने की स्थिति में पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने शीरा अन्य देशों को निर्यात करने की अनुमति दे दी है ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) आल इंडिया डिस्टिलर संघ ने सूचना दी है कि शीरा की कमी के कारण शराब बनाने वाले कारखाने बन्द होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। पिछले अल्कोहल वर्ष के दौरान

23.87 लाख टन शीरा के उत्पादन की तुलना में चालू अल्कोहल वर्ष के दौरान शीरे का अनुमानित उत्पादन 24.36 लाख टन है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में चालू अल्कोहल वर्ष के प्रारम्भ में आदि शेष काफी कम था।

चालू अल्कोहल वर्ष के दौरान सरकार द्वारा शीरे के निर्यात की कोई नई अनुमति नहीं दी गई है। केवल एस० टी० सी० को अपनी पिछली निर्यात बचनबद्धता की नाम मात्र शेष राशि को पूरा करने की अनुमति दी गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग और कर्मचारी संगठनों के बीच जाड़ों की वर्दी के सम्बन्ध में समझौता

2222. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्रकृतिक गैस आयोग, देहरादून का उसके कर्मचारियों के संगठनों एसोसिएशनों के साथ सभी संगठित श्रमिकों/कर्मचारियों को गर्मियों और जाड़ों की वर्दियां देने के बारे में समझौता हो गया है ;

(ख) क्या तेल और प्रकृतिक गैस आयोग, देहरादून ने समान मंगाने के लिए अभी तक कोई क्रियादेश नहीं दिए हैं जिसके कारण वहां के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीयकृत क्रयादेश के आधार पर शीघ्र वसूली योजना के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्दियों के प्रतिमान को सुझाने, तथा उसे कार्यान्वित करने, उसको आवर्तता और अन्य मोडेलिटी आदि के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें यूनियन तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्दियों को खरीदने के लिए टेण्डर मांगे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति को मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ समय-समय पर आयोजित बैठकों में देखा जाता है। इसलिए कर्मचारियों में असन्तोष का प्रश्न ही नहीं उठता।

टेट्रासाइक्लिन का आयात

2223. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड

फार्मास्युटिकल्स द्वारा 1977 में आयात की गई टेट्रासाइक्लिन घटिया किस्म की थी और उसी दवा को लोगों को सप्लाई किया गया है;

(ख) क्या उनका ध्यान 10 मार्च, 1985 के नवभारत टाइम्स में सरकारी कारखाने से घटिया दवा की सप्लाई शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) दिनांक 10 मार्च, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में "सरकारी कारखाने से घटिया दवा की सप्लाई" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० ने मई, 1977 में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० से आयातित टेट्रासाइक्लीन बल्क ड्रग्स के 8 बैच खरीदे थे और तत्काल आवश्यकता के कारण जांच किए बगैर ही सुपुर्दगी ले ली थी । हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा माल की जांच अपनी गुण नियंत्रण प्रयोग शाला में दी गई थी और उसे सही पाया गया था । इसके आधार पर बल्क औषध का एक भाग प्रोसेसिंग के लिए ले लिया गया था और तैयार किए गए कंप्सूलों की सप्लाई सेना को की गई थी । सेना द्वारा इन्हें वापस कर दिया गया था क्योंकि ये रंग छोड़ते थे । इसी दौरान, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को औषध नियंत्रक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि 4 बैच घटिया किस्म के थे । माल का एक भाग इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को लौटा दिया गया था और बाद में एच० ए० एल० द्वारा उसके बदले और माल प्राप्त किया गया था । दूसरे भाग को इंडियन फार्मा को विपल (आई० पी०) मानदण्डों के अनुरूप पुन: प्रोसेस करके मानव और पशु सम्बन्धी फार्मूलेशन बनाने के लिए प्रयोग किया था । सेना द्वारा वापस किए गये कैपसूलों को भी आई० पी० मानदण्डों के अनुरूप पुन: प्रोसेस करके निपटान किया गया था । इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थीं ।

विजयंत तथा अन्य युद्धक टैंकों के लिए इंजन

2224. **श्री उत्तम राठौड़** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयंत तथा अन्य युद्धक टैंकों के लिए अवाश्यक इंजनों का देश में निर्माण किया जाता है या विदेशों से प्राप्त किये जाते हैं;

(ख) क्या इस समय प्रयोग मे लाए जाने वाले कोई इंजन पुराने माडल के अथवा अप्रचलित प्रकार के हो चुके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो युवक टैंकों के लिए अधिक आधुनिक इंजन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) ब्रिटेन की मैसर्स दे-लैन्ड के साथ लाइसेंस करार के अंतर्गत विजयंत टैंक के लिए इंजन देश में बनाए जा रहे हैं। उपयोग में लाए जा रहे अन्त युद्ध टैंकों के इंजन इस समय आयात किए जा रहे हैं। विजयंत टैंकों के विद्यमान शक्तिशाली इंजन की कार्यक्षमता में सुधार लाने और एक उपयुक्त वैकल्पिक शक्तिशाली इंजन चुनने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य टैंकों के मामले में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और अन्य एजेंसियों के माध्यम से इंजनों को देश में ही निर्मित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

रेल डाक सेवा में आरक्षित प्रशिक्षित पूल/शार्ट ड्यूटी छटाई सहायकों की भर्ती

2225. श्री एम० अरुणाचलम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेल डाक सेवा में आरक्षित प्रशिक्षित पूल/शार्ट ड्यूटी छटाई सहायकों की भर्ती की जाती है;

(ख) हां, तो सारे देश में रेल डाक सेवा में इस श्रेणी के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को, यदि में उन्होंने प्रति वर्ष लगातार अथवा व्यवधान सहित 240 दिनों तक कार्य किया है तो स्थायी बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा;

(ग) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उम्मीदवारों की सेवा सामान्य परिस्थितियों जैसे— व्यस्त समय कमी परिलक्षित होने, गैर हाजिरी आदि के समय ली जाती हैं और उन्हें तब तक प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है जब तक कि उन्हें सेवा में नियमित रूप से खपा नहीं लिया जाता। इस प्रकार आरक्षित प्रशिक्षित पूल के उन उम्मीदवारों को जिन्हें ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया संतोषजनक पाई जाती है, सीधी भर्ती के लिए अधिसूचित कोटे में भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर खपाने के लिए विचार किया जाता है। पुरानी-योजना (1971) के अंतर्गत शार्ट ड्यूटी स्टाफ के बतौर भर्ती किए गए इन उम्मीदवारों के साथ एक निश्चित शर्त यह थी कि सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले के 6 महीनों में उनकी सेवा 120 दिन की होनी चाहिए। तथापि, अक्तूबर 1980 में प्रारंभ की गई आरक्षित प्रशिक्षित पूल योजना में शामिल किए गए उम्मीदवारों के लिए इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है। जो उम्मीदवार अभी तक खपाए नहीं जा सके हैं उन्हें बाह्य कोटा के अंतर्गत पद रिक्त होने और सीधी भर्ती पर लगी रोक के हटते ही नियमित कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में भंडारा, गढ़ चीरोली और चन्द्रपुर जिलों में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

2226. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के भंडारा, गढ़ चीरोली और चन्दरपुर जिलों में ऐसे कितने लोग हैं

जिन्हें एक वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने, के पश्चात् भी अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महाराष्ट्र के भंडारा, गढ़ छिरोली और चन्दरपुर जिलों में एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रतीक्षा सूची निम्न प्रकार है :—

जिले का नाम	*एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रतीक्षा सूची*
1. भंडारा	265
2. गढ़ चिरोली	शून्य
3. चन्दरपुर	468

भंडारा और चन्दरपुर की प्रतीक्षा सूची उपस्कर, केबिल और अन्य संसाधनों की कमी के कारण नहीं निपटाई जा सकी।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को लगभग दो वर्षों से कुछ अधिक समय में उत्तरोत्तर निपटाए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहे हैं।

सहायक उद्योगों का विकास

2227. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले यूनिटों ने सहायक-उद्योगों के विकास के लिए कोई नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नीति रक्षा संगठनों द्वारा स्थापित यूनिटों पर भी लागू होती है ; और

(ग) क्या संघ सरकार के सभी प्रतिष्ठानों द्वारा इस नीति का पालन किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा सहायक उद्योगों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ये मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिरक्षा संगठन के अधीन स्थापित एककों पर भी लागू हैं तथा सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा इनका पालन किया जा रहा है।

डाक एवं तार विभाग में विभागेत्तर कर्मचारी

[अनुवाद]

2228. श्री पी० चिदम्बरम : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक एवं तार विभाग में कितने विभागेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) इन विभागेत्तर कर्मचारियों को कितने घन्टे काम करना पड़ता है;

(ग) उन्हें क्या वेतनमान मंजूर किए गए हैं;

(घ) उन्हें अन्य क्या लाभ दिए हैं; और

(ङ) उन्हें विभागेत्तर कर्मचारियों के रूप में बनाए रखने के क्या कारण हैं ;

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-3-1984 को 2,99, 468.

(ख) अतिरिक्त विभागीय स्टाफ के कार्य घन्टे 2 से 5 तक होते हैं और अतिरिक्त विभागीय चोकीदार को प्रतिदिन 7 बजकर 30 मिनट घन्टे काम पर रखा जा सकता है।

(ग) चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अत: उन्हें कोई वेतनमान नहीं दिया जाता, अपितु उनके द्वारा किए गए सरकारी कार्य के आधार पर समेकित भत्ता दिया जाता है। उनके भत्ते इस समय 152 रु० और 315 रुपए के बीच है।

(घ) अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को प्रतिमाह दस रुपए कार्यालय रख-रखाव भत्ता दिया जाता है। अन्य श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 5 रु० प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जाता है। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट और ई० डी० एफ० सी० समेकित पारिश्रमिक के अतिरिक्त साइकिल भत्ता पाने के हकदार होते हैं। अतिरिक्त विभागीय एजेंट कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर सेवा मुक्त होते समय अधिकतम 1000 रुपए तक अनुग्रहपूर्वक अनुदान राशि भी पाने के हकदार होते हैं। विशिष्ट शर्तों के अधीन उन्हें पोस्टमैन ग्रुप 'घ' के विभागीय संवर्ग में खपाया भी जा सकता है। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान बोनस भी दिया जाता है।

(ङ) अतिरिक्त विभागीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य व्यवहार्य आर्थिक शर्तों पर देश के उन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में डाक सुविधाएं प्रदान करना है जहा लागत और अपर्याप्त कार्यभार के कारण नियमित डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता। इस प्रकार के अतिरिक्त विभागीय डाकघर चलाने के लिए उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, और वह अपनी आजीविका के लिए अन्य व्यवसाय कर सकते हैं ताकि उन्हें अपनी सेवा के बदले विभाग द्वारा मिल रहे पारिश्रमिक पर ही निर्भर न रहना पड़े।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के कार्य का समय 2 से 5 घन्टे तक का होता है। उन स्थानों पर जहां डाक परियात 5 घन्टे से अधिक होता है, वहां के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को विभागीय उप डाकघर में बदला जा सकता है, बशर्ते कि निर्धारित मानदंड पूरे होते हों। अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के माध्यम से विभाग ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में यथोचित लागत पर कार्यभार और अन्य संबद्ध बातों के अनुरूप अपेक्षाकृत व्यापक सेवा प्रदान कर सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रणाली को बनाए रखना आवश्यक समझा गया है।

मध्य प्रदेश में तेल की खोज

[हिन्दी]

2229. **श्री एस० एल० शिकराम** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 के दौरान तेल की खोज के लिए मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, मांडला और" छिंदवाड़ा जिलों में कोई सर्वेक्षण किया गया ;

(ख) इन जिलों के अलावा, मध्य प्रदेश के और/किन-किन जिलों में इस प्रयोजन से सर्वेक्षण किया गया ;

(ग) क्या तेल के अवाला अन्य खनिज पदार्थों के मिलने की कोई सम्भावा बना है और यदि हां, तो उनके नाम और संम्भावित मात्रा कितनी है ; और

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है अथवा अभी पूरा होना बाकी है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 में मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा छिंदवाडा जिलों में सर्वेक्षण किए गए थे।

(ख) होशंगाबाद तथा दामोह जिलों के कुछ भागों में वर्ष 1983-84 में सर्वेक्षण किए गए थे

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज में लगा हुआ है।

(घ) सतपुडा बेसिन जो भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसमें किए गए भू-रसायन सर्वेक्षणों के कुछ निश्चयात्मक संकेत मिलें हैं। यद्यापि, इस क्षेत्र में और सर्वेक्षण कराने की योजना है।

केरल में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बि आवेदन

[अनुवाद]

2230. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नए टेलीफोन लिए कनेक्शनों के कितने आवेदन लम्बित हैं ; और

(ख) टेलीफोन के नए कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1-3-1985 को केरल दूरसंचार सर्किल में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 41,996 आवेदक प्रतीक्षा सूची में थे।

(ख) केरल में प्रतीक्षा सूची को निवटाने के लिए मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का जहां कहीं व्यवहार्य हो, विस्तार करने तथा नए एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कार, केबिल एवं अन्य साधन उपलब्ध हो सकें।

पैट्रो-रसायन संयंत्र

2231. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम संयंत्रों में भारी निवेश करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के कितने पैट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है और प्रत्येक प्रस्तावित पेट्रो-रसायन संयंत्र पर अनुमानित कितनी लागत आएगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) निम्नलिखित पेट्रो-रसान परियोजनाओं को केन्द्र के सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है :

		अनुभावित पूंजी गत लागत (करोड रुपए)
1. महाराष्ट्र में नागोथाणे में महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम्पलैक्स		11·7
2. कोचीन में (कोचीन रिफाइनरीज लि०) बेंजीन परियोजना		59·40
3. बम्बई में (भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०) परियोजना		56·50
4. केरल में (फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स-ट्रावनकोर लि० उद्योग मण्डल के स्थान पर केप्रोलेक्टम परियोजना		147.94
5. निम्नलिखित के निर्माण के लिए संयंत्रों का विस्तार		
पाली प्रोपलीन		58·65
एक्रीलिक फाइबर	बड़ौदा में	85·03

1		2
जाइलीन्स	आई० पी० सी० एल०	59·36
डी० एम० टी०		13·15
एल० ए० बी०		18·38
6. बोंगाईगांव में (बी० आर० पी० एल०) पालीएस्टर स्टेपल फाइबर परियोजना। परियोजनाएं कार्यान्वयन के भिन्न-भिन्न चरणों में है।		139·39

बृहत्तर बम्बई में रक्षा मन्त्रालय की भूमि पर अवैध कब्जे

2232. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहत्तर बम्बई में रक्षा मन्त्रालय की कितने हेक्टेयर भूमि है ;

(ख) कितने हेक्टेयर भूमि पर निर्माण किया गया है और कितने हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है और कितने हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा करके गन्दी बस्तियों का निर्माण कर लिया गया है ; और

(ग) झुग्गी-झोपड़ियों और गन्दी बस्तियों के अन्तर्गत अवैध कब्जे में भूमि के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : बृहत्तर बम्बई में में रक्षा मन्त्रालय के कुल 771.737 हेक्टेयर भूमि है। इसके अतिरिक्त रक्षा मन्त्रालय के पास 55.814 हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि और 157·067 हेक्टेयर किराए की भूमि है।

(ख) रक्षा मन्त्रालय के स्वामित्व वाली भूमि में से 29.782 हेक्टेयर भूमि और अधिग्रहीत/किराए पर ली गई भूमि में से 8.484 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। कितनी भूमि पर निर्माण किया गया है और कितनी खाली पड़ी है, इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के साथ विचार-विमर्श करके अवैध कब्जा हटाने की पद्धति तैयार की जा रही हैं।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन केन्द्र और डाक-घर

2233. **श्री सनत कुमार मंडल** :

डा० फूलरेणु गुहा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहा मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित बनाया जाना है और नये टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान किन स्थानों को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तथा अन्य नगरों/कस्बों के साथ एस० टी० डी० से जोड़ा जाएगा;

(ग) इस राज्य में 1985-86 के दौरान कितने नए डाकघर, तारघर खोले जाएंगे, और

(घ) पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से उस राज्य के सुन्दर वन के पिछड़े क्षेत्रों में संचार प्रणाली को तेल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल और उसके बाहर किसी भी नए स्थान को कलकत्ता एवं अन्य शहरों/कस्बों के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) जानकारी संलग्न विवरण II में दी गई है।

(घ) सुन्दरवन क्षेत्र में जयनागर, कैंनिग एवं काकद्वीप प्रमुख स्टेशन हैं जो दो सर्किटों द्वारा कलकत्ता से जुड़े हैं। कैंनिग एवं काकद्वीप को 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्वचल बनाए जाने की संभावना है। एस० टी० डी० की व्यवस्था पिरयात के आधार पर की जाएगी।

विवरण I

(क) पश्चिम बंगाल में उन स्थानों के नाम जहां मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचल बनाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि सभी स्टोर उपलब्ध हो सकें।

एक्सचेंज का नाम	टाइप मौजूदा	प्रस्तावित	स्वचल बनाने का संभावित वर्ष
1	2	3	4
1. अलीपुरद्वार	सीबीएम	एमएएक्स—II	1986-87
2. आरामबाग	सीबीएनएम	—वही—	1988-89
3. अमलागोरा	सीबीएनएम	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
4. विष्णुपुर	सीबीएनएम	—वही—	1986-87

1	2	3	4
5. बांकुरा	सीबीएम	एमएएक्स—I	सातवीं योजना के अंत तक
6. बेहरामपुर	—वही—	—वही—	—वही—
7. बनारहट	सीबीएनएम	एमएएक्स—II	—वही—
8. बिरपाड़ा	—वही—	—वही—	1988-89
9. बलियाचाक	—वही—	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
10. बसीरहाट	सीबीएम	—वही—	1988-89
11. बेलडंगा	सीबीएनएम	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
12. बोंगांव	—वही—	—वही—	1988-89
13. कोतेई	सीबीएम	—वही—	1986-87
14. चम्पाडंगा	सीबीएनएम	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
15. डायमंड हार्बर	—वही—	—वही	1986-87
16. दिनहाटा	—वही—	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
17. डलखोला	सीबीएनएम	एमएएक्स—II	सातवीं योजना के अंत तक
18. धूलियान	—वही—	—वही—	—वही—
19. दुबराजपुर	—वही—	—वही—	—वही—
20. गंगारामपुर	—वही—	—वही—	—वही—
21. घाटल	—वही—	—वही—	1988-89
22. गुसकारा	—वही—	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक

1	2	3	4
23. हरीशचन्द्रपुर	—वही—	—वही—	—वही—
24. हसीमारा	—वही—	—वही—	—वही—
25. हावड़ा	सीबीएम	—वही—	1988-89
26. इस्लामपुर (डब्ल्यूडी)	सीबीएनएम	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
27. इस्लामपुर	—वही—	—वही—	—वही—
28. झारग्राम	—वही—	—वही—	—वही—
29. जलपाईगुड़ी	सीबीएम	एमएएक्स—I	—वही—
30. कालियाचाक	सीबीएनएम	एमएएक्स—II	—वही—
31. कटवा	सीबीएम	—वही—	1987-88
32. कोलाघाट	सीबीएनएम	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
33. कालचीनी	—वही—	—वही—	—वही—
34. कालीगंज	—वही—	—वही—	—वही—
35. कालना	—वही—	—वही—	—वही—
36. काकद्वीप	—वही—	—वही—	—वही—
37. करीमपुर	—वही—	—वही—	—वही—
38. माल	—वही—	—वही—	1987-88
39. मतभंगा	—वही—	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
40. मीमारी	सीबीएम	—वही—	—वही—
41. नवद्वीप	सीबीएम	एमएएक्स—II	1989-90
42. पानागढ़बीजेड	सीबीएनएम	—वही—	सातवीं योजना के अंत तक
43. रघुनाथगंज	—वही—	—वही—	—वही—
44. रामपुरहाट	—वही—	—वही—	1987-88

1	2	3	4
45. रायगंज	सीबीएम	—वही—	—वही—
46. रामाघाट	—वही—	—वही—	—वही—
47. सैंथियां	—वही—	—वही—	1986-87
48. सोनामुखी	सीबीएनएम	—वही—	सातवी योजना के अंत तक
49. शांतिपुर	—वही—	—वही—	—वही—
50. संतगछिपा	—वही—	—वही—	—वही—
51. सिमलापाल	—वही—	—वही—	—वही—
52. तामलुक	—वही—	—वही—	1988-89

14. खोले जाने वाले नए एक्सचेंज

1. केम्पबेल खाड़ी
2. सावंग
3. पंचग्राम
4. दसग्राम
5. भूपतिनगर
6. गौरा
7. गुप्तीनाड़ा
8. घंत्रीग्राम
9. लोहापुर
10. निशिगंज
11. रामपुर
12. राजनगर
13. किल्की
14. अण्डी
15. रानीबांध

विवरण II

(ग) 1. 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल में खोले जाने वाले नए डाकघर

देश में 1985-86 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1755 डाकघर खोले जाने हैं। पश्चिम बंगाल के लिए अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

II. 1985-86 के दौरान खोले जाने वाले नए तारघर/संयुक्त डाक-तारघर

विभागीय तारघर का नाम

1. दमदम-कलकत्ता
2. जादव पुर विश्वविद्यालय-कलकत्ता
3. बेहाला-कलकत्ता
4. मानिकतला-कलकत्ता

संयुक्त डाक तारघरों के नाम

1. भेदुवासोल
2. रीजेंट इस्टेट कलकत्ता
3. बोईचिगाम
4. दुर्गा चौक
5. भक्तिनगर
6. सलुजा
7. कृष्णगंज
8. मथुरापुर
9. बदेमसुर-कलकत्ता
10. मोथाबारी
11. रत्तना
12. मुकदमपुर
13. पाण्डापुर

आयाल इंडिया द्वारा अण्डमान क्षेत्र में तेल हेतु खुदाई

2234. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयाल इंडिया अण्डमान क्षेत्र में एक तेल-खुदाई कार्यक्रम चला रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इस क्षेत्र में किन क्षेत्रों की खुदाई करने का विचार है;

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) से (ग) आयल इंडिया लिमिटेड का अण्डमान अपतटीय क्षेत्र में 140.71 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर छह कूपों के व्यधन का प्रस्ताव है।

आसनसोल में तारघर

2235. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल टाउन में कितने तार-घर कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं।

(ख) क्या सरकार का विचार वहां एक और ऐसा तारघर खोलने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) फिलहल, आसनसोल नगर में, गए विभागीय तारघर और दो संयुक्त डाक-तारघर कार्य कर रहे हैं। विभागीय तार-घर कार्य कर रहे हैं। विभागीय तारघर रेलवे स्टेशन के निकट जी० टी० रोड़ पर स्थिति है। दो संयुक्त डाक-तारघरों में से एक आसनसोल कोर्ट के और दूसरा रेलवे स्टेशन के निकट है।

(ख) जी हां। सरकार आसनसोल में एक और तारघर खोलने पर विचार कर रही है।

(ग) तारघर खोलने के लिए परियात के औचित्य और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध का स्वचालित एक्सचेंजों को चालू करने पर प्रभाव

2236. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षित टेलीफोन आपरेटरों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों की अनुप-

लब्धता के कारण छोटे स्वचलित एक्सचेंजों को सी० बी० एन० एन० एक्सचेंजों में बदलने के कार्यक्रम में रुकावट आई है क्योंकि नए पदों के सृजन और रिक्तियों को भरने पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबिम्ब के कारण उनकी भर्ती की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा यह बात वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है और कार्य के हित में तथा दूरसंचार के क्षेत्र में दक्षता और विस्तार के लिए इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिए इस प्रतिबिन्ध को हटाने के लिए कहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणात रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

1985-86 में स्मृति डाक टिकट जारी करना

2237. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान स्मृति डाक टिकट जारी करने के सम्बन्ध में मंत्रालय के कार्यक्रम को अन्तिम स्वरूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक टिकट किस-किस तारीख को जारी किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कार्यक्रम को किस तारीख तक अन्तिम स्वरूप दे दिए जाने की संभावना है और क्या साहित्यिक, सांस्कृतिक कलात्मक विषय वस्तुओं और घटनाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) स्मारक विशेष टिकट डाक जारी करने का कार्यक्रम केलेंडर वर्ष के अनुसार तैयार किया जाता है, न कि वित्तीय वर्ष के अनुसार। वर्ष 1985 के दौरान डाक-टिकट जारी करने के कार्यक्रम को संलग्न विवरण में दिया गया है। कुछ मामलों में अभी तारीखें निश्चित की जानी है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

वर्ष 1985 के दौरान स्मारक विशेष टिकट जारी करने का कार्यक्रम

सं०	जारी करने की तारीख	डाक टिकट का ब्यौरा
1.	2 जनवरी	फर्ग्युसन कालेज, पूर्ण
2.	10 जनवरी	काका साहब गाडगिल

1	2	3
3.	15 जनवरी	तोपखाना रेजिमेंट
4.	31 जनवरी	इन्दिरा गांधी
5.	2 फरवरी	मिनिकाय लाइट हाउस
6.	20 फरवरी	मेडिकल कालेज, कलकत्ता
7.	6 मार्च	मेडिकल कालेज मद्रास
8.	29 मार्च	असम राइफल्स
9.	1 अप्रैल	आलू अनुसंधान
10.	4 अप्रैल	बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया
11.	12 अप्रैल	संत जेवियर कालेज कलकत्ता
12-13	अप्रैल	बोगेनविलिया
14-15	मई	अभिनय कला I (परफार्मिंग आर्टस)
16-27	जून	भारतीय समारोह
18.	24 जुलाई	जयरामदास दौलतराम
19.	सितंबर	अभिनय कला II (परफार्मिंग आर्टस)
20.	1 अक्तूबर	वन्य जीव (देव हंस)
21-22	अक्तूबर	भारतीय समारोह
23.	29 अक्तूबर	संत स्टीफन अस्पताल
24.	31 अक्तूबर	इन्दिरा गांधी
25.	14 नवंबर	बाल दिन
26.	19 नवंबर	इन्दिरा गांधी
27.	नवंबर	अन्तर्राष्ट्रीय खगोल मैदान विज्ञान संघ
28.	दिसंबर	काकासाहब कालेलकर
29-32	28 दिसम्बर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शताब्दी

, 1993 (मा०)

तारीखें और माह निश्चित किया जाना है

नाटकियां मन्दिर

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ग

शतरंज

स्वामी हरिदास

मास्टर तारा सिंह

डिफेंस थीम

इन्पेक्क 1985

जीतेन्द्र मोहन सेनगुप्त

(इनमें परिवर्तन हो सकता है)

"माल्टी एक्सेस रुरल" रेडियों प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

2238. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए "माल्टी एक्सेस रुरल "रेडियों प्रणाली में वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान कोई प्रगति हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक राज्य में कितने स्थानों पर मल्टी एक्सेस रुरल रेडियों प्रणाली के अन्तर्गत अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रणाली के विस्तार की इच्छुक है ?

(घ) यह प्रणाली सारे देश में कब तक लागू करने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। इस दिशा में मामूली प्रगति हुई है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम में मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियों प्रणाली के अन्तर्गत लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की योजना पर विचार किया गया है।

इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) यह योजना दूरवर्ती, जनजाति पर्वतीय, पिछड़े, रेगिस्तान क्षेत्र, घने जंगल

एवं समुद्रतटीय क्षेत्र जो दुर्गम है तथा जहां परम्परागत ओपन-वायर लाइनें सरलता से नहीं बिछाई जा सकती व ये लागत की दृष्टि से भी सस्ती नहीं पड़ती, लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करके दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना शुरू की गई है।

(ii) इस प्रणाली के लिए रेडियो माध्यम का उपयोग किया जाता है और परम्परागत ओपन-वायर प्रणाली की तुलना में इससे उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय दूरसंचार सेवा उपलब्ध होती है।

(iii) जहां बिजली की समन्तर लाइनें होने के कारण टेलीफोन लाइनों में बिजली का करंट आ जाता है वहां यह प्रणाली लाभदायक होती है।

प्रथम चरण में आयातित उपस्करों का उपयोग करते हुए देश के 12 चुनिंदा क्षेत्रों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन (एम० ए० आर० योजना के अन्तर्गत) खोलने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न राज्यों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) नई षट-भुजाकार नीति के अनुसार देश में 5 कि०मी० भुजा वाले सभी क्षेत्रों में जहां दूर संचार सुविधाएं नहीं हैं, 1990 तक दूरसंचार सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि देशी स्रोतों से निधि एवं उपस्कर उपलब्ध रहें। देशी स्रोतों से उपस्कर प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं और यदि ये उपलब्ध रहे, तो सातवीं योजना के दौरान एम० ए० आर० आर० प्रणाली के अंतर्गत 9000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की योजना बनाई गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्थापित किए गए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों की संख्या (एम० ए० आर० आर० योजना के अन्तर्गत)	चालू किए गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घरों की संख्या (एम० ए० आर० आर० योजना के अन्तर्गत
1.	गुजरात	24	14
2.	आन्ध्र प्रदेश	9	9
3.	तमिलनाडु	12	12

1	2	3	4
4.	महाराष्ट्र	28	12
5.	उत्तर प्रदेश	19	—
6.	मध्य प्रदेश	3	—
	कुल :	95	47

सीधी डायल सेवा का दोषपूर्ण कार्यकरण

2239. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एस० टी० डी० प्रणाली के दोषपूर्ण कार्यकरण के कारण जब डायल करने पर दूसरी ओर गलत नम्बर मिल जाता है प्रयोक्ताओं को होने वाली असुविधा तथा भारी वित्तीय व्यय की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दोष को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस समस्या का हल कब तक पा लिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गलत नंबरों के स्थानीय तथा एस० टी० डी० दोनों प्रकार की कालों में मिलने की संभावनाएं रहती है। एस० टी० डी० कालों में गलत नम्बरों के मिलने की संभावना दो प्रतिशत से भी कम है। इस प्रकार के सभी मामलों में वित्तीय हानि अधिक से अधिक एक से दो स्थानीय कालों के बराबर होती है क्योंकि टेलीफोन करने वाले उपभोक्ता गलत नम्बर मिलने की जानकारी होते ही टेलीफोन काट देते है।

(ख) जिन कारणों से गलत नम्बर मिलते हैं उनका पता लगाया जाता है और नियमित रूप से शिकायत होने पर अथवा सेवा प्रेषण के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। गलत नम्बर कम से कम मिले, इस दृष्टि से निर्धारित अनुरक्षण कार्यक्रमानुसार नियमित रूप से कार्रवाई की जाती हैं।

(ग) एस० टी० डी० सेवा में गलत नम्बर मिलने की घटनाएं कुछ हद तक रोकी जा सकती हैं परन्तु टेलीफोन नेटवर्क का निरंतर विस्तार हो रहा है इसलिए इस समस्या को पूर्णरूपेण समाप्त नहीं किया जा सकता।

(घ) एस० टी० डी० काल में गलत नम्बर मिलने की संभावना विभिन्न कारणों व

काल प्रोग्रेस की विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। काल करने की श्रृंखला में गलत नम्बर मिलने के अनेक कारण हो सकते हैं—काल मिलाने वाले उपभोक्ता का डायल गलत ढंग से डायल करना, स्ट्राजेर स्विच की सीमित प्रतिक्रिया, डिजिट स्टीरेज और स्थानीय क्रासबार अथवा ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज में रिपीटीशन का होना, ट्रांसमिशन सर्किट पर सिगनलिंग चैनल में खराबी। उपभोक्ताओं की शिकायतें और सेवा गुणता जांच-प्रेक्षण ही गलत नम्बर मिलने का अनुमान लगाने तथा उनका विश्लेषण करने के प्रमुख आधार हैं। गलत नम्बर न मिलें इसकी रोकथाम के लिए रुटीन अनुरक्षण व्यवस्था और इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर विशेष जांच करना इसके मुख्य उपाय हैं।

डीजल तथा पेट्रोल में मिलावट का पता लगाने वाला यंत्र

[हिन्दी]

2240. श्री आर० एम० भोये : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रकों बसों, कारों, रेल इंजनों तथा हवाई जहाजों में डीजल तथा पेट्रोल में मिलावट का पता लगाने के लिए किसी यंत्र का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे यंत्र विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) डीजल तथा पेट्रोल में मिलावट की जांच करने के लिए किसी स्पष्ट प्रणाली का अभी तक विकास नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पेट्रोल तथा डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए प्रभावशाली और सम्भाव्य तरीके की खोज के उद्देश्य से चुने हुए क्षेत्रों में मिट्टी के तेल को रंगीन बनाने का प्रयोगात्मक अध्ययन शुरू किया गया है।

मुद्रण उद्योग

[अनुवाद]

2241. श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी मुद्रण उद्योग से प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उद्योग ने किस सीमा तक प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाया है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) देश के छपाई उद्योग की प्रौद्योगिकी के अभ्युत्थान की बहुत आवश्यकता है।

(ख) और (ग) इस विषय में कोई विशिष्ट मार्गदर्शी निदेश नहीं किए गए हैं। फिर भी भारतीय मुद्रण उद्योग के आधुनिकीकरण को सुगम बनाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. आधुनिक प्रणालियों पर उद्योग के संवर्धन और विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के वास्ते एक विकास परिषद का गठन किया गया था।

2. अनेक प्रकार की मुद्रण मशीनों तथा सहायक उपकरणों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रख दिया गया है।

3. मुद्रण उद्योग को परियोजना आयात की सुविधा दे दी गई है जिससे कि यह मशीनों के आयात पर आयात-शुल्क की रियायती दर का लाभ प्राप्त कर सकें।

(घ) प्रोद्योगिक का अभ्युत्थान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय मुद्रण उद्योग आधुनिकीकरण की दिशा में निरन्तर गतिशील है जिससे कि यह ठोस प्रगति को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

तेल तथा गैस का भण्डार

2242. श्री भोला नाथ सेन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने तो कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न बेसिनों में तट दूर तथा तटवर्ती क्षेत्रों में तेल तथा गैस का कितना भण्डार होने का अनुमान है ;

(ख) इन अनुमानित तेल तथा गैस भण्डारों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं। उठाने का विचार है ; और

(ग) विभिन्न बेसिनों में, विशेषत: पश्चिम में, अनुमानित तेल तथा गैस भंडरों से उत्पादन के आरम्भ करने के मामले में कितनी प्रगति तथा सफलता हुई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) भारत में विभिन्न बेसिनों में हाइड्रोकार्बन वाले अनुमानित क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	(बिलियन मीट्रिक टन)
तटवर्ती क्षेत्र	6·1
अपतट क्षेत्र	11·1

(ख) उठाए गए कदमों में से कुछ ये हैं :—

(1) नई भूकम्पों अन्वेषण प्रौद्योगिक को लागू करना ;

(2) हाइड्रोकार्बन वाले क्षेत्रों का गहन अन्वेषण तथा उनका विकास करना

(3) भू-विज्ञानिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अल्पजात स्थानों का विस्तृत अन्वेषण और

(4) आंकड़ों के संसाधन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा कम्प्यूटरों का प्रयोग बढ़ाना।

(ग) पश्चिमी बंगाल में अभी हाइड्रोकार्बन नहीं मिले हैं। 1 जनवरी 1984 तक अन्य क्षेत्रों में हुए कुल उत्पादन का ब्योरा इस प्रकार है :

(मिलियन मीट्रिक टन)

तटवर्ती क्षेत्र	
1. गुजरात	79.6
2. असम	108.9
3. नागालैंड	0.1
अपतट क्षेत्र	56.8

दिल्ली में महिला उद्यमियों के कल्याण के लिए स्वायत्त निकाय

2243. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में महिला उद्यमियों के कल्याण के लिए एक स्वायत्त निकाय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के कब तक कार्यन्वित होने की आशा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में अन्य स्थानों पर भी महिला उद्यमियों के इस प्रकार के निकाय स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए तरीकों का अब भी पता लगा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

प्रत्येक जिले में बड़ा उद्योग स्थापित करने की योजना

2244. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की प्रस्तावित योजना सभी उद्योगरहित जिलों में उद्योग स्थापित करने की 1983 की योजना की पुनरावृत्ति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1983 की योजना पूरी तरह से कार्यान्ति नहीं की गई है और सरकार कुछ त्रुटियों के कारण योजना को कार्यान्वित नहीं कर पाई है ;

(ग) वर्ष 1983 की योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा 1985-86 के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) विभिन्न जिलों के औद्योगीकरण की मुख्य जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों में योगदान करती है। जिन जिलों में कोई भी बड़ा अथवा मझौला उद्योग नहीं है, उनका पता नवम्बर, 1981 में लगाया गया था, और 1.4.1983 से पिछड़े क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण कर देने के बाद विशेष क्षेत्रों के साथ-साथ "उद्योग रहित" जिलों को पिछले क्षेत्रों के वर्ग "क" में सम्मिलित कर लिया गया है। इन जिलों में एककों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को लाइसेंस, केन्द्रीय निवेश राज सहायता की अधिकाधिक राशि, रियायती वित्त सुविधाएं और राज्य सरकारों द्वारा अवस्थापना के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

चूंकि योजना 1.4.1983 से ही लागू हुई है अतः यह निश्चित करना समय पूर्व होगा कि यह योजना सफल रही अथवा नहीं।

अल्मोड़ा में बन्द पड़ा उद्योग

[हिन्दी]

2245. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कोई ऐसा उद्योग है, जो पिछले अनेक वर्षों से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां तो क्या उनके मंत्रालय ने इस उद्योग के पुनः प्रारम्भ करने की व्यवस्था के संबंध में इस सदन को जानकारी दी थी ;

(ग) क्या मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सभी आवश्यक प्रबन्ध करने के पश्चात उद्योग को पुनः प्रारंभ कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और कब तक आवश्यक प्रबन्ध कर दिए जाएंगे ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा जिले में एक औद्योगिक उपक्रम अर्थात कुमाऊं ब्रोंज पाउडर लिमिटेड है जो अक्तूबर, 1982 से बन्द पड़ा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वित्तीय संस्थाएं यह नहीं समझती हैं कि इस एकक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, अतएव उन्होंने समस्त ऋण वापस ले लेने तथा कंपनी की परिसम्पत्तियों को बेच कर बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया।

क्रयादेशों की कमी के कारण मझगांव डाक यार्ड में उत्पादन

[अनुवाद]

2246. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रयादेशों की कमी के कारण मझगांव डाक यार्ड (बम्बई) में उत्पादन के कम हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिक क्रयादेश प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं।

अरुणाचल प्रदेश में लघु तेल शोधक कारखाने की स्थापना

2247. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री वागफा लोवांग : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक लघु तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देवरकोन्डा तालुका टेलीफोन एक्सचेंज को हैदराबाद से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ना

2248. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि डावर कोन्डा टेलीफोम एक्सचेंज से हैदराबाद के लिए टेलीफोन संपर्क स्थापित करने में बहुत अधिक समय लगता है और इस कारण टेलीफोन ग्राहकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार देवरकोंडा तालुका के टेलीफोन एक्सचेंज को एस० टी० डी० द्वारा हैदराबाद से जोड़ने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उन दोनों शहरों को एस० टी० डी० सेवा से कब तक जोड़ा जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। देवरकोंडा से हैदराबाद के लिए ट्रंक काल यथोचित समय में ही मिल जाती है।

(ख) देवरकोंडा तालुका टेलीफोन एक्सचेंज को एस० टी० डी० द्वारा हैदराबाद के साथ जोड़ने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में मिरयालगुडा टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नये भवन का निर्माण

2249. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यप बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नालगोंड जिला आन्ध्र प्रदेश में मिरयालगुडा टेलीफोन ऐक्सचेंज का भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस ऐक्सचेंज के लिये नये भवन का निर्माण करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी, एक नए विभागीय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को दी गई सहायता

2250. **श्री मती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना को शुरू होने के बाद से कितने शिक्षित बेरोजगारों को सहायता दी गई है, निर्धारित लक्ष्य की तुलना में यह कितना है ;

(ख) क्या बैंकों द्वारा ऋणों की मंजूरी देने के कारण उक्त कार्यक्रम को धक्का लगा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) : वर्ष 1983 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व: रोजगार योजना के अंतर्गत 2.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 2.42 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता दी गई। 1984-85 की योजना की प्रगति के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना की अभी प्रतिक्षा है।

राजनन्द गांव (म० प्र०) में टेलीफोन

2251. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) राजनन्द गांव जिले में जनवरी 1982 से दिसम्बर 1984 तक कितने स्थानों को टेलीफोन से जोड़ा गया है; और

(ख) सरकार के पास टेलीफोनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जनवरी 1984 से दिसम्बर, 1984 की अवधि के बीच मध्य प्रदेश के राजनंद गांव जिले के 23 स्थानों क टेलीफोन द्वारा जोड़ा गया।

(ख) राजनंद गाव जिले में 168 आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

उद्योगों को शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाना

2252. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकी को रोकने के लिए अब तक क्या प्रभावशाली कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से हटाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार महानगरों और बड़े शहरों के इर्द-गिर्द उद्योगों का और अधिक संकेन्द्रण होने को रोकने की आवश्यकता को स्वीकार करती है और सरकार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या

वाले महानगर की मानक शहरी क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर और 5 लाख से अधिक की जन-संख्या वाले शहर की नगर सीमाओं के अन्दर और औद्योगिक कार्यकलाप करने के लिए नये औद्योगिक लाइसेंस जारी न करने की निति को अपनाती रही है। इस नीति में छूट केवल कुछ विशिष्ट श्रेणी के मामलों में ही दी जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्थापना स्थल विषयक नीति को अपनाए जाने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों/अल्पविकसित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है "उद्योग रहित जिलों" और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से देश में इन क्षेत्रों का इसके पिछड़े पन के स्तर के आधार पर तीन वर्गों में अर्थात् वर्ग "क", वर्ग "ख" और वर्ग "ग" में पुनवर्गीकरण किया गया है, तथा इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय राजसहायता, रियायती वित्त, परिवहन राजसहायता के रूप में विभिन्न दरों पर सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार लाइसेंस स्वीकृत करने में भी प्राथमिकता दी जाती है।

निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को रक्षा के लिए शोधक कारखानों को हटाना

2253. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखानों के क्षेत्रों में निवासियों की रक्षा और बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई करना आरंभ किया है ;

(ख) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार तेल शोधक कारखानों को स्थानान्तरित करने के लिए फार्मूला तैयार करने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) शोधन-शालाएं अपनी यूनिटों में कार्यचालन के दौरान होने वाले किसी प्रकार की पूर्वानुमेय अपसामान्य स्थिति से बचने के लिए सुरक्षात्मक पहलुओं को शामिल करती है इसके साथ-साथ पर्याप्त अग्नि-शमन सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है और सभी कर्मचारी स्थिति संभालने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित किए जाते हैं पर्याप्त उपचार सुविधाओं की भी व्यवस्थाएं इसलिए की जाती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरसंसारी जल भारतीय मानक संस्थान के नमूनों के अनुरूप है। गैस युक्त निसुनाव को भी सीमाओं के अन्दर रखा जाता है।

(ग) उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1982 से अब तक पश्चिम बंगाल के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस

2254. **श्री प्रियरंजनदास मुंशी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1982 से जनवरी, 1985 तक पश्चिम बंगाल के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने को उद्योग स्थापित करके वास्तव में कार्यान्वित किया गया है ; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्योगों की संख्या कितनी है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ मो० म्मद खां) : (क) 1 मई, 1982 और 31 जनवरी, 1985 के बीच पश्चिम बंगाल राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु 180 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल को स्वीकृत 180 औद्योगिक लाइसेंसों में से 29 औद्योगिक लाइसेंस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए थे।

औद्योगिक लाइसेंस प्रारम्भ में दो वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है और पर्याप्त औचित्य देने पर इसकी अवधि एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में सामान्यतः लगभग तीन से चार वर्ष लग जाते है। फिर भी, वास्तविक प्रारम्भिक अवधि एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्न-भिन्न होती है।

1 मई, 1982 और 31 जनवरी, 1985 के बीच पश्चिम बंगाल को जारी किए गए 180 औद्योगिक लाइसेंसों में से 519 औद्योगिक लाइसेंस "व्यवसाय जारी रखने" के लिए थे शेष 61 औद्योगिक लाइसेंसों में से एक लाइसेंस रद्द किया जा चुका है।

वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति

2255. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राइवेट सेक्टर की इस मांग को स्वीकार करने का है कि किसी सरकारी निकाय और प्राइवेट उद्यम के बीच वाणिज्यिक विवाद के मामले में ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया जाए जिसका सरकारी संगठन से कोई संबंध न हो ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्यस्थों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ख्याति प्राप्त वकीलों को किसी पैनल से की जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्वाचन अर्जियों का निपटारा

2256. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि निर्वाचन अर्जियों के निपटारे में बहुत समय लगता है ; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार निर्वाचकों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय अर्थात् उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर और अपील न्यायालय अर्थात् उच्चतम न्यायालय में 30 दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचन अर्जी के निपटारे के लिए आवश्यक प्रक्रिया तैयार करने का है ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उपधारा (6) के अनुसार, निर्वाचन अर्जी का विचारण, जहां तक कि वह विचारण के बारे में न्याय के हितों से संगत रहते हुए साध्य हो, उसकी समाप्ति तक दिन-प्रतिदिन चालू रहेगा जब तक उच्च न्यायालय उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह निष्कर्ष न निकाले कि विचारण को आगामी दिन से परे स्थगित करना आवश्यक है। उसी धारा की उपधारा (7) में यह उपबंध है कि हर निर्वाचन अर्जी यथासंभव शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिनके निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। ये उपबंध 1966 में किए थे और प्रक्रिया में किसी और परिवर्तन से द्वारा या विधियों के संशोधन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कम गुंजाइश दिखाई देती है। निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से निर्वाचन अर्जियों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित होगा। इस प्रस्ताव पर सिद्धान्त रूप से अपनी सहमति देते हुए, सरकार ने निर्वाचन आयोग को यह सूचित किया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा उन न्यायालयों के समक्ष लंबित निर्वाचन अर्जियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। आयोग ने हाल ही में उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को लिखा है कि वे इस मामले को मुख्य न्यायमूर्तियों के समक्ष समुचित कार्रवाई के लिए रखें।

सेना भवन नई दिल्ली में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

2257. श्री कमल नाथ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना भवन, नई दिल्ली में खोला गया नया इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज जिसमें "37" को "301" में बदला गया है, का कार्य सन्तोषजनक है ;

(ख) क्या इसकी असफलता के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) बदले गए उपकरणों का कार्य निष्पादन कैसा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नए एक्सचेंज का कार्य निष्पादन संतोषजनक है।

बिहार में ट्रंक टेलीफोन और सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाओं से वंचित तालुक मुख्यालय

2258. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कितने तालूक मुख्यालय हैं जिनमें ट्रंक टेलीफोन और सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायें नहीं हैं ;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी प्रमुख गांवों और कस्बों में यह सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी ; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) 5000 अथवा इससे अधिक आबादी के प्रमुख ग्रामों और नगरों में पहले से ही टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभाग की यह नीति है कि 1990 तक 5 कि० मी० के घेरे में रह रही आबादी को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जाएं।

भारतीय टायर निगम के कार्यकारी अधिकारी

2259. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टायर निगम में इस समय कोई चेयरमैन, निदेशक तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारी नहीं है, जैसा कि 9 मार्च 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष

और चार अंशकालिक निदेशक हैं। अभी तक बोर्ड में प्रबंध निदेशक अथवा किसी अन्य पूर्णकालिक निदेशकों का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 1985 को समाप्त हो गया और बोर्ड का कार्यकलाप सरकार द्वारा नामित अन्य दो अंशकालिक निदेशकों द्वारा देखा जा रहा है। टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बढ़ते हुए कार्यभार और प्रबंध के उत्तरदायित्व को देखते हुए सरकार का पूर्णकालिक निदेशकों को शामिल करके प्रबंध मंडल का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है।

चमड़ा रसायन उद्योग

2260 : **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनों के आयात को उदार बनाने में चमड़ा रसायन उद्योग को नुकसान पहुंचा है ;

(ख) क्या इन रसायनों का स्वदेश में ही उत्पादन हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रसायनों और कच्चे माल के उत्पादकों को सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। सामान्य खुले लाइसेंस के अधीन केवल बबूल सत (वैटल एक्सट्रैक्ट) का निर्यात करने की अनुमति है। अन्य रसायनों के आयात की अनुमति चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के बदले जारी किए गए आर. ई. पी. लाइसेंस के अधीन दी जाती है।

(ख) जी, हां। किन्तु, देशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए प्रतिबन्धित आधार पर आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) विदेशी सहयोग और प्रौद्योगिकी एवं पूंजीगत माल का आयात करके भी अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने की अनुमति है। देशी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बबूल के सत को छोड़कर जिसकी पर्याप्त कमी है, प्रतिबंधित आधार पर तथा आर. ई. पी. लाइसेंस पर आयात करने की अनुमति दी गई है।

खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की प्रतीक्षा सूची

2261. **श्री चिन्तामणि जेना** :
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री अमर सिंह राठवा : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में 31 दिसम्बर, 1984 तथा प्रत्येक राज्य में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कितने कनेक्शन दिए गए ;

(ख) प्रत्येक राज्य में 31 दिसम्बर, 1984 को कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे ;

(ग) क्या प्रतीक्षा सूची में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो 4-5 वर्ष से प्रतीक्षा में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केवल थोड़े से ही लोग हैं जो चार वर्षों से अधिक अवधि से प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य का नाम	जारी एलपीजी कनेक्शन (31.12.1984)	31.12.1984 को एलपीजी कनेक्शनों के लिए व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची
1. आन्ध्र प्रदेश	1,42,866	2,95,299
2. गुजरात	33,342	5,57,662
3. हरियाणा	231,175	1,54,828
4. कर्नाटक	69,211	1,13,994
5. केरल	36,082	28,092
6. मध्य प्रदेश	79,705	5,54,052
7. पंजाब	42,252	2,69,702
8. महाराष्ट्र	1,81,279	8,39,764
9. राजस्थान	28,074	178,703
10. तमिलनाडु	1,39,966	97,431
11. उत्तर प्रदेश	1,16,089	5,34,384
12. बिहार	22,857	53,490

1	2	3
13 जम्मू व काश्मीर	7,747	23,850
14. उड़ीसा	6,741	27,399
15. पश्चिमी बंगाल	28,241	50,118
16. असम	2,699	1,400
17. हिमाचल प्रदेश	6,834	9,713
18. मेघालय	—	240
19. नगालैंड	—	1,200
20. सिक्किम	215	—
21. त्रिपुरा	272	—
संघ राज्य क्षेत्र		
22. चंडीगढ़	9,301	57·192
23. दिल्ली	78,732	4,59,397
24. पांडिचेरी	2,133	1,305
25. गोआ, दमन व दीव	7,158	23,488
26. दादरा व नागर हवेली	120	1,200

उड़ीसा में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की नई एजेंसियां खोलना

2262. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा सहित क्षेत्र भर में वर्ष 1985-86 में एल० पी० जी० की कितनी एजेंसियां खोली जायेंगी और वे कहां खोली जायेंगी ; और

(ख) एल० पी० जी० एजेंसियों के आबंटन के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1985-86 के लिए तेल उद्योग को विपणन योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। देश में नई एल० पी० जी० एजेंसियों की संख्या तथा उड़ीसा में उनकी संख्या तथा स्थान का निर्णय योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही किया जायेगा।

(ख) विपणन योजना में शामिल स्थानों के बारे में संबंधित कम्पनियों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तथा विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों से वितरण के लिए आरक्षण के अनुसार इच्छुक और पात्र व्यक्तियों से आवेदन मांगे जाते हैं, पात्र व्यक्तियों में से चयन का काम उपयुक्त तेल चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। तब संबंधित तेल कम्पनी तेल चयन बोर्ड द्वारा संस्तुत पेनल के अनुसार आशय पत्र जारी करती है।

गैस पर आधारित एक बड़ी उर्वरक परियोजना की स्थापना

2263. डा० वी० वेंकटेश : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि इण्डियन एक्सप्लोसिव लि० ने गैस आधारित एक बड़ी उर्वरक परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव रखा था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ;

(ग) इस कम्पनी द्वारा उक्त परियोजना कहां पर स्थापित की जाएगी ;

(घ) क्या कम्पनी का विचार प्रस्तावित परियोजना के लिए विदेशों में स्थित अनिवासी भारतीयों से वित्त प्राप्त करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।

(घ) और (ङ) इस संबंध में ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम

2264. श्री भोला नाथ सेन : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृत्तिक विधि शिक्षा के तीन-वर्षीय पाठ्क्रम की प्रणाली को धीरे-धीरे पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पंचवर्षीय और तीन-वर्षीय पाठ्यक्रमों की दोनों प्रणालियों के कितने समय तक साथ-साथ जारी रहने की संभावना है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से विधि में ऐसे तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए उपबंध है जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उक्त अधिनियम के परियोजनों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, विधि में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में ये नियम आलोचना के विषय रहे हैं। सरकार ने इस संबंध में अभी तक अपनी नीति निश्चित नहीं की है।

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधिज्ञ परिषदों के सुझाव

2265. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अधिवक्ताओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषदों ने सरकार को सुझाव दिया है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों में संशोधन किया जाए ;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) अधिवक्ता अधिनयम, 1961 के उपबंधनों में संशोधन के लिए सरकार को भारतीय विधिज्ञ परिषद् और कुछ राज्य विधिज्ञ परिषदों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सुझावों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। [ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये संख्या** एल० टी० 831/85]

(ग) प्राप्त सुझावों की गहराई से अध्ययन और परीक्षण करने की आवश्यकता है। यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

शहरों और कस्बों के लिए गैस पाइप लाइनें बिछाना

2266. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुकिंग गैस वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए शहरों और कस्बों में छोटे कुकिंग गैस बाटलिंग, संयंत्र स्थापित करने और/या घर-घर जाकर गैस सिलेंडर देने के स्थान पर पाइप लाइनें बिछाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना तथा इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग

[हिन्दी]

2267. **श्री सी० जंगा रेड्डि** :
डा० ए० के० पटेल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बेलगाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किए जाने की मांग की थी ;

(ख) क्या पहचान पत्र जारी करने तथा इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग करने से जाली मतदान सहित बहुत सी अनियमितताओं को रोका जा सकेगा ;

(ग) यदि हां, तो जाली मतदान रोकने के संबंध में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन से ठीक पहले उसे मुख्य निर्वाचन आफिसर, कर्नाटक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें यह सूचित किया गया था कि बेलगाम में कुछ लोग तब तक मतदान नहीं होने देंगे जब तक उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को फोटो लगे पहचान पत्र जारी नहीं कर दिए जाते।

(ख) और (ग) पहचान पत्र जारी करने और इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग प्रारम्भ करने जैसी स्कीम पर कोई कार्रवाई करने के पूर्व स्कीम के संभावित फायदों और नुकसानों, उनकी स्वीकार्यता और व्यावहारिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

जहां तक फोटो लगे पहचान पत्र संबंधी स्कीम का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग, सिक्किम, और मेघालय और नागालैंड में स्कीम के कार्यान्वयन में हुए अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि व्यावहारिक और प्रशासनिक कठिनाइयों, शतप्रतिशत पहचान पत्र देने में असफलता, स्कीम को क्रियान्वित करने में प्रतिषेधात्मक खर्च और निर्वाचकों की उदासीनता आदि को ध्यान में रखते हुए स्कीम को

किसी अन्य राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक वह मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में पूरी तरह से लागू नहीं कर दी जाती। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के संबंध में आशय यह है कि मशीन का प्रयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में प्रयोगिक आधार पर किया जाए और उसके पश्चात् उसके लाभों और नुकसानों का निर्धारण किया जाए। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने जो विचार व्यक्त किया है वह यह है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को लागू करने से जाली मतदान समाप्त करने में सहायता मिलेगी। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग जब तक आरंभ नहीं हो जाता और पहचान पत्र को जारी करने संबंधी स्कीम का विस्तार नहीं हो जाता, तब तक निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग और मतदान आफिसरों को स्थायी अनुदेश जारी किए हैं कि वे जाली मतदान, प्रतिरूप आदि के विरुद्ध रक्षोपाय करने के लिए विभिन्न उपाय करें। इन अनुदेशों को प्रत्येक निर्वाचन में आयोग कार्यान्वित कराता रहता है।

एक सिलेण्डर वाले कनेक्शनों को डी० बी० सी० में परिवर्तित करना

[अनुवाद]

2268. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष उपभोक्ताओं के अनुरोध पर उनके द्वारा अतिरिक्त भुगतान किए जाने पर एक सिलेंडर के कनैक्शनों को डी० बी० सी० में परिवर्तित करने का कोई नीति निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शीघ्र ही एक सिलेंडर के कनैक्शनों को डी० बी० सी० में परिवर्तित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनता को इसकी जानकारी देने के लिए इस प्रकार के नीति निर्णय का व्यापक प्रचार करने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) देश भर में तेल उद्योग पिन किस्म के सिलिंडरों वाले उपभोक्ताओं को दूसरा सिलिंडर जारी कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जहरीली कीटनाशक दवाएं

2269. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षणों से यह बात सामने आयी है कि भारत में मानव-प्राणियों की कीटनाशी दवाओं के अपशिष्ट अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है और वास्तव में वे स्वीकार्य दैनिक खपत से अधिक है ;

(ख) क्या इसमें लाखों असंदिग्ध भारतीयों के लिए गंभीर स्वास्थ्य में खतरा पैदा हो रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि जहरीले प्रभाव की ऐसी अनेक कीटनाशी दवाओं के भारत प्रयोग किए जाने की अनुमति है जिन पर अनेक देशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार खतरनाक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग बन्द करके उनके स्थान पर कीटों के जैविकी नियंत्रण के तरीके अपनाने हेतु कदम उठाने का है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारत में कीटनाशी दवाओं के आयात और निर्माण को अन्य बातों के साथ-साथ कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन विनियमित किया जाता है। देश में कीटनाशी दवाओं के आयात/निर्माण करने की अनुमति देने से उक्त, पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन गठित की गई पंजीकरण समिति सभी संबंधित पहलुओं जैसे कि कीटनाशी दवाओं की दक्षता और भारतीय परिस्थितियों में इनसे मानव और पशुओं की सुरक्षा, को ध्यान में रखती है।

जैविक नियंत्रण पद्धति और अन्य अरसायनिक पद्धतियों द्वारा नियंत्रणों को प्रोत्साहन देना और विकास करना सरकार की नीति का पहले ही भाग रहा है ताकि पेस्ट्स/बीमारियों के नियंत्रण हेतु रसायनों का प्रयोग न्यूनतम किया जा सके। एक केन्द्रीय क्षेत्रीयों योजना के अधीन पेस्ट्स के नियंत्रण के लिए सरकार ने पहले ही 11 केन्द्रीय जैविक नियंत्रण केन्द्र तथा बड़ी मात्रा में पालन पोषण के लिए तथा पैरासाइटस और प्रिडेटर्स को रिलीज के लिए एक पैरासाइट मल्टिप्लिकेशन यूनिट स्थापित किया है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

2270. **श्री ई० अय्यापु रेड्डि** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशिष्ट अनुपात में राज्य के बहार से न्यायाधीशों की नियुक्ति सहित किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कोई नीति तैयार की गई है ;

(ख) क्या समान रूप से ऐसी कोई नीति कार्यान्वित की जा रही है ;

(ग) ऐसे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है जो अपने राज्यों से भिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति अथवा न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) ऐसे कौन-कौन से उच्च न्यायालय हैं जहां पर दूसरे राज्योंसे कोई न्यायधीश नहीं है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार ने विधि आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि ऐसी परिपाटी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश राज्य के बहार से हो। इस विनिश्चय को आरंभिक नियुक्तियां बाहर से करके और साथ ही स्थानांतरण करके क्रियान्वित किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात तैयार किए गए कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिन्हें तारीख 28.1.1983 की एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यमसे घोषित किया गया था (विवरण) एक ऐसी नीति को, जिसमें उच्च न्यायालयों मुख्य न्यायमूर्ति बहार से होने चाहिए कार्यान्वित करके शुरूआत कर दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 832/85] अब तक, उच्च न्यायालय से बाहर के 12 मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति/स्थानांतरण किए जा चुके हैं।

चार अवर न्यायाधीशों की आरंभिक नियुक्तियां बाहर से की गई हैं। अभी तक अवसर न्यायाधीशों के स्थानांतरण नहीं किए गए हैं।

(ग) 6-4-1985 को 8 मुख्य न्यायमूर्ति और 4 अवर न्यायाधीश अपने राज्य के बहार के उच्च न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं।

(घ) 6-4-1985 को इलाहबाद, आंध्र प्रदेश, गौहाटी, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में राज्य के बाहर से न्यायाधीश नहीं हैं।

भारत के महान्यायवादी और भारत के महासालिसिटर के कार्यालयों पर हुआ खर्च

2271. **श्री ई० अय्यापु रेड्डि** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के महान्यायवादी और भारत के महासालिसिटर के कार्यालयों पर वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितना खर्च हुआ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : वर्ष 1983-84 में भारत के महान्यायवादी के कार्यालय पर 10, 606,34 रुपए खर्च किए गए थे जब कि वर्ष 1984-85 में यह खर्च 1,05,177,00 रुपए का था। वर्ष 1983-84 में भारत के महासालिसिटर के कार्यालय पर 18,9 29/-रु० खर्च किए गए थे जबकि वर्ष 1984-85 में इस निमित्त कोई खर्च नहीं किया गया क्योंकि किसी को भी महासालिसिटर नियुक्त नहीं किया गया।

वकीलों में से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति

2272. **श्री ई० अय्यापु :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 10 वर्षों से भी अधिक समय से उच्चतम न्यायालय में किसी भी वकील की सीधी भर्ती नहीं की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में सीधी भर्ती करने के लिए ऐसी कोई स्कीम बनाने का विचार है जिससे उच्चतम न्यायालय के कम से कम एक तिहाई न्यायाधीश सीधे वकीलों में से नियुक्त किए जा सकें।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायपीठ में वकीलों में से सीधी भर्ती अंतिम बार 1971 में की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिगों की खरीद

2273. **श्री के० राममूर्ति :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के 1700 बिलीयन मीट्रिक टन के अनुमानित भण्डार के 75 प्रतिशत भंडार के वास्तविक क्षेत्रों का अभी पता लगाया जाता है ;

(ख) क्या 1989-90 तक तेल के 634 कुएं ड्रिल करने के लिए 206 रिगों की आवश्यकता होगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशों से रिग खरीदने अथवा उनका देश में ही निर्माण करने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) हमारे 1700 बिलीयन मेट्रिक टन के अनुमानित भण्डार में से लगभग 75 प्रतिशत भाग के स्थानों का अभी पता लगाया जाना है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना की अवधि में रिगों की आवश्यकता तथा उनको खरीदने के संबंध में विवरण सातवीं योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही उपलब्ध होगा।

विधि आयोग की रिपोर्टों को संहिताबद्ध और कार्यान्वित करना

2274. **श्री के० राममूर्ति :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत 106 रिपोर्टों में से सरकार ने अब तक उनमें की गई कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ;

(ख) क्या विधि आयोग की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को संहिताबद्ध ने करने का कोई प्रयास किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विधि आयोग की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान संस्थागत प्रबंध का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई 110 रिपोर्टों में से 36 रिपोर्टों को पूरी तरह से विधान बनाकर क्रियान्वित किया जा चुका है । 5 रिपोर्टों की बाबत कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया । 3 रिपोर्टों को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया है । इसके अतिरिक्त 11 रिपोर्टों की बाबत आगे कार्रवाई बंद कर दी गई । आस्थगित कर दी गई । शेष 55 रिपोर्टों को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों पर कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) और (ग) विधि आयोग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कार्यान्वित सेल जिसका गठन विधि कार्य विभाग में विशेष रूप से किया गया है, सदन के पटल पर उन्हें रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है और साथ ही उनके कार्यान्वित के लिए संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय और अन्य अभिकरणों से परामर्श करता है ।

कानपुर आयुध कारखाने से टैंक-रोधी बमों की चोरी

[हिन्दी]

2275. **प्रो० निर्मल कुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर आयुध कारखाने से 4 फरवरी 1981 को कुछ शक्तिशाली टैंक-रोधी बमों की चोरी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने में पहले भी चोरी की कोई घटनाएं हुई हैं ;

(ग) क्या इस कारखाने से उग्रवादियों को चोरी छिपे सामग्री सप्लाई की गई थी ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस कारखाने से देश में उग्रवादियों को किसी भी प्रकार की सामग्री चोरी छिपे सप्लाई किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) सुरक्षा प्रबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस कारखाने में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं।

राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

[अनुवाद]

2276. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं :

(ख) क्या चितौडगढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चुना गया है :—

वर्ग "क" जैसलमेल और सिरोही।

वर्ग "ख" : अलवर, जोधपुर, भीलवाड़, चुरू, नागौर तथा उदयपुर।

वर्ग "ग" : बांसवाड़ा, माडमेपुर, डूंगरपुर, जालौर, झुनझुनू, झालावाड़, सीकर तथा टौंक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चितौड़गढ़, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अपनाए गए मानदण्ड की पूर्ति नहीं करता है।

बाड़मेर और चुरू जिलों को 1.4..5. से "उद्योग रहित जिलों" के रूप में वर्ग "क" शामिल कर लिया गया है।

1985-86 के दौरान खाना पकाने की गैस के कनैक्शन

2277. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान समूचे देश उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के कितने कनैक्शन दिये जाएंगे ; और

(ख) उपभोक्ताओं के मांगने पर उन्हें अविलम्ब गैस कनैक्शन दे दिए जाने की स्थिति कब तक आ जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल शर्मा) : (क) 17.50 लाख

(ख) आने वाले वर्षों में कम से कम 16 लाख नए एल० पी० जी० कनेक्शन प्रतिवर्ष

जारी करने की परिकल्पना की गई है। देश में प्रत्येक स्थान पर मांग पर नये कनेक्शन देने की अवधि के बारे में बतलाना इस समय व्यवहार्य नहीं है।

बेरावल-ऊना को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ना

2278. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बेरावल-ऊना टेलीफोन लाइन वन क्षेत्र से होकर गुजरती है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त लाइन आंधी तूफान और भारी वर्षा के कारण बहुत समय तक खराब रहती है;

(ग) क्या बेरावल-ऊना को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने के बारे में बहुत समय से मांग की जाती रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। तूफान एवं भारी वर्षा के दौरान इसमें खराबी आ जाती है और इस लाइन को पुनः ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है

(ख) वीरावल-ऊना को यू० एच० एफ० प्रणाली के साथ जोडन का प्रस्ताव है।

(घ) इस योजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं आर्थिक संभावनाओं की दृष्टि से जांच की जा रही है।

राजस्थान के पाली जिले में नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बित आवेदन पत्र

[हिन्दी]

2279. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाली जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्र छः महीनों से अधिक समय लम्बित पड़े है;

(ग) उन लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायेंगे; और

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास निवास मिर्धा) : (क) पाली जिले (राजस्थान) में 31.3.1985 को 1443 आवेदकों के नाम टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की सूची में दर्ज थे।

(ख) 1275 आवेदक ऐसे हैं जो छः महीने से अधिक समय से टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटाए जाने की संभावना है।

(घ) कुल मिलाकर उपस्कर, के वित्त और अन्य संसाधनों की कमी ही विलंब का कारण है।

मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा में सहायक कार्यकारी अभियंता, सहायक निर्माण सर्वेक्षक आदि की पदोन्नति

[अनुवाद]

2280. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में गत तीन वर्षों से सहायक कार्यकारी अभियंता से कार्यकारी अभियंता सहायक निर्माण सर्वेक्षण, सर्वेक्षण सहायक ग्रेड-I से सहायक निर्माण सर्वेक्षक अधीक्षक बी. आर. और ई-I एम-I से सहायक अभियंता तथा कार्यालय अधीक्षक से प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर सभी नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई हैं तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल समय पर बढ़ाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नियुक्तिया तदर्थ आधार पर करने के क्या कारण हैं जबकि वहां स्पष्ट रूप से रिक्त स्थान हैं ; और

(ग) सरकार का कब तक नियमित आधार पर नियुक्तियां करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सेना इंजीनियरी सेवा में निम्नलिखित संवर्गों में तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं :—

(1) कार्यकारी अभियन्ता
न्यायालय में सहायक कार्यकारी अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची में विवाद के कारण।

(2) निर्माण कार्य सर्वेक्षक और निर्माण कार्य सहायक सर्वेक्षक संशोधित भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण।

(3) सहायक अभियन्ता।
ये तदर्थ पदोन्नतियां सेना अफसरों की रिक्तियों के कारण उपलब्ध हुई अस्थायी रिक्तियों पर की गई।

(4) प्रशासन अधिकारी, ग्रेड-II
न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें प्रकाशित कर दिया गया है। निर्माण कार्य सर्वेक्षक के ग्रेड में नियमित पदोन्नतियां पहले ही की जा चुकी हैं अन्य संवर्गों में

भी नियमित पदोन्नतियां करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन नियमित पदोन्नति की कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है और इसके कारण ये हैं :—वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने में निहित प्रशासनिक प्रक्रिया, पात्र उम्मीदवारों की कमी और प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II के काडर में नियुक्तियों पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश।

कुटुम्ब न्यायालय

2281. प्रो० मधु दण्डवते : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं लोक सभा के अन्तिम सत्र में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के बारे में एक विधेयक पारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कुटुम्ब न्यायालयों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) ऐसे न्यायालयों की संरचना क्या होगी और उनकी अधिकारिता क्या होगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुटुम्ब न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के परामर्श से स्थापित किया जाना है। ऐसे न्यायालयों का गठन और अधिकारिता भी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विनिश्चित की जानी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना के लिए शीघ्र कार्रवाई आरंभ करने के लिए पहले से ही अनुरोध कर दिया गया है।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

2282. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री ओ० ओ० स्वेल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के बिना, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण करने की नीति को समाप्त करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानान्तरणों के बारे में मुख्य न्यायमूर्ति परामर्श से एक नई नीति बनाई जाएगी।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से होने के बारे में 28-1-1983 की प्रेस विज्ञप्ति (प्रति संलग्न है) में घोषित सरकार की नीति में अभी तक कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 833/185]

यह नीति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात बनाई गई थी।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानान्तरण, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् किए जाते हैं।

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज लि० द्वारा दवाओं का उत्पादन

2283. श्री राम भगत पासवान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में दवाओं के उत्पादन और किसी अन्य उत्पादन के संबंधों में भी मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज लि० के नये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : औषधों तथा भेषजों के उत्पादन के लिए मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज का औद्योगिक लाइसेंस के लिए अब कोई आवेदन पत्र रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा बेबी फूड का उत्पादन

2284. श्री राम भगत पासवान : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बेबी फूड तथा किसी अन्य उत्पाद का भी उत्पादन करने हेतु मैसर्स ग्लैक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड के नये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन भारत में शिशु आहार अथवा किसी अन्य उत्पाद का उत्पादन करने हेतु आशयपत्र की स्वीकृति के लिए मै० ग्लैक्सो लेबोरेटरीज लिमिटेड से प्राप्त भी नया प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन अनिर्णीत नहीं है।

गैस रिसने के मामलों की जांच

2285. श्री नवीन रावणी :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल की त्रासदी के बाद गैस रिसने के मामले दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो भोपाल त्रासदी के बाद ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुयी हैं और किस एकक में ;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं में हुए जान माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या गैस रिसने के मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की गयी है, यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) ऐसे कोई ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं जिनसे भोपाल दुर्घटना से पूर्व और पश्चात हुए गैस रिसावों की तुलना की जा सके।

तथापि, संयंत्रों के संचालन में सुरक्षा पहलुओं पर राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कारखाना अधिनियम के अधीन ध्यान रखा जाता है।

गुजरात के शहरों का अहमदाबाद बंबई और दिल्ली के साथ सीधी डायल टेलीफोन सेवा के द्वारा सम्पर्क

2286. श्री नवीन रावणी :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कौन-कौन से शहर का सीधा डायल टेलीफोन सेवा के द्वारा अहमदाबाद (गांधीनगर) से संपर्क है तथा राज्य के कौन-कौन से शहर सीधी डायल टेलीफोन सेवा के द्वारा बम्बई और नई दिल्ली से सम्पर्क हैं ;

(ख) क्या सातवीं योजनावधी के दौरान कुछ और शहरों को भी इस प्रकार जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात के निम्नलिखित शहरों को अहमदाबाद-के साथ एस० टी० डी० के साथ जोड़ा गया है—गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, सूरत, जामनगर, नांदेड़, बुलसार, मेहसाणा और बड़ोदरा। बम्बई और नई दिल्ली के लिए भी इन स्थानों से एस० टी० डी० उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त सूरत और बम्बई के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० उपलब्ध है। सूरत और बड़ोदरा के लिए बम्बई टी० ए० एक्स के जरिए आवक काल उपलब्ध है।

(ख) जी हां।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान 23 अन्य नगरों में भी उत्तरोत्तर एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपयुक्त टाइप के स्वचल एक्सचेंज और विश्वसनीय लंबी दूरी की सर्किट उपलब्ध हों।

गुजरात में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलना

2287. श्री नवीन रावाणी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है ;

(ख) देश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों लगाने का क्या मानदंड है ; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने और कौन-कौन से टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफ़ोन एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात राज्य में 178 मैनुअल एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों में उत्तरोत्तर बदलने के मानदंड निम्न प्रकार है :—

(i) सभी जिला मुख्यालय।

(ii) 1000 एवं अधिक लाइनों के सभी मैनुअल एक्सचेंज।

(iii) बड़ी टेलीफोन प्रणालियों के सभी मैनुअल एक्सचेंज।

(iv) अन्य मैनुअल एक्सचेंज।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान ए स्वचल एक्सचेंजों में बदले जाने वाले मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या तथा नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, बशर्ते कि पर्याप्त मात्रा में स्टोर उपलब्ध हों।

विवरण

दूरसचार सर्किल का नाम	वर्ष 1985-86 के दौरान स्वचल एक्सचेंजों में बदले जाने वाले संभावित एक्सचेंजों के नाम
1	2
आन्ध्र	1. एल्लूरू
	2. तानुकु
	3. टूनि
	4. राबुलपालम
	5. कोठागोदाम
	6. रामचन्द्रपुरम
	7. आमूर
	8. कोबेली
बिहार	1. गया
	2. सिवान
	3. किशनगंज

1	2
गुजरात	1. पोरबन्दर
	2. जूनागढ़
	3. सुरेन्द्रनगर
	4. मेहम अहमदाबाद
	5. थानगढ़
	6. सावरकुण्डला
	7. आदीपुर
	8. जातुल
	9. दीरोल
	10. समबालिया
जम्मू व कश्मीर	1. लेह
कर्नाटक	1. डंडेली
	2. चन्नापटना
	3. बांगरपेट
	4. गंगावाई
	5. हावेरी
	6. अलहुक्का
	7. काम्पली
	8. श्री रंगपटनम
	9. कौसकोटी
	10. नाग्जानगुड
	11. सिरा
	12. रामनगरम
केरल	1. चंगनाचेरी
मध्य प्रदेश	1. नरसिंहपुर
	2. बहडोल
	3. पवार

1	2
महाराष्ट्र	1. उल्हासनगर
	2. धूलिया
	3. अहमदनगर (एम० आई० सी० सी०)
	4. बसेन
	5. रोहा
	6. मनमाड
	7. बिचोलिम
	8. परभनी
उत्तर पूर्व	1. तिनसुकिया
	2. जोरहाट
	3. नौगांव
	4. हाफ्लॉंग
	5. गोलपाड़ा
	6. हरजाई
	7. मरिआनी
	8. रंगिया
	9. नाहरकटिया
	10. पोखरक्षर
	11. बरपेटा रोड
	12. बोंसा
	13. इम्फाल
	14. लंग्ले
	15. विलियमनगर
	16. सुहौटो
	17. बोखा
	18. अगरतला
	19. कुमारघाट

1	2
उत्तर पश्चिम	1. पठानकोट
उड़ीसा	1. सम्बलपुर
	2. बालासौर
	3. जयपौर
राजस्थान	1. श्रीगंगानगर
	2. चित्तौड़गढ़
	3. सीकर
तमिलनाडु	1. तंजाबुर
	2. कुंभकोणम
	3. करूर
	4. शिवकाशी
	5. सोमनूर
	6. गोहिचेटीपालम
	7. पालाजम
उत्तर प्रदेश	1. गाजीपुर
	2. फतेहपुर
	3. सुलतानपुर
	4. रानीखेत
	5. पिथौरागढ़
	6. उरई
	7. ललितपुर
	8. पौड़ी
	9. बांदा
पश्चिम बंगाल	1. विष्णुपुर
	2. सैठिया
	3. डायमंड हार्बर
	4. बैरकपुर

सामाजिक संगठनों को रियायती दरों पर टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

2288. श्री आर० एम० भोये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक संगठनों को रियायती दरों पर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए एक नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) एक टेलीफोन कनेक्शन लेने पर आमतौर पर कितनी धनराशि, खर्च होती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

टेलीफोन कनेक्शन के लिए मांग ओ० वाई० टी० और गैर ओ० वाई० टी० श्रेणियों में निम्नलिखित जमा के साथ दर्ज की जा सकती है :

(क) ओ० वाई० टी०

10,000 लाइनें और उससे अधिक	1,000 लाइनें और उससे अधिक परन्तु 10,000 लाइनों से कम	1,000 लाइनों से कम
8,000 रु०	6,000 रु०	5,000 रु०

(ख) सामान्य और विशेष श्रेणी (गैर-ओ० वाई० टी०)

मीटरित एक्सचेंज		फ्लैट रेट एक्सचेंज			
10,000 लाइनें और उससे अधिक	10,000 लाइनों से कम	100 लाइनें और उससे अधिक	100 लाइनें और उससे कम	सीमित घंटों में सेवा प्रदान करने वाले 20 लाइनों	सीमित घंटों प्रदान में सेवा करने वाले 20 लाइनों

1		2		3	
				से अधिक के मैनुअल एक्सचेंज	या उससे कम लाइनों के मैनुअल एक्सचेंज
1,000 रु०	800 रु०	1,000 रु०	100 रु०	100 रु०	100 रु०

टेलीफोन लगाने के बाद, यह राशि टेलीफोन की स्थापना की तारीख तक अर्जित ब्याज के साथ दो महीने के अग्रिम किराए, संस्थापना शुल्क और गैर-ओ० वाई० टी० श्रेणी में प्रतिभूति जमा के बतौर एक वर्ष के अग्रिम किराए तथा ओ० वाई० टी० श्रेणी में दो महीने के अग्रिम किराए और स्थापना शुल्क के बतौर समायोजित की जाती है ।

बजट प्रस्तुत किए जाने के दिन पेट्रोल पम्पों का बन्द होना

[अनुवाद]

2289. **श्री आर एम० भोये :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष शाम को बजट घोषित होने से पहले दिन में ही अधिकांश पेट्रोल पम्प बन्द हो गये थे जिससे लोगों को भारी असुविधा हुई ; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष दोहराई जाने वाली इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का विचार है ताकि उपभोक्ताओं को मूल्यों में वृद्धि की सम्भावना के कारण किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

न्यायालयों में शिकायत समितियां गठित करना

2290. **श्री जी० जी० स्वेल :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायालयों में प्रत्येक स्तर पर शिकायत समितियां गठित करने का विचार है ;

(ख) क्या इसके लिए कोई स्कीम तैयार की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का दुरुपयोग किए जाने सम्बन्धी व्यापक शिकायतों से निपटने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) न्यायालयों में शिकायत समितियां उच्चतम न्यायालय के मामले में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा और उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा गठित की जानी हैं। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के विषय में न्यायप्रशासन के दुरुपयोग के मामले पर चर्चा, संविधान के अनुच्छेद 121 के अधीन मूल प्रस्ताव द्वारा ही होगी। जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालयों में निहित है।

डगसाई छावनी हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलना

2291. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में डगसाई छावनी में एक सैनिक स्कूल खोलने का है और यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ख) छावनी क्षेत्र के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर स्थापित किया जाता है क्योंकि समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का अधिक भाग राज्य सरकार को वहन करना होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार से डगसाई में सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान सरकार ने डगसाई छावनी बोर्ड को सहायक अनुदान के रूप में 8,97,750 रुपए की राशि मंजूर की थी। सरकार ने बोर्ड को विकास कार्यक्रमों और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए योजनाएं बनाने की भी सलाह दी है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

2292. श्रीमती उषा वर्मा : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव, तीन बार, केन्द्रीय सरकार के पास भेजा था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायापीठ स्थापित करने के लिए 15 अप्रैल, 1981 को गठित आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग की कालावधि 1985 से आगे बढ़ाई जानी है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 4 सितम्बर, 1981 को आयोग को स्थापित किया था और उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) जी, हां। आयोग की कालावधि 30, अप्रैल, 1985 तक बढ़ा दी गई है।

पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आयात

2293. श्री एडुआर्डो फलेरो : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक देश में इनका कितना उत्पादन होने की संभावना है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा का आयात किए जाने की संभावना है और किन-किन देशों से उनका आयात किया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता, उत्पादन तथा आयात का अनुमान इस प्रकार है :

(मात्रा मिलियन मेट्रिक टन)

	आवश्यकता	उत्पादन	आयात
कच्चा तेल	42.14	30.14	14.40
पेट्रोलियम उत्पाद	40.77	39.00	3.80

1985 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए ईराक, सोवियत संघ, ईरान, आबूधाबो, ओमान तथा नाइजीरिया के साथ अभी तक आवधिक करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

जारी किए गए आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस

2294. श्री एडुआर्डो फलेरो : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दौरान औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आशय-पत्र दिए गए और उस वर्ष के अन्त पर कितने बकाया थे ; और

(ख) वर्ष 1983 और 1983 के दौरान इसी प्रकार के वर्ष वार आंकड़े क्या हैं ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1984 के दौरान 1064 आशयपत्र जारी किए गए थे और उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1984 के अन्त में 1103 आवेदन सरकार के विचारार्थ लम्बित थे।

(ख) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान क्रमश: 1043 और 1055 आशय-पत्र जारी किए गए थे। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1982 और 1983 के अन्त में क्रमश: 765 और 757 आवेदन सरकार के विचारार्थ लम्बित थे।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

2295. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 1984 के दौरान कितनी बैठकें हुई ;

(ख) उक्त बैठकों में क्या संकल्प पारित किए गए ; और

(ग) उक्त संकल्पों के कार्यान्वियन का ब्यौरा क्या है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक (12 नवम्बर, 1984 को)

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बैठक में दिए गए निर्णय	निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई
1. जिन कार्यालयों में अभी तक राजभाषा कार्यान्वियन समिति का गठन नहीं हुआ है, उनमें अविलम्ब इनका गठन किया जाए ;	1. जिन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है उनके अध्यक्षों को इस समिति का अविलम्ब गठन कर लेने के निदेश दिए गए हैं।
2. मन्त्रालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ;	2. इस सम्बन्ध में जारी किए गए निदेशों के अनुसार वर्ष 1984 में मन्त्रालय के विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 13 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

1	2
	अन्य कई कार्यालयों ने भी निकट भविष्य में कार्यशालाओं का आयोजन करने की सूचना दी है।
3. सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित माल पर हिन्दी में भी विवरण दिया जाए। मारुति द्वारा निर्मित प्रत्येक कार का नाम हिन्दी भाषा में भी लिखा जाय।	3. निर्णयानुसार अनेक प्रतिष्ठानों जैसे खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई. नेपाल मिल्स नेपानगर हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन कलकत्ता हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली बर्न एण्ड कम्पनी कलकत्ता, जेसप एण्ड कम्पनी स्कूटर इण्डिया लखनऊ एच० एम० टी० बंगलौर भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी पटना आदि ने अपने कुछ उत्पादों पर हिन्दी में भी विवरण देना शुरू कर दिया है।
4. दक्षिण भारत में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए।	4. दक्षिण भारत स्थित हिन्दुस्तान फोटो फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड उटकमण्ड एवं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, बंगलौर का निरीक्षण किया गया।
5. कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिन्दी सलाहकार समिति के स्थानीय सदस्यों को आमंत्रित करना;	5. निर्णय के अनुसार दो कार्यालयों ने अपनी कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिन्दी सलाहकार समिति के एक-एक स्थानीय सदस्य को आमंत्रित करने के लिए नामित किया है। शेष कार्यालयों को भी इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्रवाई करने के आदेश दिए गये।
6. मंत्रालय में निदेशक पद का सृजन	6. मन्त्रालय में निदेशक के पद का सृजन करने के सम्बन्ध में निर्धारित कार्य की मात्रा के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी सहयोग

2296. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-प्राथामिकता वाले उद्योगों में विदेशी सहयोग की अनुमति न देने की अपनी पूर्व नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नई नीति का ब्योरा क्या है ;

(ग) नई नीति के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी की अनुमति नहीं दी जाएगी ; और

(घ) यदि नीति में कोई परिवर्तन है तो क्या यह देश में औद्योगिक विकास के स्वदेशी स्वरूप को खतरा उत्पन्न नहीं होगा ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) विदेशी सहयोग के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक है । निम्नलिखित कारकों के संदर्भ में न्यायोचित होना चाहिए, जैसे कि उद्योग की प्राथामिकता उसमें विहित प्रौद्योगिकी का स्वरूप, क्या इससे निर्यात संवर्द्ध में सहायता मिलेगी और इसे प्राप्त करने के लिए उसमें उपलब्ध वैकल्पिक शर्तें क्या हैं । इक्विटी भागीदारी की अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत है, यद्यपि अपवादों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

ऐसे उद्योगों की एक विस्तृत सूची संलग्न है । जिनके लिए वित्तीय अथवा तकनीकी, किसी भी प्रकार का विदेशी सहयोग आवश्यक नहीं समझा जाता ।

विवरण

उन उद्योगों की उदाहरण सूची, जिनमें कोई भी विदेशी सहयोग वित्तीय अथवा तकनीकी आवश्यक नहीं समझा गया है ।

1. धातुकर्मी उद्योग :

लौह धातुएं : आर्डिनरी कास्टिंग्स, ब्राइट बार स्ट्रक्चर्स वेल्डेड सी० आई० इस्पात की पाइप और ट्यूबें ।

आलौह : एंटीमनी, सोडियम धातु, इलैक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग (निकल मुक्त धातु), एल्युमिनियम लिथों प्लेटें ।

2. विद्युत उपस्कर :

बिजली के पंखे, सामान्य प्रकार के घरेलू उपस्कर, सामान्य प्रकार का वाइंडिंग तार और स्ट्रिप, आयरन क्लैड स्विचेज, ए० सी० मोटरें, केबल और वितरण ट्रान्सफार्मर ।

3. इलैक्ट्रानिक उपस्कर और उपकर :

सामान्य प्रयोजन के ट्रांजिस्टर और डायोड, पेपर, माइका और विभिन्न कैपेसिटर टी० वी० रिसीवर, टेप रिकार्डर टेलीप्रिंटर पी० ए० सिस्टम, रिकार्ड प्लेयर/चेन्जर।

4. वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरण :

अविशेसीकृत किस्म के वाल्व, मीटर, भार उठाने की मशीनें तथा मैथेमेटिकल सर्वेइंग तथा ड्राइंग उपकरण।

5. परिवहन :

रेलवे वैगन, बाइसिकिलें।

6. औद्योगिक मशीनें :

बिल्डिंग और कन्स्ट्रक्शनल मशीनें, तेल रिल मशीनें, चावल मिलों की परम्परागत मशीनें, चीनी-मशीनें चाय वर्ग्रिकरण मशीनें, सामान्य प्रयोजन की मशीनें।

7. मशीनी औजार :

गढ़े हुए हाथ के औजार, सामान्य प्रयोजन के मशीनी औजार।

8. कृषि मशीनें :

ट्रेक्टर द्वारा खींच जाने वाले औजार, शक्तिचालित हल (पॉवर टिलर) अनाज सुखाने की मशीन, कृषि औजार।

9. विविध यान्त्रिकी (मैकनिकल) इंजीनियरी उद्योग :

10. सामान्य प्रयोग के वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण।

11. चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण।

12. उर्वरक

सिंगल सुपर फासफेट, दानेदार उर्वरक।

13. रसायन (उर्वरकों के अलावा)

एसिटिक एसिड, एसिटानिरमाइड, इथाइल क्लोराइड, विसकोस फिलामेंट यार्न/स्टैप्ल फाइबर, मेलाथीन टेक्निकल, एल्फेट ऑफ अल्यूमिना, पोटेशियम क्लोराइड, फैटी एसिड और गिलैसरीन, बुटाइल टिटानेट, बारेफेरिन, सिलिका गैल सिडाने एन्डोसल्फैन, फ्नथोएट, नाईट्रोफिन रथाइल इथर, प्लास्टीपील।

14. रंगाई के पदार्थ

बेंजीडीन, ओ-वेतुडीन, कार्बोजोले डाओ-एक्साडीन वायलेट पिगमेंट, केडिमियम सल्फाइड ओरेंज।

15. औषधियां और भेषज

कैफीन (प्राकृतिक), फिनपइल बुमजोन, तेल बुटीमाइड, पैरा एनेटामिल, फोनासेटिन, सेन्ना एक्सट्रेक्ट डायासोजीन, क्लोफाइबेट 4-हाइड्रोक्सी कुमारिन, एक्सेनथोपोटोएक्सी केलशियम ग्लुकोनेट, कोलीन क्लोराइड, ग्लाइसेरील गुलाकोलेट, फिनामेल इथील, बीगुइन्तइड हाइड्री-क्लोराइड, स्कोपोलेम, हाइड्रो-ब्रोमाइड, नियासीनेमाइड, आँथो-लॅलील बीगुइनाइड' कोलचीसीइन डाइलेपाम, डेएक्सट्रोस मोनी-हाइड्रे से सरबिटोल, बरबेरीन हाइड्री क्लोराइड, बेलाडोन्ना, एक्रीफलावाईन, केल्शियम हाईयोफोसफाइट क्लेरोजेप-आक्साइड।

16. कागज तथा लुग्दी कागज उत्पादों सहित

17. उपभोक्ता वस्तुएं।

18. वनस्पति तेल एवं वस्पति।

19. रबर उद्योग।

विस्कोस टाइप यार्न, मेटलबान्डेउ रबर, लेटेक्स फोम, रबरीकृत वस्त्र बायसिकलों के टायर व ट्यूबें।

20. चमड़ा, चमड़े का सामान्य व पिकर्स :

बेल्टिंग-चमड़ा कॉटन और हेयर फिनीशड् चमड़ा पिकर्स, पिकिंग बंण्ड्स, बेजीटेबल टेनिंग एक्ट्रेक्ट, संश्लिष्ट से इतर फेट लिक्चर।

21. शीशा-चीनी मिट्टी

22. सीमेंट और जिप्सम उत्पाद

टिप्पणी :— सूची विस्तुत है पर पूरी नहीं है। मुख्य शीर्षों में दिए गए ब्यौरों का स्पष्टीकरण करने का दायित्व प्रशासनिक मन्त्रालयों का है।

केरल में पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए उद्योग

2297. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्योगों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन उद्योगों से कुल कितने लोगों को रोजगार मिला है ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1982 से 1984 के दौरान केरल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

करने के लिए 45 आशय पत्र और 35 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस अवधि में तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 1351 लोगों को रोजगार देने की क्षमता वाले 26 एककों का पंजीकरण भी किया गया।

वर्ष 1981-82 से 1983-84 की अवधि में 18,58। शिल्पकार परक और 4615 लघु औद्योगिक एकक की स्थापना की गई और इनमें 71.700 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

कारों का निर्माण

2298. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार निर्माताओं को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माताओं की क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गयी है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी का नाम	वृद्धि का प्रतिशत
(1) मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	66
(2) मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स	59
(3) मेसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड (सभी प्रकार के चौपाहिए)	85

मोटर वाहनों की कीमतों में वृद्धि

2299. प्रो० पी० जे० कुरियन : उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहन निर्माता मोटर वाहनों की कीमतों में वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) कुछ निर्माताओं ने अपने वाहनों की कीमतों में वृद्धि की है।

(ख) वाहनों की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी सरकार निर्माताओं पर बल दे रही है कि वे स्वैच्छिक कीमत अनुशासन का पालन करें।

अल्कोहल का टैपीओका से उत्पादन

2300. क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल की देश में ही आवश्यकता होने के बावजूद भी इसका निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) क्या अनुसंधान और विकास इकाइयों ने अल्कोहल के उत्पादन में टैपीओका आदि के प्रयोग में सफलता पाने का दावा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन निष्कर्षों के औद्योगिक उपयोग के ब्यौरे क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने टैपिओका से अल्कोहल उत्पादित करने की प्रक्रिया विकसित की है।

(ग) टैपिओका से औद्योगिक अल्कोहल को उत्पत्ति करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत एककों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

टैपिओका से औद्योगिक अलकोहल के उत्पादन के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत एककों की सूची।

एकक का नाम	स्थान	क्षमता	पंजीकरण की तारीख
1. मैसर्स फेरीना कैम० लि०	तुनी, ईस्ट गोदावरी आन्ध्र प्रदेश	3000 किलो	26-6-81
2. श्री के० आर० वरघीस	त्रिचूर (केरल)	6000 किलो	20-2-81
3. डा० (श्रीमती) राधा त्याग-राजन	कप्पलर (मद्रास)	6000 किलो	21-10-81
4. श्री एम० एम० वेंकटाचलम	रामनाथापुरम (तमिलनाडु)	6000 किलो	20-2-02
5. श्री एन० परसिम्हा रेड्डी	एशवरसपेद (जिला खानीमन) (ए०पी०)	3000 किलो	29-1-82
6. श्री पी० बी० श्रीराम	गाजजामण्डयान जिला चित्तूर (ए० पी०)	6000 किलो	16-4-82
7. मैसर्स केरल डिस्टिलरी (प्रा०) लि०	पालघाट (केरल)	6000 किलो	16-4-82
8. मैं० आन्जता इन्ड. (प्रा०) लि०	पेडापुरम ईस्ट गोदावरी (ए० पी०)	2000 किलो	15-5-82

1	2	3	4
9. श्री पी० के० एन० पानिकर	जिला एलेपी, केरल	6000 किलो	16-4-82
10. मैं० कसवा डिस्ट० एण्ड प्रो० (प्रा०) लि०	कुटीपुरम पोनानी (केरल)	6000 किलो	12-5-82
11. श्री एम० सुभा राव	यलामंचली विशाखापतनम (ए० पी०)	6000 किलो	9-12-62
12. मैं० पावर प्राडक्ट्स	सुमर्थंगी जिला नार्थ आर्कोट (टी० एन०)	6000 किलो	4-3-63
13. मैं० मरियम्मा इन्डस्ट्रीज	इदिनजालभ ए०पी०, केरल	6000 किलो	31-6-83
14. मैं० श्रीधरम एण्ड कं० लि०	कन्नौर (कर्नाटक)	3000 किलो	12-1-84
15. श्रीमती के० कृष्णाकुमारी	वन्द्राजाजवर्म, तेनुकु (ए० पी०)	600 किलो	5-2-84
16. श्री सी० एस० रेड्डी मैं० इयूरेका इथोनोल (प्रा०) लि०	घटीका हणू राबार (ए० पी०	3000 किलो	9-5-84
17. श्री नन्दा वीराजु	चमम जिला पांडिचेरी	3000 किलो	12-6-84
18. श्री एस० प्रसाद रेड्डी	बेन्द्रापुदी ईस्ट गोदावरी	3000 किलो	15-11-84

तेल क्षेत्र उपकरण

2301. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से आयात किए गए अपने तेल क्षेत्र उपकरणों तथा अन्य सेवाओं पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार संयुक्त क्षेत्र के उद्यमियों को इन उपकरणों का देश से निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देने का है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ड्रिलिंग पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा उपलब्धि क्या रही ;

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपस्करों तथा सामग्री की खरीद, विदेशी स्रोतों से सेवाओं को किराये पर लेने पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(करोड़/रुपये)
1981-82	680.00
1982-83	920.00
1983-84	982.00

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भारतीय उद्यमियों को जहां आवश्यक है, नामी विदेशी कम्पनियों के सहयोग से तेल क्षेत्र उपस्करों के निर्माण को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रयोजना के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ विवरणिका प्रकाशित की है, प्रदर्शनियों का आयोजन किया है तथा इच्छुक भारतीय पार्टियों के साथ बैठकों का आयोजन किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा व्यधन पर खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है :

	(रु०/करोड़)
1981-82	215.81
1982-83	408.21
1983-84	500.83

व्यधन पर खर्च की गई धनराशि और उसकी प्रति प्राप्ति के बारे में अर्थपूर्ण सामंजस्य बताना संभव नहीं है।

तेल तथा गैस का उत्पादन/आयात

2302. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा गैस का देश में उत्पादन कितना है और कितनी मात्रा में आयात किया जाता है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिदिन गैस की कितनी मात्रा उपयोग की गई और कितनी मात्रा जला दी गई ;

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1983-84

कच्चा तेल	उत्पादन	आयात
(मि. मी. टन)	26.02	10.45
प्राकृतिक (मि. घन मीटर)	5961	—

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस के औसतन दैनिक उत्पादन, उपयोग तथा इसे जलाए जाने के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े मि. घन मीटर)

	1981-82	1982-83	1983-84
उत्पादन	10.6	13.5	16.3
उपयोग	6.4	8.3	9.4
जलाई गई मात्रा	4.2	5.2	6.9

आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

2303. श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के पहले आठ महीनों के दौरान 673 आशय पत्र और 612 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लाइसेंस जारी करने के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) यदि हां तो क्या 1983 और 1984 में जारी किए गए लाइसेंसों और आशय पत्रों की संख्या 1981-82 में जारी किये गए लाइसेंसों और आशय पत्रों की संख्या अधिक है ;

(घ) क्या 1983 और 1984 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों को पूरी तरह उपयोग कर लिया गया था और उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए गए थे ; और

(ङ) चालू वर्ष के पहले तीन मास के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों के संबंध में स्थिति क्या है ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) हालांकि जनवरी-अगस्त, 1983 की अवधि में जारी किए गए आशय पत्रों की तुलना में वर्ष 1984 की इसी अवधि में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या 15 प्रतिशत अधिक थी किन्तु जनवरी-अगस्त 1983 की अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की तुलना में वर्ष 1984 की इसी अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या 128 प्रतिशत कम हो गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) आशय पत्र एक वर्ष की आरंभिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है और बाद में पर्याप्त रूप से तर्क संगत होने पर इसकी अवधि छह मास के लिए और बढ़ाई भी जा सकती है। उद्यमी द्वारा आशय पत्र की शर्तें पूरी कर लिए जाने के बाद इसे औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। 1983 और 1984 में जारी किए गए कुल 2119 आशय पत्रों में से 230 आशय पत्र तो पहले ही औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किये जा चुके हैं और 143 आसय पत्र अब, व्यपगत मान लिये गये हैं। शेष आशय पत्र क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थानों में होंगे।

(ङ) जनवरी-मार्च 1985 के दौरान 451 आशयपत्र जारी किए गए हैं।

श्रीराम कैमिकल्स वर्क्स और हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स को स्थानांतरित करना

2304. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित दो अत्यंत खतरनाक औद्योगिक एककों अर्थात श्रीराम कैमिकल वर्क्स और हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स में पर्याप्त सुरक्षा उपयोग का अभाव है !

(ख) क्या इन एककों को अपने वर्तमान स्थानों से दूसरे स्थानों पर जाने को कहा गया;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई प्रस्ताव किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली प्रशासन को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) यदि हां तो क्या उनके लिए किसी स्थान का चयन कर किया गया है ;

(च) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मैं० श्री राम कैमिकल वर्क्स के कारखाने में किए गए निरीक्षण से यह ज्ञात होता है कि कामगारों तथा कारखाने के आस पास की आबादी की सुरक्षा के लिए निवारक तथा नियंत्रक उपाय अपर्याप्त थे। जहां तक हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लि० (एच० आई० एल०) का संबंध है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्द्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के साथ कारखाने का दौरा किया। दौरे के पश्चात एच० आई० एल० को संयंत्र के संचालन की सुरक्षा निश्चित करने के लिए सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने की सलाह दी गई। तत्पश्चात, एच० आई० एल० ने कुछ उपचारी कदम उठाए हैं।

(ख) से (च) अब तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन श्री राम कैमिकल्स वर्क्स को पुनः अवस्थित करने की आवश्यकता पर विचार कर रहा है।

विदेश संचार सेवा भवन नई दिल्ली से गायब हुई धनराशि

2305. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली में विदेश सचार सेवा भवन की तिजोरी से 31 दिसम्बर, 1984 की सुबह 1,23,000 रुपये गायब पाये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मामले की पुलिस में तत्काल रिपोर्ट नहीं लिखाई थी ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या रहस्यमय ढंग से गायब हुई नकदी धनराशि संबंधी जांच पूरी हो गयी है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(च) क्या इस बीच उक्त नुकसान का दायित्व निर्धारित कर दिया है ; और

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जालसाजी के लिये उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी हां। दर असल 1, 25, 573.46 रुपये की रकम गायब थी।

(ख) कम हुई रकम का सही पता लगाने के तुरन्त बाद मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई।

(ग) से (ङ) जांच कार्य अभी चल रहा है।

(च) और (छ) उपयुक्त (ग), (घ) और (ङ) को ध्यान में रखते हुये सवाल पैदा नहीं होता।

तमिलनाडु के तंजोर जिले में कुम्बकोणम नगर के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं

2306. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के तंजोर जिले में कुम्बकोणम नगर में जो कि इस क्षेत्र के व्यापारिक केन्द्र के रुप में विकसित किया जा रहा है एस० टी० डी० सुविधाओं का विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) जी हां ।

(ख) कुम्बकोणम यो त्रिची ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज के साथ जोड़कर एस०टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

रेल डाक सेवाओं का पुनर्गठन

2307. **श्री ललित माकन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी 1985 तक कितने अनुभाग, छंटाई कार्यालय, सब—रिकार्ड कार्यालय तथा पद समाप्त किये गये हैं;

(ख) समाप्त किये गये अनुभागों के स्थान पर कितने नये डाक तथा छंटाई कार्यालय खोले गये हैं;

(ग) पुनर्गठन के कारण श्रेणी वार कितने कर्मचारी फालूत हो गये हैं तथा फालूत कर्मचारियों की सेवाओं का किस प्रकार प्रयोग करने का विचार है;

(घ) क्या रेल डाक सेवा के इस पुनर्गठन से डाक घरों में वितरण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप पारेषण में विलम्ब होता है;

(ङ) पांच वर्षों के अन्त में रेल डाक सेवाओं के आरक्षित प्रशिक्षित पूल के अप्रयुक्त रहने वाले उम्मीदवारों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है;

(च) क्या उनकी सेवाओं का विभाग के अन्य स्कंधों में उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) रेल डाक सेवा के पुनर्गठन के फलस्वरूप डाक विभाग को कुल [illegible] हुई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (एक) शामिल किए गए छंटाई अनुभागों की संख्या—

(दो) समाप्त किए गए छंटाई कार्यालयों की संख्या—

(तीन) समाप्त शामिल किए गए रिकार्ड कार्यालयों की संख्या—

(चार) समाप्त किए गए पदों की संख्या—

(*) फालतू पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

श्रेणी 'ग' पद	1556
श्रेणी 'घ' पद	272

तथापि, इन पदों को उस समय निश्चित रूप से समाप्त किया जाता है जब स्टाफ वर्तमान/भविष्य की रिक्तियों पर खपा लिए जाएंगे।

(ख) 14

(ग) श्रेणी-ग	1536
श्रेणी-घ	272

फालतू स्टाफ को वर्तमान / भविष्य की रिक्तियों पर खपाया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) इस मामले की जांच की जा रही है।

(*) इससे 214.78 लाख रुपये वार्षिक बचत होने की संभावना है।

अशोधित तेल का उत्पादन

2308. श्री सोमनाथ रथ : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1984-85 के लिए अशोधित तेल के उत्पादन का क्या लक्ष्य था ;

(ख) उक्त वर्ष में कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1985-86 के दौरान अशोधित तेल के उत्पादन [illegible] करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 29.63 मि० मी० टन

(ख) 28.99 मि० मी० टन के लगभग

(ग) जी हां।

(घ) उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) प्रगतिशील तेल वसूली तकनीकों का उपयोग ;

(2) वर्क ओवर कार्य संचालनों को तेज करना ;

(3) अपेक्षाकृत अल्पज्ञात भू-वैज्ञानिक क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य को तेज करना जिससे कि अन्ततः उत्पादन में वृद्धि हो ; तथा

(4) उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरंभ करना।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आस्ति सीमा बढ़ाने से लाभान्वित हुई सम्पत्तियां

2309. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के लिए आस्ति सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने के बारे में वर्ष 1985-86 के सामान्य बजट में घोषित महत्वपूर्ण निर्णय के परिणाम स्वरूप बड़े औद्योगिक गृहों की आस्ति सीमा बढ़ाए जाने तथा उनमें से कुछ औद्योगिक गृहों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त किए जाने का क्या तत्काल प्रभाव पड़ा ; और

(ख) इस निर्णय से कौन-कौन से बड़े औद्योगिक गृह लाभान्वित होंगे ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20 (क) के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए तक परिसम्पत्तियों की सीमा बढ़ाने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधन किए जाने के पश्चात् वर्ष 1983 की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत लगभग 491 उपक्रम, 112 के लगभग बड़े औद्योगिक घरानों/एकाकी बड़े उपक्रमों को लाभ पहुंचाते हुए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 (3) के अन्तर्गत पंजीकरण से छूट सकते हैं।

तथापि, धारा 26 (3) के अन्तर्गत इन उपक्रमों के पंजीकरण से हटने का उनकी नवीनतम परिसम्पत्तियों की स्थिति, और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 2 (छ) में परिभाषित अन्त: सम्बन्धितों के परीक्षण के पश्चात ही निर्णय किया जाएगा अत: बड़े औद्योगिक घरानों के नामों का, जो प्रस्तावित संशोधन से वास्तविक रूप से लाभान्वित होंगे, उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में "कोर्डलेस" टेलीफोन का प्रयोग

2310. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में समृद्ध लोग कई वर्षों से "टेलीफोन कोर्डलेस" का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस प्रकार की अनियमिततायें समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बहुत बड़ी संख्या में कार्डलेस टेलीफोनों का उपयोग किए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कार्डलेस टेलीफोनों के उपयोग से संबंधित दो मामले ध्यान में आए हैं।

(ग) कार्डलेस टेलीफोन काट दिए गए थे और उपभोक्ताओं को उनका उपयोग न करने की सलाह दी गई।

(घ) इस प्रकार के अनधिकृत उपकरणों का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं के अहाते का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले वाले इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2311. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं ;

(ख) नये इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है और यदि स्थानों का चयन कर लिया है तो वे किन-किन स्थानों पर लगाए जायेंगे ; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में अब तक स्थापित किए गए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की सं या चौदह है ।

(ख) महानगरीय एवं बड़े टेलीफोन जिलों जैसे क्षेत्रों में, जहां विकास दर काफी अधिक है, डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है । कुछ चुनिंदे अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क भी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्तावों पर अभी योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श चल रहा है और योजना आयोग द्वारा निधि आवंटन के बारे में लेने के बाद ही प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

"एसीटिलीन ब्लैक" का आयात

2312. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कारबाइड के लिए "एसीटिलीन ब्लैक" का आयात किया जा रहा है जबकि देश में बनाया गया "एसीटिलीन ब्लैक" बिन बिका पड़ा है ;

(ख) देश में "एसीटिलीन-ब्लैक" बनाने वाले एककों की संख्या कितनी है तथा उनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ग) उनके पास उक्त उत्पाद का कितना स्टाक पड़ा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) से (ग) 1984-85 की आयात नीति के अन्तर्गत, एसेटीलिन ब्लैक परिशिष्ट-4 अर्थात् स्वतः अनुमेय मदों की सूची में है । अपने नए ड्राई बैटरी संयंत्र के लिए मै० यूनियन कार्बाइड ऐसेटीलीन ब्लैक की कुछ मात्रा का आयात कर रहे हैं ।

इस समय देश मे तीन एकक ऐसेटीलिन ब्लैक के निर्माण में संलग्न हैं । इन कंपनियों से संबंधित अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

कंपनी का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	(अंक टनों में) 31-3-1985 को स्टाक
1. पनियाम सीमेंट्स एण्ड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज लि० आंध्र प्रदेश	1800	43

1	2	3
2. ट्रावनकोर इलैक्ट्रो कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, अलवाय	1000	13
3. यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लि० बम्बई	900	शून्य

विशेष प्रकार के कागज का आयात

2313. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री खोई पर आधारित कागज के उत्पादन के बारे में 19 मार्च, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात किए जा रहे विशेष किस्म के कागज का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस आयातित कागज का मूल्य क्या है ; और

(ग) भारत में कागज की इस किस्म का निर्माण न किए जाने के क्या कारण है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) आयात किए जा रहे विशेष किस्मों के कागज में करेंसी नोटों की छपाई के लिए अपेक्षित कागज, सिगरेट कागज, फिल्टर कागज, बेस काग, क्रेप कागज, इलेक्ट्रिकल ग्रेड कागज, गत्ता रिकार्ड (प्रलेख) कागज आदि शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (दिसम्बर 1982 तक) के दौरान आयातित विशेष किस्म के कागज का अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	मूल्य (अनुमानित (लाख 3 में)
1980-81	626·34
1981-82	680.81
1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक)	434·23

(ग) कुछ ने कागज कारखानों ने विशेष किस्म के कागज का उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

असावधानी पूर्वक वाहन चालक के लिए हैदराबाद में निलम्बित किए गए रक्षा वाहन चालक

2314. श्री जी० विजय रामा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों में रक्षा वाहनों का असावधानी पूर्वक चलाने के लिए सेवा के कितने चालक निलंबित किए गए हैं ; और

(ख) असावधानी पूर्वक चालन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम/समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुई दुर्घटनाओं में सेना के छः वाहन शामिल थे। किसी चालक को निलम्बित नहीं किया गया था क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। सेना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों की जांच की जाती है। इन मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गयी है।

(ख) सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना मुख्यालय ने व्यापक अनुदेश जारी किए हैं। इनको सख्ती से लागू किया जा रहा है।

सिकन्दराबाद में छावनी अस्पताल में सुधार की आवश्यकता

2315. श्री वी० विजय रामा राव : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद छावनी अस्पताल की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित रोगी डाक्टर अनुपात कितना है ; और

(ग) क्या उक्त छावनी की समस्त जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ग) सिविल आबादी को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता के छावनी बोर्ड सचेत है। जनता (1981 की जनगणना के अनुसार आबादी 90,117) की चिकित्सा की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छावनी बोर्ड ने 54 बिस्तरों वाले अस्पताल की व्यवस्था की है जहां इस समय चार योग्यता प्राप्त डाक्टर हैं। जिन मामलों में विशेष चिकित्सा की जरूरत होती है उन्हें राज्य सरकार के अस्पताल में भेज दिया जाता है।

चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के मार्ग में मुख्य कठिनाई धन का अभाव था। सरकार ने कई छावनियों के धन के साधनों में वृद्धि के लिए हाल ही में विशेष कदम उठाए हैं और सिकन्दराबाद छावनी को 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अतिरिक्त धन मिल जाने पर, छावनी बोर्ड अब अन्य बातों के साथ सिविल आबादी को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए योजनाएं बना सकेगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

छावनी बोर्डों के लिए चुनाव

2316. श्री बी० विजय रामा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ; और

(ख) देश के शेष छावनी बोर्डों के चुनाव कराने संबंधी स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) छावनी बोर्डों में चुनाव कराने का मामला सरकार के विचाराधीन किया जाना है। इस संशोधन के पूरा हो जाने पर, छावनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सरकार द्वारा चुनाव के लिए तारीखें ज्ञापित कर दी जाएगी।

केन्द्रीय राज सहायता योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए, गए जिले

2317. श्री बी० विजय रामा राव : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राज सहायता योजना के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं और सम्मिलित किए गए जिलों तथा अभी सम्मिलित नहीं किए गए जिलों के संबंध में राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या देश विशेषतः आन्ध्र प्रदेश में सम्मिलित न किए गए जिलों को सातवीं योजना में इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है :

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) देश के कुल 296 जिलों/क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चुना गया है जो केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने पात्र हैं। जिलों का राज्य-वार ब्यौरा "इन्सेन्टिव्स फॉर इन्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज" नामक पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना की सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

अजमेर में चीनी मिट्टी उद्योग

[हिन्दी]

2318. श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अजमेर जिले में नसीराबाद में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काफी मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अन्य स्थानों में स्थापित किए गए इस प्रकार के उद्योगों की तुलना में नसीराबाद में इस उद्योग को कुछ विशेष सुविधाएं देने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल चीनी मिट्टी, फेल्डसपार और क्वार्ट्ज है। जिला अजमेर के नसीराबाद में फेल्ड्सहार और क्वार्ट्ज बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु चीनी मिट्टी इतनी अधिक उपलब्ध नहीं होती और जो भी थोड़ी-मात्रा में उपलब्ध होती है वह अच्छी किस्म की नहीं होती।

(ख) से (घ) यह क्षेत्र छोटे बहुत छोटे ग्राम और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। 1978 को शुरू किए गए जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम में शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीकरण वित्त कच्चे माल आदि की पूंजी लगाने पर और पूंजी लगाने से पहले पूंजी लगाने पर और पूंजी लगाने के बाद तक उपयोगी सभी संभव सुविधाएं एक ही स्थान पर दी जाती हैं।

इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड की उर्वरक परियोजना में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

[अनुवाद]

2319. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड की उर्वरक परियोजना में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश की संभावना है ;

(ख) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश उन अनेक विकल्पों में से एक है, जिन पर इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड गैस पर आधारित अपनी प्रस्तावित वृहद उर्वरक परियोजना के वित्तपोषण के लिए विचार कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों द्वारा कितना पूंजी निवेश किए जाने का विचार है ; और

(घ) किन-किन देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) मै० इंडियन एक्सप्लोजिव्स लि० वर्तमान में गैस पर आधारित किसी उर्वरक परियोजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं। तथापि, उन्होंने गैस पर आधारित एक उर्वरक परि-

योजना के आवंटन हेतु आवेदन किया है। मामले में कोई अन्तिम निर्णय के लिए जाने के पश्चात आई० ई० एल० द्वारा गैर-आवासी भारतीय सहभागिता, यदि कोई है, से संबंधित ब्यौरे नि:संन्देह भेजे जाएंगे।

कोटा (राजस्थान) में डीजल की कमी

[हिन्दी]

2320. श्री शांति धारीवाल : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोटा, राजस्थान में डीजल की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों के लिए जो कृषि वाले क्षेत्र हैं, डीजल का और अधिक कोटा देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) कोटा (राजस्थान) से डीजल की कमी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। डीजल की सेल के आधार पर मिलता है और इस उत्पाद का राज्यों का कोई औपचारिक आबंटन नहीं किया जाता। डीजल की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों को अनुदेश दिए गए हैं।

कोटा रेलवे स्टेशन पर पेट्रोल पम्प खोलना

2321. श्री शांति धारीवाल : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा रेलवे स्टेशन पर एक पेट्रोल पम्प खोलने के लिए उस क्षेत्र के लोगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाई की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का वहां पर कब तक पेट्रोल पम्प खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) समय-समय पर किए गए सम्भाव्यता अध्ययनों के आधार पर और मात्रा-दूरी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए कोटा रेलवे स्टेशन पर खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र पेट्रोल डीजल पम्प) की स्थापना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

राजस्थान में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों का प्रसार

2322. श्री विष्णु मोदी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का प्रसार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पर नयी गैस एजेंसियां आबंटित करने का विचार है ;

(ग) इनमें से कितने स्थान शहरी क्षेत्रों में हैं और कितने ग्रामीण क्षेत्रों में ;

(घ) उक्त एजेंसियों के आबंटन से राजस्थान को कितनी जनसंख्या का लाभ मिलेगा ; और

(ङ) उन तेल कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके अंतर्गत उक्त गैस एजेंसियां आबंटित करने का विचार है और इन्हें कब तक आबंटित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एल० पी० जी० को एजेंसियां देने के लिए तेल उद्योग को विपणन योजनाओं में शामिल स्थान चयन/चालू किए जाने के भिन्न-भिन्न चरणों में है। वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) एल० पी० जी० की एजेंसियों के खोलने के लिए स्थानों को बिक्री संभावनाओं और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निश्चित किया जाता है और यह नहीं कि उन्हें शहरी और ग्रामीण स्थानों के वर्गीकरण के आधार पर अधिमान्यता दी जाती है।

(घ) इस दृष्टिकोण से कि लगभग 5,000 परिवार एलपीजी की एजेन्सी को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाते हैं इस प्रकार 33 स्थानों (51 एजेन्सियों के लिए) की एलपीजी की एजेन्सियां जो कि विवरण में दिखाई गई हैं से लाभ उठाने वाले परिवारों की संख्या 2,50,000 से कम नहीं होनी चाहिए।

(ङ) तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन कार्य पूरा किए जाने पर इंडियन आयल कार्पोरेशन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा संबंधित एजेन्सियों का आबंटन किया जाएगा।

विवरण

1. बाड़मेर
2. आबू रोड़
3. हनुमान गढ़
4. कोटा (3 स्थान)
5. हिंदौन
6. अजमेर (6 स्थान)
7. लाडू
8. गंगापुर
9. रत्नागढ़
10. नवलगढ़
11. करौली
12. जयपुर (9 स्थान)
13. लक्षमनगढ़
14. राजगढ
15. डूंगरगढ
16. जोधपुर (4 स्थान)
17. बालोत्रा
18. सरदार शहर
19. दौसा
20. अलवर
21. सूरतगढ़
22. भीलवाड़ा
23. निम्बहेरा
24. टोंग
25. बेवार
26. चोमू

27. झलरपत्तन

28. उदयपुर

29. भरत पुर

30. सवाई माधोपुर

31. रामगढ

32. नोखा तथा

33. चिवाड़ा

51 डिस्ट्रीब्यूटरशिप

मेसर्स आई० जी० पी० इंजीनियर्स प्रा० लि० मद्रास का अभ्यावेदन

[अनुवाद]

2323. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मैसर्स आई० जी० पी० इन्जीनियर्स, प्रा० लि०, मद्रास से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि औद्योगिक गैस केट बनाने के लिए एकाधिकारी बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोडो लिमिटेड, बम्बई को कोई औद्योगिक लाइसेंस न दिया क्योंकि यह नई कम्पनी लघु औद्योगिक एककों के वैध अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी; और

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। सरकार को मेसर्स हिन्दुस्तान फेरोडो को औद्योगिक गास्किट आदि का निर्माण करने के औद्योगिक लाइसेंस न देने हेतु मैसर्स आई० जी० पी० इन्जीनियर्स मद्रास से दिनांक 6 अगस्त 1984 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक टेलीफोन सुविधाएं

2324. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर रही हैं ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में नलगोंडा जिला इस प्रयोजन के लिए चुने गए जिलों में से एक है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां 1985-86 के दौरान कितनी नई लाइनें बिछाये जाने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। ग्रामीण एवं अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंज एवं लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में नीति संलग्न विवरण एक से तीन में दी गई है।

(ख) नालगोंडा में टेलीफोन सुविधाएं संलग्न विवरण एक से तीन में दी गई नीतियों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(ग) नलगोंडा जिले में 425 लाइनों वाले एस० ए० एक्स की योजना बनाई गई है बशर्ते कि टेलीफोनों के लिए न्यूनतम मांग दर्ज हो जैसा कि संलग्न विवरण एक में बताया गया है तथा आवश्यक स्टोर उपलब्ध हो सके। ये चारों स्टेशन कोडाड से जुड़े हैं। चिरुकुपल्ली एवं इपुरु सूर्यपेट से तथा कोटापल्ली देवारकोंडा से जुड़े हैं।

विवरण I

ग्रामीण पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के सम्बन्ध में नीति

डाक-तार विभाग के सामान्य नियमों के अंतर्गत, टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने हेतु परियोजनाएं केवल परियोजना के वित्तीय मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित करने के पश्चात ही स्वीकार की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय अनुमानित वार्षिक राजस्व से अधिक न हो। हालांकि उपस्कर, भण्डार और श्रम की बढ़ती हुई लागत के कारण यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्चेंजों हेतु अत्यधिक संख्या में योजनाएं केवल प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं अपितु पूर्णतया सज्जित क्षमता के पश्चात भी अलाभकारी सिद्ध हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 100 लाइनों तक की क्षमता टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उदारीकृत नीति 1-4-1980 से अपनाई गई है।

1. प्रत्येक पृथक-पृथक परियोजना पर यह दबाव डाले बिना कि वह लाभप्रद हो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइनों की क्षमता तक के छोटे स्वचल एक्सचेंज खोले जा सकते हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे एक्सचेंजों को खोलने और उनका विस्तार निजी तथा सार्वजनिक (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु मांग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

2. 10 लाइनों का एक एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम अथवा ग्राम समूह में कनेक्शनों हेतु कम से कम 5 (पांच) टेलीफोनों की मांग हो परन्तु अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35 प्रतिशत होना चाहिए। (फिलहाल इस समय यह लागू नहीं है क्योंकि 10 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेंज को अभी विकसित किया जा रहा है इसको कृपया नीचे पैरा (5) के संदर्भ में भी देखा जाए।)

3. 10 लाइनों के एक्सचेंज को बदला जा सकता है अथवा 25 लाइनों का एक नया एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है यदि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम में अथवा ग्राम समूह में ऐसे 10 कनेक्शनों हेतु मांग हो बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक राजस्व व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत हो।

4. 25 लाइनों के एक्सचेंज 50 लाइनों के एक्सचेंज में बदला जा सकता है जब मांग 23 तक पहुंच जाए और 50 लाइनों के एक्सचेंज का 100 लाइनों तक विस्तार किया जा सकता है जब मांग 46 तक पहुंच जाए बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमश: 60 और 70 प्रतिशत हो।

5. सामान्य रूप में, नए स्टेशन में छोटे स्वचल एक्सचेंज की प्रारंभिक क्षमता 10 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर भी, इस तथ्य को मद्दे नजर रखते हुए कि 10 लाइनों के इलेक्ट्रोनिक एस० एक्स० का विकास कार्य अभी चल रहा है तथा इस तारीख तक उपलब्ध सबसे छोटा एक्सचेंज 25 लाइनों की नाममात्र की क्षमता केग है। 25 लाइनों के एक्सचेंज को तब तक खोलने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि 10 लाइनों का एक्सचेंज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, बशर्ते कि कम से कम 10 नियमित निजी और सार्वजनिक कनेक्शनों (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) की मांग हो।

उपरोक्त उदारीकृत नीति स्वचल एक्सचेंजों को खोलने विस्तार करने के लिए लागू है।

2. छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने के लिए कम से कम 5 आपरेटरों को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि सप्ताह भर दिन रात सेवा प्रदान करेंगे। क्योंकि ऐसे छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने में काफी घाटा होता है अत: सामान्यत: 100 लाइनों से कम के हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने पर विचार नहीं किया जाता।

3. इस समय दूरसंचार सर्किलों के अध्यक्ष 25 लाइनों के उन छोटे स्वचल एक्सचेन्जों को खोलने की योजनाओं को मन्जूरी दे रहे हैं जहां कम से कम 10 प्रत्याशित उपभोक्ताओं ने 100/रु० की निर्धारित अग्रिम जमा के साथ अपनी मांग पंजीकृत करा ली हो। इस उद्देश्य हेतु प्रत्याशित उपभोक्ता क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी फोन्स/तार से संपर्क करें।

4. ऐसे एक्सचेन्जों को खोलने में किराए पर उचित भवन और एक्सचेन्ज उपस्कर पावर संयंत्र बैटरी केबल, लाइन सामग्री आदि को प्राप्त करना सम्मिलित है। अत: एक बार योजना को मंजूरी दे देने के पश्चात एक्सचेंज को चालू करने में लगभग 24 महीने लग जाते हैं।

विवरण II

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर संयुक्त डाक तार घर खोलने से सम्बन्धित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि के दौरान घाटे पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त

डाक तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस सम्बन्ध में किए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं, वे इस प्रकार है :—

1. अनुबन्ध—एक में बताई गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही, परन्तु इसके साथ ही देश की आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य को चालू वर्ष में आरंभ करके 1990 तक उत्तरोतर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लम्बी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व शर्त को हटा दिया जाएगा।

2. इस क्षेत्र में सेवा विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली को प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इस प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरण (पावर इंडक्शन) के खुली कारण तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित है और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती हैं लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएंगे।

3. गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां आवश्यक होगा नियुक्त किए जाएंगे। गैर विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंटों का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबन्धक दूरसंचार द्वारा किया जाएगा।

4. गैर विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल होगा लेकिन प्रतिमाह 250-/रु० (दो सौ पचास रुपये) से अधिक नहीं होगा और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे। विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक की, एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का मुख्य स्रोत नहीं होगा। डाक-तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्राम समूहों के षडभुज आकर के क्षेत्रों (5 कि० मी० के सामान भुजा वाले षडभुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए। हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जाएंगे जो निर्जन हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि। प्रत्येक ग्राम समूह में केन्द्रस्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जा सके। इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के

उद्देश्य से लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए ग्राम समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन. सी. ए. ई. आर.) को सौंपा गया है, जिसकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

उक्त अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम समूहों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए स्थान निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरे बार नक्शे प्राप्त हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली तार प्रणाली और मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे।

हालांकि मल्टी एक्सेस रेडियो प्रणाली के अंतर्गत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर नादि का आबंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे।

विवरण III

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति स्थानों की श्रेणियां :

1. जिला मुख्यालय
2. उप मंडलीय मुख्यालय
3. तहसील मुख्यालय
4. उप तहसील मुख्यालय
5. ब्लाक मुख्यालय
6. ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हों।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इन्चार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
8. आम रास्ते से दूर के स्थान	
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि०मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रति- होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000/-रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000/-रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।
9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परिवार परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र	
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000%-रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000/-रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
10. सभी अन्य स्थान	
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी : (1) (क) जन संख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केंद्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अंतर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। छूट की इस शर्त के अंतर्गत एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :—

(1) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय।

(2) जिन स्थानों पर एल० ए० एम० पी० एस० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं ; और

(3) ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि० मी० के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तार घर नहीं खोला जाना चाहिए।

हैदराबाद के सफर नगर टेलीफोन एक्सचेंज में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन

2325. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के सफर नगर टेलीफोन एक्सचेंज में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण लगाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज की क्षमता क्या है तथा वहां इस समय कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ;

(ग) क्या वहां अनेक वर्षों से अनेक आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो लम्बित आवेदनों के सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) सरूरनगर टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता 600 लाइनों की है और 28-2-1985 को 561 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे थे ।

(ग) लंबित आवेदकों की संख्या निम्न प्रकार है ।

(एक) जून 1978 से सामान्य श्रेणी में 799

(दो) नवंबर 1980 से विशेष श्रेणी में 129

(तीन) अक्तूबर 1980 से ओ० वाई० टी० श्रेणी में 85 ।

(घ) और (ङ) वर्तमान एक्सचेंज के स्थान पर 1986-87 में सरूरनगर में 2000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है और 1986-87 में प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे ।

भारतीय तेल निगम बम्बई नई दिल्ली द्वारा अधिकारियों की वर्दी के लिए वस्त्रों की खरीद

2236. **श्री वी० श्री निवास प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम, बम्बई नई दिल्ली द्वारा अधिकारियों की वर्दी के लिए कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा गया ;

(ख) उक्त कपड़ा सरकारी क्षेत्र से खरीदा गया अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र से ;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम उक्त कपड़ा सरकारी क्षेत्र के एककों से खरीदने में अनिच्छुक रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सामान खरीदने के मामले में लोक उद्यम ब्यूरो के निर्देशानुसार क्षेत्र के एककों की प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने अधिकारियों को वर्दी के कपड़े अभी तक नहीं दिए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सरकारी क्षेत्र को यूनिटों से प्राप्त मूल्य प्राथमिकताओं से संबंधित प्रस्तावों पर सरकारी उद्यमों को ब्यूरो के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण

2327. **श्री हन्नाह् मोल्लाह्** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण लागू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अधिकतम औषधों के मूल्य, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किए गए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन पहले से ही नियंत्रित है ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देना

[हिन्दी]

2328. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए नामजद किए जाने वाले सदस्यों में एक कर्मचारी को भी सम्मिलित करने का विचार है ताकि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी आयोग की कार्यवाही में समान रूप से योगदान कर सके ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में "स्टील एण्ड अलाईड प्रोडक्टस लिमिटेड" को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

2329. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल में स्टील एण्ड अलाइड प्रोडक्टस लिमिटेड को कुछ राहत और रियायत तथा अगले 3-4 वर्षों में 5 करोड़ रुपये के पुनः लागत पूंजी देकर उसे पुनर्जीवित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल): (क) तथा (ख) मै० स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्टस के पुनरुज्जीवन की संभावनाओं तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों पर वित्तीय संस्थानों द्वारा विचार किया गया है। यह निष्कर्ष निकला कि एकक ने अपनी जीव्यता खो दी है तथा इसके पुनरुज्जीवित होने का संभावनाएं नहीं है।

डाक छंटाई कर्मचारी

2330. प्रो० **नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक छंटाई अनुभाग प्राप्त करने के परिणामस्वरूप "स्टेशनरों सटिंग" कार्यालयों में अनेक सार्टरों को खपा लिया गया है जिसके कारण नई दिल्ली पोस्टल सर्किल सहित अनेक दैनिक अस्थायी सार्टिंग असिस्टेंट फालतू हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सर्किल में ऐसे सार्टिंग असिस्टेंट की संख्या कितनी है जिन्हें वित्तीय वर्ष 1984-95 के उत्तरार्द्ध के दौरान कोई ड्यूटी नहीं दी गई है ;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक प्रशिक्षण के बाद एकबार भर्ती किए गए किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं निकाला गया है कि कुछ छंटाई अनुभाग समाप्त कर दिए गए हैं ; और

(घ) सर्किल-वार कितने छंटाई अनुभाग समाप्त किए गए हैं और 31 मार्च, 1985 तक कितने सार्टरों को वैकल्पिक ड्यूटी (एक) दी गई है (दो) नहीं दी गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रनिंग सेक्शनों में छंटाई कार्य समाप्त करने के कारण जो स्टाफ फालतू हो गया था उसे स्थाई छंटाई कार्यालयों में लगा दिया गया है। दिल्ली या किसी भी अन्य स्थान पर इस व्यवस्था के कारण स्थाई या अस्थाई नियमित स्टाफ की कोई छंटनी नहीं हुई है। फिर भी, फालतू स्टाफ को स्थाई छंटाई कार्यालयों में लगाने के कारण आरक्षित स्टाफ जिनकी सेवाएं घंटों के आधार पर वेतन का भुगतान करके ली जाती थीं तथा जिन्हें नियमित पदों पर खपाए जाने की संभावनाएं थीं। उन्हें अब निकट भविष्य में नियमित रिक्तियों के विरुद्ध नहीं खपाया जा सकेगा।

(ख) जो आरक्षित स्टाफ नियमित पदों पर खपाए जाने की प्रतीक्षा दी जाएगी।

(ग) चूंकि आरक्षित प्रशिक्षित स्टाफ की भर्ती मौजूदा रिक्त पदों के लिए नहीं की गई

है बल्कि भविष्य में होने वाले रिक्त पदों के लिए की गई है अतः स्थाई छंटाई कार्यालयों में नियुक्त नियमित फालतू स्टाफ के खपाए जाने तक इन्हें प्रतीक्षा करनी होगी।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सर्किल का नाम	अंतरित किए गए बैक्शनों की संख्या	समाप्त मिलाए गए
आन्ध्र	22	7
बिहार	29	1
गुजरात	23	—
केरल	7	—
कर्नाटक	9	—
मध्य प्रदेश	20	2
महाराष्ट्र	17	—
उत्तर पूर्वी	3	4
उत्तर पश्चिमी	22	1
उड़ीसा	8	2
राजस्थान	15	—
तमिलनाडु	16	6
उत्तर प्रदेश	27	1
पश्चिम बंगाल	13	—
	योग : 231 +	24 = 255

(1) वैकल्पिक कार्य सौंपे गए छंटाई सहायकों की संख्या = 1556

(3) छंटाई सहायकों की संख्या जिन्हें वैकल्पिक कार्य नहीं सौंपा गया है। = शून्य

भोपाल में गैस के विषैले प्रभाव के संबंध में टाटा समाज विज्ञान संस्थान आदि द्वारा दी गई जांच

2331. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा समाज विज्ञान संस्थान तथा एशिया स्थित सोसायटी फार पारिसीपेटरी रिसर्च द्वारा भोपाल में गैस के विषैले प्रभाव का मौके पर अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निष्कर्षों को वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए प्रकाशित किया जायेगा ; और

(ग) क्या उपरोक्त घटना से पीड़ित बहुत से लोग अब शारीरिक रूप से काम करने की स्थिति में नहीं हैं जो कि पहले उनकी आय का मुख्य साधन था ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा अध्ययन टाटा इन्सटीट्यूट आफ सोशल साइंसेस, बम्बई के माध्यम से किया गया है, जिसमें इन्दौर स्कूल आफ सोशल वर्क* वाराणसी, फेकल्टी आफ सोशल वर्क, एम० एस० यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, तिरपुड़े स्कूल आफ सोशल वर्क, नागपुर, मतरु,** कार्वे इन्सटीट्यूट आफ सोशल सर्विसेस (पुणे) तथा निर्मला निकेतन कालेज आफ सोशल वर्क बम्बई यूनिवर्सिटी ने भी भाग लिया। सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित आंकड़ों के सम्पूर्ण निष्कर्ष और विश्लेषण अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

औषधियों के खुदरा मूल्य

[हिन्दी]

2332. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम आदमी के लाभ के लिए कुछ औषधियों के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) व (ख) मूल्य नियंत्रित दवाइयों के खुदरा मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1976 के उपबन्धों के अधीन विनियमित किए जाते हैं। मूल्य निर्धारण पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है तथा उक्त आदेश की घोषणा के पश्चात बहुत बड़ी संख्या में फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित/पुनरीक्षित किए गए हैं।

---

*काशी विद्यापीठ स्कूल आफ सोशल वर्क,

**सेवा संघ इन्सटीट्यूट, आफ सोशल वर्क, नागपुर,

"सोडा ऐश" का आयात

[अनुवाद]

2333. श्री सी० डी० देसाई : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से एक लाख टन "सोडा ऐश" का तुरन्त आयात करने और देश में इसका उपयोग करने वाले छोटे यूनिटों में बांटने को कहा गया है ;

(ख) क्या घरेलू सोडा ऐश बाजार को उत्पादन के लगभग 8 लाख टन पर रुक जाने और मांग के 9 लाख टन प्रति वर्ष तक बढ़ जाने के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सोडा ऐश का आयात करने पर सहमत हो गई है ; और

(घ) अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं। तथापि, देश में सोडा ऐश की कमी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (घ) 1984-85 के आरम्भ में लगाए गए अनुमानों के अनुसार, यह आशा थी कि सोडा ऐश का स्वदेशी उत्पादन अधिकांश तौर पर मांग को पूरा करेगा। तथापि एक ओर जबकि सोडा ऐश की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है, दूसरी ओर प्रत्याशित उत्पादन में कुछ कमी भी हुई है। अब यह अनुमान लगाया गया है कि 1984-85 के दौरान सोडा ऐश की मांग 9.0 लाख टन होगी, जबकि पहले 8.50 लाख टन का अनुमान लगाया गया था तथा इस अवधि के दौरान संभावित उत्पादन 8.62 लाख टन होगा, जबकि पहले 9.04 लाख टन का अनुमान लगाया गया था। तथापि, 1984-85 में अनुमानित उत्पादन फिर भी 1983-84 के उत्पादन की तुलना में 10.37 प्रतिशत अधिक होगा।

वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत, वास्तविक उपभोक्ताओं को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन सोडा ऐश के आयात की अनुमति दी जाती है हाल ही में सरकार ने सोडा ऐश के आयात पर काफी शुल्क घटा दिया है ताकि वास्तविक उपभोक्ता उसका उचित मूल्य पर आयात कर सकें।

मेडिकल कोर, में चिकित्सकों की कमी

2334. श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
सुरेश कुरूप :
श्री श्री कमलनाथ :
श्री नारायण चौबे : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नल और ले कर्नल के रैंक के वरिष्ठ डाक्टर आर्मी मेडिकल कोर से समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और कि सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे देश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं को सैनिक सेवा की ओर आकर्षित पाने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों (वर्ष-वार) के दौरान कर्नल और ले० कर्नल के रैंक के कितने चिकित्सकों में सेवानिवृत्ति ली ;

(ग) इसके कारण क्या हैं ;

(घ) इसके परिणामस्वरूप मेडिकल कोर में डाक्टरों की कमी का प्रतिशत क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। वरिष्ठ डाक्टरों द्वारा सेना चिकित्सा कोर छोड़ना कोई असामान्य बात नहीं है सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे सेना चिकित्सा कोर में पदों को भरने में अमूल्य योगदान दे रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जिन अफसरों ने समयपूर्व सेवा छोड़ी उनके संबंध में वर्षानुसार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	कर्नल और समकक्ष	लेफ्टिनेंट कर्नल और समकक्ष
1982	4	15
1983	5	15
1984	2	21

(ग) वर्तमान आदेशों की शर्तों के अनुसार अफसरों को निम्न कारणों से समयपूर्व सेवा छोड़ने की अनुमति दी जाती है :

(1) सेवा में अतिक्रमण ;

(2) अफसर की स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी ;

(3) पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अत्यधिक अनुकम्पा के आधार, आदि।

(घ) अफसरों द्वारा समयपूर्व सेना चिकित्सा कोर छोड़ने के कारण होने वाली कमी की प्रतिशतता नगण्य है और इसका सेवा चिकित्सा कोर की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस पाईप लाइन परियोजना के तीन हिस्सों का कार्य करने की इटालियन-जापानी कन्सोर्टियम की पेसकश

2335. **श्री जयपाल रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "टर्न-की" आधार पर सत्रह सौ किलोमीटर लम्बी गैस पाइप लाइन करने की (सेम्प्रोगट) के बेतस्व में इटालियन व जापानी कन्सोर्टियम की पेसकश पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना सरकार के इस काम को गैस आथारिती आफ इंडिया और इंजीनियर्स इंडिया को सौंपने के पहले के निर्णय के विरुद्ध नहीं होगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए मांगी गई निविदा के प्रति प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रबाई की जा रही है तथा इन पर विचार किया जा रहा है। इस अवस्था में, लोकहित में, इसके ब्योरे बनाना उचित नहीं है।

आल इण्डिया ग्रेफाइट क्रूसिबल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन

2336. **श्री श्रीहरि राव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली एक बड़ी औद्योगिक कम्पनी के प्रस्तावित प्रवेश से स्वदेशी छोटे उद्योग को होने वाले खतरे के संबंध में आल इण्डिया ग्रेफाइट क्रुसिबल मैनुफैक्चरर्स ऐसोसिऐशन, राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश) की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उनकी शिकायत दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी नीतियों के अनुसार देश में विकसित प्रौद्योगिकी संबंधी तकनीकी जानकारी एवं विदेशी सहयोग वाले विद्यमान स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाना चाहिए और यदि हां, तो इस सुव्यवस्थित उद्योग में एक विदेशी फर्म को अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मैसर्स ग्रीव्स कॉटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड नामक एम० आर० टी० पी० कम्पनी द्वारा मैसर्स मार्गन क्रुसीबल्स ऑफ यू० के० के सहयोग से बने और सिलिकॉन कार्बाइड क्रूसीबल्स के

उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश किए जाने के विरोध में ऑल इंडिया ग्रेफाइट क्रूसीबल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजमुन्द्री में एक अभ्यावेदन दिया है। इस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ग) विदेशी प्रौद्योगिकी को उन्हीं क्षेत्रों में अपनाया जाता है जिनमें विद्यमान प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाए जाने की आवश्यकता हो। जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

रेल डाक सेवा का पुनर्गठन

2337. श्री आर० अन्नानम्बली : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह जानकारी है कि पुनर्गठन के नाम पर चलती रेल गाड़ियों में छंटाई अनुभागों को समाप्त करने से दूर-दराज के गांवों में डाक वितरण में विलंब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आज तक समाप्त किए गए सभी छंटाई-अनुभागों को पुन : शुरू करने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाक की छंटाई एवं प्रेषण के लिए व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था करने के कारण अब केवल कुछ एक मामलों को छोड़कर, कोई विलंब नहीं होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दानापुर छावनी बोर्ड में मकानों के अवैध निर्माण के विरुद्ध मामले

[हिन्दी]

2338. श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1984 तक कितने लोगों ने दानापुर छावनी बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध जनरल-आफीसर कमांडिंग-इन चीफ, सेंट्रल कमान, लखनऊ को अपील की तथा उनमें कितने मामलों में निर्णय दानापुर छावनी बोर्ड के पक्ष में रहा ; और

(ख) अवैध रूप में निर्मित कितनी दुकानों को अब तक गिराया गया है और इस संबंध में कितने मकान मालिकों पर मुकदमा चलाया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : वर्ष 1980-84 के बीच जनरल-अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेन्ट्रल कमान के समक्ष बीस अपीलें दायर की गई। इनमें से दो मामलों में निर्णय छावनी बोर्डों के पक्ष में गया है।

(ख) अवैध रूप से बनाए गए किसी मकान को नहीं गिराया गया है। लेकिन छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 184 के अन्तर्गत 79 मामलों में, मकान मालिकों के खिलाफ मुक़दमे चलाए गए हैं।

सेंचूरियन टैंकों की बिक्री

[अनुवाद]

2339. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायण चौबे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड की एक पत्रिका "इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यु" के जनवरी, 1985 के अंक में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 1150 सेंचूरियन टैंकों की बिक्री के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त टैंकों की सर्वाधिक बोली लगाने वाले को कबाड़ के रूप में अथवा लड़ाकू टैंकों के रूप में बेचने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का संभावित खरीद की वांछनीयता अथवा अवांछनीय से कोई सरोकार नहीं है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) पुराने 173 सेंचूरियन टैंकों और 15 सेंचूरियन आर्मर्ड रिकवरी वाहन तथा उनके पुर्जों और गोली बारूद निपटान के लिए "इंटर नेशनल डिफेंस रिव्यु" के दिसम्बर, 1984 के अंक में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गाया है। इन वाहनों को "जैसे हैं" स्थिति में बिक्री के लिए रखा गया है। निविदा की शर्तों में इस बात की सावधानी बरतने के पर्याप्त उपाय किए गए हैं कि ये वाहन किसी अवांछनीय पार्टी के हाथ न लग जाएं। इन टैंकों के लिए अभी तक कोई सार्थक पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

उपभोक्ता हितों की रक्षा संबंधी विधि आयोग की रिपोर्ट

2340. श्री के० प्रधानी :
श्री सनत कुमार मंडल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने उपभोक्ता हितों की रक्षा संबंधी कोई रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दोष-रहित प्रणाली तैयार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधि

आयोग ने 27 अक्तूबर, 1984 को "उपभोक्ता माल का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण" के बारे में अपनी एक सौ पांचवी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां, संबंध मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय के लिए, जिसके अन्तर्गत यथोचित विधान के अधिनियमन का प्रश्न भी है, भेज दी गई हैं।

देश में ब्लैक एण्ड व्हाइट रोल फिल्म का उत्पादन

2341. **श्री बी० एल० विजयराघवन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ब्लैक एण्ड व्हाइट रोल फिल्म का कुल कितना उत्पादन होता है और उसकी कुल घरेलू मांग कितनी है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कम्पनी के पास इस फिल्म की आवश्यक मात्रा का उत्पादन करने के लिये पर्याप्त क्षमता नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है 120/620 आकार की श्याम-श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) रोल फिल्मों की चालू मांगें प्रति वर्ष 100 लाख रीलें हैं ;

कम्पनी द्वारा गत 7 वर्षों के दौरान श्याम-श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) रोल फिल्मों का किया गया उत्पादन निम्न प्रकार है। तुलना के लिए बिक्री और वस्तु सूची के आंकड़े भी दिए गए हैं) :-

	उत्पादन	बिक्री (लाख रीलों में)	वस्तुसूची
1977-78	101·50	97·39	8·28
1978-79	109·97	108.89	9.07
1979-80	119·63	109·97	23·44
1980-81	100·71	87·90	46·91
1981-82	109·78	87·99	73·31
1983-84	107.02	84·61	87·00

1	2	3	4
1983-84	46.71	77.71	44.94
1984-85 (पूर्वानुमानित	4647	70.00	33.00

*वस्तुसूची का काफी संचय हो जाने के कारण, कम्पनी का वस्तुसूची का और अधिक संचय हो जाने की स्थिति से बचने के लिए विशेष रूप से उत्पादन (रोल फिल्मों) की खराब हो जाने वाली प्रकृति और इसे शैल्फ में रखने की अवधि सीमित होने के कारण अपने उत्पादन को विनियमित करना पड़ा। जैसा कि 1984-85 के आंकड़ों से देखा जा सकता है, कम्पनी के पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए मूल्य की 33 लाख रीलों की वस्तुसूची अभी भी शेष पड़ी हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्लैक एण्ड व्हाइट रोल फिल्म का आयात करने पर प्रतिबंध

2342. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लैक एण्ड व्हाइट रोल फिल्म का आयात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसा करने से देश में ब्लैक एण्ड व्हाइट रोल फिल्म के मूल्य बढ़ गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस फिल्म के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र का उपक्रम हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० अपने उत्पादन सदैव सूचीबद्ध मूल्यों पर बेचता आ रहा है। जो औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्धारित फार्मूले के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं।

ब्लैक एण्ड व्हाइट रोल फिल्मों की कमी

2343. श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री के० कुन्जु : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल केरल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने ब्लैक एंड व्हाइट रोल फिल्मों की कमी को छुटकारा दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तथा (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमण्ड (एच० पी० एफ) को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसका संबंध पिछले वर्ष मई और जून के दौरान कम्पनी श्रमिक आंदोलन के परिणामस्वरूप 1984 की दूसरी छमाही में फिल्मों की आपूर्ति से था। एच० पी० एफ० ने सूचित किया है कि यद्यपि श्रमिक अशांति के कारण कम्पनी में तालाबंदी भी हुई थी फिर भी कम्पनी रोल फिल्मों की मांग को पूरा करने में समर्थ थी क्योंकि देश भर में इसके सभी विक्रय डिपुओं पर पर्याप्त स्टाक पड़ा था। इसके अतिरिक्त, विपणन प्रभाग में तालाबन्दी नहीं थी और इस अवधि में भी उपभोक्ताओं को रोल फिल्मों की आपूर्ति सामान्य रूप से हो रही थी।11 जून, 1984 से आंशिक रूप में और 2 जुलाई, 1984 से पूर्णरूपेण काम आरम्भ हो जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी ग्राहकों को रोल फिल्मों की आपूर्ति हेतु अपनी आपूर्ति बढ़ाने में समर्थ हो गई है।

———

12.00 म० प०

[अनुवाद]

प्रो० दण्डवते (राजापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कल आपने यह जाहिर किया था कि विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। महोदय इस बात पर हम सभी सहमत हैं। परन्तु आज हम देखते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के दल्ली स्थित संवाददाता की सरकार द्वारा संस्थान किया जा रहा है क्योंकि स्वर्ण मन्दिर में सैनिक कार्यवाही (आपरेशन ब्लू स्टार) में प्रश्न पर उन्होंने असहमति प्रकट की है। केन्द्र सरकार ने ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पूर्ण सूचना दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका पासपोट रद्द कर दिया गया है उनका नाम है... ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में दीजिए। मैं इसे इस तरह से नहीं ले सकता। मुझे पता करना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सूचना दी है। बिना पूर्वसूचना दिए मैं कभी भी खड़ा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व नियम 377 के अधीन सूचना दी स्थगन प्रस्ताव देकर मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहता क्योंकि इसे बार-बार नहीं ाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया सरकार को निदेश दीजिए। हमें अपना निर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा और निर्णय करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मंत्री जी से पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ यही कर सकता हूं।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : बहुत से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके उन्हें लिया जाएगा । मैं तीन से ज्यादा नहीं ले कता।

श्री अमल दत्त : परन्तु आपने मंजूर नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : मंजूर करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इन्हें एक-एक करके मंजूर रूंगा वे मेरे पास हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पंजाब में बहुत सी खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। होदय आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जगजीत सिंह ने निर्वासित सरकार की षणा कर दी है। लोंगवाल की रिहाई के पश्चात 'सड़े' पत्रिका को एक साक्षात्कार दिया ा था। अगर आप साक्षात्कार को पढ़े...

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दे दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : वह भिंडरांवाला-समर्थक लगा रहे हैं। स्थिति बहुत ही विस्फोटक ा रही है।

प्रो० मधुदण्डवते : आप स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं यह मामला उसके लायक ?

प्रो० के० के० तिवारी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने दे दिया है ? स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर सोचेंगे।

श्री अमल दत्त : दिल्ली उच्च न्यायालय के जज का मामला है। यह समाचार-पत्रों में या है, हम स्थिति की जानकारी मिलनी चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मुमकिन हो सकता है मैं करूंगा। आप मुझे कुछ लिखित में दीजिए। मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : (बारामूला): मैंने पंजाब में बढ़ते हुए आतंकवाद पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है ? इस बीच आप...

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे।

श्री राजेश पाइलट (दौसा) : मैंने नियम 193 के अंतर्गत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर कार्य-मंत्रणा समिति में विचार करेंगे। हम आपके सुझाव पर भी विचार करेंगे। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे—श्री वसन्त साठे।

12.04 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

[अनुवाद]

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं इस्पात खान और कोयला मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 655/85]

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहन्डी) : मैं अखबार की एक खबर "लंदन में हुई बैठक में भारत विरोधी गुटों द्वारा खालिस्तान का समर्थन" की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय हमसे देश की सुरक्षा और प्रभुसत्ता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश सरकार का ध्यान भी इस तरफ दिलाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पूर्व सूचना दीजिए। कुछ तो लिखित में दीजिए मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय कलकत्ता में भूमिगत रेलवे में बहुत बड़े धँसाव के ऊपर गाड़ियों को चलाया जा रहा है यदि शीघ्र ही इस तरह गाड़ियां का चलाया न गया तो हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है। मैंने इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस समय चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचना, बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी सीमित, कलकत्ता तथा भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी सीमित, पटना के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 1-सी० ए० (125)/1/81 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 27 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेंट विनियम, 1964 के विनियमों 63 और 112 में कतिपय संशोधन किए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 656/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी सीमित, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण।

(दो) बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 657/85]

(ख) (एक) भारत वैगन एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी सीमित, पटना, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण।

(दो) भारत वैगन एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी सीमित, पटना, का वर्ष 1983-84 सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) उपरोक्त मद (2) के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखी गए। देखिए संख्या एल० टी० 658/85]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1985 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक-एक प्रति जो 30 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 333 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 659/85]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 329 (अ), जो 30 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 21 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना संख्या 111/84 सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मार्च 1986 तक बढ़ाने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 330 (अ), और 331 (अ), जो 30 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो किन्हीं खेलों या क्रीडा के संबंध में आयोजित किसी अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता या मुकाबले में भारत सरकार के अनुमोदन के साथ भाग लेने वाले भारतीय दल के किसी सदस्य द्वारा जीते गए पुरस्कारों को, जब उनका भारत में आयात किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, उपसंगी और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 337 (अ), जो 1 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सीसा कांच नलिकाओं और शालाकाओं को, जब उनका विद्युत-लैम्पों और फ्ल्यूरेसेंट ट्यूबों के संघटकों के विनिर्माण के लिए आयात किया जाये, मूल्यानुसार 45 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 338 (अ), जो 1 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन संबंधी विनिमय की पुनरीक्षित दरों के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 660/85]

12.06 म० प०

संसदीय समितियां --कार्य का सारांश

[अनुवाद]

महासचिव : मैं 1 जून, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक की अवधि से सम्बन्धित "संसदीय समितियां —कार्य का सारांश" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० टी० 661/85]

12:07 म० प०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन विधेयक)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कार्य सूची की मद संख्या 8 को लिए जाने से पहले इस विधेयक के पुर:स्थापित के लिए विशेष अनुमति मांगी है । मैंने उन्हें इसे पुर:स्थापित करने की विशेष अनुमति दे दी है ।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1989 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

मधु दंडवते : (राजापुर) : महोदय मैं पुर: स्थापन के समय ही इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, इस विधेयक के माध्यम से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत गुहों की सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये किया जा रहा है । यहां तक कि कुछ लोभी उद्योपत्तियों ने यह आशा की थी कि, सरकार इस सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ा कर अधिक से अधिक 50 करोड़ रुपये कर देगी । किन्तु अब यह सीमा बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है । इस सम्बन्ध में सर्वाधिक

*दिनांक 9-4-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, 29° 52 में प्रकाशित ।

आपत्तिजनक बात यह है कि जो सरकार एक तरफ तो आम आदमी के हितों के प्रति वचन बद्ध है—उपभोक्ताओं और कार्मिकों की बात तो छोड़ ही दीजिए और दूसरी ओर लघु उद्योग जो इस बात पर जोर देने आ रहे हैं कि टैरिक मद संख्या 68 में उन्हें जो छूट सीमा दी गई है उसे 30 लाख रुपये से बढ़ा कर 40 लाख रुपए कर दिया जाए, किन्तु उन्हें यह छूट सीमा नहीं दी गई है।

किन्तु जब एम० आ० टी० पी० गृहों का प्रश्न आता है तो उन्होंने यह सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ा कर सीधे 100 करोड़ रुपए कर दी है। इसके परिणाम स्वरूप धन एवं आर्थिक सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण होगा। ऐसा करना उद्योग फैलाव के सिद्धान्त के पूर्णतया प्रतिकूल है। यह धन के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के भी विपरीत है और इसलिए हमारी आयोजना मे निर्धारित किए गये आधारभूत उद्देश्यों को भी इस विशेष विधान से निष्फल किया जा रहा है। वास्तव में अपने बजट प्रस्तावों में वित्त मन्त्री महोदय ने जिस नीति की घोषणा की है यह उसी को ही पूरा करने के लिए है।

अपने बजट प्रस्तावों में उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे एम० आर० टी० जी० गृहों की छूट सीमा को 20 करोड़ से बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर देंगे और यह जो विधेयक लाया जा रहा है मात्र एक परिणामी विधेयक है जिसके माध्यम से बजट में वित्त मन्त्री महोदय की घोषणा को केवल विधिक आकार दिया जा रहा है। समतावादी दृष्टिकोण से उद्योगों के विकेन्द्रीकरण, धन विकेन्द्रीकरण के दृष्टि कोण तथा एम० आर० टी० पी० गृहों एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों के बीच अस्वस्थ कर प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए मै इस विधेयक का पुरःस्थापन स्तर पर ही विरोध करता हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि मन्त्रालय को इस समय भी सद बुद्धि मिलेगी और वे इस विधेयक को वापस ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने इसका विरोध दूसरी बार किया है। पहली बार आपने बजट पर चर्चा के दौरान विरोध किया था।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सभा की यह परम्परा रही है कि विधेयक के पुरःस्थापन स्तर पर सामान्यतयः किसी प्रकार की बहस नहीं की जाती। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य एवं समूचा सदन मुझसे इस बात पर सहमत होगा कि मैंने इस सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह एम० आर० टी० पी० गृहों अथवा बड़े पूंजीपतियों के हित साधन के लिए नहीं है। विधेयक पर विचार करते समय माननीय सदस्य जो भी जानना चाहेंगे तथा विपक्ष के सदस्य जो भी जानना चाहेंगे, मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि विधेयक उन लोगों के हित साधन के लिए नहीं हैं जिनका एकाधिकार बना हुआ है बल्कि यह राष्ट्र का हितसाधन करेगा, उद्योगों के फलाव तथा समूचे देश में उद्योगों के समुचित सुनियोजित विकास में सहायक होगा।

माननीय सदस्य ने लघु उद्योग एककों का उल्लेख किया है। जैसे हमने एम० आर०

डी० पी० गृहों की सीमा बढ़ा दी है वैसे ही हमने लघु उद्योग एककों की भी सीमा बढ़ा दी है।

प्रो० मधु दंडवते : कितनी सीमा बढ़ाई है ? मैं इस सीमा के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमने लघु उद्योगों की सीमा 20 लाख से बढ़ा कर 35 लाख रुपए कर दी है और सहायक उद्योगों के बारे में यह सीमा बढ़ा कर 45 लाख रुपए कर दी गई है। यदि इन उद्योगों के बारे में सीमा और आगे बढ़ाने की जरूरत है तो सरकार इस पर खुले दिमाग से सोचने को तैयार है।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मन्त्री जी ने उल्लेख किया कि एम० आर० टी० पी० गृहों को इससे लाभ नहीं होगा। आप विधेयक के पुरःस्थापन स्तर पर ही इस बारे में कुछ आभास क्यों नहीं दे देते ताकि मैं अभी से अपने विचार बदल लूं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आज ही कर लिया, तो कल क्या करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.2 म० प०

उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1958 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-

*दिनांक 9-4-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० सेन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.13 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

पश्चिम बंगाल में अनेक पटसन मिलों के बन्द कर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय मैं पूर्ति और कपड़ा मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"पश्चिम बंगाल में अनेक पटसन मिलों के बन्द कर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : प्रस्ताव का उद्देश्य बंगाल में कई जूट मिलों के बन्द होने के तथ्य, जिसके परिणामस्वरूप कामगार बेरोजगार हो गए और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाना है। इस समय 15 जूट मिलें बन्द पड़ी हुई हैं जिनमें कामगारों की कुल संख्या 54,400 है। (ये मिलें स्थायी रूप से बन्द उन तीन एककों के अलावा हैं जिनमें 6,000 कामगार अन्तर्ग्रस्त हैं)। अन्तर्ग्रस्त एककों का ब्यौरा सूची में दिया गया है जो सभा पटल पर रखी जाती है।

महोदय जूट मिलों के हाल में बन्द होने के लिए आम तौर पर मिलों ने जो कारण बताया है वह औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार उपयुक्त प्राधिकरण है। यह बंगाल सरकार के श्रम मन्त्री ने 26-2-1985 को पहले ही उद्योग, श्रमिक संघों और राज्य सरकार की त्रिपक्षीय बैठक की है।

मिलों के इस प्रकार से बन्द होने के लिए जो कारण बताये जाते हैं कच्चे जूट की कमी और साथ ही उसकी ऊंची कीमतें तथा मिलों की वित्तीय कठिनाइयां। जूट की लगातार चार

कम फसलों के परिणामस्वरूप, देश में कच्चे जूट की कमी है और कीमत में वृद्धि हुई है। वस्तुतः इस समय कच्चे जूट की विश्वव्यापी कमी है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विशेष रूप से अधिक कमजोर मिलों के बीच कच्चे जूट के अधिक न्यायोचित वितरण की व्यवस्था करने के लिए जूट (नियंत्रण तथा लाइसेंसिंग) आदेश, 1961 के अन्तर्गत मिलों द्वारा रखे जाने वाले कच्चे जूट के स्टाक की मात्रा को विनियमित किया है। सरकार ने विदेशों से भी कच्चे जूट के आयात की व्यवस्था की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जूट उद्योग के वित्तीय पुनर्स्थापना के लिए अनेक सुविधाओं की भी व्यवस्था की है।

केन्द्रीय सरकार जूट उद्योग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। जूट उद्योग की आर्थिक क्षमता में सुधार लाने और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो महत्व पूर्ण कदम उठाए हैं, मैं उनका उल्लेख करता हूं :

(1) लागत और नियत लाभ के आधार पर जूट उद्योग से सरकार (पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय) द्वारा जूट माल की खरीद;

(2) इस बात को लागू करना कि सीमेंट उद्योग जूट के शत प्रतिशत नये बोरों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेगा;

(3) जूट मिलों की आर्थिक क्षमता का अध्ययन करने और सम्भाव्यता की दृष्टि से अर्थक्षम एककों के पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न वित्तीय उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में स्थायी समिति की स्थापना;

(4) जूट माल के गतिशील क्षेत्रों को अधिक नकद मुआवजा सहायता की व्यवस्था करना;

(5) 50 : 50 के अनुपात में हानि वहन करने के आधार पर एस० टी० सी-जूट उद्योग सार्थ संघ बनाकर उत्तर अमरीकी बाजारों को कालीन अस्तर कपड़े के लिए एस० टी० सी० को शामिल करना;

(6) उपकर से प्राप्त राशि से नई जूट विकास परिषद और जूट निधि का निर्माण करना ताकि गवेषणा एवं विकास प्रयासों और निर्यात संवर्धन के लिए बढ़ावा दिया जा सके;

(7) गवेषणा तथा विकास प्रयासों में तीव्रता लाकर निर्यात योग्य प्रोत्साहन देना।

सूची

क्रमांक	मिलों का नाम	से बंद	कामगारों की लगभग संख्या	टिप्पणी
1.	श्री गौरी शंकर	9-12-81	2000	
2.	नार्थ ब्रूक	27-1-82	3500	

1	2	3
3. हासीमारा (बेवर्ली)	19-8-84	2300
4. अगरपाड़ा कं०	14-1-85	3600
5. डेल्टा	5-2-85	5000
6. श्री अम्बिका	14-2-85	3500
7. एम्पायर	2-2-85	[illegible]000
8. न्यू सेन्ट्रल (एलबीयन)	11-2-85	4500
9. कनकनाराह	8-2-85	4100
10. फोर्ट विलियम	8-3-85	3200
11. ईस्टर्न मैन्यु० कं०	7-3-85	1900
12. विक्टोरिया	14-3-85	3800
13. न्यू सेन्ट्रल (लोथियन)	13-3-85	6000
14. श्री हनुमान	19-3-85	3800
15. गोन्डलपाड़ा	17-3-85	4200
		54,400

निम्नोक्त तीन जूट मिलें स्थायी रूप से बंद हैं

16. नसकरपाड़ा	17-4-81	2300
17. प्रेमचन्द	6-4-77	3100
19. श्री राम	6-8-81	1500
		6,900

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैंने बहुत ही भारी मन से हमारे नये पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़ा है। दुर्भाग्य से इस सारे वक्तव्य में एक भी पंक्ति पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों के श्रमिकों के प्रति सहानुभूति में नहीं कही गई है। माननीय मंत्री ने मुझे चौंका दिया है खासतौर पर इस बजट से कि उनमें सबसे अधिक प्रतिशत बिहार से आये लोगों का है। अगर ऐसी हालत है तो वास्तव में यह आश्चर्य बात है कि आपके पास उनके लिए सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है वह डरते हो कि कहीं उन्हें भाई-भतीजावाद करने का दोषी न ठहरा दिया जाये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हो सकता है उनके दिल की बहुत गहराई में हमदर्दी हो जो मैं महसूस नहीं कर पायी, फिर भी महोदय अब उनके द्वारा जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार उल्लेखनीय है कि तीन पटसन मिलों को यदि मिला लिया जाये तो श्रमिकों की संख्या 61,300 है। मेरी जानकारी के अनुसार इनकी संख्या 70000 श्रमिकों के आस पास है। अगर आप एक परिवार में 4 1/2 सदस्य गिनें तो 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। मैं मन्त्री जी के दिमाग में यह बैठाना चाहती हूं कि श्रमिकों की संख्या विशाल है।

दूसरे मुझे वास्तव में कुछ आशा थी। मैं यह दुर्भाव से नहीं कह रही हूं बल्कि बहुत भारी मन से कह रही हूं। पश्चिम बंगाल के सभी सदस्य यहां पर मौजूद हैं। मैं पश्चिम बंगाल के अपने दूसरी ओर के मित्रों को इन मिलों को बन्द किये जाने तथा तालाबन्दी के बारे मे यह सूचित करना चाहती हूं कि वास्तव में इन 18 जूट मिलों मे से 13 मिलों को संसदीय चुनावों के बाद बन्द कर दिया गया।

मैं यह कह रही हूं और इन सबको याद करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में कुछ स्थान जीतने पर उनको बड़े वायदों में से एक यह था कि सत्ता पक्ष प्रभावशाली ढंग से इन बन्द मिलों तथा तालाबन्दी के मामलों में हस्तक्षेप करेगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी कौन है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह सत्ताधारी दल का प्रश्न नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल का सत्ताधारी दल। मैंने कहा था दूसरी ओर के पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों। मैंने संसदीय चुनाव में सत्ताधारी पक्ष के वायदे के बारे में कहा था। संसद में सत्ताधारी पक्ष कौन था ? यह था जो मैंने कहा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है। आप इस तरह से राजनीति को घुमाने की कोशिश मत करिये। यह बिल्कुल गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मुंशी जी, मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे। जवाब देना मन्त्री जी के ऊपर निर्भर करता है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी कह रहे हैं इसे कार्यवाही में मत जाने दीजिए। अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो बाहर जाकर कीजिए। मैं यहां पर इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुंशी जी जब आपकी बारी आएगी तब आप कुछ कह सकते हैं; लेकिन इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)*

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मुझे यह नहीं कहना चाहिए था; मुझे खेद है। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं इस बात पर अभी भी दृढ़ हूं कि कांग्रेस (इ) की तरफ से ऐसे आश्वासन दिए गए थे। अधिक जिम्मेदारी को उन्हें लेना लाजिमी बनाया जाए, पश्चिमी बंगाल के लोगों की ओर से चाहे उन्होंने कांग्रेस (इ) को मत दिया या हमें दिया, यही मुझे आशा है। सारांश में मेरा यही प्रश्न था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।......

श्रीमती गीता मुखर्जी : विवरण में यह कहा गया है :

"......जूट मिलों के हाल के बन्द होने के लिए आम तौर पर मिलों ने जो कारण बताया है वह है औद्योगिक विवाद।"

और इसीलिए, पश्चिमी बंगाल सरकार पर छोड़ दिया गया है कि जो चाहे वह कर सकती है। इसका मतलब है जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना।

मैं सदन को पहले बताना चाहूंगी......

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय से पूछिए......

श्रीमती गीता मुखर्जी : उसके बाद मैं मंत्री जी से पूछूंगी। सत्य यह है कि जो भी सामान्य तौर पर पटसन जूट मिलों के श्रमिकों द्वारा मांगें रखी गई थीं वे केवल सी० आई० टी० यू० या० ए० आई० टी० यू० सी० को भी धन्यवाद देना चाहूंगी चूंकि वे भी इन मांगों को रखने के लिए बराबर के साथी थे। पश्चिम बंगाल के श्रमिकों की कुछ मांगें हैं। वास्तव में इस पटसन उद्योग संकट का मूल कारण औद्योगिक विवाद नहीं है। यह बात है जिसको कृपया आप समझने की कोशिश करें।

मंत्री महोदय अपने कथन में कह रहे थे :

"मिलों के इस प्रकार से बन्द होने के लिए जो कारण बताए गए हैं वे हैं कच्चे पटसन की कमी और साथ ही उसकी ऊंची कीमतें तथा मिलों की वित्तीय कठिनाइयां।"

कच्चे पटसन की कमी के प्रश्न के बारे में यह बात सत्य है कि पटसन आम तौर पर

कमी है, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में से कच्चे पटसन के उत्पादन से संबंधित लेख उद्धृत करना चाहूंगी। मैं उद्धृत करती हूं :

> "औसत 40 से 45 लाख कच्चे जूट की गांठों का उत्पादन की अपेक्षा 1982-83 में 37.82 लाख गांठों का उत्पादन हुआ और 1983-84 में यह उत्पादन 36.774 लाख गांठें थीं 1984-85 में 43.33 लाख गांठों का उत्पादन भी राज्य के औसत उत्पादन से कम था।"

यह ठीक है कि यह औसत से अभी भी कम है लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984 में 44 से 45 लाख गांठों का तुलना में वास्तव में उत्पादन होने से कुछ वृद्धि हुई। 33.77 लाख गांठों की तुलना में यह 42.33 लाख गांठ था। यह सूचना पश्चिम बंगाल सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के पैरा 4.6 पर दी गई है। उस स्थिति में इस वर्ष में विशेषत यह कमी का प्रश्न नहीं था। अत्यधिक कमी तो गत वर्ष थी लेकिन क्या है कि इस वर्ष माल का इतना संकेन्द्रित हो गया है ?

दूसरे, वास्तव में कीमतों में इतना बढ़ने के बारे में क्या किया जा रहा है ? इस वर्ष के दौरान कच्चे पटसन की कीमतों को 800 और 900 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है गत वर्षों में हम कृषकों के लिए अधिक से अधिक कीमत 400 रुपये प्रति क्विंटल मांगते रहे हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि जब किसानों ने इस वर्ष इसे बेचा था तो इसकी अधिकतम कीमत 400 से 500 रुपये तक पहुंची थी ! ये बड़े घरानें थे जिन्होंने कच्चे पटसन का भंडार अपने पास एकत्रित कर लिया ; और ये ही हैं जिन्होंने आपस में तय करके मूल्य बढ़ाये हैं और इस बुराई की वजह से वास्तव में कमजोर मिलों को कष्ट भोगना पड़ा। उस समय भारत सरकार क्या कर रही थी ? भारतीय पटसन निगम (जे० सी० आई०) उस समय क्या कर रहा था ? अगर यह वित्तीय कठिनायों का प्रश्न है, अगर यह बाजार उपलब्ध कराने का प्रश्न है, अवश्य ही मूल्य बढ़ाने में इनका कुछ हिस्सा हो सकता है परन्तु यह निर्णायक नहीं हो सकते इसके लिए मैं राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों का अनुभव उद्धृत करती हूं। राष्ट्रीयकृत पटसन मिलें जो भारतीय जूट निगम से पटसन प्राप्त करती हैं ठीक से चल रही हैं और उनमें कोई समस्या नहीं है ; ऐसी बात नहीं है। वहां कुछ प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याएं हैं। अगर कारीगरों का सहयोग सुनिश्चित कराया जाये तो यह और भी बेहतर होगा ; वे भी पटसन की वस्तुएं बना रहे हैं। जब पटसन के बड़े मिल मालिक समूचे पटसन भंडार को अपने पास जमा कर रहे थे उस समय भारतीय पटसन निगम और भारत सरकार क्या कर रहे थे ?

आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि आपने कार्यपालिका के आदेश जारी करके तथा इसी प्रकार कुछ अन्य उपाय किए थे। मुझे नहीं मालूम कि वास्तव में वे उपाय क्या थे और उन उपायों का क्या नतीजा निकला ? बड़े उद्योगपतियों ने पटसन का भण्डार इकट्ठा कर

लिया है। उनको धन कहां से मिला ? अवश्य ही उन्होंने बैंकों से कर्ज लिया होगा। वास्तव में इन बड़े घरानों द्वारा पटसन का भण्डार जमा करने को रोकने के लिए क्या किया गया ?

असल में, ये मिलें पालियों की संख्या कम चाहते हैं ताकि वे केवल 10-15 पालियां चलाकर अधिक काम करा सकें। वास्तविकता यह है। वे हैं कारीगरों की संख्या घटाकर बगैर अधिक वेतन दिये उनसे अधिक काम लेना चाहते है। सरकार किसी को कष्ट दिए बगैर राष्ट्रीयकरण करने के लिए वचनबद्ध है परन्तु वे तो कष्ट पहुंचा कर ही राष्ट्रीयकरण लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। पटसन का मद केन्द्रीय विषयों के अन्तर्गत आता है ? भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ? यहां मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है कि भारत सरकार पटसन उद्योग और इस तरह के उद्योगों को बहुत सारी रियायतें देना चाहती है। मैं यह दोषारोपण करती हूं कि पटसन उद्योग ने इस वर्ष कृत्रिम संकट उत्पन्न किया है। ऐसी स्थित नहीं चाहिए थी क्योंकि उत्पादन कम नहीं हुआ है। इस वर्ष उन्होंने इस तरीके से उत्पादन बढ़ाया है। सामान्यतः पूरे वर्ष में पटसन 10-12 लाख टन का उत्पादन किया जाता है ! दिसम्बर 1984 में यह एक लाख सात टन था। इतना ही जनवरी, 1985 में था। अगर ऐसी दशा हैं तो कारीगरों ने जो उत्पादन है वह कम नहीं अगर बाजार उपलब्ध कराने की समस्या है तो कारीगर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अतः यह स्थिति पटसन के बड़े मिल मालिकों द्वारा पैदा की गई है ! सारे पटसन कच्चे पटसन व्यापार को भारतीय पटसन निगम के माध्यम से सारणीबद्ध करने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा था ? इसके बिना यह समस्या हल नहीं की जा सकेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पटसन के बड़े मिल मालिक हमेशा अपने हितों तथा लाभों का ध्यान रखते रहे हैं। इन पटसन मिलों को अधिग्रहण करके इस तरह पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में भारत सरकार क्या करेगी ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं माननीय सदस्या तथा सभा को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस सभा में और पश्चिम बंगाल के लोगों तथा कारीगरों द्वारा व्यक्त की गई चिंता में हम उनके सहयोगी हैं। हम स्थिति को हल करने के लिए कदम उठाते रहे हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी विकटता से हम भलीभांति परिचित हैं। और राज्य सरकार को इसके बारे में कई मामलों में पहल करनी पड़ी।

हमें भी ठीक कार्यवाही करनी होंगी और मैं सदस्यता को आश्वासन देना चाहता हूं कि पहले की तरह हम पटसन उद्योग और पटसन मजदूरों की समय पर सहायता करने में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने जो आरोप लगाया है, उसका जवाब मैं उन पर प्रत्यारोप लगाकर नहीं देना चाहूंगा परन्तु मैं माननीय सदस्या की स्थिति समझाना चाहूंगा।

माननीय सदस्या पश्चिम बंगाल में न कि पूरे भारत में कच्चे पटसन के उत्पादन आंकड़ों का हवाला दे रही थीं। सारे देश के उत्पादन आंकड़े निम्नलिखित हैं।

1980-81	82 लाख गांठे
1981-82	74 लाख गांठे
1982-83	63 लाख गांठे

1983-84	66 लाख गांठे
1984-85	73 लाख गांठे

उपलब्धता स्थिति इस प्रकार है ! यह वर्ष, 1984-85 हमने पिछले वर्ष की बकाया 9.50 लाख गांठों के साथ आरम्भ किया था । इस वर्ष अनुमानित उत्पादन 73 लाख गांठों का है और इस वर्ष में 3 लाख गांठों के आयात की आवश्यकता का अनुमान है ! ये सब मिलाकर 85.50 लाख गांठें होती हैं ! मिलों में 75 लाख गांठों की खपत है और ग्रामीण खपत 4 लाख गांठे हैं ; ये सब मिलाकर 79 लाख गांठें होती हैं । इसका वास्तव में मतलब यह है कि अगले मौसम के लिए हमारे पास लगभग 50 लाख गांठों का बकाया भंडार बचेगा जो मिलों की एक महीने की आवश्यकता के बराबर है ! अतः इस वर्ष केवल 3 से 4 लाख गांठों की कमी है। हम इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से नहीं कर कर रहे हैं। कि पश्चिम बंगाल में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की सरकार है अथवा कांग्रेस दल की सरकार वहां चल रही है ।

हम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम लोग पश्चिम बंगाल के लोगों के कल्याण में जोर-शोर से लगे हुए हैं और हम उन्हें यह आश्वासन देना चाहते हैं कि भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठायेगी कि समयानुसार सुधारात्मक उपाय किये जायें !

इस स्थिति का कारण केवल यही नहीं है कि पटसन की उपलब्धता की कमी है। इसका कारण यह भी है कि अनेक कारणवश पटसन के मूल्य बढ़ गए हैं । 1980-81 में फसल अच्छी हुई थी किन्तु गत चार वर्षों से हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा है और पटसन का उत्पादन अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाया है । बंगला देश में भी बाढ़ आई थी और वर्ष 1984-85 में विश्व भर में पटसन के कच्चे माल की कमी रही है । यही कारण है कि पटसन का मूल्य आसमान छूने लगा मेरे विचार से माननीय सदस्य बड़े घरानों द्वारा भंडार जमा किए जाने का उल्लेख कर रहे थे । यह बात नहीं है । कि हमें स्थिति का पता न हो। जैसाकि मैंने स्पष्ट करने की चेष्टा की थी, हमने स्थिति को नियमित करने के उपाय किये है जिसके द्वारा पटसन मिलों को अपना भंडार कम करने अपेक्षित है और 17-10.1984 और बाद में 1-4-1985 को पारित किए आदेशों के अनुसार उन्हे छ सप्ताह के अपने भंडार को घाटा करा पांच सप्ताह का और फिर चार सप्ताह का करने को कहा गया है । किन्तु त्रिपक्षीय बैठक में स्वयं श्रमिकों ने बताया है कि हो सकता है कि बड़े किसानों ने कुछ स्टाक जमा कर रखा हो । हो सकता है कि इसी कारण इन मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हुई हो । समर्थन मूल्य केवल 275 रुपये प्रति क्विंटल है किन्तु जनवरी में मूल्य बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था ? गत दो महीने से कीमत घट रही है । किन्तु अभी तक मूल्य 850/रुपये का उसके आसपास बना हुआ है ।

जहां तक भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण का सम्बन्ध है, इसे यह उत्तरदायित्व

भी सौंपा हुआ है कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य भी सुनिश्चित करें इस वर्ष स्थिति सर्वथा विपरीत थी। समर्थन मूल्य 275/-रुपये था और बाजार भाव समर्थन मूल्य से दो गुणा और तीन गुणा था। भारतीय पटसन निगम ने बाजार खरीद की ! उसने कुछ संगठनों के नाम पर खरीद-दारी की।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

किन्तु इस क्षेत्र में किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने की जो इसकी मुख्य भूमिका है, उसे निभाने की आवश्यकता नहीं थी इस वर्ष भी भी भारतीय पटसन निगम की भूमिका अधिक नहीं है, केवल उसी स्थिति में कुछ करना होगा जब कुछ प्रस्ताव रखें जायें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कच्चे पटसन के वितरण और अधिक बनाने के लिए पटसन मिलों के भंडार रखने को नियमित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इसके अलावा हमने कच्चे पटसन का आयात भी किया है। सरकार ने कच्चे पटसन की पांच लाख गांठें आयात करने का प्राधिकार दिया है जिनमें से 2.9 लाख गांठों का ठेका बंगला देश को दिया गया है। इसमें से 1.6 लाख गांठें आ भी चुकी हैं . हमने पटसन कि एक लाख गांठों को राष्ट्रीय पटसन मिल निगम के मिल क्षेत्र से कमजोर और बंद यूनिटों को देने का निर्णय लिया है जिससे कि वे फिर से काम करना आरम्भ कर दें। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं कि मांग बढ़ जाए और पटसन मिल चालू हो जाए। हमारा विचार है कि अगला मौसम पटसन उद्योग और पटसन उत्पादकों के लिए अधिक अच्छा होगा ? गत-दो महीनों से मूल्य में गिरावट आ रही है। हमारे विचार से और भी गिरावट आएगी। बंगला देश स कच्चे पटसन का पहला खेल जून तक कलकत्ता आना आरम्भ हो जाएगा और हम समझते हैं कि हमारे लिए कठिन स्थिति के दो महीने और हैं ! इसके बाद स्थिति अच्छी हो सकती है। हमें यह भी आशा है कि अगले साल फसल अच्छी होगी और मूल्य में निश्चित रूप से गिरावट आएगी ? इसलिए, कच्चे पटसन का आयात, भंडार रखने को नियमित करना, सरकारी मिलों के भंडार से कच्चे पटसन की एक लाख गांठों को मुक्त करना जैसे हमने जो उपाय किए हैं ; और मूल्यों के गिरने की जैसी संभावना है तथा अगले साल के दौरान कच्चे पटसन की उपलब्धता बढ़ने की जैसी आशा है, उसे देखते हुए हमारा विचार है कि दो महीनें के बाद स्थिति कहीं बेहतर होगी और मूल्यों में भी गिरावट आएगी।

[हिन्दी]

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, वह मसला जिसमें लगभग एक लाख मजदूर इस समय बेकार पड़े हुए है, बहुत ही गंभीर मसला है। मैं चाहूंगा कि हमारे सदन के सभी सदस्य चाहें उक्त सम्बन्ध सत्तारूढ़ दल विरोधी दल से हो, इसे गम्भीरता से लें। जहां तक जूट की शार्टेज का सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूं कि इसके अन्दर जो सबसे बड़ा कारण है, वह यह है, कि यह मेन-मेड शार्टेज है।

उन जूट मिलों के मालिक जान बूझ कर जूट की शार्टेज पैदा करते हैं, कमी पैदा करते हैं और आज ऐसे हालात वहां पैदा किए जा रहे हैं कि मिल साल में ज्यादा से ज्यादा

या 6 महीने चले और बाकी 6 महीने बंद रहे। इसके साथ ही वे जूट प्रोडक्टस को भी स्टोर करते जाते हैं और जब कभी बाजार में जूट गुड्स या जूट प्रोडक्टस की कमी पैदा होती है तो अपने माल को बाजार में ज्यादा कीमत पर बेच कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इतना ही नहीं जूट मिलों से होने वाले लाखों और करोड़ों रुपये के मुनाफे को दूसरे कारखानों में डायवर्ट किया जा रहा है और उसमें से एक भी पैसा जूट मिलों को मोठनाईज करने या दूसरे कामों में खर्च नहीं किया जा रहा है।

वैस्ट बंगाल में जितनी भी जूट मिलें हैं, उनमें से चार सरकारी नियंत्रण में चल रही हैं और बाकी मिलों को प्राइवेट मिल-मालिक चलाते हैं। सरकारी नियंत्रण में जो जूट मिलें वहां चलती हैं, उनकी हालत तो ठीक है लेकिन प्राइवेट मिल-मालिक उन्हें ठीक से नहीं चलाते, उनकी हालत खराब है। यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि सरकारी नियंत्रण में चलने वाली जूट मिलें ठीक चलती हैं, वहां पर काम बन्द नहीं होता, बराबर चलता रहता है वहां पर जूट गुड्स की कमी नहीं होती लेकिन जो प्राइवेट जूट मिलें हैं, वहां पर कमी हो जाती है, वे साल में 4 या 6 महीने चलकर बन्द हो जाती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके मालिक जानबूझ कर शोर्टेज क्रिएट करते हैं जिससे कि जूट गुड्स और जूट प्रोडक्टस को स्टाक करके, कमी के समय अधिक से अधिक कीमत पर बेच कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके और इस दौरान मजदूरों को जो मजदूरी देनी पड़ती, उसे भी बचाया जा सके।

इसके अलावा यहां पर ईक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया गया और मंत्री महोदय के बयान में बताया गया कि जूट के इंटरनेशनल और डोमैस्टिक फील्ड के मार्केट को भी विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि अभी जूट इंडस्ट्री के सामने मार्केट की कोई समस्या नहीं है। मार्केट की समस्या तो तब पैदा होगी जब हमारे पास जूट उपलब्ध होगा। जब हमारे पास रा-जूट ही नहीं है, बाजार में जूट गुड्स मिलता ही नहीं है तो फिर मार्केट का सवाल कहां से पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, आज जूट इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा सवाल यह कि रा-जूट की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और पिछले साल तो रा-जूट की कीमतों में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा जैसे ही रा-जूट की कीमतें बढ़ती हैं तो पिछले साल के आंकड़े यह बताते हैं कि रा-जूट की कीमतों में 200 प्रतिशत वृद्धि होने पर जूट गुड्स की कीमतें की 80 प्रतिशत बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बाजार में आज कोई जूट-गुड्स को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि उसकी कीमतें कम हो जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके सामने मार्केट की कोई दिक्कत ही पैदा नहीं होगी।

जिस प्रकार के कदम मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में उठाने का जिक्र किया है, मेरा उनसे निवेदन है और मांग है कि आप सबसे पहले रा-जूट की प्राइसेज फिक्स कर दीजिए जिससे कि रा-जूट और जूट-गुड्स के बीच में कीमतें स्टैबिलाइज हो सकें, उनके बीच स्टैबिलाइजेशन हो सके। जब तक सरकार रा-जूट की कीमतें फिक्स नहीं करेगी तब तक हमारी मार्केट में उसकी कमी रहेगी, बाजार में बड़े-बड़े लोग उसको स्टोर करेंगे और कमी

के वक्त ज्यादा कीमतों पर बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमायेंगे । यही वजह है कि जूट मेटीरियल की कीमतें बढ़ने के कारण आज सिंथेटिक गुड्स को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, प्रिफर करते हैं । यदि आप सिंथेटिक गुड्स और जूट गुड्स का मुकाबला करें तो आपको पता चलेगा कि सिंथेटिक गुड्स के मुकाबले जूट गुड्स की कीमतें लगभग 40 प्रतिशत ज्यादा हैं । बड़े दुख की बात है कि यह सब होने के बावजूद 100 करोड़ रुपये का एच० डी० पी० यानी हाई डैन्सिटी पौलीप्रोपाइलीन इम्पोर्ट किया जा रहा है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है और हाई डैन्सिटी पौलीप्रोपाइलीन का इस्तेमाल करके सिंथेटिक गुड्स बनाये जाते हैं जिसकी वजह से बाजार में जूट गुड्स को खरीदने के लिये कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत 40 प्रतिशत ज्यादा है । इसलिए मेरा मांग है कि सरकार 100 करोड़ रुपए का जो हाई डैन्सिटी पौलीप्रोपाइलीन इम्पोर्ट करती है, उसे बन्द कर दिया जाए बल्कि जितनी पैदावार हमारे मुल्क में है, उसी को इस्तेमाल करके सिंथेटिक गुड्स बनाए जाए और इसके कारण हमारे जूट गुड्स के ऊपर कोई बुरा प्रभाव न पड़े मार्केट ए उसकी ज्यादा से ज्यादा खपत हो सके ।

इसके अलावा में एक सुझाव यह दूंगा कि इसकी कीमतों को कम करने के लिए जहां इसकी प्राइस फिक्स की जाए वहीं एक्साइज ड्यूटी को भी खत्म कर दिया जाए ।

जिससे इसकी कीमतें कम हो जायें । कीमतें अगर कम होंगी तो अपने आप सारी समस्याओं का सामाधान हो जायेगा ।

फाइनेन्स मिनिस्टर ने बजट भाषण में कहा था कि जो बैड मैनेजमैंट होंगे उनको उटाकर फेंक दिया जायेगा, में जानना चाहता हूं कि आज कितने ऐसे मैनेजमैंट हैं, जूट मिलों में कितनी ऐसी कम्पनियां हैं, जिनका नैट-वर्क जीरा है और एरियर का पैसा काटने के बाद जीरा के बराबर है ? क्या इस तरह की कम्पनियों के मैनेजमैंट को बाहर फेंका जायेगा और क्या गवर्नमेंट इन कम्पनियों को अपने हाथ में लेने और नेशनलाइज करने के लिए तैयार हैं ? जो 3 कम्पनियां पिछले 3 सालों से बन्द हैं, क्या सरकार उनको अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है ?

आज बहुत जरूरी है कि इम्पोर्ट किए जाने वाले रा.जूट का छोटा फिक्स-अप किया जाये कि इसमें से कितना हम डोमैस्टिक मार्केट में और कितना इंटरनेशनल फील्ड में इस्तेमाल करेंगे ?

इंटरनेशनल फील्स में हमारा एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है । 1982-83 में जूट गुड्स का एक्सपोर्ट 3,26,000 टन था जो कि 1983-84 में 3,64,000 टन रह गया । इसका सबसे बड़ा कारण यह कि जो सर इम्पोर्ट करते हैं, उसके जूट गुड्ज बनाने के बजाय डोमैस्टिक मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है इसलिए मेरी मन्त्री महोदय से मांग है कि वह इस मामले में कोटा फिक्स करें ।

अब मैं दो, तीन सवाल पूछना चाहूंगा ।

एक वह ज कि कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका एरियल का पैसा काटने के बाद नैट-

यर्क जीरा के बराबर है ? जिन कम्पनियों का मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में जिक्र किया है कि पिछले नई सालों से बन्द पड़ी हैं, राष्ट्रीयकरण सरकार उन्हें अपने हाथ में लेगी ?

दूसरे, क्या मंत्री महोदय रा-जूट के प्राइसेस फिक्स करेंगे और क्या वह डोमेस्टिक इंटर-नशनल मार्केट के लिए रा-जूट का कोटा फिक्स करेंगे ?

अभी जो मैंने 100 करोड़ प्राली पापवीन की बात कही, क्या मन्त्री महोदय एच० डी० वी० के बारे में विश्वास दिलायेंगे कि उसके इम्पोर्ट को बन्द किया जायेगा जिससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर बुरा असर न पड़े ?

आखिर में मैं यह जनाना चाहता हूं कि क्या सच है कि वहां जो 5 सरकारी मिलें हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, वह चल रहीं हैं और वहां शार्टेज नहीं है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सी बातों की चर्चा यहां पर की है, उन सब का उल्लेख कारण मैं आवश्यक समझता हूं क्योंकि यह विषय पश्चिम बंगाल के जूट मिलों तक सीमित है और उसके तात्कालिक पहलू जो हम लोगों के सामने उभर कर आये हैं, उस पर ही हम विचार कर रहे हैं। कितनी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति क्या है, यह काफी लम्बा बयान है।

श्री ललित माकन : मैंने वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : उसका विवरण यहां पर देना संभव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या गोपनीय है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : गोपनीय नहीं है, लेकिन उसकी जांच और सारी सूचना सामग्री यहां उपलब्ध नहीं है और मुझे यह जानकारी भी यह उपलब्ध है या नहीं ? इसमें कोई गोपनीयता का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने यह बात बहुत ही सही यहां पर सदन के सामने रखी है।

कि जब तक जूट की कीमत कुछ अस्थिर नहीं हो जाती है, तब तक इस उद्योग की अर्थव्यवस्था भी अस्थिर ही रहेगी, डांवाडोल ही रहेगी और कोई भी उद्योग अपने कच्चे माल के सम्बन्ध में, कीमत के सम्बन्ध में और उपलब्धता के सम्बन्ध में और कोई साधन उसके अनिश्चित भी नहीं रहेंगे उद्योग यह कठिनाई हमेशा महसूस करे

आम तौर से जो सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है, उसकी कुछ अधिक कीमत रही ऐसा अन्दाज किया जाता है, लेकिन जैसा कुछ देर पहले अनेक कारणों से वह कीमत काफी ऊंची चली गई और एक हजार से भी अधिक वह कीमत बढ़ गई। जो मिलें हैं उन्होंने कोई स्टाक अपने पास करके नहीं रखा। अगर रखते तो उसकी जानकारी रखती और उनको मजबूर करते।

...(व्यवधान)...

अगर दूसरी जगह रखते, लेकिन उनके भी हक में होता। अगर जूट उनके पास उपलब्ध रहता तो उसका इस्तेमाल करना और चालू करना उनके भी हित में होता लेकिन यह आज सबसे ज्यादा कठिनाई वह बता रहे हैं कि जूट उपलब्ध नहीं है और बाजार में इतनी कीमत है कि वह उतनी कीमत देकर, सामान बनाकर, उसको सही दाम पर बेचने में समर्थ नहीं हैं।

जो सरकारी मिलें है वे इसलिए चल रही हैं कि सरकारी मिलों ने समय पर काफी स्टाक बनाकर रखा और सरकारी मिलें अंत तक चलती रहेंगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। यह निश्चित स्थिति है। सरकारी मिलों के पास जो स्टाक रहता है, अपनी जरूरत से जो अधिक है, उसको भी जैसा मैंने बताया एक लाख देय है। जो कमजोर मिलें हैं, या बन्द मिलें हैं, उनको देने का, उनके हाथ बेचने का सरकार ने फैसला ले लिया है और 1-2 दिनों में इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

अभी जहां तक एस० डी० पी० के रेगुलेशन का सवाल है, इसके बारे में स्टीयरिंग कमेटी विचार कर रही है कि कितनी देर तक इसको अपने यहां इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है और क्या इसकी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जो जूट का निर्धारण है, जो जूट का आयात है, उसका भी इस्तेमाल जूट प्रोडेक्शन के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसा मैंने बताया जूट के उत्पादन को बढाने की चेष्टा की जा रही है।

अभी माननीय सदस्य ने बीच में प्रश्न उठाया। यही सवाल नहीं है कि अगले महीने तक यह स्थिति चलने दें। अगले दो महीने के अन्दर जैसे मैंने बताया कि जूट स्टाक के रेगुलेशन करने से उनको और जूट उपलब्ध करा कर, उनको चालू कराने की चेष्ठा की जायेगी। हम उम्मीद करते है कि इस काम में पश्चिम बंगाल सरकार मिलों के प्रतिनिधियों से और मजदूरों के तिनिधियों से बात कर कोई एक निदान निकाल सकेगी।

मैं दो महीने की चर्चा इसलिए कर रहा था कि आज अगर कोई स्टाक अपने द्वारा रख रहे है इस उम्मीद में कि कीमत और बढ़ेगी तब हम उसको बेचेंगे उनके लिए मैं यह स्पष्ट करना जरूरी समझता हूं कि अभी आने वाले दिनों में कीमतें अनेक कारणों से गिरने वाली हैं, इसलिए उनके हित में भी हैं कि अगर किसी के पास जूट स्टाफ है तो यह बाजार में उनको लाए और उपलब्ध कराए और मिलों को उसका उपयोग करने का मौका मिल सके।

श्री ललित माकन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों का नेट-वर्थ हुआ है, मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूं, पूरे हिन्दुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं।

यह एक सिद्धांत की बात है, चाहे आपके पास फिगर्स हों या न हों, मैं सैद्धांतिक रूप से यह जानना चाहता हूं कि जिन का नेट वर्थ एरियर्स काटने के बाद जीरो है और उस के बाद ये तीन मिलों को आप टेक ओवर करेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : केवल इसी आधार पर टेक ओवर नहीं किया जा सकता है। टेक ओवर करने के लिए सब से पहला आधार यह होना आवश्यक है कि वायबल है या नहीं, यह चल सकता है या नहीं, विभिन्न दृष्टि कोण से उस की जांच करने की आवश्यकता होती है और

एक इसलिए अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा राज्य सरकार की तरफ से तो भारत सरकार उस पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री ललित माकन : महोदय, यह बड़ा साधारण सा प्रश्न है । बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि जो भी प्रबंधकों खराब होगी उसे उखाड़ फेंका जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि खराब प्रबंधकों को किस प्रकार उखाड़ फेंका । जब इन प्रबन्धकों की उपयोगिता शून्य है क्या यह खराब प्रबंधक नहीं हैं ? आप उसे किस प्रकार उखाड़कर फेंक रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह प्रश्न पूछा है कि क्या सर उस मिल को अधिग्रहीत करने को इच्छुक है अथवा नहीं । इसके लिए मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं कि ऐसा करने से पहले मुद्दों पर विचार करना होता है ।

श्री ललित माकन : यदि सरकार का इरादा मिल को अधिग्रहण करने का इरादा न हो तो प्रबंधकों को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार क्या करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर कह दे चुके हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (सिरहार) उन्होंने एक तर्क संगत प्रश्न पूछा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण में यही प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री ललित माकन : यह उत्तर दें यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण पर विचार-विमर्श करने का क्या लाभ, यदि उसका उत्तर नहीं दिया जाता है ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है । मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि वित्त मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि खराब प्रबन्धकों को हटा दिया जाएगा । मेरे प्रश्न हैं कि यदि आप मिल अथवा व्यवस्था का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप किस उपाय से प्रबन्धकों को उखाड़ फेंकेंगे ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं इसे स्पष्ट करता हूं । यह प्रश्न विशिष्ट रूप से इन पटसन मिलों से जुड़ा हुआ नहीं है । किन्तु सिद्धांत यह है । यदि कोई उपक्रम कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो जाता है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और कार्यवाही करेगी । किन्तु जैसा कि आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसी स्थिति के लिए एकमात्र यही कारण उत्तरदायी नहीं होगा ।

श्री ललित माकन : आप तथ्यों के आधार पर नहीं बोल रहे हैं । मैं सिद्धांत के आधार पर नहीं बोल रहे है । मैं सिद्धांत के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं । मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण है ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : उत्तर बहुत ही सरल है । उत्तर भी सामान रूप से सरल है ।

जहां भी कुप्रबन्ध का एक भी कारण होगा वहीं सरकार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करने का विचार करेगी। यदि कई कारण होंगे तो सरकार इस स्थिति के लिए उत्तरदायी सभी कारणों पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट): सरकार के समस्त रवैये से मुझे एसा प्रतीत होता है—चाहता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या तो सरकार उसकी प्राप्ति करे या उससे इन्कार करे—लगता है यह कहने का रिवाज सा हो गया है कि कलकत्ता शहर तो समाप्त हो रहा है उन बोटों को ध्यान में रखते हुए, क्या आप यह समझते हैं कि पटसन उद्योग भी एक मृतक उद्योग बनने वाला है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या विचार है सरकार के समूचे रवैये में एक भी बात नहीं लगती कि जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार को बंद मिलों को लगे फिर से चालू करवाने की कोई जल्दी है। न तो कोई सुझाव दिया गया है और न अब दिया जा रहा है कि इन बंद मिलों को फिर से खोला जाएगा और उनमें कब से उत्पादन होने लगा।

माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर देते समय, थोड़ी देर पहले यह महा था कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी बड़ी कम्पनी अथवा मिलने पटसन का भंडार जमा कर रखा है। मेरे विचार से आपको पता होना चाहिए कि जिस किसी को भी गत वर्षों से के पटसन उद्योग के बारे में कुछ भी पता है, वह जानता है कि वे अपना भंडार मिल के गोदाम में नहीं रखते हैं। भंडार मिल से बाहर रखा जाता है और बेनामी अथवा झूंठे नामों से रखा होता है। इसलिए, आपको इन सब बातों का पता नहीं चल सकेगा।

1.00 म० प०

मैं आपको एक राष्ट्रीयकृत मिल के बारे में बता सकता हूं, जो न केवल भारत में अपितु पूरे रणशिक्षा में सबसे बड़ी पटसन मिल है, वह है, नेशनल जूट मिल, जब यह गैर सरकारी हाथों में थी, उस समय उसके अपने गोदामों में पड़े कुछ कच्चे पटसन के ऐवज में भारतीय स्टेट बैंक से लगभग 30 या 40 लाख रुपए ऋण दिया गया था। ऋण की स्वीकृति के बाद यह पाया गया कि गोदामों में जरा सा भी भंडार नहीं पड़ा है। इसके बावजूद भारतीय स्टेट बैंक ने उसके ऐवज में लगभग 30 या 40 लाख का ऋण दिया है।

इसलिए, मैं यह कहता हूं कि पटसन उद्योग में व्याप्त विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों का वास्तव में पता चलाने के लिए न तो सरकारी तंत्र उत्सुक है और न ही सरकार की कोई इच्छा प्रतीत होती है इन सारे वर्षों के दौरान न तो ऐसा तंत्र रहा है और न इच्छा ही ! यह दूसरी बात है कि वह इसे एक मृतक उद्योग समझती है, यदि ऐसा है तो इसे शांति पूर्वक करने दें।

मैं इस बात से सचमुच आश्चर्य चकित हूं कि इतने समय से चली आ रही तालाबंदी के

बावजूद केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी भी व्यक्ति ने दिल्ली अथवा कलकत्ता में ऐसी एक बैठक अथवा एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आमन्त्रित करने की बात आज तक नहीं सोची जहां राज्य सरकार पटसन मिल के स्वामियों, और इन मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को एक साथ आमन्त्रित किया जा सकें और विचार-विमर्श के द्वारा इस संकट का शीघ्र समाधान करने का उपाय ढूंढने की चेष्टा की जा सके। किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई भी पहल नहीं कर रहा है।

मैं उनका कृतज्ञ हूं क्योंकि कम से कम उन्होंने यह बहाना तो नहीं बनाया कि श्रमिक कठिनाइयों के कारण वे मिलें बंद हो गयी हैं। कम से कम उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। इन सब तालाबंदियों से श्रमिक विवादों का कोई संबंध नहीं है। जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने ठीक ही उल्लेख किया है कि यह अजीब बात है कि अधिकांश मिल लोक सभा चुनावों के बाद बंद हुए हैं अर्थात् जनवरी, फरवरी और मार्च में। जो मिलें बंद हुई हैं वे हैं : अगर पारा कम्पनी, डेल्टा, श्री अम्बिका एम्पायर न्यू सेन्ट्रल (अलवीओन), कनकनाड़ा, फोर्ट विलियम, इस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, विक्टोरिया, न्यू सेन्ट्रल (लोथियान) श्री हनुमान और गोन्डल पारा)। ये सभी मिलें लोक सभा चुनाव के बाद बंद हुई हैं।

प्रो० मधु दंडवते। (राजापुर) : विशाल बहुमत प्राप्त होने के बाद सार्वजनिक आवेश।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा क्यों हुआ ? मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इस लिए हुआ कि इन बड़े व्यापारिक घरानों का विचार है कि नई वर्तमान सरकार-जो कि नये बजट से सिद्ध हो चुका है—गैर सरकारी क्षेत्र को और अधिक लाभ, और अधिक सुविधायें और प्रोत्साहन देने में रुचि रखती है। मिलों को बंद करने का एक उद्देश्य यह भी है कि अधिक से अधिक रियायतें, निर्यात के लिए अधिक से अधिक राजसहायता और अधिक से करों से छुटकारा पाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सके तथा साथ ही श्रमिकों की संख्या कम करके थोड़े से श्रमिकों से अधिक से अधिक काम लिया जा सकें।

अब, यदि सरकार वास्तव में उस बात का पता लगाना चाहती कि उद्योग में क्या हो रहा है, तो क्या बात है कि अब तक न तो वाणीज्य मंत्री को, न ही किसी केन्द्रीय मंत्री को कलकत्ता जाने की चिंता हुई है। यहां से हवाई जहाज का केवल दो घंटे का सफर है। आप वहां जा सकते हैं, और राज्य सरकार, आई० जे० एम० ए० तथा श्रमिक प्रतिनिधियों को आमन्त्रित कर सकते हैं और एक साथ बैठकर कोई ऐसा उपाय निकाल सकते हैं जिससे कि मिल को फिर से चालू किया जा सकें। आपने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। इसीलिए, मैं कहता हूं कि आप इसे मृतक उद्योग समझते हैं, हालांकि यह एक प्रमुख निर्यात प्रधान उद्योग है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक प्रमुख उद्योग है। भूत काल में तो इसे सदा ही ऐसा उद्योग माना जाता था। अब और इसके साथ एक मृतक उद्योग का सा व्यवहार करना चाहते हैं। याद रखें कि न मालिक बंगाली हैं और न ही मजदूरों का बहुमत बंगाली है। संकीर्ण उग्र राष्ट्रवादी की दृष्टि से हम किसी मामले को पेश नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : आप उस भावना से ग्रस्त क्यों हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उससे ग्रस्त नहीं हूं ! उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वीय जिलों से आए उन निर्धन भूमिहीन लोगों के बारे में आप कोई परवाह नहीं करते जिनके पास पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों में मजदूर के रूप में कार्य करने के अलावा जीवन निर्वाह करने का अन्य कोई साधन नहीं है।...

श्री चन्द्रशेखर सिंह : सबसे अधिक बंगालियों को ही प्यार करते हैं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : निर्जीव शहर और निर्जीव उद्योग के बारे में बातें करने की बजाए आप कृपया थोड़ा सा प्यार दिखाएं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) आपको इस प्यार की कीमत चुकानी पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं आजकल कच्चे पटसन का समान वितरण नहीं किया जा रहा है इसको सिद्ध करने के लिए जो कुछ पहले कहा गया है वही काफी है। इसको तीन बातों से सिद्ध किया गया है और इनमें से एक तो स्वयं वक्तव्य है जिसको पृष्ठ 2 पर दिया गया है जिसमें विशेष रूप से कमजोर मिलो का कच्चे पटसन का समान वितरण करने की आवश्यकता की बात कहीं गई है इसका मतलब यह हुआ कि आजकल समान वितरण नहीं किया जा रहा है।

भारतीय पटसन मिल एसोसियशन की हाल ही की थी वार्षिक बैठक में जो पिछले महीने कलकत्ता में हुई थी एसोसियेशन अध्यक्ष श्री के० के बोजोरिया ने यह कहा है :

> "उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कच्चे पटसन के उपलब्ध भंडार का समान रूप से वितरण करके उसका उपभोग करने की योजना बनायी जानी चाहिए।"

अत: भारतीय पटसन मिल एसोसियशन के अध्यक्ष भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि कच्चे पटसन के भंडार का समान वितरण नहीं किया गया है।

माननीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीयकृत मिलों के पास अतिरिक्त कच्चे पटसन का इतना अधिक भंडार है कि वे अब भी उसमें से कमजोर मिलों को एक लाख गांठें देने की स्थिति में हैं।

इसका क्या सबूत है ? इससे मेरे कहने की पुष्ठि होती है कि कुछ मिलों के पास भंडार है। हमें इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया और उन्होंने उसे किस प्रकार से अपने पास एकत्रित कर लिया।

कुछ अन्य मिलें भी हैं जिन्हें कमजोर मिल कहा जाता है और बहुत कठिनाई की स्थिति में हैं।

कच्चे पटसन की सप्लाई को नियमित करने का किसका काम है ? मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ता में आपके पटसन आयुक्त क्या कर रहे हैं ? पटसन आयुक्त अर्थात् आपके

भारतीय पटसन निगम के और आपकी वाणिज्य मंत्रालय को प्राधिकार यह देखना उनका दायित्व है कि कच्चे पटसन की नियमित सप्लाई हो और कच्चे पटसन के भंडार को सभी मिलों के बीच बराबर बांटा जा सके। आपने यह क्यों नहीं किया ? आप इस कार्य में पूर्ण रूप से असफल हुए हैं ? अब आप कह रहे हैं कि आप इससे बहुत संबंधित हैं आदि इन सभी वर्षों में हम पटसन के मिल मालिकों से सुनते आए हैं—आप मुझे माफ करेंगे, मैं पिछले 30 वर्षों से इस उद्योग से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ हूं—हम हमेशा यही सुनते आए हैं। बांग्ला देश से प्रतियोगिता, है, दूसरे कपड़े से या दूसरे प्रकार के कृत्रिम वस्त्रों से प्रतियोगिता है, मिल मालिकों के अनुसार यह मुख्य समस्या थी। कई वर्षों के बाद पहली बार हमें बताया गया कि कच्चे पटसन में कमी हुई है और कच्चे पटसन की अत्यधिक ऊंची कीमत ने समस्या पैदा कर दी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस वर्ष पटसन की कीमत में वृद्धि हुई है।

मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ष कीमत बहुत अधिक क्यों बढ़ी है। हांलाकि कृषकों द्वारा पटसन कि चौलियों को बेचने के बाद भी कीमत बढ़ती गई है। जो कोई भी पटसन व्यवसाय और और उद्योग के बारे में कुछ जानता है उसे पता है कि यह विश्व में सबसे अधिक सट्टे का व्यापार है इसमें भयानक सट्टेबाजी है। इस उद्योग और व्यवसाय में लगा हुआ बाजार, फातका बाजर पूरी तरह से अनियमित और अनियंत्रित है। और इसलिए लोगों द्वारा कीमतों को सट्टे की ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाता है जो भंडारों को एकत्रित कर लेते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से कच्चे पटसन की कीमतें दबी रहीं। उन्हें हमेशा दबाया जाता है। फसल होने के समय, मिल मालिक कहते हैं, "हम इसको खरीदने नहीं जा रहे हैं।" कीमतें गिर जाती है। और तब वे कम कीमत पर किसानों से भंडार खरीद लेते हैं और कई वर्षों से किसान यह महसूस करने लगता है कि यह अधिक उपयुक्त होता कि हम अपनी कुछ भूमि में कोई और फसल लगायें। पटसन उगाने के स्थान पर हम ध्यान और अन्य व्यापारिक फसलों को क्यों नहीं उगाते ? कच्चे पटसन की फसलों को उगाने से यह ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसमें इस तरह की कोई चाल नहीं है जिसके द्वारा मिल मालिक को कम से कम मूल्य पर खरीद सकें। इसके अतिरिक्त वे खाद्य फसलों का अंशदान भी करेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब अविलंब कुछ करना चाहिए। इन मिलों को शुरू करना है 60-70,000 लोगों को उनके परिवार सहित सड़कों पर इस तरह मोहताज होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। कृपया आप अपने आप को थोड़ा सा प्रेरित और कलकत्ता में आइये। यदि आप कलकत्ता जाने से घबराते हैं तो सभी संबंधित लोगों को यहां बुलाइए। यदि आप कलकत्ता जाने से घबराते हैं तो सभी संबंधित लोगों को यहां बुलाइए। हम लोग पूरी तरह से यहां आने को तैयार हैं और कार्य करने के बारे में हम आपको अपने सुझाव तथा राय देंगे।

राष्ट्रीयकृत पटसन निगम की राष्ट्रीयकृत मिलों ने भी उसी कीमत पर खरीदा है। उन्होंने इसका प्रबंध किया ? उन्होंने किसी भी कम या सस्ती दर पर पटसन नहीं खरीदी है। उन्होंने बाजार की कीमत पर खरीदा है कीमत पर भारतीय पटसन निगम ने उसे कीमत पर

लिया और उनके पटसन का उचित मूल्य दिया तथा इसका प्रबंध ठीक तरह कर रहे हैं ये केवल निजी मिल मालिक हैं जो जान बूझकर कृत्रिम स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे आगे चल कर उनको लाभ होता है या उनको संख्या से अधिक छूट प्राप्त करने में मदद मिलती है तो उनको यहां तक अनुमति दे दी है कि उनको होने वाली हानि का कुछ भाग राज्य व्यापार निगम वहन करे गलीचे बनाने पर जब उनको हानि होती है तो भारतीय राज्य व्यापार निगम को 50 प्रतिशत तक हानि उठानी पड़ती है। मैं नहीं जानता कि आप इस से अधिक उद्योग-पतियों के किसी एक समूह के और कितनी अधिक सुविधा दे सकते हैं। अभी तक वे संतुष्ट नहीं हैं।

क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि आधुनिकीकरण के लिए उन्हें बहुत रियायती दर पर जो ऋण का देने का प्रस्ताव किया गया था उसका उन्होंने इतने वर्षों तक फायदा क्यों नहीं उठाया ? हमें हमेशा यह बताया जाता है कि इस उद्योग को आधुकीकरण किया जाए। उसको करने के लिए कौन रोकता है? आधुनिकीकरण प्रयोजन के लिए छूट की दर पर हर वर्ष आई० डी० बी० आई० उन्हें ऋण का प्रस्ताव करता था। लेकिन इन मिलों के मालिकों ने ये ऋण कभी नहीं लिए और इन ऋणों का कभी फायदा नहीं उठाया क्योंकि उनकी पुरानी मशीनों से काम चलाने पर अधिक लाभ होता है और उस लाभ की राशि को राज्य से बाहर ले जाकर किसी अन्य स्थान पर अन्य उद्यम में लगा देते हैं इन पटसन की मिलों ने सीमेंट, रसायन तथा और अन्य एकक पश्चिम बंगाल के बाहर शुरू किए। इन मिलों के संसाधन समाप्त हो गए हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हैं कि श्री माकन बार बार यह कह रहे हैं कि ऐसे भी मिलें हैं जिनका कुल उपयोगिता शून्य रह गई हैं। हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि कैसे भी देश के वित्त मंत्री ने इस साहसपूर्ण बक्तव्य के द्वारा जो बहुत प्रशंसा पाई है कि ऐसी कम्पनियों को मौजूदा प्रबन्ध को जिसकी उपयोगिता शून्य रह गई हैं इन्हें उन एककों की व्यवस्था करने के लिए और आगे मंजूरी नहीं दी जाएगी तथा यह कि उन्हें बदल दिया जाएगा। इसीलिए वह ठीक ही पूछते रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या करने का प्रस्ताव करते हैं। मैं आपको उन मिलों की एक सूची दे सकता हूं जिनकी कुल उपयोगिता या तो शून्य रह गई है या 50 प्रतिशत कम हो गई है। यदि वह 50 प्रतिशत तक कम हो गई है तो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि तब उन्हें हिस्सेदारों बोर्ड से नया आज्ञा पत्र प्राप्त करना है। लेकिन जिनकी कुल उपयोगिता पूरी तरह से रह गई है उन्हें आप काम करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? आप तुरन्त जांच क्यों नहीं कराते ताकि प्रबन्धकों को यहां से निकाला जाए ? तब आपको निर्णय करना है कि आप कहां से नए प्रबन्धक एंव या क्या आप उन्हें एन० जे० एम० सी० में शामिल करेंगे या फिर आप क्या करेंगे ? लेकिन निश्चय ही उनको इस तरह इस उद्योग को इस तरह नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं ; सदन में कुछ ठोस आश्वासन दिए जाने चाहिए कि इन मिलों को खोलने ; दोबारा से शुरू करने के बारे में अगले कुछ सप्ताहों के भीतर वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं ; उसके लिए क्या वे सभी सम्बंधियों के एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे जिसमें वे एक साथ बैठें और विचार करके कुछ उपाय निकालें या वे

इसी तरह, स्थिति को इसी तरह, चलने देते रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय, जैसा कुछ मैंने मिनट पहले कहा था हम नहीं समझते कि पटसन उद्योग निर्जीव होता जा रहा है । इस शब्द के बार-बार उल्लेख होने पर मैं आश्चर्य चकित हूं कि क्या एक विशेष राजनैतिक दल निर्जीवता की कामना करता है हर वे समय शब्द 'निर्जीव' का प्रयोग कर रहे हैं, हम इसे निर्जीव उद्योग नहीं समझते है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहिये ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैंने अभी स्पष्ट किया है कि स्थिति, आज जैसी है उसमें निश्चय ही सुधार आयेगा और अगले दो तीन महीनों में हम इस स्थिति से राहत पाने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, उन्होने कई बातों के बारे उल्लेख किया जिनके बारे में अधिक विवाद नहीं है । मैं पूरी तरह सहमत हूं जैसा कि मैंने बताया है, जैसा कि मैं स्वीकार करता हूं कि विभिन्न मिलों के बीच पटसन के भंडार के वितरण के मामले में असमानता हुई है । एम. जे.एम.सी. मिलें पूरे मौसम में बिना किसी सरकार के काम कर सकने योग्य होंगी । वास्तव में, वे आज की बन्द मिलों का कुछ भार वहन किया है और उनकी खपत के लिए उन्हें कच्चा पटसन दिया है, मैं उसे इससे पहले भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पटसन नियंत्रण और लाइसेंस आदेश, 1961 के अन्तर्गत पसटन स्टाक को नियमित करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं ; पटसन आयुक्त ने 17-10-84 को आदेश जारी किया था जिसमें मिलों को यह निदेश दिया गया कि 31-10-84 तक वे 6 सप्ताह खपत के लिए पर्याप्त भंडार अपने पास रखे : बाद में 1-4-84 को आदेश जारी किए गए थे जिसमें पटसन मिलों को सलाह दी गई थी कि वे 30-4-85 तक 5 सप्ताह तक की खपत के लिए भंडार अपने पास रखें और 31-5-85 तक 4 सप्ताह तक की खपत के अनुसार भंडार को रखें ।

जहां तक बड़े किसानों या पटसन मिलों के पास पड़े हुए वे नामी भंडार या अन्य भंडार था का सम्बन्ध है राज्य सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पटसन को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है और यदि आशा करते हैं कि राज्य सरकार उन भडारों को निकालने के लिए कदम उठाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय पटसन निगम उन्हें समय पर निकाले गए भंडार को खरीदने में मदद करेगी और हस्तक्षेप करने में सक्षम होगी लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि वे सभी उपाय जो हमने उठाए हैं वह स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हैं, वे दबाब से थोड़ा सा छुटकारा दे सकते हैं लेकिन आज की परिस्थितियों के अन्तर्गत आने वाले तीन महीने, मजदूरों के लिए जो पटसन उद्योग में लगे हुए हैं, संकट के महीने होंगे अत: मैं पूरी तरह से सहमत हूं और मामले में पहल करने तथा राज्य सरकारों, संगठनों और मजदूरों के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इतने समय तक यह सब आपने क्यों नहीं किया ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मैं आपको जरूर बताऊंगा ; आरोप लगाने का कोई प्रश्न नहीं

है, वास्तव में मुझे आपको बताना चाहिए ! यह विषय है। इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 26-2-85 को एक निपक्षीय बैठक आयोजित की थी लेकिन इस पर उन्होने कुछ नहीं किया ; उन्होंने किसी बात का पूरा लाभ नहीं उठाया और वर्तमान स्थिति को सरल बनाने के लिए उपाय नहीं सुझाये ;

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो अपने कदम क्यों नहीं उठाए ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यह मामला बुनियादी रूप से राज्य सरकार से संबंधित है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल लगे हुए कई मजदूरों से संबंधित है, अतः राज्य सरकार को पहल करनी है, लेकिन उन्होंने अभी तक मामले में पर्याप्त ढंग से पहल ही की है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने क्या पहल की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि, कोई इसमें हस्तक्षेप करें । मन्त्री जी को जबाब देने दो ; मैं सदस्यों से शांत रहने का अनुरोध करता हूं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पटसन के मिल मालिक राज्य सरकार या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेन्टर आफ इन्डिया ट्रेड यूनियन, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि की संयुक्त मांगों के बारे में कोई बात नहीं सुन रहे हैं ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : मुझे माननीय महिला सदस्य को स्पष्ट करना चाहिए ! आपने जमा भंडार के बारे में पूछा है । गुप्त ने भी भंडार के बारे में पूछा है ।

राज्य सरकार ने उनके लिये भंडार को निकालने के लिए क्या कार्रवाई की है, कि उन्होंने मामले पर कार्यवाही नहीं की और हमने उनसे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है, कई विषयों के सम्बन्ध में हमने राज्य सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए हैं, वह समय नहीं है जबकि हम राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन पर अरोप लगाएं ;

हमें इस उद्योग में लगे हुए लोगों तथा मजदूरों की सहायता करनी होगी । मैं इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि हम संगठन मजदूरों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने की कोशिश करें और यह देखना कि क्या किसी अन्य उपाय पर भी सहमति हो सकती है जिससे कि पश्चिम बंगाल के श्रमिकों से सभी तरह की सहायता देने के हमारे वायदे पर समय पर कार्यवाही की जा सके ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इसे जल्दी ही बुलाइए ।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूरी तरह समहत हूं कि इस उद्योग से काफी मामले विदेशी मुद्रा की आय होती है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पटसन उद्योग का विदेशी कारोबार दिन प्रति दिन कम

होता जा रहा है। सन् 1978-79 के दौरान 337.4 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई जबकि 1983-84 में यह घटकर 163.7 करोड़ रुपए रह गई और 1984 में यह इससे भी कम हो सकती है। इस उद्योग में 40 लाख परिवार जिनमें किसान भी शामिल हैं तथा 2.5 लाख मजदूर परिवार लगे हुए हैं। अतः यह हमारे सामने एक ज्वलंत समस्या है और हम इस समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकालना होगा अन्यथा वे इन सभी कम्पनियों को अत्यन्त दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि लोक सभा चुनाव समाप्त होने के पश्चात ये सभी मिलें बन्द कर दी गई ताकि नयी सरकार से कुछ सुविधाएं अथवा रियायतें आदि मिल सकें। मैं उनसे पूर्णयता असहमत हूं। मैं इसका खंडन करता हूं। एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस समिति प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कम से कम 10 सप्ताह के लिए स्टाक रखने हेतु ऋण दिया जाना चाहिए। परन्तु ऋण के अभाव में मिलें सिर्फ पन्द्रह दिन या उससे भी कम समय के लिए स्टाक रखती हैं। वर्तमान ऋण सीमा 1982-83 में निर्धारित की गई थी जब पटसन का मूल्य सिर्फ 240 रुपए प्रति क्विंटल था। आजकल यह मूल्य बढ़कर 900 से 1000 रुपए प्रति क्वंटल हो गया है यही मजदूरों की समस्या व अन्य समस्याओं के अलावा यह एकमात्र महत्वपूर्ण कारण है कि छोटे जूट उद्योग अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हैं।

महोदय, इन मिलों के बंद होने का एक और कारण है बहुत ज्यादा प्रतियोगिता निम्न-स्तर का रेशा। जापान को वर्षों अधिक मानों पटसन निर्यात करने वाला भारत ही एकमात्र प्रतियोगी था परन्तु हाल ही में जापानियों ने हमें कि वे पटसन का आयात हमारे देश से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे दाम ज्यादा हैं और किस्म घटिया है। मैं कुछ आंकड़े दूंगा। वे पटसन उत्पादों का भारत से ज्यादा बंगलादेश और थाईलैंड से आयात कर रहा है। सन् 1983 में जापान बंगाल देश से 5040 मीटरिक टन के लगभग पटसन उत्पादों का आयात किया। 1984 में यह बढ़कर 13,200 मीटरिक टन हो गया है। इसी तरह से, थाईलैंड से उन्होंने 1983 में 2218 मीटरिक टन तथा 1954 में 2384 मीटरिक टन पटसन उत्पादों का आयात किया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए क्योंकि हमने चर्चा पहले ही विस्तार से कर ली है। आप सिर्फ तो प्रश्न पूछिए जिसका आप उनसे जवाब चाहते हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मिलें बन्द होने का यह एक कारण है ? क्या इसका कारण प्रतियोगिता एवं माल का निम्न स्तर हैं क्या यह हमारे देश के पटसन उत्पादों के कम टिकाऊपन व खराब किस्म के कारण हुआ है क्यों कि सीमेंट और उर्वरकों की पैकिंग के लिए सिन्थेटिक बोर में निम्न दरों पर उपलब्ध हैं। क्या यही कारण है कि बोरियों आदि की कीमतें हर रोज गिरती जा रही हैं ? हमसे पटसन उत्पादन लेने के लिए तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रक्रिया है। वे क्या यही कारण है दूसरे देश क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ताकि उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता दी जा सके।

मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उसने कालीनों पर स्थिति शुल्क समाप्त कर दिया है। इसके बावजूद भी भारतीय कालीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने में असमर्थ हैं। इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

महोदय, कुछ महीनों पहले, चीन ने तकनीकी सुधार किस्म नियंत्रण को लागू करने तथा शोध एवं विकास कार्य करने के लिए 50,000 अमरीकन डालर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है जिसके फलस्वरूप उत्पादन एवं स्तर में सुधार हुआ है। अब प्रश्न है कि चीन से इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जूट मिल्स एसोसिएशन ने चीन से मशीन खरीदने विकसित तकनीकियों आदि के बारे में जानकारी हासिल करने का निश्चय किया है। इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? पटसन उद्योग को जीवित रखना पटसन उद्योग को जीवित रखना पटसन मिलों के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है पटसन मिलों की स्टाक सीमा, कच्चे पटसन के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बढ़ा देनी चाहिए। उन्हें उद्योग को चलाने के लिए कम से कम 2 महीने का स्टाक तो रखना ही पड़ता है।

पटसन से बने सामान सम्बन्धी निर्यात नीति को निश्चित करने की आवश्यकता है यह पटसन मिलों के लिए लाभकारी होगी। राज्य व्यापार निगम को कालीनों के निर्यात में मदद करने को कहा गया था जैसा कि मंत्री जी ने कहा है यदि व्यापार निगम इन सभी निर्यात वस्तुओं के लिए सहायता प्रदान नहीं करती तो ये मिलें बंद हो जाएंगी। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार ने विदेशों से कच्चे पटसन का आयात करने की व्यवस्था भी की है। आयातित पटसन का मूल्य 740 रुपए प्रति क्विंटल है और देशी उत्पादन का मूल्य 900 रुपए लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल है।

अगर हम कच्चे पटसन को आयात करें तो पटसन की खेती में लगे हुए किसानों को पटसन उगाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी और हमारा देश कच्चे तेल पटसन के बारे में आत्म निर्भर नही हो सकेगा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि पटसन मिलों के बंद होने का कारण कलकत्ता बंदरगाह में बार-बार हड़ताल होना हैं ? ये हड़तालें बार-बार हो रही हैं एक महीने में हफ्ते में हड़तालें होती रहती है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह भी एक कारण है मिल के बंद होने का ? माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री जी ने 26 फरवरी 1685 को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी। परन्तु बैठक का नतीजा क्या निकला ?

क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस बैठक का परिणाम जान सकता हूं। हाल ही में माननीय श्रम मंत्री ने राज्य सभा में बताया कि सरकार को बताये बिना वे पटसन मिलों को बंद नहीं कर सकते। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि मिलों को बंद करने से पहले उन्होंने माननीय श्रम मंत्री जी को सूचित किया अथवा उनसे इजाजत ली थी कि हम मिलें बंद कर रहे हैं ?

अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो केन्द्र सरकार को सूचित न करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा की जाएगी ? मैं उन सवालों का जवाब माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में विशेषरूप से पूर्व क्षेत्र में पटसन उद्योग की एक विशेष स्थिति है। 40 लाख पटसन उगाने वाले परिवारों के उद्योग और 2.50 लाख औद्योगिक श्रमिकों को इस उद्योग से जुड़े रोजी मिल रही है। इस ओर हमारा पूरा ध्यान है और हमने इस संकट को दूर करने के लिए कदम भी उठाए हैं। माननीय सदस्य ने बात से उचित मुद्दे भी उठाए हैं और इतनी ज्यादा जानकारी दी हैं कि कोई अब उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी बातें बताने के के लिए मैं उनका आभारी हूं।

आयात के बारे में हम इस वर्ष भी विचार कर रहे हैं। यह पुरानी प्रक्रिया है जब किसी भी उद्योग में कच्चे माल की और इस मामले में कच्चे पटसन की कमी हो जाती है तो आयात करना ही पड़ता है।

इस स्थिति को देखते हुए हमने विदेशों से कच्चा पटसन आयत करने का निर्णय लिया। इससे स्थानीय उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सच तो यह है कि इसके दाम इतने ऊंचे हैं कि अपने आने वाले वर्षों में कच्चे पटसन की स्थानीय पैदावार को काफी बढ़ावा मिलेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा श्रम मंत्री जी 26-2-1985 को बुलाई गई त्रिपक्षीय बैठक के परिणामों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका और इस स्थिति को सम्भालने के लिए राज्य सरकार कोई भी प्रभावी उपाय करने में असमर्थ रही है। मैं यह भी बता चुका हूं कि भारत सरकार ने कुछ उपाय किए हैं जैसे कि जो पटसन का भंडार है उसका पुनः आकलन करना बंगलादेश से कच्चे पटसन का आयात कराया जाना। इससे कुछ हद तक स्थिति सुधरेगी।

परन्तु हमें यह सोचना चाहिए कि हम सभी की सहमति हम उद्योगों में कार्यरत दलों कम्पनियों की सहमति से और क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आने वाले वर्षों में स्थिति में सुधार लाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं तो समझता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेबर मिनिस्ट्री को जाना चाहिए या क्योंकि स्टेटमेंट में सबसे प्रमुख कारण जूट मिलों के बंद होने का, औद्योगिक विवाद बताया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कहां बताया गया है ?

श्री जैन बशर : लोगों ने यहां भेजा ।

1·35 म० प०

(**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए**)

मैं और तो कुछ नहीं जनता, सिर्फ इतना कहता हूं कि यदि इन जूट मिलों का राष्ट्रीय-करण कर लिया जाता है तो पश्चिम बंगाल की सरकार उखड़ जाएगी... (**व्यवधान**)... वहां की सरकार उखड़ जाएगी । देखना यह है कि आप पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा नहीं दे सकते ।

यदि आपने स्टेटमैंट नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़िये । उसमें कहा गया है कि जूट मिलों के बंद होने के पीछे औद्योगिक विवाद है ...

... (**व्यवधान**)...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मालिक लोगों ने कहा है ...

श्री अंगुल बशर : मैं मालिक लोगों ने कहा होगा लेकिन उरकार कहती है कि औद्योगिक विवाद है यही बात है । मैं समझता हूं कि इसके पीछे पहला और सबसे मुख्य कारण वही है जो स्टेटमेंट में कहा गया है । सरकार ने कहा है कि एक औद्योगिक विवाद है और दूसरा कारण जूट की पैदावार का होना है, जूट का कीमतों का बढ़ना है ।

इन सारी बातों पर यहां अभी चर्चा हुई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि वहां की सारी जूट मिलें औद्योगिक विवाद बंद हुई है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार पर आती है और जिस जिम्मेदारी को नजर अंदाज करने की बड़ी खूबसूरती के साथ दोनों पक्षों की ओर से कोशिश हुई है एक पक्ष तो इस बात में दिलचस्पी रखता है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी का भार न आये, लेकिन मैं ममझता हूं कि हमारे मन्त्री जी भी अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार को उस जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे हैं।

जब सरिा मामला ही औद्योगिक विवाद का है तो वे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर कैसे और क्यों ले रहे हैं । यदि आप जूट की उपलब्धि बढ़ा दे या आपने जूट इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए जिन उपायों का जिक्र किया है वे सारे उपाय भी कर लें तो क्या उन जूट मिलों में हड़ताल खत्म हो जाएगी ? क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि उसके बाद वहां हड़ताल खत्म हो जाएंगी क्योंकि हड़ताल का मुख्य कारण तो औद्योगिक विवाद है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वहां हड़ताल नहीं है, लाक-आऊट है...

श्री अंगुल बशर : आई. एम. सौरी, हड़ताल नहीं, लॉक-आऊट के बारे में ही मैं कहना

चाहता था कि यहां जो इंडस्ट्रियलिस्टस ने लॉक-आउट किया है, यहां की सरकार ने उसको इजाजत कैसे दी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसकी इजाजत नहीं लेनी पड़ती, लॉक-आउट के लिए...

श्री मंगुल बशर : क्या ऐसा कोई कानून है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कानून में नहीं है और कानून आपके बनाए हुए हैं।

श्री मंगुल बशर : यदि कानून में नहीं है तो आपने कार्यवाही क्यों की, वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या कभी केन्द्रीय सरकार को यह रिकमेंड करके भेजा कि जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वाह वाह ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल विधान सभा ने कई बार एकमत से इस संकल्प को पारित किया है और इसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तीन बार।

[हिन्दी]

श्री मंगुल बशर : यदि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार पास भेजा कि तमाम जूट मिलों का राष्ट्रीकरण कर दिया जाए, तो आप उसके बारे में बताईये आपने ऐसा प्रस्ताव कब भेजा और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। लॉक-आउट के बाद आपने क्या कार्यवाही की, वह भी बताईये।

उपाध्यक्ष जी यह मामला बिल्कुल औद्योगिक विवाद का है और पश्चिम बंगाल की सरकार उसको हल करने में पूरी तरह फेल हो गई है। पश्चिम बंगाल की सरकार बड़ी अजीब सरकार है, अपने ढंग की अनोखी सरकार है एक तरफ तो वह मजदूरों से हड़ताल करवाती है सरकार में होते हुए मजदूरों से हड़ताल करवाती, बंगाल बन्द कराती है रेलगाडियों को रोकने का काम करती, मिलों में हड़ताल कराती है और दूसरी तरफ बड़े लोगों, इंडस्टीयलिस्टस के द्वारा लॉक-आऊट करवाती है, लॉक-आऊट के लिए वातावरण बनाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : काबिल सरकार है आपकी भी।

श्री मंगुल बशर : काबिल सरकार तो है क्योंकि लोगों ने उसे चुना है, चुनकर।

मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रपोजल पर वह तैयार हो गये। वह कलकत्ता या दिल्ली में, श्री जो इन्ट्रेस्टड लोग हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि यह मिलें कैसे खोली जायें? कितनी जल्दी और कैसे इन 60,65

हजार लोगों को फिर से रोजगार पर लगाया जायेगा ? इसके लिये आप क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई साफ जवाब नहीं दिया है ।

मेरे ख्याल से इसका मुस्तकिल हल यही है कि इन जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये । जब आप नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन में 1 करोड 20 लाख रुपये का घाटा उठा रहे हैं, सिर्फ वर्कर्स को रोजी-रोटी देने के लिये और ये 5 सरकारी मिलें जो कि नेशनलाइज्ड हैं, वह ठीक चल रही हैं, तो वह मिलें भी ठीक चलेगी । जैसा कि बताया गया है कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि जब मिलों की एसेट्स जीरो पर आ जायेंगी तो उनको टेक-ओवर में लिया जायेगा और उनके मैनेजमेंट को कम्पनीज से हटा दिया जायेगा, तो यह सरकार की निर्धारित नीति है । इसमें यह बात कहना कि हम टोटेलिटी आफ थिंग्ज इसको लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इन्हें सरकार को मिलों के राष्ट्रीयकरण करने का फैसला करना चाहिए ।

आप वेस्ट बंगाल सरकार से भी कह सकते हैं कि जहां तक औद्योगिक विवाद का सवाल है, उसको वह हल करें । अगर वह हल नहीं कर सकती तो आप कुछ कार्यवाही कीजिये ।

बंगाल के लोगों को बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता अब चुनाव आ रहा है आपको पता चलेगा कि आप कितना धोखा लोगों को दे रहे हैं और कितना नहीं दे रहे हैं । लेकिन यह सारी जिम्मेदारी आप किस खूबसूरती के साथ उठा रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है ? बंगाल सरकार बिल्कुल इस मामले में फेल कर गई है ।

मुझे याद है, जब बम्बई में टैक्सटाइल वर्कर्स की हड़ताल हुई थी, उस समय सारे का सारा आरोप हम लोगों पर यही श्री इन्द्रजीत गुप्त और ये सारे लोग डालते थे, सारे का सारा आरोप महाराष्ट्र सरकार पर डालते थे । जब अब बंगाल में लॉक-आऊट हुआ है, मिलें बन्द हैं तो भी सारी की सारी जिम्मेदारी इधर है, उधर कुछ नहीं है ।

इन्द्रजीत गुप्त : हमने यह नहीं कहा, हमने वहां एक साथ बैठकर तय करो ।

श्री जैनुल बशर : तय वहां होना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चलिये ना वहां । बेरोजगार लोगों में गाजिपुर के भी बहुत लोग हैं ।

श्री जैनुल बशर : मुझे इनके बारे में चिन्ता है, यह भी आप उन्हें बता दीजिए ।

सभापति जी, मुझे उनकी बहुत चिन्ता है । यह 60, हजार मजदूरों की रोजी-रोटी का मसला है और पश्चिम बंगाल की सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है यह बात मैं वहां बताने का इरादा रखता हूं । आप मत बताईये, मैं खुद वहां जाकर बताना चाहता हूं । सवाल यह है कि इसको कैसे हल किया जाये ?

हमारे मन्त्री महोदय वहां जाने के लिए तैयार हो गये हैं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री जैनुल बशर : महोदय मैंने बहुत कम समय लिया है। मुझ से पहले वाले वक्ताओं ने काफी समय लिया है। आप मेरे प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। आप कुर्सी पर बैठते ही घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। महोदय यह उचित नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी मेरी हमदर्दी आपके साथ है।

सभापति महोदय : ठीक है। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर : सभापति जी 60-65 हजार लोगों की रोजी-रोटी का मामला है इसको केवल बहस करके हटा नहीं दिया जाना चाहिए इसको मैं बार-बार कहता हूं। बहुत से सवाल पूछे गये, जवाब आये कि आप इसका राष्ट्रीयकरण करें मुझे यह जवाब दें कि वैस्ट बंगाल सरकार ने कब आपसे यह कहा है कि फैसला भेजा है, आपसे दरख्वास्त की है कि आप इन मिलों का नेशनलाइजेशन करिये और उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और दूसरा जो प्रमुख सवाल है कि आप इन मिलों को कितनी जल्दी खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें कितनी जल्दी 60-65 हजार जो वर्कर्स हैं वह रोजी-रोटी से लाभान्वित हों। यह खास दो सवाल हैं, जिसका कि मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कई बातों की चर्चा की है, लेकिन खास तौर से उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार की क्या भूमिका रही है, इसका उल्लेख किया है और जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है। मैंने इसको पहले भी जाहिर किया है कि 25 फरवरी 1985 को पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री ने एक ट्राईपार्टराइट मीटिंग कॉल की थी, जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया जहां तक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना था, वह इस राय के थे कि चूंकि स्टाक जूट का नहीं है इसलिए सप्ताह में 5 दिनों का काम चलना चाहिए। जो हमारे मजदूरों प्रतिनिधि थे, उनका यह कहना था कि वह जूट की कमी का प्रश्न निराधार है, जूट उपलब्ध है और उनके अनुसार बड़े किसान या कुछ मिल-मालिकों ने स्टाक बना रखा है, जिसको निकालने की जरूरत है, लेकिन उस बैठक में कोई एक राय नहीं बन सकी और जिसके बाद कार्यवाही का कार्य रूप हमारे सामने खड़ा नहीं हो सका जिसकी वजह से पिछले दो महीनों में स्थिति और गम्भीर होती गई, इसलिए जहां तक स्टाक को निकालने का सवाल था या कोई निश्चित सवाल था ऐसा भारत सरकार के पास पश्चिम बंगाल की तरफ से कोई नहीं आया और राष्ट्रीयकरण का भी जो प्रस्ताव था वह लॉक आउट के बाद हमारे सामने नहीं आया है। उसके पहले 25-6-83 में पश्चिम बंगाल की विधान सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन अभी जो परिस्थिति पैदा हुई उसके संदर्भ में ऐसा कोई सुझाव पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से नहीं आया।

मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत सरकार केवल इस दृष्टिकोण से इस सवाल को नहीं देखती कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने दायित्व को कितनी देर तक पूरा किया या नहीं।

मैं समझता हूं कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका कोई निराकरण किया जा सके।

माननीय सदस्य ने राष्ट्रीयकरण की चर्चा की है। जैसा मैंने इसके पहले भी कहा उसके विभिन्न पहलू हैं और उसके सम्बन्ध में अनायास कोई राय जाहिर करने के लिए मैं अपने को सक्षम नहीं समझता हूं लेकिन अभी जो इस सूचना के द्वारा ध्यान आकर्षण किया गया गया है वह इस स्थिति के तात्कालिक पहलू की तरफ है। इसका दीर्घकालीन पहलू भी विचारणीय विषय है। उसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है। और अपनी कोई न कोई जूट नीति निर्धारित करने के लिए पहले अपना रुख इस सम्बन्ध में अख्त्यार करेगी जिससे आगे आने वाले वर्षों में यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके और तरक्की कर सके। लेकिन इसका तात्कालिक पहलू जो आपके सामने प्रकट हुआ है उसका निराकरण करना आवश्यक है और इसलिए मैं इस बात से सहमत हुआ कि अगर भारत सरकार की ओर से पहल करने से इसका कोई निदान निकल सके तो मैं यह पहल करने के लिए तैयार हूं।

मैं इस सदन को और इस उद्योग में लगे हुए कामगारों को तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि मैं इस सवाल को इस निगाह से नहीं देखता हूं कि ये बिहार के मजदूर हैं या गाजीपुर के हैं या बंगाल के हैं। जितने भी मजदूर हैं उनकी मदद करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी शक्ति और क्षमता से काम करना चाहते हैं।

———

1.52 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में औद्योगिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी का भुगतान न किया जाना।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि देश तमाम उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी नहीं मिल रही है और उनका नियोजकों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कुछ उद्योगों मे तो कार्यरत मजदूरों की कुल संख्या का 90 प्रतिशत आज भी दैनिक मजदूर के रूप में काम करने को विवश किए गए हैं। औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं भी उन्हें प्रदान नहीं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय श्रम मन्त्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद के खलीलाबाद स्थित छपाई मिल और संजय पेपर मिल की ओर खास कर के दिलाना चाहता

हूं जहां बड़े पैमाने पर श्रमिकों का शोषण हो रहा है। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में इस प्रकार श्रमिकों के विरोधी कार्य करने वाले उद्योगों पर कड़ी निगाह रखी जाये और दोषी उद्योगों को दंडित किया जाये।

(दो) आंध्र प्रदेश के वारंगल तथा अन्य जिलों में सूखे की स्थिति और काकातिया नहर पर उद्वह सिंचाई योजना की व्यवस्था करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : जिला वारंगल में जनगांव, चरियाल, धारीपुर, नलगोंडा जिले में सूर्यपेट का कुछ हिस्सा और करीम नगर जिले के हुस्नाबाद और हुजानाबाद में भयंकर सूखे की स्थिति है? वहां रहने वाले लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। दिन प्रतिदिन ये इलाके मरुस्थल बनते जा रहे हैं।

इस समस्या का समाधान काकारिया नहर पर उद्वह सिंचाई योजना बनाकर किया जा सकता है।

हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अक्तूबर 1984 में इन क्षेत्रों का दौरा किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि यहां पर काकातिया नहर से उद्वह सिंचाई द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इस योजना को सातवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल करने का वायदा किया था।

अत: मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकार से प्रतिवेदन मांगे और हमें पंचवर्षीय योजना में शामिल करें और काकातिया नहर उद्वह सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करायें।

इस योजना को कार्यान्वित कराने के लिए लोगों की बात पुरानी है, और इसको बनाने से श्रीमती इन्दिरा गांधी का अन्तिम वायदा भी पूरा होगा।

अगर इस योजना का कार्य शुरू नहीं किया गया तो इन क्षेत्र में रह रहे लोग मरुथल में समा जाएंगे।

(तीन) बाघों की संख्या में कमी को रोकने के लिए सिरासका, जिला अलवर में राष्ट्रीय बाघ परियोजना की परिसीमा के साथ-साथ कांटेदार तार की बाड़ लगाने की आवश्यकता

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : राष्ट्रीय बाघ परियोजना, सिरसा, जिला अलवर, हमारे देश की एक प्रतिस्ठित परियोजना है। बहुत बड़ी संख्या में विदेशी और हमारे देश के पर्यटक पूरे वर्ष इस परियोजना को देखने आते हैं। परन्तु कभी-कभी ये बाघ उन लोगों के शिकार लग जाते हैं जो इस परियोजना में छिप कर घुस आते हैं, क्योंकि इस परियोजना के चारों ओर कोई नई तार या कंटीले तार की बाड़ नहीं है।

यहां के वन्य पशु-परियोजना क्षेत्रों से निकलकर स्थानीय किसानों के आवास के

खेतों में घुसकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से इन किसानों का हरएक मौसम में भारी नुकसान होता है। और इनके बच्चों को कठिनाई का जीवन और कभी-कभी भुखमरी में निर्वाह करना पड़ता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह राष्ट्रीय बाघ परियोजना, सिरसा, जिला अलवर के चारों ओर कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम शीघ्र शुरू करें।

(चार) सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित तथा स्थायी करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा उसके उपक्रमों में विभिन्न नामों से अर्थात् अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी, बाहरी व्यक्ति, आरक्षित प्रशिक्षित पूल नैमित्तिक मजदूर, कार्यभार कर्मचारी, नामक नामावली कर्मचारी आदि नैमित्तिक मजदूर रखे जाते हैं। कर्मचारी कई वर्षों से स्थायी होने और काम की सुरक्षा की आशा के बिना कार्य कर रहे हैं ! उन्हें दो रुपये प्रति घंटा की दर से मजदूरी दी जाती है, और कुछ लोगों को दैनिक आधार पर और तथा कुछ को मासिक आधार पर मजदूरी दी जाती है ! कुल मिलाकर इनकी औसतन आय केवल 150/-रुपये प्रति माह होगी जो उनकी अपनी आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकती सरकार को देश के युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी का लाभ नहीं उठाना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक आदर्श नियोक्ता की तरह पूरे देश के संबधित अधिकारियों को सभी नैमित्तिक कर्मचारियों को स्थायी कराने का आदेश दें। अगर आवश्यक हो तो 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे सच्ची भावना से किया जा सकता है !

(पांच) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार भोपाल गैस रिसाव से पीड़ितों के प्रभाव को समाप्त करने (डि-टोक्सीफिकेशन) के लिए उनका सोडियम थायोसल्फेट द्वारा उपचार

श्री मन्नान मोल्लाह (उलबेरिया) : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि कि भोपाल गैस पीड़ितों के विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट द्वारा उपचार बहुत प्रभावकारी है। किन्तु भोपाल में अभी तक इस उपचार का प्रयोग करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। यूनियन कारबाईड के प्रतिवेदन में इस बात का संकेत है कि एम० आई० सी गैस भंडारण टंकी का तापमान 200 सेन्टीग्रेड से अधिक था जोकि एम० आई० सी० गैस विघटन तापमान के करीब है और इसके लिए हाइड्रोजन सियानाइड सोडियम थायोसल्फेट एक निश्चित उपचार है ! ऐसा प्रतीत होता है कि गैस के जहरीले प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एम० आई० सी० के साथ-साथ हाईड्रोजन सियानाइड और कार्बन मोनोआक्साइड जैसी अन्य जहरीली गैसे भी छोड़ी गई हैं। इस संदर्भ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निर्देशों के अनुसार गैस पीड़ितों को सोडियम थायोसल्फेट देने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने चाहिए। मेरा स्वास्थ्य मन्त्री से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध है।

(छः) चित्तौड़गढ़ में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की मांग

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़)-सभापति महोदय, नियम 377 के तहत सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय का ध्यान में चित्तौड़गढ़, राजस्थान में दूरदर्शन सुविधा दिलाने की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। सरकार का लक्ष्य 70 प्रतिशत जनसंख्या की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। सरकार का लक्ष्य 70 प्रतिशत जनसंख्या को टेलीविजन नेट-वर्क से जोड़ने का था। चित्तौड़गढ़ जो एक ऐतिहासिक स्थल होकर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, अभी तक दूरदर्शन नेट-वर्क से नहीं जुड़ पाया है। इस स्थान के चारों तरफ टेलीविजन नेट-वर्क से जुड़े स्थान हैं, जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा तथा रतलाम-केवल चित्तौड़गढ़ ही वंचित है। मेरा सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पहाड़ियों पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगावें, जिससे राजस्थान के कई छूटे हुए स्थानों पर भी यह सुविधा पहुंचे। आपका विचार एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर राजस्थान में लगाने का है। मेरा निवेदन है कि यह चित्तौड़गढ़ में ही लगाया जावे। यह कई छूटे हुए स्थानों को दूरदर्शन नेट-वर्क से जोड़ देगा जैसे प्रतापगढ़ का आदिवासी इलाका, डूंगरपुर-बांसवाड़ा तथा मध्य प्रदेश का मंदसौर तथा नीमच भी इससे जुड़ जायेंगे। यह स्थान उदयपुर संभाग में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बीच में पड़ता है। अत: सरकार इस पर ध्यान दे।

(सात) गिरिडीह स्थित अभ्रक परिष्करण कारखाने में कर्मकारों की कार्य करने की स्थिति असन्तोषजनक और "मिडको" मुख्यालय को पटना से हटाकर गिरिडीह में लाने की आवश्यकता

श्री सरफाज अहमद (गिरिडीह) : सभापति महोदय, बिहार के गिरीडीह क्षेत्र में अभ्रक की प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज ही एक मात्र उद्योग है। किन्तु यहां पर मालिकों और सरकार द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण मजदूरों की हालत दयनीय बनी हुई है। फैक्टरी मालिक मजदूरों को स्थायी नहीं करते, हर तीन महीने बाद या तो उन्हीं को नाम बदलकर मजदूरी दी जाती है अथवा दूसरे कर्मचारी रख लिए जाते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। नियमों के अनुसार बाहर से मिलने वाले आर्डरों का 50 प्रतिशत सरकार के संस्थान मिडको को देना होता है, किन्तु मिडको भी अपनी फैक्टरी खोलकर और पर्याप्त मजदूर रखकर इन आर्डरों को सप्लाई नहीं करता वरन् उन्हीं फैक्ट्रीज के द्वारा 50 प्रतिशत का आर्डर भी सप्लाई कर देता है। इस प्रकार मिडको सरकारी आकांक्षाओं के विपरीत चन्द व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करने का एक साधन मात्र रह गया है।

मिडको का हैड आफिस गिरीडीह होना चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार भी जिस क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसका मुख्यालय वहीं होना चाहिए, मिडको का मुख्यालय गिरीडीह में होना चाहिए। इससे सरकारी धन की बचत तो होगी ही, साथ ही मजदूरों को भी अपनी समस्यायें अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अत: मेरा अनुरोध है कि

सार्वजनिक हित व सरकारी धन के अपव्यय को रोकने के लिए उक्त मुख्यालय तत्काल पटना के स्थान पर गिरीडीह में स्थापित किया जाये। तथा मजदूरों की हालत सुधारने के लिए इसका या तो डी-कैनलाइजेशन कर दिया जाए या अधिग्रहण कर लिया जाए।

2.0 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

विदेश मन्त्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में विदेश मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 28 जिसके लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किया गया है, पर चर्चा तथा मतदान को लिया जाएगा !

सदन में जिन उपस्थित माननीय सदस्यों के अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, सभा पटल पर 15 मिनट में उस कटौती प्रस्ताव का क्रमांक जिसे वे प्रस्तुत करना चाहते है। दर्शाते हुए पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए माने जायेंगे।

जो कटौती प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किए गए माने जायेंगे उनकी सूची कटौती प्रस्ताव क्रमांक दर्शाते हुए शीघ्र ही सूचना-पटल पर लगा दी जायेगी। अगर कोई सदस्य सूची में कोई त्रुटि देखे तो वह अविलम्ब सभा-पटल पर मौजूद अधिकारी को इसकी सूचना देने की कृपा करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गई विदेश मंत्रालय से संबंधित संख्या 28 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची स्तम्ब 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत विदेश मन्त्रालय से सम्बन्धित
अनुदानों की मांगें 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3		4
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए

1	2	3	4
विदेश मन्त्रालय :—			
28. विदेश मन्त्रालय 33,90,92,000	7,11,33,000	1,69,54,62,000	35,56,67,000

श्री एन० वेंकट रत्नम (तेनाली) : सभापति महोदय, भारत की विदेश नीति शुरू से विरासत में नाना से मां तथा मां से बेटे तक, स्थिर रही है ! मैं यह कहना चाहता हूं क्या हम ऐसे शुरू करें कि बांडुंग सम्मेलन में जवाहर लाल नेहरू पंचशील के संस्थापक थे । यह एक अद्भुत कहानी है । इस शांतिमयी मां के दो व्यक्ति थे ये दो अद्भुत संस्थापक जवाहर लाल नेहरू तथा चाऊ-एन-लाई थे जो बाद में मित्र नहीं रहे और उन्होंने स्थिति के लिए खेद प्रकट किया था ! हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने उसी नीति का पालन किया था । बहुत से अवसरों पर उन्होंने इस विदेश नीति को प्रतिपादित किया था । मैं स्वयं भारत की विदेश नीति स्पष्ट करने की बजाए एक या दो उदाहरण उन्हीं वक्तव्यों में से उद्धृत करूंगा क्योंकि उनको उद्धृत करना बेहतर होगा । अपनी दुःखद हत्या से पहले उन्होंने कहा—मैं उनके भाषण से उद्धृत करता हूं—वह इस प्रकार :

> "हम इच्छाओं तथा उद्देश्यों के विवादों में जकड़े एक खडित विश्व के निवासी हैं । सैन्य शक्तियों बीच गविश्वास इतना गढ़ गया है कि "शान्ति" शब्द को ही अब एक खतरनाकचाल समझा जाता है ! लेकिन मनुष्य जाति तभी जीवित रह सकती है अगर बड़ी शक्तियां एक साथ रहना सीखे । हमें वार्ताओं तथा हल खोजने की इच्छा से सहायक वातावरण बनाने के लिए सहयोग करना होगा । दूसरी खाई विकसित तथा विकासशील देशों के बीच है । मानव इतिहास में पहली बार भुखमरी तथा मांगपूर्ति के लिए तकनीकी साधन उपलब्ध हैं फिर भी इस ज्ञान लाभ कुछ लोगों तक पहुंचा है । जीवन-स्तर में असमानत बनी हुई है । ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं । पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण को नजदीक लाने के लिए भारत कार्यरत है ।"

और यह नीति उनके द्वारा घोषित की गई थी ।

22 मई 1984 को राष्ट्राध्यक्षों अथवा अर्जेन्टाइना, ग्रीस, मैक्सिको, स्वीडन तथा तनजानिया के शासनाध्यक्षों अथवा राज्याध्यक्षों के समक्ष यह कहा गया था :

> "राष्ट्रों के नेताओं के नाते, संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों के नाते परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने तथा उसको कम करने के लिए रचनात्मक कार्यवाही करने के लिए हम वचनबद्ध है । परमाणु युद्ध में परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्रों के नागरिक जितने भयभीत है हमारे देशों के लोग भी, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, कम भयभीत नहीं हैं । परमाणु को रोकने का प्राथमिक दायित्व परमाणु शस्त्र रखने वाले राष्ट्रों का है लेकिन यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको केवल इन राष्ट्रों के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता "

हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने पद-भार संभालने के तुरन्त पश्चात् विदेश नीति का मूल दृष्टिकोण तथा सिद्धांतों के प्रति अपनी वचन बद्धता को इस प्रकार दोहराया :

> "हमारा हमेशा से ही शान्ति के लिए कार्य करने में विश्वास रहा है। हमारी नीति सभी राष्ट्रों के साथ परस्पर सहयोग तथा हित के आधार पर मित्रता करने की है। गुट-निरपेक्षता तथा न्याय, समानता और आपसी सहयोग पर आधारित नयी आर्थिक व्यवस्था के प्रति हमारी वचनबद्धता अटल है। इसका अर्थ है शान्ति तथा विकास के दोनों कारणों के प्रति पूर्णतया समर्पण। राष्ट्रों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने तथा हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों में भी हमारा विश्वास है।"

ये पंचशील के दो मुख्य सिद्धांत हैं।

छः राष्ट्राध्यक्षों ने जनवरी, 1985 में एक बैठक करने का निर्णय लिया उनकी बैठक हुई और उन्होंने अनुवर्ती कार्यवाही के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार-विमर्श किया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसकी अध्यक्षता किसी और व्यक्ति ने नहीं बल्कि हमारे प्रधान मंत्री ने स्वयं की थी। निर्णय शस्त्रों की इस छोड़ को समाप्त करने के लिए बड़ी शक्तियों से बातचीत करने और उनको राजी करने के लिए एक समिति बनाने का एक महत्वपूर्ण अनुवर्ती निर्णय लिया गया था इस समिति ने पहले से ही अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। हमें इससे अच्छे परिणामों की आशा है। सम्मेलन में ही लोगों को यह चेतावनी दी गई थी कि सभी देशों पर सेना पर होने वाला व्यय बड़ी शीघ्रता से आश्चर्य चकित करने वाले 1000 अमरीकी बिलियन डालर प्रतिवर्ष की ओर बढ़ रहा है। इस पर ध्यान दिया गया था कि देशों का कर्त्तव्य न केवल शस्त्रों की छोड़ को रोकना है अपितु विकासशील और गरीब देशों की सहायता करना भी है। हमारे देश ने यह दृष्टिकोण अपनाया है। जहां तक विदेशी नीति का संबंध है, भारत ने पर्याप्त सेवा की है।

दुर्भाग्यवश, औद्योगिक दृष्टि से कुछ विकसित देशों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण भारत के प्रयास फलीभूत नहीं हुए हैं। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। भारत काफी समय से हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए जाने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहा है। हिन्दमहासागर तथा एनटार्टिका के प्रश्न पर भी एक सम्मेलन बुलाने का प्रश्न औद्योगिक दृष्टि से कुछ विकसित देशों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण खटाई में पड़ गया।

महोदय, जैसा कि आप जानते है, 'यूनेस्को' पूरे विश्व के लिए एक बहुत उपयोगी संगठन है परन्तु हाल ही में अमरीका और ब्रिटेन ने 'यूनेस्को' को यह कह कर छोड़ने की धमकी दी है कि यदि उसने अपने दृष्टिकोण की समीक्षा नहीं की अथवा उसमें परिवर्तन नहीं किया तो वे उसे छोड़ देंगे। वास्तव में यह बहुत ही दुःखद घटना है जिस पर हमें विचार करना है। यद्यपि उन्होंने अभी तक इसे छोड़ा नहीं है परन्तु दो बड़ी शक्तियों की धमकी विद्यमान है।

दूसरी कोशिश जो बड़ी शक्तियों ने ठप्प कर दी है वह है 'कोपुअस' (बाहरी अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण प्रयोग पर समिति)। पश्चिमी शक्तियों के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण इसमें भी गतिरोध उत्पन्न हो गया है। यह कितना ही अद्भुत लगता हो पर वे न केवल इसमें बाधा डाल रहे हैं बल्कि हमारे परममित्र संयुक्त राष्ट्र अमरीका अब "स्टार वार' (उपग्रह युद्ध) की दिशा में जा रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : महोदय क्या सभा में गणपूर्ति (कोरम) आप कृपया इसकी जांच करें।

सभापति महोदय : अगर कोई सदस्य यह मामला उठायेगा तो मैं इस पर विचार करूंगा अन्यथा नहीं।

श्री एम० वेंकट रत्नम : महोदय, मैंने सुना है कि सदन में परम्परा है कि बजट-सत्र के दौरान गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

एक माननीय सदस्य : उनसे यह आशा की जाती कि वह गणपूर्ति का प्रश्न न उठाने का कम से कम शिष्टाचार अवश्य दिखायेंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : हम सदस्य की अच्छाई के लिए कह रहे हैं कि उन्हें सुनने के लिए अधिक सदस्य होने चाहिए।

श्री० एल० वेंकट रत्नम : महोदय, ग्रुप 77 के अध्यक्ष और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन (एन० ए० एम०) के अध्यक्ष होने के नाते भारत ने अर्ध-विकसित तथा गरीब राष्ट्रों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ यू० एन० आई० डी० ओ० के माध्यम से सहायता करने की कोशिश की है। बड़ी शक्तियों के असहयोगपूर्ण रवैये की वजह से बड़े कदम न उठाए जाने के कारण इसमें भी सफलता नहीं मिली।

हमारी विदेश नीति में जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संबंध है मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि हमारा देश सारे विश्व में शान्ति कायम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता रहा है और इसके लिए हमें क्रमशः जवाहरलाल नेहरू से इन्दरा गांधी तक और अब राजीव गांधी को धन्यवाद देना होगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि बुद्धिमत्ता इस बात में है कि हमें केवल इस बात से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि उन देशों से हमारे संबंध हैं जो बहुत दूर स्थित हैं बल्कि जहां तक संभव हो सके हमारे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत मित्रतापूर्वक होने चाहिए। विदेशी नीति की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे संबंध दूर स्थित देशों से अधिक अच्छे हैं लेकिन हमारे बिल्कुल करीब के देशों के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं है।

हाल ही में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विकसित हुई है। हमारे बिल्कुल करीब के पड़ोसी

देशों, जो जिनके साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं जितनी की हम आशा रखते हैं, को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये राष्ट्र या तो हमारी भूमि से बने हैं या हमारी संस्कृति में से हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका को लीजिए।

श्री लंका हमारी संस्कृति से उत्पन्न हुआ है। सारा देश हमारे देश हमारे देश की संस्कृति का एक नाम मात्र अंश है। लेकिन श्रीलंका की समस्या हमारे देश के लिए मुख्य सिर दर्द का कारण बन गया है। इसके समाधान की आवश्यकता है।

इसके बाद मैं पाकिस्तान और बंगलादेश को लेता हूं। पाकिस्तान का जन्म हमारी ही भूमि से हुआ है परन्तु दुर्भाग्यवश इसके हमारे देश के साथ कतई संबंध अच्छे नहीं हैं। यद्यपि पाकिस्तान की समस्याओं को हल करने की कोशिश अब की जा रही है लेकिन हमने यह देखा है कि जब हम समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं तो उनका रवैया और सख्त हो जाता है। फिर भी, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी आवश्यकता की यही मांग है कि हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के मामले पर हल निकाले।

बंगलादेश का प्रश्न लीजिए। माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि हमारे देश ने बंगला-देश के लिए कुर्बानी की है लेकिन दुर्भाग्य से उस देश के साथ भी हमारे वैसे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं हैं जैसी कि हमने उनके साथ अच्छे संबंधों की आशा की थी।

उसी प्रकार से चीन है। चीन, जैसा कि मैंने पहले कहा, पंचशील में हमारा साथी था चीन के साथ हमें कटु अनुभव हुआ है और उस देश से समझौता करने की बात ही नहीं पैदा होती।

अब बर्मा को लीजिए। ब्रिटिश राज्य के दौरान यह भारत का अंग था। अब हम देखते हैं कि बर्मा से बहुत सारा उपद्रवी तत्व वहां से प्रस्थान कर रहा है और वह उपद्रवी तत्व हमारे उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वहां पर भी बहुत ही दुःखद स्थिति उत्पन्न होती जा रही है।

अतः हमारी नीति में इस तरह से संशोधन किया जाना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश हमारे मित्र बन जायें।

हमें पता है कि विदेश मंत्रालय भारत के विदेशी संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में भारत की छवि बनाना, अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक तथा राजनैतिक संबंध सुधारना, भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारत आने वाले विदेशियों को वाणिज्य सम्बन्धी सेवा प्रदान करना, पड़ोसी तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक तथा

तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा विभिन्न सैन्य और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का दृष्टिकोण रखना है। इसके प्रमुख लक्ष्य ये हैं। वर्तमान में, इस मंत्रालय के मुख्य कार्यकलाप नोट में दिए ही हुए हैं अर्थात् नीति निर्माण तथा प्रशासन विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में प्रचार कार्यक्रम, पार पत्र तथा वाणिज्य सम्बन्धी कार्य, पड़ोसी तथा अन्य विकास शील राष्ट्रों को तकनीकी तथा आर्थिक सहायता देना, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेना अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना इन सभी कार्यकलापों को मद्दे नजर रखकर अगर देखा जाए तो इस मंत्रालय के लिए आवंटित बजट निरुत्साहित करने वाला है।

आप जानते ही हैं कि विदेश नीति से संबंधित मामले किसी भी देश के लिए बहुत महत्व रखते हैं।

अत: मेरे विचार से बजट के अन्तर्गत इस मंत्रालय को बहुत कम धनराशि आवंटित की गई है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे हमारा देश इतना अमीर नहीं है कि वह दूसरों की सहायता कर सके लेकिन केवल दोस्ती के नाते यह नेपाल, भूटान और बंगलादेश की सहायता कर रहा है। रिकार्ड देखने से इस बात की अनुसार पुष्टि होती है कि बजट के अन्तर्गत नेपाल के लिए 20.56 करोड़ रु०, भूटान के लिए 15.53 करोड़ रु० तथा बांगला देश के लिए 13.20 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है। तथा भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के रूप में हम बहुत से देशों को सहायता दे रहे हैं तथा इसके लिए 9 करोड़ रु० की धनराशि निर्धारित की गई है।

दुर्भाग्य से हम जितनी धनराशि व्यय कर रहे हैं जितनी सहायता दे रहे हैं, मेरे विचार से उसके बदले में हमें उतना मिल नहीं रहा है क्योंकि उन राष्ट्रों की जो प्रतिक्रिया है उसे मैत्री पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अत: इन सभी बातों पर सरकार को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आर्थिक सहयोग और सहायता के रूप में इतनी राशि लगाने के बावजूद हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे निकट के राष्ट्र हैं। दूर हैं। दूर दराज के देशों से हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं, इससे ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम संतुष्ट होंगे कि एक दो देशों को छोड़कर ज्यादातर सभी देशों से हमारे संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। लेकिन अन्य देशों के मैत्रीपूर्ण रवैये से संतुष्ट होना हमारे लिए ठीक या दूरदर्शिता नहीं होगी।

हमें इतना दूरदर्शी होना चाहिए कि हमारे निकट के पड़ोसी देशों के हमारे साथ मैत्री पूर्ण संबंध हो क्योंकि अगर कभी कोई खतरा भी हुआ तो वह पड़ोसी देशों से ही होगा न कि दूर स्थित देशों से। अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में बहुत कम धनराशि की व्यवस्था की गई है।

एक और निवेदन है कि हम गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण कर रहे हैं पर मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री तथा सरकार इस नीति पर विचार करें। यूरोप का एक छोटा सा राष्ट्र आस्ट्रिया स्थायी तटस्थता की नीति का पालन कर रहा है। 'स्थायी तटस्थता' एक सकारात्मक नीति है और इसे अपनाने से आस्ट्रिया के विश्व के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है। कुछ लोगों का तर्क है कि स्थायी तटस्थता की नीति हमारी नीति से भिन्न नहीं हैं। अतः स्थायी तटस्थता की नीति का तात्पर्य क्या है इसे स्पष्ट करने के लिए में आस्ट्रिया डाक्यूमेंटेशन से उदाहरण दूंगा जिसमें कहा गया है कि :

> "आस्ट्रिया के तटस्थता संबंधी सिद्धांतों के अन्तर्गत निरूपित दायित्वों की स्पष्ट परिभाषा की गई है। इन दायित्वों के अन्तर्गत युद्ध और शांति की स्थिति में 1907 के हेग कन्वेंशन में निरूपित तटस्थता संबंधी नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ऐसा कोई कार्य न करना जिससे कन्वेंशन की शर्तों का कड़ाई से पालन करने में बाधा आती हो"

आस्ट्रिया की तटस्थता की नीति जिसे संविधान के अंतर्गत गारंटी दी गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त हैं, का अर्थ है सैनिक दृष्टि तटस्थता प्रमुख सैनिक तथा राजैनिक ब्लाकों से स्वतंत्रता। यह राज्य की तटस्थता है किसी व्यक्तिगत नागरिक की नहीं। किसी सैनिक या आर्थिक तटस्थता का भी प्रश्न नहीं उठता। अन्तराष्ट्रीय संगठनों के अन्तर्गत अन्य राज्यों के साथ काम करने की संभावना भी बनी रहती है। वास्तव में इस प्रकार का सहयोग इसका प्रमुख आधार है और साथ ही आस्ट्रिया की तटस्थता की नीति के अन्तर्गत प्रमुख कर्तव्यों में से है। इसीलिए आस्ट्रिया ने एक तटस्थ देश के रूप में जो दायित्व स्वीकार किए हैं उसके परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है।

1973 के जनमत संग्रह में, जिनके अन्तर्गत जनसंख्या के विभिन्न वर्गों से संपर्क स्थापित किया गया था, 90% लोगों की राय थी कि आस्ट्रिया को तटस्थता से हानि की आपेक्षा लाभ अधिक हुए हैं। 80 प्रतिशत की राय थी कि वे कुछ देशों के साथ गठबंधन की आपेक्षा एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं और 16 प्रतिशत लोगों का यह कहना था कि इसके तटस्थ दर्जे के कारण इस देश को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ।"

अतः ऐसा लगता है कि स्थायी तटस्थता की नीति अपनाने से आगे चलकर फायदा होगा और अगर हम विचार करें तथा मौजूदा नीति के स्थान पर 'स्थायी तटस्थता' की नीति अपनाएं तो बेहतर होगा। हम पंचशील से आगे बढ़कर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन और इस समय निरस्त्रीकरण तक आ पहुंचे हैं।

यहां मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप इन दो विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। पहला अपने निकट पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति हमारी विदेशी नीति क्या है तथा दूसरा स्थायी तटस्थता की नीति अपनाने के बारे में हैं सरकार को इन दो पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए ताकि हमारा देश आर्थिक रूप से तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सके।

श्री पीयूष तिरकी : (अलीपुरद्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाएं।

श्री लंका तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता। (7)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

उद्योग, परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में बंगलादेश के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता। (8)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

उन भारतीय नागरिकों को जिनकी सम्पति बंगलादेश सरकार में निहित घोषित कर दी गई है, उचित मुआवजा दिलाने की आवश्यकता। (9)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

थिम्पू में एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने की भूटान को यथा शीघ्र पूरी करने की आवश्यकता। (10)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

भूटान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और सहायता देने की आवश्यकता। (11)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

रायडक, संकोस, पगली-तुरसा तथा जयती दीमा जैसी नदियों के कारण होने वाले भूक्षरण तथा उनमें आने वाली बाढ़ों को रोकने हेतु भूटान के साथ संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता (12)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

भूटान के विकास के लिए अधिक सहायता देने की आवश्यकता। (13)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

भूटान को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से बाराबीसा में जोडने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता। (14)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

पाकिस्तान को हथियार न दिए जाएं, इसके लिए संयुक्त राज्य अमरीका को राजी करने की आवश्यकता। (15)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंगलादेश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता। (16)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंगलादेश से आये शरणार्थियों को वापस भेजने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता। (17)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

बंगलादेश के साथ व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों तथा संचार व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता। (18)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

कुटीर उद्योग के विकास हेतु भूटान को अधिक सहायता देने की आवश्यकता। (19)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

नेपाल के साथ सौहार्दपूर्ण तथा भाइचारे के संबंध बनाने की आवश्यकता। (20)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

भारतीय मूल के श्री लंका वासियों का भारत में भारी संख्या में आगमन रोकने हेतु श्री लंका के साथ राजनैतिक समझौता करने की आवश्यकता। (21)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

कश्मीर समस्या को समाप्त करने हेतु पाकिस्तान से अधिकृत काश्मीर को खाली करने के लिए कहने की आवश्यकता। (22)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

चूखा पनबिजली परियोजना को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता। (23)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

भारत और भूटान के बीच सूक्ष्मतरंग सम्पर्क और प्रसारण मार्ग संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (24)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

थिम्पू में एक हवाई अड्डा निर्माण करने हेतु भूटान को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता। (25)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

भूटान में भारतीय दूतावास में हिन्दी का प्रचार करने की आवश्यकता।

(26)

कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।

सभापति महोदय : अब श्री फैलीरो।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओं) : अध्यक्ष महोदय मुझे बहुत खुशी है कि आप पीठासीन हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : क्या वह इसलिए प्रसन्न है कि विदेश मन्त्री अर्थात प्रधान मन्त्री सदन में नहीं हैं ?

सभापति महोदय : राज्य मन्त्री यहां है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आखिरकार यह विदेश मामलों पर चर्चा है। क्या प्रधान मन्त्री को, जबकि उस मन्त्रालय का, काम वे स्वयं देख रहे हैं, मौजूद नहीं होना चाहिए ? इसका क्या यह तात्पर्य है कि प्रधानमन्त्री को विदेशी मामलों में रुचि नहीं है ;

सभापति महोदय : ठीक है। मन्त्री तो यहां हैं ही।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी और मैं हम दोनों जानते हैं कि देश की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर प्रधानमन्त्री को ध्यान देने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि श्री रेड्डी मैं और हर कोई प्रधान मन्त्री की इस बात की सराहना करेगा। कि वे प्रश्न काल के दौरान यहां आते हैं चाहे उनसे संबधित प्रश्न न भी हों। प्रधान मन्त्री का सदन के प्रति यह सम्मान वास्तव में सराहनीय है।

सभापित महोदय मैं कह रहा था कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप सदस्यों के समय में कटौती नहीं करते तथा प्रयाप्त समय देते हैं। मैं आपनी इस उदारता का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा।

सभापति महोदय जनता के भारी उत्पाद तथा समर्थन के भारत सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने इस देश के प्रशासन के बारे में इन जोरदार शब्दों में बताया है कि परिवर्तन सहित निरन्तर बनायी रख जाएगी। ऐसी बात होनी भी चाहिए। निरन्तरता की अवधारण प्रशासन के सभी पहलुओं के लिए प्रासंगिक है लेकिन वह विदेश नीति के क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रासंगिक है। जैसा कि अभी-अभी तेलगु देसम के मेरे सहयोगी ने कहा कि हमारी विदेश नीति का मूल सिद्धान्तों का निर्धारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था तथा श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे ही दोहराया था।

हमारी विदेश नीति के सिद्धान्त हैं गुटनिरपेक्षता साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का निरोधी तथा रंग भेद नीति का विरोध। अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो हमारा मूल उद्देश्य आर्थिक विकास तथा शान्ति की खोज करनी है।

पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी का उल्लेख करके हम इसका श्रेय अपनी पार्टी को नहीं देना चाहते। मेरा यह मतलब नहीं है कि यह केवल कांग्रेस पार्टी की ही नीति है। यह तो राष्ट्रीय सहमति का परिणाम है। यह तो राष्ट्र की नीति है और जनता प्रशासन के दौरान भी यद्यपि आन्तरिक मामलों के बहुत से पहलुओं पर हमारा उनसे मतभेद था।

विदेश नीति के मामले में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जोकि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के घोर आलोचन हैं, ने भी वही मार्ग अपनाया जो स्वतंत्रता के बाद निर्धारित किया था। अब, मैं प्रधान मन्त्री का अभिनंदन करता हूं और मेरे विचार से इस मेरे विनीत विचार का मूल्य नहीं है, इसका मूल्य इस लिए है क्योंकि इसके समस्त राष्ट्र का, समर्थन प्राप्त है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने उल्लेख किया उन्होंने सभी पड़ोसी देशों से सम्पूर्ण स्थापित किया है।

संभवतः यह परिवर्तन हुआ है। आधारभूत सिद्धान्तों सम्बंधी धारणाओं का परिवर्तन नहीं होना। यह परिवर्तन तो नीति सम्बन्धी मूल उद्देश्यों को प्रणाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए तंत्र को सुदृढ बनाने से सम्बन्धित होता है। यही परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन का इस देश ने, हम सबने, संसद के इस सदन में मैंने ही स्वागत किया है। मैं प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय (व्यवधान) राज्यमन्त्री श्री खुर्शीद आलम खां का अभिनंदन करता हूं वह इस मंत्रालय के प्रभारी हैं। मैं विदेश मन्त्रालय का भी अभिनंदन करता हूं। विदेश राज्य मन्त्री स्वयं इन देशों में गए हैं। बैठकर नीति निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि नीतियां थोथे राजनैतिक शब्दाडंबर से अधिक अर्थ रखतीहैं तो हमें संपर्क बढ़ाना होगा। हमें मशीनरी को मजबूत करना होगा। विदेश राज्य मन्त्री ने स्वयं इन देशों में जाकर यही तो किया है। विदेश कार्यालय के सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन देशों में जाकर यही किया है।

प्रधान मन्त्री के मार्ग दर्शन में उन सभी ने यह किया है। पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आप मैत्री के बारे में बात कर सकते हैं। आप शन्ति के बारे में बात कर सकते हैं। परन्तु यदि आप अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और शान्तिपूर्ण नहीं हैं तब इन सब महान विचारों का क्या अर्थ है तथा क्या सार है ?

6 देशों के शान्ति प्रस्ताव के लिए भारत के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी तथा उनसे पहले इन्दिरा जी द्वारा की गई पहले वास्तव में एक बहुत ही अच्छी चीज है। जनमत तैयार करने के अतिरिक्त इससे कोई शीघ्र ही ठोस उपलब्धि प्राप्त करने की बात नहीं सोच सकता। परमाणु हथियार तो हमारे हाथ में नहीं हैं। ये तीसरे विश्व देशों के हाथों में भी नहीं हैं। वे महाशक्तियों के हाथ में हैं। तथापि यदि हमारी जैसी हैसियत के ऐसे 5 या 6 देश, जो परमाणु हथियार बना सकते हैं, परन्तु बनाते नहीं हैं, यदि विश्व के विभिन्न भागों के ऐसे 6

देश जो अपने आप में क्षेत्रीय शक्तियां हैं, परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि, परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान करें। जैसा कि उन्होंने विशेष रूप से करने को कहा है—तब इन महाशक्तियों को इस आह्वान की ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि ग्रीमकों-शल्ट्न बातचीत होती तो 6 देशों द्वारा दिए गए शान्ति प्रस्ताव के आह्वान के कारण सरकार द्वारा की गई पहल सराहनीय है। इस पहल का विश्व जनमत पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। उनसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ और समूचे विश्व में हमारे सम्बन्धों में एक नयी शुरूआत होगी।

अब मैं अपनी विदेश नीति के एक पहलू पर विचार करना चाहूंगा, जिसकी, मेरे विचार से कभी कभी उपेक्षा की जाती है। जैसा मैंने निवेदन किया है कि इस देश की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य शान्ति तथा आर्थिक विकास प्राप्त करना है। शान्ति की प्राप्ति करने का लक्ष्य राजनीतिक पहलू है, विदेश नीति का राजनीतिक लक्ष्य है आर्थिक विकास लक्ष्य इसका आर्थिक पहलू है जो हमारी विदेश नीति का आर्थिक लक्ष्य है। मैं कुछ वर्षों से इस सदन का सदस्य हूं। मैं कभी-कभी महसूस करता हूं कि मैंने विदेश-नीति के केवल राजनीतिक पहलू पर केन्द्रित हो करके और आर्थिक पहलू की ओर ध्यान न देकर, शायद कोई पाप किया है। मुझे यह तो विश्वास है कि किसी समुचित सैनिक राजनीतिक पहलू का तब तक नहीं किया जा सकता जब तक देश की विदेश नीति को आर्थिक पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता।

यदि आज हम विदेश मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तो हम उन पर बजट सम्बन्धी मांगों के रूप में ही चर्चा कर रहे हैं, निःसन्देह सामाजिक न्याय को प्रभावित किए बिना विकास तथा उत्पादिता के रूप में बजट अपना लक्ष्य प्रदर्शित करता है इस वाद-विवाद के दौरान प्रश्न यह उठता है कि बजट की मांगों में उल्लिखित विकास तथा आर्थिक उत्पादन के लिए विदेश मन्त्रालय किस तरह योगदान देगा ? मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, बिल्कुल उतनी ही खराब है, बल्कि उससे भी अधिक खराब है जितनी पिछले वर्ष की मांगों पर चर्चा करते समय थी। सामान्य रूप से विकास शील देशों को बहुत नुकसान पहुंचा है तथा वास्तव में ये समस्त विश्व में जिसमें औद्योगिक देश भी शामिल हैं, आई मन्दी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

मैं यहां कुछ आंकड़े देता हूं। सन् 1981 में विकासशील देशों की विकास दर 0.3 प्रतिशत थी, सन् 1983 में यह घटकर 0.2 प्रतिशत रह गई तथा सन् 1983 में इसमें थोड़ी सी वृद्धि होकर यह 0.8 प्रतिशत हो गई जबकि 1970 से आरम्भ होने वाले दशक में यह विकास दर 5 प्रतिशत थी। जहां तक औद्योगिककृत देशों का सम्बन्ध है उनका कार्यनिर्धारित थोड़ी अच्छी रही। औद्योगीकृत देशों के उसी अवधि 1981-83 के आंकड़े लगभग 2 अंक अधिक थी। सन् 1984 में औद्योगीकृत देशों में विशेष रूप से अमरीका के इस मामले में कुछ सुधार हुआ है। पिछले एक वर्ष में अमरीका की अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ है। परन्तु यह कैसा दुर्भाग्य पूर्ण विरोधाभास है। कि जहां पिछले एक वर्ष में अमरीका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गयी है और उससे कम मात्रा में पश्चिमी यूरोप के देशों और जापान ने भी

में अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। वहां जिन कारणों से पश्चिमी देशों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है उन्हीं कारणों से विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था में गिरावट आई है। ये कारण कौन से हैं ? कारण हैं—रीगन प्रशासन द्वारा वित्तीय नीतियों सख्ती बरतना, पश्चिमी देशों यहां तक कि जापान से भी, पूंजी का अमरीका में जाना ब्याज की दर में अधिक वृद्धि के साथ-साथ डालर की स्थितियों को मजबूत बनाना। वाणिज्य बैंकों से कोई हल नहीं हो सकता, परन्तु हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक हमें दक्षिणी अमरीका की तरह न चलना चाहें।

जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है, संरक्षणवाद बढ़ गया है। विकासशील देशों के मुकाबले में पश्चिमी देशों तथा औद्योगिक देशों की संरक्षणवादी बाधाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। उन्होंने हमें व्यापार से अलग कर दिया है।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, केवल उदाहरण के लिए पहले आई० डी० ए० 6 की उपेक्षा आई० डी० ए० 7 में केवल 3 बिलियन डालर कम है आई० डी० ए० 7 आई० डी० ए० की पिछली अवधि के लिए दिए गए 12 बिलयन डालर की अपेक्षा अब केवल 90 बिलियन डालर देने का विचार किया है। नाम मात्र की शर्तों के आधार पर यह बहुत ही कम है वास्तविक रूप से भी कम है। यदि आप समझते हैं कि आपके पास सहायता के लिए चीन जैसे अतिरिक्त देश सहायता प्राप्त के लिए आते हैं तो आप देखेंगे कि विकासशील देशों को वित्त अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा।

ऐसी खराब स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ?

मैं शीघ्र ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे समग्र रूप से पूरे विकासशील विश्व के लिए हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है हमारी विकास दर विकासशील विश्व की औसत से काफी अधिक है। विकसित तथा औद्योगिक देशों को हमारे प्रति उदासीन और विरोधी रवैये को देखते हुए स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(व्यवधान)

मेरा कहना का अभिप्राय है कि हमें अपने निवेश मन्त्रालय तथा अपनी निवेश नीति से सम्बन्धित तन्त्र को मजबूत बनाना चाहिए। हमें राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धों के क्षेत्र में कार्यवाही करनी चाहिए।

हमारे दूतावासों में प्रो० स्वैल जैसे ख्याति प्राप्त लोग नहीं है। वहां अन्य तरह के ख्याति प्राप्त लोग हैं न कि प्रो० स्वैल जैसे। ये ख्याति प्राप्त लोग उन राजनय स्कूलों से प्रशिक्षित हैं जो स्वतन्त्रता से बनाए गए थे तथा चालू किए गये थे। उस समय मुख्य लक्ष्य केवल राजनीतिक ही थे। उदाहरण के लिए यह विचारा जाए कि जिन देशों में उनकी नियुक्ति की गई है उन देशों में क्या राजनीतिक घटनाएं हुई है, और इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को दी जाए।

मेरे ख्याल से जब आप विदेशों में जाते हैं । या अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेते हैं तो प्रायः आप यह सुनते हैं कि प्रारूप तैयार करने के लिए हमारे राजनायिकों की कितनी मांग होती है या अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पारित किये जाने वाले संकल्प का प्रारूप तैयार करने के लिये उन्हें बुलाया जाता है । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समिति में हमारे राजनायिक मौजूद रहते हैं तथा जहां तक उनके द्वारा प्रारूप तैयार करने का सम्बन्ध है वे बहुत ही इच्छा प्रारूप तैयार करते हैं । कभी-कभी मुझे यह एक बड़े सम्मान के रूप में बताया जाता है ।

मैं जानता हूं कि यह सम्मान की बात है परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं । हम निश्चित रूप से इससे बेहतर कर सकते हैं । हमारे दूतावास तथा राजनायिक जो अच्छी राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं उसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा है हम आर्थिक क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं तथा हमें अपने देश के लिए व्यापार तथा व्यवसाय में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए ।

उदाहरण के लिए हम प्रायः देखते हैं कि अमरीका के राजदूत अपने देश के लिए किसी भी सौदे में पूरी तरह से मदद करते हैं या ब्रिटिस राजदूत को देखिए वह भी उसी प्रकार अपने देश की मदद करता है ।

प्रश्न है क्या हमारे अपने राजदूत या मिशनों के अध्यक्ष उसी तरह से व्यवहार करते हैं ? होता यह है कि हमारे दूतावासों में प्रायः यह देखा गया है कि आर्थिक सम्बन्धों को निचला दर्जा दिया जाता है । हमारे बड़े दूतावासों वाणिज्य मंत्रालय एक अधिकारी होता है । आर्थिक मामलों से सम्बन्धित सभी और व्यापार सम्बन्धी सभी मामले पूर्ण रूप से छोड़ दिए जाते हैं । और राजदूत या मिशन का अध्यक्ष इस प्रकार का कार्य करने में अपनी बेइज्जती समझता है आजकल इस तरह राजनय का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए । यह तो प्रतिभा को बेकार करने वाली बात है ।

यदि भारतीय राजदूत या भारतीय मिशन के अध्यक्ष के रूप में या मिशन के अध्यक्ष के रूप अन्य देशों के साथ भारत के लिए कोई अच्छा व्यापार या कुछ सौदे कराने के सम्बन्ध में स्वयं कार्यवाही करे तो इसमें गलत बात क्या है ? वास्तव में इसी की आवश्यकता है । ऐसा होना चाहिए कि सभी वाणिज्यिक तथा आर्थिक सम्बन्ध केवल वाणिज्य अधिकारी पर छोड़ने की बजाय मिशन के अध्यक्ष को खुद अपने पद तथा प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए उन देशों के अपने व्यापार-कार्य जारी रखने चाहिए । इस विशालदेश को देखते हुए यदि आप व्यापार के आंकड़ों को देखें तो ये बहुत ही कम हैं । यह बिल्कुल प्रोत्साहनकारी नहीं है । हमें अपने मिशनों के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए कि ये मिशन कुछ मात्रा में देश को दिलवाएं । यह हमें हासिल करना चाहिए ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने का प्रयास कीजिए ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : मैं यहां एक जनमत में, जो लन्दन की एन० ओ० पी० मार्केट रिसर्च लिमिटेड से कपास न्यूज फीचर्स द्वारा कराया गया है में जो कुछ दूतावासों को चाहिए

कि हमारे देश के बारे में लोगों की क्या राय है उसका उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे अनियमितता को दूर करे। दिसम्बर 1984 में एक साथ 3 देशों में यह मार्केट रिसर्च की गई तथा इन देशों ने औद्योगिक विश्व—अमरीका, ब्रिटेन तथा नार्वे के बारे में 3 अलग-अलग मत प्रकट किए। उनसे सर्वप्रथम यह पूछा गया कि क्या तृतीय विश्व के लिए औद्योगीकृत देशों को और अधिक कार्य करना चाहिए जो कुछ इस कार्यवाही के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या तृतीय विश्व के लिए औद्योगीकृत देश को और अधिक कार्य करना चाहिए जो कुछ वे कर रहे हैं क्या वह पर्याप्त है ? तथा इस कार्यवाही के दौरान उनसे पूछा गया कि तृतीय विश्व क्या है ? अमरीका के बहुत से लोगों ने यह जवाब दिया कि "तृतीय विश्व वह विश्व है जो तीसरे विश्व के बाद बनेगा।" यही निष्कर्ष निकला है।

कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि तीसरा विश्व बाह्य अन्तरिक्ष को कहते हैं। प्रथम विश्व भूमि, दूसरा जल तथा तीसरा बाह्य अन्तरिक्ष विश्व है उन देशों में रहने वाले लोगों का विकासशील देशों के बारे में केवल इतना ज्ञान अथवा अज्ञान है। इसीलिए और अधिक कार्य पड़ेगा क्योंकि हम प्रचार माध्यमों के युग में रहते हैं।

हमारे देश को केवल सपेरों या कंगाल लोगों को देश न जाना जाकर एक औद्योगिक देश के रूप में भी जताने का प्रयास किया जाना चाहिए जो कि विश्व में दसवां औद्योगिक देश बनने जा रहा है तथा जो अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा अन्टार्कटिका खोज अभियान आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से उन्नति कर रहा है। इन सभी का उल्लेख करना आवश्यक है ताकि उन देशों में रहने वाले लोग खुद ही भारत के साथ व्यापार करने तथा वाणिज्यिक तथा आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अपनी सरकारों पर दबाव डालें।

मैं इस महत्वपूर्ण पहलू दक्षिण-सम्बन्धों पर कुछ टिप्पणियां देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। उत्तर-दक्षिण बातचीत से हम अधिक आशा नहीं कर सकते उत्तर ने किस उदासीनता यहां तक कि जिस विद्वेश के साथ बातचीत के इस अनुरोध से प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसमें जबकि न्यूयार्क में महासभा के अन्तिम सत्र के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी उच्च स्तर पर अनौपचारिक रूप से बातचीत की थी तथा राष्ट्रमण्डल शासनाध्याओं की बैठक के समय उन्होंने इसकी पहल की लेकिन कोई खास उपलब्धि नहीं रही। हम उस बातचीत को अधिक महत्व नहीं दे सकते परन्तु हमें दक्षिण-दक्षिण बातचीत की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम हमेशा दक्षिण-दक्षिण बातचीत पर बात करते रहते हैं ? परन्तु हम इसे केवल एक सामान्य बात का ही दर्जा देते हैं परन्तु जब हम किसी विशेष बात पर आते हैं, उदाहरण के लिए आज सुबह माननीय उद्योग मन्त्री ने इसी तरह का उत्तर दिया। मैं जब माननीय उद्योग मन्त्री से यह पूछ रहा था कि हम दक्षिण देशों से जो विकसित हैं—तथा हमें अच्छे किस्म की वस्तुएं दे सकते हैं ? आयात के मामले को तरजीह क्यों नहीं देते तो माननीय मन्त्री ने जवाब दिया कि उन्हें किसी तरजीह से कोई सरोकार नहीं है तथा ये वही वस्तु लेंगे जो सर्वोत्तम है। माननीय मन्त्री का आदर करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि "सर्वोतम्" शब्द बहुत ही व्यक्तिपरक सिद्धांत है। आपके पास विभिन्न किस्म की प्रौद्योगिकियां हैं। क्या माननीय मन्त्री, क्या

सरकार, प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए या किसी वस्तु का आयात करने के लिए सौदे के प्रत्येक पहलू पर विचारकर देखेगी कि क्या यह 'सर्वोत्तम' शब्द के अन्तर्गत यह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि यह सर्वोत्तम है ? ऋण सुविधाओं जैसी बहुत सी अन्य बातें हैं ! यह सभी को स्वीकार करना चाहिए कि हम वस्तुओं के मामले में अन्य विकासशील देशों को तरजीह दें। यदि आप यह कहते हैं कि किसी तरजीह के बिना सबसे श्रेष्ठ को लिया जाएगा तो अन्य विकासशील देश यहीं कहेंगे और उस समय अमरीका, लदंन, फ्रांस, आदि केन्द्र बने रहेंगे तथा हम उपनिवेश संबंधों के तोड़ सकेंगे और हम एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का विचार भी भूल जायेंगे।

महोदय, मैं इस तर्क के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमें अपनी विदेशी नीति के राजनैतिक पहलू पर ही केवल ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि हमें कुछ विचार करने और कार्रवाई करने पर भी ध्यान देना चाहिए ! हम जो विचार देते हैं वे पर्याप्त हैं लेकिन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक है ताकि उत्पादिकता और विकास जो बजट के उद्देश्य हैं, प्राप्त किए जा सके। मैं इस दलील के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि ये उद्देश्य बहुत अच्छे है जबकि हमारे पास जो तंत्र है न केवल विकासशील देशों में बहुत अच्छे हैं बल्कि विकसित देशों के तंत्र के साथ भी इसकी तुलना की जा सकती है लेकिन इसे आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। हमें व्यापार दें और वह व्यापार के असंतुलन के कम करने को कोशिश करें तथा इस आधार पर आर्थिक विकास शांति के उद्देश्य को वास्तव में एक शक्तिशाली साधन होगा यह सरकार अल्प समय में तथा सफलतापूर्वक पता लगा सकी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस विवाद में भाग लेते समय सबसे पहले मैं जिस बात को कहना चाहता हूं वह सामान्य स्थिति है जिसमें हमारे लोग आन रहे है। मानव सभ्यता अस्तित्व तथा विनास के बीच खतरनाक ढंग से झूल रही है और इसका कारण विनाशपूर्ण परमाणु नीति है जिसका अमरीका पालन कर रहा है ताकि वह विश्व पर अपना प्रभुत्व जमा सकें ! इसीलिए हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस भयानक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

अब इस सम्बन्ध में तनाव कम करने के लिए हमारी सरकार ने छः राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन बुलाने की जो पहल की उसका हम सभी स्वागत करते हैं। और चाहते हैं कि इस तरह की पहल के ठोस परिणाम निकलें ! इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच में विदेश मन्त्रालय के स्तर पर हम पहल कर रहे है और हमें पहल करनी है। लेकिन महत्व-पूर्ण तथ्य जो बहुत प्रभावकारी रहा हैं और जिसे हम प्रभावकारी देखना भी चाहते यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध के विरुद्ध तथा शांति के लिए लोगों को जुटाया जाये। युद्ध के विरुद्ध लोगों को जुटाना हमारे देश में बहुत ही निराशा जनक रहा है। हमें अपने देश में ऐसा करना है। मुझे इस सदन को बताते हुए बहुत दुःख होता है कि इस बारे में सत्ताधारी दल तथा सरकार असफल रही है। लेकिन वामपंथी और प्रजातांत्रिक दलों का हम धन्यवाद

करते है जिन्होंने परमाणु विश्वास के विरुद्ध शांति के लिए तथा जिससे हमारे विश्व की सभ्यता को गम्भीर लगता है । लोगों को जुटाने की कोशिश की है।

हमें खुशी है कि छ: राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने तथा वाहन अन्तरिक्ष में परमाणु अस्त्रों के न लगाने की जो मांग की गई है, रूस ने उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं ! यदि हम अतीत को देखें तो हमें पता चलेगा। कि सोवियत संघ ने बार-बार विश्व के लोगों की शांति की सुखी आकांक्षा के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त कि है . इसने घोषणा की है कि वह परमाणु बम का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर अमरीका से हमें इस प्रकार का वचन नहीं मिला है। दो दिन पहले सोवियत नेताओं ने यूरोप पक्षेपात्री एक पक्षीय घोषणा की है । लगाए जाने का मुकाबला करने के लिए पक्षेपात्र को स्थगित करने की नवम्बर तक ऐसा ही रहेगा। यह अच्छी बात है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के नेता छ: राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन के संयोजक के रूप में हमें यह देखना है कि यह अनुकूल प्रतिक्रिया निरर्थक न जाए सरकार द्वारा भयानक खाड़ी युद्ध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का मैं समर्थन करता हूं जो कि वास्तव में दोनों देशों के लिए आपस में विनाश का कारण है। फिलिस्तान के बारे में अर्थात अरब के लोगों तथा सभी अन्य प्रगतिशील मामलों पर उठाए गए कदम का भी हम समर्थन करते ! वे वास्तव में हमारा और विश्व के लोगों का समर्थन पाने के हकदार हैं ।

अब में कुछ उन पहलुओं पर आता हूं जो हमारे देश से अत्यधिक सम्बन्ध रखते है। विदेश मन्त्रालय के इस वार्षिक प्रतिवेदन में हमें सही दिशा नहीं मिलती है हम. अपने कार्यों का निरपक्ष कहां करें अर्थात हमारे देश के लोगों को स्वयं पहल करके यह समझना चाहिए कि स्थिति जो बिगड़ी है उसके जिम्मेदार कौन हैं ? यह बहुत स्वाभाविक है कि विश्व सभ्यता को बनाए रखने के लिए चिंतित हैं जिसका हमारा देश का एक भाग है विश्व की चिन्ताजनक स्थिति की पृष्ठभूमि में हमें स्वयं अपने देश में ऐसे कुछ देशों की कुछ साजिशों का सामना करना पड़ रहा है जो हमारी देश की स्थिरता को नष्ट करने की कोशिश कर रही है वे कोन लोग हैं ? इस विशेष पहलू के बारे में कहा जा सकता है कि यह हमारे गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है लेकिन ये बाहरी बातें अत्यधिक परेशान कर रही हैं ? वे कौन सी ताकतें हैं जो हमारे देश में पृथकतावादी गतिविधियों का समर्थन कर हैं ? मैं नहीं जानता कि इस प्रतिवेदन का उल्लेख क्यों नहीं किया गया लेकिन इस वाद विवाद में मैं इसका अर्थात असम और पंजाब की स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं ! वे कहां से सहायता प्राप्त कर रहे हैं ? उनके नामों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ?

लंदन शहर में वह कौन था जो पंजाब में उन ताकतों को उसका रहा था ! उन्हें बीमा की मंजूरी किसने दी ? ये सभी इसी प्रकार के प्रश्न हैं जिससे हमारे देश के लोग नाराज हो रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जो हमारी देश की एकता के साथ जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिए ब्रह्मपुत्र परियोजना की खोज की है वे लोग कौन हैं ? टैक्साम के प्रो० हारग्रेव द्वारा किया गया अध्ययन हमने देखा है श्री ग्रिफिन की सहायता से वह भारत में आए ! हमारे देश ने श्री ग्रिफिन को अवांछित

व्यक्ति घोषित किया था। इससे भविष्य को किस बात का चलता है इससे यह पता चलता है कि यदि श्रीमती गांधी राजनैतिक मंच से हट जाती हैं अर्थात लोकसभा चुनाव होने से पहले यदि वह हट जाती हैं तो अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों को और अधिक समर्थन प्राप्त हो सकेगा ! अब वास्तव में ऐसा ही हो गया। बहुत आश्चर्यजनक बात हुई उनकी हत्या कर दी गई। अब हमें क्या समझना चाहिए ? मैं जानना चाहता हूं वे कौन लोग हैं ? कुछ दिनों से हम अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोहों के बारे में सुन रहे हैं जो हमारे देश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सोवियत दूतावास के कर्मचारी की हत्या की घटना हुई है। सोवियत दूतावास का कर्मचारी अमरीका में चला गया। ये समाचे बहुत विक्षोभ पैदा करने वाले हैं। इनके पीछे एक कारण है ! ये निश्चय ही अतिदुष्ट ताकतों का कार्य है जो हमारे देश का विभाजन और विघटन करना चाहते हैं और हमारे बहुत अधिक विश्वसनीय दोस्तों के साथ हमारे सम्बन्धों को बिगाड़ना चाहते हैं ! वे बहुत सक्रिय हैं ! अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव हम आज अपने देश में देख रहे हैं ! उसके पीछे एक आर्थिक कारण है। वे चाहते हैं कि उनके बाजार समृद्ध हों वे तीसरे विश्व के देशों को लूटना चाहते हैं। ये साम्राज्यवादी ताकतें अपनी गतिविधियों के लिए तीसरे विश्व देशों में अपने अड्डे स्थापित करना चाहते है ? इस संदर्भ में यह बहुत आवश्यक है कि हमारा सम्बन्ध पड़ोसियों के साथ अच्छा होना चाहिए। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। यह बहुत वांछनीय है। क्या इसके लिए हमें दोषी ठहराया जाएगा कि हमारे केवल पड़ोसियों के साथ अनेक सम्बन्ध नहीं हैं ? जी नहीं ! कुछ दूर के देशों के साथ भी हमारे सम्बन्ध नहीं हैं अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों के लिए हमें अच्छे पड़ोसियों की आवश्यकता है। पड़ोसी देशों में लोग अच्छे हैं। वे एक अच्छे समाज के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं ! लेकिन वहां का भारी गुट लोगों के और शांति के विरुद्ध है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान उपमहाद्वीप में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा ! अमरीकी साम्राज्यवाद पाकिस्तान को विभिन्न प्रकार की सहायता देने की कोशिश कर रहा हैं ? वह सभी प्रकार के शस्त्र पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है ! मैं नहीं जानता कि कौन से खतरनाक परिणामों का सामना करना पड़ेगा ! अमरीका पाकिस्तान को एफ-16, हारपून प्रक्षेपात्र, ओ.बी-आई. बी.-मोहाकूस और हॉकी प्रक्षेपास्त्र सप्लाई कर रहा है ?

इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान को साइडवांइडर प्रक्षेपास्त्र की सप्लाई की गई है। और अब इससे भी वह पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में भी मदद कर रहा है। वह पाकिस्तान से मिलकर जासूसी कर रहा है ! हम इतने भोले नहीं हैं कि हम विश्वास कर लें कि इन सभी गतिविधियों से इस देश को कोई खतरा नहीं हैं। महोदय, अब पाकिस्तान अमरीका को अपने देश में सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए भूमि दे रहा है। ये ताकतें हमारी देश की अखण्डता को तहस-नहस करने की कोशिश कर रही हैं।

पाकिस्तान बंगला देश, श्रीलंका और दिएगो गार्शिया से घेरा बन्दी हो गई हैं। ये सभी नियोजित चाजे हैं श्री लंका में क्या हो रहा है ? अमरीका श्रीलंका को अपने खेमे लाने में रहा है त्रिंकोमाली में वाइस आफ अमरीका के लिए केन्द्र खोल रहे हैं ? परन्तु यह केवल एक चालबाजी है। वह वहां एक अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी का केन्द्र स्थापित कर रहा है ! हमें इस स्थिति

को समझना चाहिए ! श्री जयवर्द्धन कह रहे हैं कि वहां किसी प्रकार की कोई जातीय समस्या नहीं है लेकिन यह एक मार्क्सवादी क्रांति है ! वह उस अपराध को छिपाना चाहते हैं जोकि जातीय अल्पसंख्यक पर राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है !

हमने देखा है कि वहां पर तमिलों पर कत्लेआम हो रहा है ! वे विश्व के लोगों का ध्यान किए जा रहे इस कत्लेआम कैसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीका बंगलादेश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में ऐसी रिपोर्ट मिली है कि नौ सेना अड्डा स्थापित करने के लिए अमरीका को चटगांव दे दिया गया है।

3.00 म० प०

उनके पास डिएगो गार्शिया में परमाणु हथियार है। वे दिएगो गार्शिया अड्डा से अपने बाह्य अन्तरिक्ष परमाणु कार्यक्रम का संचालन करने की योजना बना रहे है। महोदय, मेरे पास एक किताब है जिसे जुलियास मादेर ने लिखा है जो किसी समय सी० आई० ए० के सदस्य थे, बाद में वह उससे अलग हो गए। उन्होंने यह किताब 1968-69 में प्रकाशित की थी। उन्होंनें सी० आई० ए० में "हू इज हू" पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने उन तीन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है जो सी० आई० ए० के एजेंट के रूप में थे और जो 20 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भारत बंगला देश और पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। ये तीन व्यक्ति अब इस उपमहाद्वीप में राजदूत हैं इन सभी से क्या संकेत मिलता है ? क्या यह हमारे देश की सुरक्षा के हित में है ?

महोदय, साम्राज्यवाद हमारे देश में फैल रहा है। हमें पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी और अपने लोगों को यह बताना होगा कि हमें अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जुट होकर संघर्ष करना चाहिए।

महोदय, मैं एक और बात सरकार से कहना चाहता हूं कि संघर्ष कर रहे घोषितकारियों फूट द्वारा पश्चिमी सहारा में स्थापित एम० ए० डी० आर० को तुरन्त मान्यता दी जानी चाहिए !

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : सभापित महोदय भारत एक विशाल देश है और विशाल देश अपने आन्तारिक मामलों में ही खोये रहते हैं। मैंने कई दशकों तक इस सदन में विदेशी संबंधों पर वाद-विवाद देखा है और मैंने देखा है कि हम इस सदन में भी अलग पड़ जाते हैं सभा की दोनों तरफ खाली बेंकों को देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि हमारे विश्व के देशों के साथ सम्बन्धी खराब हो सकते हैं। हमारे जैसे विकासशील देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संबंध बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि हम बाहर की सहायता पर निर्भर करते हैं कि और यदि हमारे संबंध बाहर वालों के साथ मजबूत नहीं हैं तब प्रवृत्ति होगी कि जो हमारी सहायता करने की स्थिति में होंगे वे ऐसी कीमत की मांग करेंगे जो हमें स्वीकार नहीं होगी । इसलिए आपके द्वारा महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम विदेशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़

बनाने के लिए अपनी विदेशी नीति के संचालन में मैं अधिघोषित रुचि दिखाए ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

प्रधानमन्त्री ने विश्व में तनाव कम करने तथा पड़ोसियों के साथ मित्रता बनाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। इस तरह वह हमारे बधाई के पात्र हैं। तथा उस बारे में सदन के पूरे समर्थन का मुझे विश्वास है। दिल्ली में आयोजित 6 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री ने की, एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज-दिल्ली घोषणा प्रस्तुत की गयी जिसमें वाह्य अन्तरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए शीघ्र कदम उठाने को बताती गयी है और अन्त में मैं यह उद्धारण देता हूं।

"आशा है कि 1985 यह वर्ष वह वर्ष होगा जबकि आतंकवाद विजय की यह आशा दिखायी देगी।"

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इस अपील का स्वागत किया गया है किन्तु सोवियत संघ राज्य अमरीका पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है जो 'अन्तरिक्ष युद्ध' को अपने कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। किन्तु सोवियत संघ तथा अमरीका द्वारा सर्वोच्च स्तर पर बातचीत पुन: आरम्भ करने भी संभावना से यह आशा बंधती है कि महा शक्तियों विवेक की भावना से काम लेगी। परमाणु नि:शस्त्रीकरण, हथियारों पर नियन्त्रण के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक विश्व में शान्ति के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक परमाणु नि:शस्त्रीकरण अथवा हथियारों पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। मुझे इस सन्दर्भ में सल्वाडोर डी मडारियागा के यह शब्द स्मरण हो आये हैं :

> "राष्ट्र एक दूसरे पर अविश्वास नहीं करते, क्योंकि वे शस्त्रास्त्रों से सज्जित हैं : वे शस्त्रास्त्रों से सज्जित हैं क्योंकि वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। और, इसलिए मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में न्यूनतम आम सहमति के बिना नि:शस्त्रीकरण की आशा उतनी ही बेतुकी बात है जितनी सर्दी के मौसम में लोगों से वस्त्र न पहनने की आशा करना।"

अत: विश्व में तनाव कम कर आर्थिक सहयोग के विश्वास के लिए सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए कोई न कोई रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा। हमें विश्व में नए मूल्य स्थापित करने एवं नई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। और तभी नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सार्थक हो सकती है। मेरे माननीय मित्र श्री एडुआर्डो फैलीरो—मेरे विचार से वह सभा से चले गए हैं—ने भारत के आर्थिक सम्बन्धों पर बड़ा बल दिया है और मैं उनसे इस सम्बन्ध में पूर्णतया सहमत हूं। मैं उनका इस बात के लिए पूर्ण समर्थन करता हूं कि हमें विश्व के देशों के साथ आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ़ करने चाहिए। किन्तु मेरा यह विचार है कि राजनीतिक सहयोग का वातावरण बनाए बिना आर्थिक सम्बन्ध नहीं बन सकते, आर्थिक सहायता दान के रूप में हो सकती है किन्तु हम जो चाहते हैं उस प्रकार का घनिष्ट आर्थिक सहयोग नहीं हो सकता।

यह भी कहा गया है कि महाशक्तियों के पास परमाणु शस्त्रास्त्र हैं जिससे विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। मैं इस विचार से सहमत हूं कि उनके पास विश्व को अनेक बार समाप्त करने की क्षमता है किन्तु मेरे विचार से वे विश्व को समाप्त नहीं करना चाहते। वे परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता के सम्बन्ध में हमसे भी अधिक सजग हैं और इसलिए इसकी सम्भावना नहीं है कि वे इन परमाणु हथियारों को एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग करके नष्ट हो जाएंगे। नए प्रकार के हथियारों, लेकर बर्ग के हथियारों तथा अन्तरिक्ष में हथियारों, से वास्तविक खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि यह अत्याधुनिक हथियार होंगे जिसकी अपेक्षाकृत अधिक संहारक शक्ति होगी।

हमें इस सम्बन्ध में सावधान होना होगा ओर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में पुन: सन्तुलन स्थापित करने के किए भरसक परिश्रम करना होगा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के तत्काल बाद तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा था मुझे वह स्थिति याद हो आई है। हमें तभी स्वतंत्रता मिली थी और हम अपनी जनता के लिए एक नए जीवन का निर्माण करने के लिए विश्व से सहयोग और सहायता ले रहे थे और उस समय भी महा शक्तियां हमें झुकाना चाहती थी। किन्तु यह श्रेय श्री जवाहर लाल नेहरू को जाता है कि उन्होंने अपने कौशिल से विश्व में विद्यमान और निवेशिक वातावरण को बदल कर उपनिवेशवाद के समाप्त करने का वातावरण तैयार किया और शायद हम अपनी इस महान उपलब्धि से पूर्णतया अवगत नहीं हैं।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जवाहर लाल नेहरू एवं अनेक सहयोगियों, मुख्य रूप से श्री कृष्ण मेनन के अथवा प्रयासों के परिणामें स्वरूप एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया जिसके कारण आधे विश्व को उपनिवेशवादी दासता से मुक्ति मिली।

शायद आज भी हम उसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहें हैं।

मैं जानता हूं कि ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो पंडित जी की इस बात के लिए आलोचना करते थे कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा विश्ववाद को वरीयता और मुझे विश्वास है कि वही लोग इस सरकार की भी वैसी ही आलोचना करेंगे। किन्तु महोदय, क्या हम स्थिति में राष्ट्रीय हित की बात सोच सकते हैं जबकि वे शक्तियां, जिनके पास हमारा विनाश करने की क्षमता है, जिनके पास हमारी अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करने की क्षमता है, ऐसी स्थिति में नहीं हैं जिसमें सहायता सम्भव होगी? कोई भी देश अपने संस्थान हथियारों पर खर्च नहीं करना चाहता किन्तु यदि विश्व में संघर्ष का वातावरण बना हो तो थोड़े से उपलब्ध संसाधन भी भूखों का पेट भरने अथवा गरीबी को दूर करने के स्थान पर हथियारों में खर्च किए जाते हैं। इसलिए महोदय जैसा कि मैंने पहले कहा है कि विश्व में तनाव कम करने की दिशा में प्रधान मन्त्री द्वारा किये गए प्रयासों के लिए में उन्हें बधाई देता हूं।

इस सम्बन्ध में क्या मैं यह कहूं कि देशों का एक और समूह यूरोप आर्थिक समुदाय के देश चक शक्तिशाली आर्थिक हस्ती के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये देश एक शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती के रूप में भी उभर रहे हैं। हमें उनके साथ अपने सम्बन्ध इस आशा के साथ सुदृढ़ करने चाहिए कि यूरोप में तनाव कम होंगे तो इससे विश्व के अन्य भागों में भी तनावों में कमी आएगी।

हमारे पड़ोसी देशों के तथा ठोस बातचीत आरम्भ करने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री की पहल का स्वागत करते हुए क्या मैं इस अवसर पर विदेश सचिव तथा उनके सहयोगियों को इस बातचीत को जारी रखने के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के लिए बधाई दे सकता हूं? दक्षिण एशियाई देशों, श्री लंका, नेपाल तथा पाकिस्तान की उनकी यात्रा सफल रही है और मुझे आशा है कि हमारे अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी वैसे ही बातचीत की जाएगी।

महोदय, यह हम सब के लिए सन्तोष का विषय है कि दक्षिण एशियाई सहयोग, जिसके लिए भारी कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा, अब मिलना शुरू हो रहा है शायद इस विश्व में दक्षिण एशिया एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कोई क्षेत्रीय संस्था नहीं है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की स्थापना से हमारे आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी तथा साथ ही सहयोग पूर्ण राजनीतिक वातावरण भी पैदा होगा। इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना होगा कि दक्षिण एसिया में भारत सबसे बड़ा देश है और यही एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सभी देशों से हैं। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र में और कोई दक्षिण एशियाइ देश नहीं है जिसकी सीमायें परम्परा लगती हो और हम पर दबाव कर रहा है क्योंकि हमारी सीमाएं अनेक देशों से लगती है।

महोदय, हम से यह आशा भी की जाती है और यह महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षित क्षेत्रों में सहायता देने के लिए अपनी अर्थ-व्यवस्था का विकास करें। यदि हमारे पड़ोसी देश भारत किसी सार्थक सहयोग प्राप्त से भी स्थिति में नहीं है और यदि भारत की अर्थ-व्यवस्था कमजोर एवं विदेशी सहयोग पर निर्भर होगी तो उन्हें हमसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। बल्कि वह इस देश के पास जाना पसन्द करेंगे जहां से हम निरन्तर सहायता ले रहे हैं। इसलिए, यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को मजबूत कर सकें और उन देशों को सहायता देने की स्थिति में हों तो दक्षिण एशियाई सहयोग कभी सार्थक हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं क्या मैं यह कहूं कि भाग्यवश भारत के एक ही पड़ोसी देश से मूल्य रूप से मतभेद है?

मैं यह आशा कर सकता हूं कि सरकार स्थायी शान्ति की खोज में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। सहयोग से होने वाले लाभों से तथा संघर्ष से होने वाली हानियों से सभी भली-भांति अन्तर्गत हैं और मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम "युद्ध वर्जन समझौता" तथा मैत्रीपूर्ण संधि के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हम परस्पर सहायता के लिए भी एक खंड नहीं जोड़ सकते कि यदि हमारे देश पर आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण को दोनों देशों पर आक्रमण समझा जाएगा?

महोदय, मैं राजनीति में मतभेदों से अनभिज्ञ नहीं हूं। मैं दक्षिण एशियाई देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में प्रचलित विभिन्न विचारधाराओं के भी अनभिज्ञ नहीं हूं। किन्तु हमने अपने देश में विविधताओं के साथ जीना सीख लिया है और उन विविधताओं में भी हमने अपनी पहचान करने का प्रयास किया है। क्या हम दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की विविधता में एक उद्देश्य की खोज नहीं कर सकते ?

मैं यह भी जानता हूं कि पाकिस्तान परमाणु बम का निर्माण कर रहा है अथवा शायद उसके पास परमाणु बम हो। किन्तु मैं यह कहता हूं कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर सहयोग तो बम का अर्थ ही स्पष्ट हो जाएगा। यदि पाकिस्तान यह घोषणा करता है कि उसके पास बम है तो हम क्या करेंगे ? हमारे पास क्या विकल्प है ? क्या हम भी परमाणु शक्ति बनना चाहें। अथवा क्या हम स्वयं को असुरक्षित छोड़ देंगे अथवा क्या हम परमाणु संरक्षण चाहेंगे ? इन तीन विकल्पों के अतिरिक्त मैं एक चौथे विकल्प का सुझाव देना चाहूंगा। हमें पाकिस्तान के साथ एक समझौता करना चाहिए।

मैं यह पुनः कह रहा हूं कि मैं कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं हूं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार की कठिनाइयां तो बनी ही रहती हैं और हमें उनके उत्तर खोजने होंगे। कुछ वर्ष पहले मुझे इ० सी० एफ० इ० के अन्तर्गत एशियाई परिषद स्थापित करने के बारे में एक बैठक भी हुई थी। उसके पश्चात इस बारे में क्या हुआ हमें मालूम नहीं है।

सभापति महोदय, एशियाई खेल समिति के अतिरिक्त दुर्भाग्य से और कोई एशियाई संगठन नहीं है जब कि हम खेलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्दा का स्वागत करते हैं वहां मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब हमें एशियाई सहयोग की आय संस्थाएं भी स्थापित करनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय रूचि लेगी।

सभापति महोदय में श्रीलंका का उल्लेख किए बिना दक्षिण एशिया का मामला नहीं छोड़ सकता। श्रीलंका एक शान्तिपूर्ण द्वीप था। यह मनोहरी देश है। हम सभी कभी-भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाने का प्रयास करते थे। अब द्वीप एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां भी जनता परस्पर हिंसात्मक लड़ाई में लगी रहती है।

मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि इस क्षेत्र में हिन्द महासागर की बढ़ती हुई एवं महाशक्तियों के टकराव के परिणाम स्वरूप श्रीलंका की समस्याएं पैदा नहीं हुई।

हम निसन्देह लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि उन्हें अपने देश में समानता और सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम भी मित्र देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसलिए मैं केवल यह आशा ही कर सकता हूं कि श्रीलंका इस कठिन समस्या का समाधान खोजने में भारत अथवा अन्य देशों से स्वयं अपनी ओर से अपेक्षाकृत अधिक ठोस सहायता की मांग करेगा। किन्तु श्रीलंका में जो लोग दुख उठा रहे हैं मारे जा रहे हैं और जिन्हें अपने

परिवारों के साथ रहने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। हमारा हृदय उनके दुख से दुखी है।

3.20 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

भारत के सुरक्षा सम्बन्धी हितों के अन्य क्षेत्रों का भी मैं उल्लेख करना चाहता था कि किन्तु दुर्भाग्य से अब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर चर्चा की प्रथा का त्याग करने जा रहे हैं और हम विदेश मन्त्रालय के बजट तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों प्रर एक ही बार में चर्चा करते हैं। अतः मैं अन्य मामलों पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है। आपने घंटी बजा दी है।

मैं विदेश मन्त्रालय के कार्यकरण के दो पहलुओं पर बड़े संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि मैं समझता हूं विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को न तो उन देशों के बारे में जहां वह स्थिति हैं और न ही क्षेत्रीय अथवा विश्व सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में कोई स्पष्ट नीति बनाई गई है। अब विदेश मन्त्रालय के नीति आयोजना सं० भाग का अध्यक्ष एक वरिष्ट व्यक्ति है और मुझे आशा है कि राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही विषयों में नीति विषयक विशेष उद्देश्य हमारे मिशनों को सूचित किए जायेंगे। ताकि वे अपेक्षाकृत अधिक महत्व-पूर्ण उद्देश्य सामने रखकर कार्य करे और परिणाम प्राप्त करें।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय में कठिन पदों पर पर्याप्त प्रोत्साहन देकर क्षेत्र विशेषतया का सिद्धान्त लागू किया जाए ताकि हमारी नीति में अपेक्षाकृत अधिक सांतव्य बना रहे। और उसमें परिणामस्वरूप जानकारी प्राप्त होती रहे।

अब मैं आपकी अनुमति से पश्चिम एशिया में शान्ति की खोज के लिए विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं ? दुर्भाग्य से पश्चिम एशिया को अपने इतिहास काल में अनेक उथल पुथल का सामना करना पड़ा है ?

आज यह पुनः गंभीर संघर्ष में लगा हुआ है जो केवल ईराक और ईरान के माध्मय न रहकर लेबनान तक बढ़ गया है और जिसकी और अन्य अनेक अरब देशों का ध्यान लगा हुआ हैं। मुझे आशा है कि भारत जिसकी अरब देशों के साथ बराबर मत मित्रता रही है एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने तथा एक नया जीवन देने में उनकी सहायता करेगा।

अन्त में मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सर्वप्रथम मैं विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने प्रधान मन्त्री के कहने पर हाल ही में पश्चिम एशिया का दौरा करने की पहल की है जिसका उद्देश्य युद्ध समाप्त करने के लिए कम से कम ईरान और ईराक को समझता हूं।

मैं सभी देशों के बारे में नहीं बोल सकूंगा क्योंकि समय कम है और इस वाद-विवाद

का दायरा भी सीमित है। मैं केवल पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में ही बोलूंगा।

यह कांग्रेस शताब्दी वर्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा आरम्भ से ही साम्राज्यवाद विरोधी और उपनिवेशवाद विरोधी रही है। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय संघर्ष के समय से ही यहीं विचाराधारा इस देश को लोगों की भी विचाराधारा बन गई। मैं चाहता हूं कि इस शताब्दी वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विशेषकर नाभीषिया के मामले, गुट निरपेक्ष आन्दोलन सहायता से हम यह बतायें कि हम कितने प्रभावशाली हैं।

हमारी विदेश नीति जो वास्तव में हमारे देश में पीड़ित जवाहर लाल नेहरू ने बनायी थी, और बाद में जिसें इन्दिरा जी ने सशक्त बनाया था को अन्य देशों का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त हुआ है। अब उसकी बागडोर हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के हाथ में आ गई है। अपने पहले भाषण में ही उन्होंने पड़ौसी देशों से अपने सम्बन्ध सुधारने पर बल दिया ?

जैसा कि आपको पता है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की संकल्पना के बारे में सिद्धांत रूप से हम चाहें कहे ; मूल बात यह है कि राष्ट्रीय हितों की कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय नीति में भी देश विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकता—वह संसार का चाहे कोई भी देश हो उसका नाम जो भी हो। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि अब ऐसा समय आ गया है जबकि हमें इस उप-महाद्वीप में भारत के राष्ट्रीय हित के बारे मे भी पहले सोचना होगा और इसके बाद ही हमें अपनी उस अन्तर्राष्ट्रीय विश्व नीति ढांचा निर्धारित करना होगा जिसका हमें पालन करना होगा ? कभी-कभी ऐसा होता है। मैं किसी को दोष नहीं देता ? ऐसा इसलिए होता है। किसी कि हर मामले में हमारा उदाहरणपूर्ण है। दृष्टिकोण रहा है और इसलिए भी कि... भगवान बुद्ध के समय से ही हम शांति का प्रचुर करते रहे है। कभी-कभी पड़ोसियों के मामलों में भी हम अपने राष्ट्रीय हित को भी प्राथमिकता नहीं देते जैसा कि हम पहले से करते आए हैं।

आज के समय में दो देशों के बीच आपसी संबंध मुख्य रूप से कुछ मामलों संघर्षों विवादों संधियों और समझौतों पर निर्भर करते हैं। किन्तु तथ्य यह है कि एक स्थान के लोगों की आकांक्षाओं दूसरे स्थान के लोगोंपर प्रदर्शित करने के लिए एक देश की जनता के दूसरे देश की जनता के साथ आपसी सम्बन्ध बनते हैं।

मेरे विचार से यह मंत्रालय और सरकार राजनायिक दमन चक्र को अधिकाधिक रूप से कम कर सकेगी और इसके लिए वार्षिक प्रतिवेदन के एक पहलू का अर्थात् देशों के सांस्कृतिक सम्बन्धों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

भारतीय सांस्कृतिक की महान निधि हमें निरासत में मिली है और वह निधि हमें उस व्यक्ति से प्राप्त हुई है जिसको राज्य के कल्याण के लिए तथा विश्व शांति में योगदान के लिए ख्याति हैं। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब भी मैंने विश्व के किसी देश का

भ्रमण किया है तो मैंने पाया कि विश्व के उस भाग में भारत के लोगों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस कारण मैं सोचता हूं हमारे सांस्कृतिक संपर्क में कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य है और वह सांस्कृतिक सम्पर्क टैगोर का सम्पर्क है।

मैंने विश्व के ऐसे अनेक देशों का भ्रमण किया है जिन्हें भगवान बुद्ध के समय से लेकर टैगोर तक की भारतीय सांस्कृति का ज्ञान है। जब कभी भी मैं विश्व के किसी भाग में गया उन देशों के आपसी सांस्कृतिक सहयोग में मैंने टैगोर को हमेशा अनुपस्थित पाया। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। मैंने दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक स्थानों का दौरा किया है।

मैंने जापान का दौरा किया है। मैंने पाया कि वे ऐसा ही महसूस करते हैं। किन्तु मैं नहीं जानता कि वे ऐसा ही महसूस करते हैं किन्तु मैं नहीं जानता कि हमारे राजदूत वहाँ क्या कर रहे हैं? इस सांस्कृतिक सम्बन्ध के माध्यम से वे न तो वहां के लोगों से मिलने की चेष्ठा करते हैं और न ही उनको आकांक्षाओं के अनुरूप अपने को ढाल पाते हैं।

इसका नतीजा क्या यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में आजकल जिस युवा पीढ़ी का विकास हो रहा है वह परमाणु तनाव और संयुक्त राष्ट्र संघ विचारों में उलझकर रह जाते हैं वे अपने देश की परम्परागत और प्राचीन संस्कृति को भूल जाते हैं। यदि इस कमी को दूर कर दिया जाय। तो मेरे विचार से विश्व में शांति आंदोलन को पुन: जाग्रत करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

सोवियत संघ में लोग जब अन्य देशों के लोगों से बात करते हैं; तब वे सोवियत संघ की क्रांति की बात नहीं करते बल्कि वे मैक्सिम गोर्की और अन्य महान लोगों की बात करते हैं और वे अपने राष्ट्र के अन्य महान सांस्कृतिक नायकों की बात करते हैं। किन्तु अपना सांस्कृतिक सम्पर्क बनाये रखने के लिये जब हम विश्व के अन्य लोगों से लोगों से बात करते हैं तब हम हर प्रकार की बातें करते हैं; हम लोक नृत्य मंडली भेजते हैं हम भारत नाट्यम मंडली भेजते हैं; हम और भी अन्य बातें करते हैं; किन्तु हम उन देशों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से टैगोर के दर्शन भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध की बात नहीं करते इसका नतीजा यह है,— जैसा कि मैं महसूस करता हूं— वे लोग हमें गलत समझते हैं, वे हमारे बारे में यह सोचते हैं कि केवल सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिये हम कभी-कभी उनके देशों का दौरा करते हैं। आप कृपा करके इन पहलुओं पर ध्यान दें।

जहां तक पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है, तमिलनाडु के अपने मित्रों के साथ मुझे भी श्री लंका में हुई घटनाओं के बारे में दु:ख है। यह सच है कि किसी समय में संयुक्त भारत की संकल्पना वहां प्रबल रही थी। वर्षों पहले, अर्थात् हजारों वर्ष पहले, हमने कभी ऐसा सोचा भी न था कि श्री लंका, बर्मा, वर्तमान भारत, बंगला देश और पाकिस्तान, जिनमें एक समान भाई चारा था, की यह स्थिति होगी। किन्तु राजनैतिक विवशताओं राष्ट्रीय संघर्ष और अन्य अनेक घटनाओं के कारण आज हम अलग-अलग स्वतंत्र संपन्न देश हैं। किन्तु

हम पाकिस्तान और बंगला देश में रहने वाले हिन्दुओं, श्री लंका में रहने वाले तमिलों, नेपाल या भूटान में रहने वाले हिन्दी भाषी हिन्दुओं की आकांक्षाओं की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। वे भी यही महसूस करते हैं।

मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है कि वे जातीय समस्या और अन्य अनेक समस्यायें एक दिन की समस्यायें नहीं हैं। मुझे कहते हुए खेद है कि यदि आपने इस बात पर बहुत पहले ही जोर दिया होता और इन्हीं मुद्दों पर विचार किया होता तो पड़ोसी क्षेत्रों के देशों के बीच आपसी संबंधों में इस प्रकार की बातें एकाएक नहीं उभरतीं। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता। मैं केवल यह महसूस करता हूं कि अपने पड़ोसियों के साथ और अधिक अच्छे संबंध रखने के लिए हमें यह काम और पहले करना चाहिए था।

मैं बंगलादेश और पाकिस्तान के बारे में हाल ही के दो या तीन पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। बंगलादेश और पाकिस्तान के लोगों की हार्दिक इच्छा भारत के लोगों के साथ दोस्ती रखने की है।

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। भारत के लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं और स्वयं अनुभव करता हूं कि इन देशों विशेषकर उन मित्र देशों में हमारे कार्यकरण में सुधार होना ही चाहिए।

हमारे दूतावासों और विदेश मन्त्रालय के कर्मचारियों तथा राजदूतों को जन सम्पर्क बढ़ाना चाहिए और एक ऐसा क्षेत्र तैयार करना चाहिए जिसमें हम असफल रहे हैं चाहे वह पाकिस्तान हो अथवा बंगलादेश।

सभापति महोदय हमारा विदेश कार्यालय अपने ही ढंग से कार्य कर रहा है। मैं उसे दोष नहीं देता। परन्तु मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं ओलम्पिक के लिए लोंस एन्जिल्स गया था। मैंने वहां खलिस्तान सम्बन्धी अनेक गतिविधियां देखी किन्तु हमारे दूतावास की ओर से उनका कोई विरोध नहीं किया गया। वापिस आने पर मैंने अपने प्रधानमंत्री को बताया। एन्जिल्स में मैंने वहां के लोगों को आपस में भारत के हित की कोई भी बात करते नहीं सुना। हॉकी मैच वाले दिन मैंने केवल दस भारतीय लड़कों को देखा जो टी-शर्ट पहने हुए थे और जिनके सीने पर लिखा था "हमें भारतीय होने का गर्व है।" मैंने उनसे पूछा कि वे वस्तुएं उन्हें कहां से मिली थीं? उन्होंने बताया कि उनसे किसी ने बात नहीं की किसी ने किसी बात का विरोध नहीं किया और न किसी ने उनका साथ दिया। मुझे नहीं पता कि दूतावास के लोग क्या करते हैं।

किन्तु फुट-बाल टीम के साथ जब मैं चीन गया तो वहां स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वहां के दूतावास के सारे कर्मचारी राजदूत सहित खुले आम बाहर आ गये और भारतीय लड़कों तथा चीनी टीम के साथ घुल-मिल गये उस अवसर के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक विशेष संदेश भी भेजा था

मैं चाहता हूं कि हमारे विदेशी मिशन इन सब कार्यों के बारे में सावधानी बरतें।

महोदय, पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं अपने मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह बात ठीक ही कही है कि वस्तुत: पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध हमारे हितों पर निर्भर नहीं हैं, अपितु विश्व के दूरस्थ भागों की शक्तियों मामलों में हस्तक्षेप पर निर्भर करती हैं जो भारत में ... करने की कोशिश करती हैं।

यह सच है कि उपमहाद्वीप और बंगला देश, पाकिस्तान तथा श्री लंका और कुछ अन्य देशों के संबंध में साम्राज्यवादी चालें चली जा रही हैं। इस स्थिति का वातावरण भी हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ कुछ कदम उठाने पड़ते है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उन देशों के साथ संबंध, रखने पर अधिक ध्यान दें और एक समान तैयार करने के लिये कहे। ऐसा केवल हिन्द महासागर के निकट के प्रभावित लोगों के बारे में ही नहीं होना चाहिये, अपितु अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिये। अन्यथा, मेरे विचार से मासद सी० आई० ए० की साजिशों और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों को हम महसूस करते रहेंगे हमारे लिए उनका मुकाबला करना अथवा उनकी घुसपैठ से अपनी सीमाओं की रक्षा करना कठिन होगा।

उदाहरण के तौर पर हम बंगलादेश के चट गांव किले को ले सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बहुत सी साजिशे सुनते रहे हैं। इसी प्रकार की साजिशें काराकोरम लाइन नेपाल सीमा के बारे में सुनने को मिले हैं। इसीलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यदि हम यह महसूस करते हैं कि पाकिस्तान अथवा बंगलादेश या नेपाली अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हमसे आशंकित हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए पहल करें और उन्हें विश्वास दिलाये कि हम लोग उनके मित्र हैं। हम ऐसी बाते केवल मौखिक न करें अपितु कुछ कार्य भी कर दिखाएं।

हम गंगा के मामले को लेते हैं। मैं फुट-बाल टीम के साथ ढाका गया था। मैंने सोचा था कि गंगा की समस्या को लेकर वे लोग नाराज होंगे। किन्तु मैंने पाया कि स्थिति सर्वथा विपरीत थी। उन्होंने कहा कि जब यह एक थी तब भी हमने गंगा का बटवारा किया था। हम अब भी बटवारा करने को तैयार हैं।

"मेरे विचार से ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे हम लोग आपस में सुलझा नहीं सकते। किन्तु यदि हम अपने बीच अमरीका का इस कार्य के लिए आमन्त्रित करते हैं। तो बंगलादेश को चॅट गांव दुर्ग से या और किसी से चीन से हाथ जोड़ना पड़ेगा।

हमें भी कुछ न कुछ खोना होगा। ये सब-ऐसे मामले है जिन्हें हमें परस्पर मैत्रीभाव से निपटा सकते हैं। इसलिए, आने माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि अपने विदेशी अधिकारियों को भली भांति शिक्षित किया जाए। वे अच्छे पढ़े-लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं किन्तु उन्हें जब सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक देशों में हमारे विदेश कार्यालय के अधिकारी स्थानीय संगठनों द्वारा

आमन्त्रित किए जाने पर पार्टियों में भाग लेने आते हैं किन्तु इससे कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें जन सम्पर्क-बढ़ाना चाहिए जिसका वहां के लोगों पर ठोस प्रभाव पड़ेगा।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस के उस शताब्दी वर्ष में हमें साम्राज्यवाद और एक उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ना चाहिए और भारत को एक बार फिर मुख्य रूप से पहल करनी चाहिए। मुझे आशा है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के नाते हम ऐसे कर सकते हैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मुझे आशा है कि हम नामीबिया को सहायता करनी चाहिए । मेरी कामना है कि उपनिवेशवादी ताकतों से निपटने और भारतीय महाद्वीप को शक्तिशाली रखने के लिए हमारी भारत-रूस मित्रता सुदृढ़ होती रहेगी।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं निवेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय, मैं इस मंत्रालय की नीति के बारे में कुछ टिप्पणियों करना चाहता हूं।

यह कहा गया है कि इस देश की विदेश नीति के कई सिद्धांत हैं। मेरे विचार से हमारी विदेश नीति मुख्यतः तीन सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत हैं। निःशस्त्रीकरण में हमारी पक्की. वचनवद्धता विश्व शांति और गुट निरपेक्ष आन्दोलन में हमारा नेतृत्व।

जहां तक निःशस्त्रीकरण का संबंध है। इस सिद्धांत के बारे में बड़ी गलत धारणा रही है। अनेक व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि निःशस्त्रीकरण की बात करने का तात्पर्य केवल परमाणु शक्तियों से संबंधित है और जहां तक विकास शील और छोटे देशों का संबंध है, शस्त्रों की होड़ के इस पागलपन से तथा निःशस्त्रीकरण वार्ता के असफल होने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्वतयः एक गलत धारणा है।

हमें छोटे देशों का नेतृत्व करना होगा और विशेषकर अपने देश के लोगों में यह भावना जाग्रत करनी होगी कि यदि शस्त्रों को होड़ कर न रोका गया तो मानव-जाति का विनाश हो जाएगा। इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना जहां तक अपने देश का संबंध है यह आन्दोलन केवल सरकारी स्तर तक ही सीमित न रहे अपितु यह एक जन आन्दोलन बनाया जाना चाहिए। अनेक लोगों का ऐसा विचार है कि परमाणु युद्ध होने की संभावना नहीं है, यह केवल शीत युद्ध होगा और अन्ततोगत्वा, परमाणु अस्त्रों का टकराव नहीं होगा।

किन्तु मेरा विचार है कि यह धारणा भी गलत है। विशेषकर किसी भी समय परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। विशेषकर कोई भी शासनाध्यक्ष कोई भी गलत निर्णय ले सकता है और किसी भी समय विनाश की श्रृंखला आरम्भ हो सकती है। इसलिए, इस समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। हमारे जैसे विकासशील देशों द्वारा विशेष रूप से इसके लिए भारी प्रयत्न किए जाने होंगे।

मैं इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं समझता कि निःशस्त्रीकरण, शांति और विकास का एक दूसरे से घना संबंध है। उनमें से यदि हम एक में भी असफल रहते हैं तो विकास हो ही नहीं सकता। और जहां तक विकासशील देशों का संबंध है, वे पूरे विश्व में व्याप्त हैं। इसलिए, हमारे जैसे विकासशील देशों को शस्त्रों की इस पागल होड़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसे रोकने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिये। इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हमारा देश उस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहा है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिशा में और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और उससे भी अधिक लोगों में जागृति पैदा करने की बात है जिससे कि सारा संसार इस विनाश कारी होड़ और इस समस्या के बारे में जान सकेगा।

जैसा कि मैंने पहले कहा, निःशस्त्रीकरण की होड़ विश्व शांति से जुड़ी हुई है और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि न केवल इस देश के प्रधानमंत्री के नाते अपितु गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष होने के नाते भी, हमारे प्रधान मंत्री इस दिशा में हर संभव कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ईरान इराक के बीच पिछले करीब चार वर्षों से युद्ध हो रहा है, जो कि बड़ा विध्वंसकारी साबित हो रहा है। यहां तक कि नागरिकों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है।

हमारे प्रधानमंत्री ने अवसर के अनुकूल इन दोनों देशों से अपील की विशेषकर चूंकि इन दोनों देशों के हमारे देश के साथ मैत्री पूर्ण संबंध हैं, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के नाते हमारे प्रधान मंत्री के लिए संभव था कि जहां तक इन दोनों देशों का संबंध है यह उनसे शांति स्थापित करने और एक-दूसरे पर आक्रमण न करने की अपील करें। मुझे खुशी है कि केवल उनसे अपील ही नहीं की गयी अपितु विदेश मंत्रालय के सचिवों ने इन दोनों देशों का दौरा किया तथा दोनों देशों के शासनाध्यक्षों को इस युद्ध को जिसका अंत किसी एक देश की विजय में नहीं हो सकता था, समाप्त करने के लिए राजी करने का प्रयत्न भी किया। इस तथ्य के बावजूद ऐसा किया गया कि इस युद्ध के दौरान हमारा भी नुकसान हुआ है।

अब तक नौ भारतीय जहाज, जिनमें गरवारे नौवहन का 'ऋषि विश्वामित्र' भी शामिल हैं, डुबाए जा चुके हैं, इन पर मुख्यतः इराक के फ्रांस निर्मित उच्च स्तरीय लड़ाकू बमवर्षक विमानों द्वारा भयंकर 'एक्सोसेट' प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया। बी० एस० सी० सी० कंचनजंगा और टेंकर जग परी सहित 12 पोत के नष्ट हो गए हैं। उसे अधिक नौकाएं (दोऊ) गुण हो गई हैं। हमें इतना अधिक नुकसान होने के बावजूद हमने इन दोनों देशों से युद्ध समाप्त कर शांति स्थापित करने और संधि वार्ता करने की अपील की है।

जहां तक हमारे पड़ोसियों का संबंध है, दुर्भाग्य से आरंभ से ही हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने सोचा कि चीन के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसका कटु अनुभव हुआ और जिस देश के साथ हम अपने संबंध मैत्रीपूर्ण मानते थे, उन्होंने ही हम पर हमला किया। इसी भांति, पाकिस्तान, जो हमारा

पड़ोसी देश है, की तरफ हम हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं, लेकिन उसका भी कई अवसरों पर हमें कटु अनुभव हुआ।

आज भी यद्यपि वहां के राज्याध्यक्ष बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनकी कार्यवाही हमेशा भारत-विरोधी रहा है। अतः जहां तक इन पड़ोसी देशों का संबंध हैं, हमें सावधान रहना होगा।

अंततः मैं श्रीलंका का जिक्र करूंगा। जहां तक श्रीलंका का संबंध है, यद्यपि यह जातीय की समस्या है, हमें इस संबंध में भी सतर्क रहना होगा। हमारे देश में करीब 40,000 शरणार्थी आए हैं।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : एक लाख शरणार्थी आ चुके हैं, 40,000 नहीं।

श्री शरद दिघे : यह संख्या एक लाख भी हो सकती है। यद्यपि यह बात सही नहीं हो सकती किन्तु इस देश के आम आदमी की यह भावना है कि जब हमारे देश में इतने सारे शरणार्थी आ रहे हैं और जब वहां तमिल प्रवासी दुःख झेलते रहे हैं, हमें कुछ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। इस माननीय सदन में निर्वाचित होने के बाद बम्बई के धारानी कालोनी में मेरा अभिनंदन किया गया और वहां कुछ आम लोगों ने, जो तमिल भाषी थी, मुझसे अनुरोध किया कि जहां तक श्रीलंका का संबंध है मुझे संसद में इस संबंध में कड़ी कार्यवाही किए जाने का अनुरोध करना चाहिए।

अतः आम आदमी यह महसूस करता है अतः यद्यपि इस संबंध में राजनैनिक समाधान है, मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस ओर उचित ध्यान दें तथा यदि आवश्यक हो तो श्रीलंका पर राजनयिक दबाव डाला जाए ताकि तमिलों को और तकलीफें न सहनी पड़ें।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपलयम) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। एक लोकोक्ति है कि पूर्व-चेतावनी मिलने से व्यक्ति पूर्वोपाय कर लेता है।

इस सरकार की विदेश नीति तीन दशकों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिनों से आज दिन तक बहुत सुदृढ़ रही है। हमें विदेश नीति पर पूरा ध्यान देना है क्योंकि कुछ विदेश ताकते जैसे-अमरीका और अन्य देश किसी तरह हमारे देश की छवि बिगाड़ना चाहते हैं।

मैं मार्च के अंतिम सप्ताह में अंतरसंसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए पश्चिम अफीका के देश लोगों गया था। उस दल का नेतृत्व हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया

था। स्वयं मैं और इस सभा तथा राज्य सभा के 6 सदस्य वहां गए थे। वास्तव में उस सम्मेलन में मद संख्या 4 का उल्लेख हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने किया था और उस संबंध में एक संकल्प पारित किया गया। उस सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष महोदय और मैंने निरस्त्रीकरण पर वक्तव्य दिया। जब संकल्प पारित किया जाने वाला था, अमरीका और अन्य देशों ने उस संकल्प पर मतदान कराना चाहा। वह संकल्प 702 मतों के बहुमत से पारित किया गया जबकि 167 वोट उसके विरोध में पड़े थे।

इससे स्पष्ट हो गया कि प्रायः सभी देश शांति चाहते हैं, लेकिन अमरीका और अन्य देश भारत की छवि बिगाड़ना चाहते हैं।

बाद में मैं पश्चिम जर्मनी गया। वहां कुछ भारतीयों ने हमें बताया कि पश्चिम जर्मनी सरकार भारत की छवि बिगाड़ने के लिए कदम उठा रही है। वे पश्चिम जर्मन के जनता तथा अनिवासी भारतीयों को कई भारतीय फिल्में दिखा रहे थे, जिनमें भिखारियों आदि का चित्रण किया गया था। केवल इतना ही नहीं कुछ पजाबी सिख वहां शरण ले रहे हैं किन्तु उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उन्हें पंचतारा होटलों में आवास की सुविधा भी दी जाती है और वहां भारत-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम जर्मनी। पंजाब में उन्हें हजारों रुपए भेजे जा रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में उस देश में ऐसी अमित्रतापूर्ण गतिविधियों को बंद कराने के लिए उनका विभाग क्या कर रहा है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि हम विदेशी संबंधों के मामले में कहीं गलती पर हैं तथा उसमें सुधार किया जाना चाहिए।

अब मैं श्री लंका के मामले पर आता हूं। वास्तव में यह मामला कोई नया नहीं है। पिछले दो दशकों से यह समस्या चली आ रही है और आप जानते हैं कि हिन्द महासागर अब तमिलों के खून से आप्लावित है। वास्तव में वहां तमिलों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप इससे अवगत होंगे किन्तु आप चाहते हैं कि बातचीत से ही इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। आपको इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि आपके मैत्रीपूर्ण रुख अपनाए जाने के बावजूद यह समस्या हल नहीं हो रही।

अतः मैं प्रधानमंत्री और विदेश मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का तुरन्त समाधा करें तथा सुनिश्चित करें कि श्रीलंका में मिलों की समस्या का शीघ्र समाधान हो।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, जैसा कि मेरे मित्र श्री फलीरो ने पहले जिक्र किया कि कुछ देश भारत को सपेरों का देश मानते हैं। अन्य देशों में, विशेषकर विकसित देशों में कुछ लोगों का विचार है कि भारत भिखारियों का देश है, जब कि कुछ अफ्रीकी देश समझते हैं कि भारत दुकानदारों

व्यापारियों का दे है । हमें अपने प्रचार साधनों का इस तरह विस्तार करना चाहिए । जिससे कि हमारे देश की सही तस्वीर चित्रित की जा सके । भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तथा वास्तव में अन्य देशों को खाद्य सहायता दे रहे हैं, हम मारीशस में गेहूं भेज रहे हैं । जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की, हमने हाल ही में मारीशस को करीब 10.000 टन गेहूं भेजा । गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का अध्यक्ष होने के नाते हमने विदेशी मामलों में अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली है । लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विभिन्न देशों में हमारे दूतावासों के कर्मचारियों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई है ।

वास्तव में ही, विदेश मंत्रालय का काम स्वतंत्रता प्राप्ति के एकदम बाद से आरंभ हो गया था और लंदन स्थित हमारे उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में है लेकिन हमारे अन्य उच्च आयोगों तथा राजदूतावासों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है । यहां तक कि हमारे वैज्ञानिक सलाहकार केवल चार देशों में ही नियुक्त हैं । अतः मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जब कभी आपसी सहयोग आर्थिक और सामाजिक सहयोग की बात हो हमारे पास इन गतिविधियों में समन्वय के लिए आधारभूत ढांचा हो ।

महोदय, इस शताब्दी में विश्व में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटीं और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध 4θ के बाद कई देशों में आपसी संबंधों में जटिलता आई है । प्रथम विश्व युद्ध से पहले इतने बड़े पैमाने पर युद्ध पर युद्ध नहीं हुए थे कि उसे विश्व युद्ध कहा जाता तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा विध्वंस हुआ जिसने विश्व के सभी देशों को शांति स्थापना के बारे में सोचने को उद्यत किया । नवीनतम परमाणु प्रक्षेपास्त्रों की खोज से हम तृतीय विश्व युद्ध से बचने पर अधिक सोच रहे हैं और उसके लिए विभिन्न एजेंसिया तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए ईमानदारी तथा गंभीरता से प्रयास कर रही हैं । लेकिन विकसित देशों द्वारा परमाणु परीक्षण अभी भी किए जा रहे हैं । और इन परमाणु परीक्षणों को हर कीमत पर बंद करना होगा । गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का अध्यक्ष होने के नाते इस दिशा में भारत की जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है कि वह गम्भीरता से कार्य करें ।

महोदय, विदेश मंत्रालय में हम पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक सहयोग आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं । हाल ही के वर्षों में हमारा एक पहलू यह रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हों । हमारे अधिकांश पड़ोसी देश, जनसंख्या तथा आकार की दृष्टि से हमारे देश से छोटे हैं । इसी कारण, कुछ देशों में भारत की जनसंख्या और विशालता के कारण हमारी ओर से आशंका बनी हुई है अतः उनके साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होने चाहिए तथा हम उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

हाल ही में भूटान को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता दी गई । बंगलादेश को भी आर्थिक

सहायता दी गई। लेकिन सीमा पर कटीली तार लगाने के बारे में बंगलादेश का हमारे प्रति बड़ा कठोर रवैया है। इस ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बंगलादेश को हम तीस्त नदी पर पन बिजली घर बनाकर सहायता दे सकते हैं। हम अन्य देशों को भी अधिक आर्थिक सहायता दे सकते हैं।

लेकिन पाकिस्तान में अमरीका द्वारा एफ-16 बम वर्षक आधुनिक हथियार दिए जाने और वहां उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने के कारण उसके साथ हमारे संबंध कुछ बिगड़े हुए हैं। हमें आशा है कुछ वर्षों में साथ हमारे संबंध सुधरें। हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बंगलादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं।

गुट-निरपेक्ष देशों के मामले में, आर्थिक विकास में आपसी सहयोग बनाये रखने के लिये हमें एक दूसरे की ओर अच्छी तरह जानने की आवश्यकता है और इसके लिए नाभीडिया की कल्पना बहुत अच्छी है क्योंकि विकसित देशों, पश्चिम देशों में विकास शील देशों की जो तस्वीर पेश की जाती है, वह सही नहीं होती। पश्चिम की प्रचार एजेंसियों का उद्देश्य अपनी शक्तियों-ए० पी० और यू० पी० आई०, पर नियंत्रण करना है। अमेरिका की ये एजेंसियां अपनी साख खो चुकी हैं। 1973 इनकी साख 30% थी। मैं, जैसा कि विश्व समाचार से पता चला इसकी साखा कम होकर 16% रह गई। लेकिन विकासशील देशों के लोगों अब भी देशों के समाचार में विकासशील देशों के बारे में जो लिखा होता है इस पर विश्वास कर लेते हैं।

मैं विदेश मन्त्री को एक सुझाव देना चाहता हूं। हम अंतरिक्ष के नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हमने अन्टार्कटिका में भी एक दल भेजा है और महासागर में खोज कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भी अंतर्राष्ट्रीय सार पर नई संधियां और नए कानून बनाने होंगे। नईसंधियों करनी ही होगी और जहां तक अंतरित के उपयोग तथा महासागर खोज कार्य का संबंध है, हमें नई संधियां और नए समझौते करने में विलंब नहीं करना चाहिए। हमें देशों के साथ, जिन्होंने ऐसे अभिदान किए हैं, मिलकर उपलब्ध ससाधनों का प्रयोग करना चाहिए।

अंत में, मैं गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अध्यक्ष के नाते हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री तथा श्री राजीव गांधी जो इस समय गांठ-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करता हू।

4.00 म० प०

अन्त में, ईरान-इराक युद्ध के बारे में मैं यह कहूंगा कि हम उस क्षेत्र में शान्ति लाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय और उनके साथ गए प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें एक मेज पर लाने का प्रयास किया। परन्तु हमें अन्य देशों की भी चिन्ता है। विदेश मंत्रालय के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। मेरा सुझाव है कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष होने के नाते हमें इन चुनौतियों का उचित परिप्रेक्ष्य से सामना करना चाहिए हमें विश्व में शान्ति लाने के लिए आशावान होना चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल (शलांग) : सभापति महोदय विदेश मन्त्रालय की मांगों पर वार्षिक वाद-विवाद के समय कोई भी व्यक्ति विश्व स्थिति के सर्वेक्षण का तथा यह पता लगाने का कि क्या मंत्रालय सफल रहा है और जहां असफल रहा है वहां गलत काम किया है, लोभ संवरण किए बिना नहीं रह सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) इसकी समीक्षा के लि० भूतपूर्व राजदूत सर्वोत्तम व्यक्ति है।

श्री जी० जी० स्वैल : निस्संदेह मंत्रालय यह कहना पसन्द करेगा कि समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अच्छा काम किया है। अपनी वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति कतिपय समूहों और दलों की निन्दा किए बिना और यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि उस ओर यह व्यक्ति न होता तो ये कठिनाईयां, ये समस्याएं हल हो गई होतीं। बहरहाल मैं इस क्षेत्रों में घसीटी जाना पसन्द नहीं करता। वे स्वयं में ही बड़े विषय हैं।

अपने नजदीकी पड़ोसियों से हमारे संबंधों के बारे में सरसरी तौर पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। पाकिस्तान मित्र देश नहीं हैं, न ही वह उच्च प्रतिनिधि मंडलों के आने जाने के बावजूद तथा युद्ध वर्जन, मैत्री और सहयोग की भावकुतापूर्ण बातों के बावजूद हमने मतभेद दूर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में इस समय बीसियों हजार श्रीलंका के शरणार्थी है। प्रतिदिन हजारों शरणार्थी आ रहे हैं जो हमें बंगलादेश की मुक्ति से पूर्व के दिनों की याद दिलाते हैं। बंगलादेश से भी वहां बंगलादेशियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाने के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमापार से हमें सैन की बढ़ती हुई आवाज सुनाई दे रही है। वहां की घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना पड़ता है।

मेरे विचार में वह सब बंगलादेश की कतिपय अन्तरिक समस्याओं का समाधान करने के लिये हो रहा है। समस्या विखंडित होकर भारत पहुंच गई है, यह विखंडित होकर देश के उस भाग में पहुंच गई है, जो मेरा है। आप अन्य किसी से बेहतर जानते हैं।

हमारे महान पड़ोसी देश चीन संबंध से अस्थायी रूप से कुछ ऐसे सौहार्दपूर्ण हैं कि अन्दर ही अन्दर सिमसिमति रहते हैं। शत्रुता अन्तर्निमित है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रत्येक कार्यक्षेत्र में चीन से हार रहे हैं। हम तेल उत्पादन में उनसे हार रहे हैं, हम खाद्यान्न उत्पादन में उनसे पीछे रहे हैं हम परिवार नियोजन में, जनसंख्या निरन्तर में हार रहे हैं यह कल ही की खबर है कि विश्व की जनसंख्या में महत्वपूर्ण कमी आई है क्योंकि चीन जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करने में सफल हुआ है। हम खेलों में निर्यात में, राजनीतिक-में पैबंद बाजी में, जिनमें निकट पड़ोसियों से संबंध भी सम्मिलित हैं, उनसे पिछड़ रहे हैं।

आप के लिए यह एक समाचार होगा परन्तु कई लोगों के लिए यह समाचार नहीं है

कि चीन ने पिछले एक वर्ष में तृतीय विश्व के देशों को, जिनमें पधारे निकट पड़ोसी बंगला-देश, पाकिस्तान और श्रीलंका भी सम्मिलित हैं एक बिलियन डालर मूल्य के हथियार और गोलाबारूद का निर्यात किया है।

मुझे यह जानकर अचम्भा हुआ कि ईरान-इराक युद्ध में ईरान के डटे रहने और ईरान की वर्तमान शक्ति के पीछे चीनी हथियार हैं जो उत्तरी करिमा के माध्यम से वहां पहुंचे हैं। ताकत ईरान की ताकत और शक्ति के पीछे ईरान स्थित चीनी प्रशिक्षक हैं। हम कहां हैं ? हम बातें बनाते रहते हैं। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं।

परन्तु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हमारी प्रतिष्ठा, विश्व में हमारी स्थिति, पड़ोसियों तक समस्याओं का समाधान बड़ी-बड़ी बातों से नहीं हो सकता। केवल शस्त्रों के द्वारा हो सकता है और यह शस्त्र ही हैं जो सिर चढ़ कर बोलते हैं और सन्देश पहुंचाते हैं। राज्य मंत्री वहां उपस्थित हैं। मुझे आशा है वे अपने मंत्रालय को इस बारे में बताएंगे और मुझे आश्चर्य है कि क्या वह हमें बता सकते हैं कि हम प्रत्येक क्षेत्र में चीन से क्यों पिछड़ गए हैं ? मैं ऐसा कहता हूं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरी पास कोई नुसखा है कि आप ऐसा करो या वैसा करो। स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी व्यक्ति नुसखा नहीं बता सकता परन्तु मुझे माननीय मंत्री जी को और मंत्रालय को यही कहना है।

यदि आप स्थिति पर नियन्त्रण नहीं रख सकते तो यथास्थिति बनाए रखिए, यदि रख सकते हो, अपनी कठिनाईयों को बढ़ाने का प्रयास न कीजिए अपने क्रिया कलापों से, अपने कार्यों और भूलों से अपने लिए मुसीबतों के नए द्वार मत खोलिए।

मैं इस संबंध में एसोसिएटेड प्रेस द्वारा रंगून से समाचार को पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें लिखा है :

> 65 बर्मा के नेता ने विन, जिसे चीनी राष्ट्रपति ली-जियानियन ने "चीनी लोगों का अति प्रतिपिठत पुराना मित्र" कहा है, चीन की एक ओर यात्रा करेंगे, जो कि उनकी बारहवीं यात्रा होगी, जिसे चीनी-बर्मी संबंधों को एक नया आयाम प्राप्त होगा।
>
> ने विन 76 वर्षीय चीनी राष्ट्रपति के साथ, जिसका राष्ट्रपति के साथ जिसका राष्ट्रपति सान यू ने इस महीने के आरम्भ में सप्ताह भर की हाल ही की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान "कई वर्षों से बर्मा के अच्छे मित्र" के रूप से उल्लेख किया था, 75 मिनट बिताए।"

ली, जिन्होंने यह कहा था कि ने विन ने अब तक चीनी बर्मी संबंधों को बढ़ाने में अत्यधिक रुचि ली है, (पूर्णिमा) की पूर्व सन्ध्या पर हवाई जहाज से रंगून पहुंचे। वह 40 व्यक्तियों के एक बड़े दल और समाचार-माध्यमों के 27 व्यक्तियों के दल का नेतृत्व कर रहे थे।

ली द्वारा "अत्यन्त लाभप्रद" कही गई इस यात्रा के तत्काल परिणाम निकले। चीन ने उपहार स्वरूप एक परियोजाना दी, एक राष्टीय थियेटर दिया और वह बर्मा से चीन और सागौन की लकड़ी की खरीद भी बढ़ा सकता है।

भारत में पैन ने इस ओर कोई गौर नहीं किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विदेश मन्त्रालय ने भी ऐसा ही किया होगा। आप पूछ सकते हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष की एक अन्य देश की यात्रा का क्या महत्व है।

"चीन के राष्ट्रपति का बर्मा आ दौरा तो क्या हुआ!" आप यह कह सकते हैं। लेकिन इसका महत्व है ; यह सर्वविदित हैं कि चीन के सर्वेच्च नेता अपने देश से बाहर नहीं जाते है। वे विदेश यात्रा नहीं करतें हैं, लेकिन जब कभी वे बाहर जातें हैं तो उनकी अग्रता अनुसार उनकी एक सुव्यवस्थित योजना होती है। और यदि मैं गलती में नहीं हूं तो चीन के राष्ट्रपति की किसी अन्य देश की यह पहली सरकारी यात्रा है ; और उन्होंने बर्मा के पहले दौरे के लिए चुना :

महोदय दूसरी बात यह है कि बर्मा में यू ने विम आज प्रभाव शाली व्यक्ति है, उनके शब्द ही कानून हैं।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करने की कोशिश करें :

श्री जी० जी० स्वेल : इस तरह हम चर्चा में कैसे भाग ले सकते हैं ? यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं : मैंने अभी शुरू ही किया है।

सभापति महोदय : कृपया जारी रखें ;

श्री जी० जी० स्वेल : मैं चेतावनी दें रहा हूं। मैं आज आपको यहां बता रहा हूं कि यदि हम सावधान नहीं रहे और चीन के साथ-फिर संघर्ष हुआ तो उसका आक्रमण केवल हिमालय की ओर से नहीं बल्कि जल और थल दोनों तरफ से होगा। और बर्मा की ओर क्या आप यह चाहेंगे क्या आपको इसकी जानकारी है ? महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मुझे पांच मिनट का और समय दिया जाए ; मुझे इस बात को स्पष्ट करने दें।

बर्मा मे आज अभी भी यू ने विन प्रभावशाली व्यक्ति है। 1983 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे बर्मा की विधिक राजनैतिक दल अर्थात बर्मा समाजवादी कार्यक्रम दल के अध्यक्ष बने रहे। बर्मा के द्वारे पर आने वाले किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को मिलने से वह मना करते हैं। 1983 में उन्होंने हंगरी के राष्ट्रपति को मिलने से इन्कार कर दिया। उन्होंने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति से मिलने से इन्कार किया था जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली में आने से पहले वहां के दौरे पर थे।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने मिलने से इन्कार क्यों किया था ?

श्री जी०जी० स्वैल : क्योंकि उनके पास अपनी कार्य-प्रणाली है। यह विषय अलग से है और मेरे पास बताने के लिए समय नहीं हैं।

लेकिन चीन के राष्ट्रपति का उन्होंने स्वागत किया इस दौरे के बदले उन्होंने चीन का दौरा करने का भी निर्णय किया। यह विश्व को चकित करने वाली बात है।

सभापति महोदय मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन मुझे यह कहने दो कि बर्मा हमारा निकटतम पड़ोसी देश है। बर्मा हमारा तीसरा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। चीन के साथ हमारी सीमा के बाद दूसरा स्थान बर्मा का आता है जिसके साथ भूमि तथा समुद्र दोनों ओर से हमारी सबसे बड़ी सीमा है।

चीन के साथ हमारी सीमा है वह ऊंचे बर्फीली अगम्य पर्वत क्षेत्र हैं। बर्मा के साथ हमारी सीमा है उस क्षेत्र में नीचली पहाड़ियां है समुद्र हैं। बर्मा के साथ हमारी सबसे बड़ी समुद्रीय सीमा है। सभापति महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से मन्त्रालय को यह कहना चाहता हूं कि निकट भविष्य में समुद्री सीमा को भूमि सीमा से अधिक महत्व होने जा रही हैं। बर्मा के साथ हमें मछली पकड़ने से सम्बद्ध प्रश्न सुलझाना है।

हमें समुद्र तल में हाइड्रो कार्बन के प्रश्न को सुलझाना है; हमें समुद्र तल के बहुधातु सम्बन्धी ग्रंथिका के प्रश्न का सुलजाना है, हम इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। क्या बर्मा का महत्व किसी अन्य देश से कम है ? पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा भू-भाग है। यह प्राकृतिक और संभावित सम्पदा जो दृष्टि से सबसे अधिक समृद्ध देश है। वहां तेल है। वह चावल का निर्यात करता है खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि बर्मा निकट भविष्य में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात में देश बनने की क्षमता प्राप्त करने वाला है। इसके पास बहुमूल्य और ठोस लकड़ी का विश्व में उच्चतम भण्डार हैं। इसके पास हीरों का भण्डार है। तट से दूर और तट पर यहां तेल उपलब्ध है। इसके पास जल बिजली है। विश्व में यह एक ऐसा देश है जिसको सही मायने में आत्म निर्भर कहा जा सकता है। आज बर्मा में हमारी क्या दखलता है ? कुछ नहीं अस्तित्व हीनता ! व्यवसायिक रूप से वहां जापान ने प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद दक्षिण कोरिया और फिर फ्रांस ने प्रभुत्व स्थापित किया है। राजनैतिक रूप चीन से वहां प्रभुत्व स्थापित किया है। यह है स्थिति। हमारा राष्ट्रीय हित क्या है ?

मैं पूछना चाहता हूं हमारी विदेशी नीति की आज तक की दिशा क्या रही है ? हम अग्नि शमन का काम करते रहे हैं। यही हम कर रहे है। हम समस्याओं का पहले अनुमान नहीं लगाते और जब कठिनाईयां सामने आ जाती हैं तब हम इधर-उधर दौड़ते हैं। एक दूसरे टकराते हैं और हो-हल्ला मचाते हैं तथा स्थिति के बदतर हो जाती है। हमने किसी समस्या का सामना नहीं किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कल कोई समस्या ही नहीं।

हमने इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि उस देश में हमारी क्या भूमिका होगी। मैं राज्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं वह सिर हिला रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। अन्यथा समय की कमी के कारण मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था।

मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आप जागें यदि आप यहां नहीं जागे तो परिणाम आपके सामने होंगे। मैं इस सदन में आज यह अभिलिखित करना चाहता हूं कि संसद के एक सदस्य ने इसका उल्लेख किया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमें बहुत से मौके मिले थे। मुझे बर्मा में इस देश का राजदूत बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए में कुछ जानकारी से बोलता हूं। में जानता हूं कि क्या किया गया है।

मैं यह भी जानता हूं कि यदि में स्वर्गीय, दिवंगत, प्रिय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ कुछ मुद्दों पर सीधे विचार नहीं करता और मैं सामान्य नौकरशाही प्रक्रिया अपनाता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। यहां दूर्शिता की कमी है। मैं समझता हूं कि विदेश मन्त्रालय का दिमाग यूरोप और अमेरीका पर केन्द्रित है। हम अपने पड़ौसियों के विषय में केवल जबानी पैसा खर्च करते हैं। संभवतः वास्तव में दिलचस्पी यूरोप या अमेरिका में है।

मैं समझता हूं कि हमें अपने व्यवहार को बदलने का यही समय है। हम अपने राष्ट्रीय गौरव, अपने राष्ट्रीय वायदों, अपने राष्ट्रीय हितों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। पड़ौसियों के साथ आपके सम्बन्ध किस प्रकार के हैं, इस बात से ही विश्व में आपको सफलता, आपके स्थान का निर्धारण होगा।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : मैं मांगों का समर्थन करता हूं। आरम्भ में, मैं निवेदन करता हूं कि चूंकि मेरे पास भाषण देने के लिए समय नहीं है, मैं केवल उन कतिपय समस्याओं को लूंगा जिन्हें हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में देखते हैं।

हमारा लक्ष्य, जैसा कि इसे परिभाषित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाना है। इसे निष्पादित करना कहा तय संभव है ? एक महाशक्ति, यहां मेरा अभिप्राय अमरीका से है जिसने साफ-साफ कहा है कि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका समर्थन नहीं करेंगे, वे अमरीकी सहायता के हकदार नहीं होंगे। उनका प्रयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को पंगु बनाने का है और वे इसे वाइट हाउस का दूसरा विंग बनाना चाहते हैं। यह नई घटना है जिसका मानव जाति को सामना करना है।

4.19 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप नहीं रहता और एक बड़ी शक्ति द्वारा इसका नियन्त्रित किया जाता है, तब क्या होगा ? परमाणु युद्ध की विशेष पृथक भूमि में, जो हमारे ऊपर मंडरा रही है और ऐसे वातावरण में जबकि अन्तरिक्ष युद्ध की संभावना है, अर्थात जब अन्तरिक्ष में रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए नाटों दोनों के प्रशासन ने सहमति दे दी हैं, मानवजाति की क्या दुर्दशा होगी। इन दोनों की सरकरों को भी भय है कि उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा क्योंकि वहां की जनता ऐसे कार्यक्रम के खिलाफ है और जनता की आवाज विचित्र होगी है।

इस पृष्टिभूमि में कोई भी मानवजाति के भाग्य की कल्पना कर सकता है और हम

शांति का समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरीका किस प्रकार यूनेस्कों को पंगू बनाना चाहता है। अमरीका ही नहीं बल्कि कनाड़ा भी इसके लिए कोशिश कर रहा है और उसने अपना योगदान बन्द कर दिया है। वे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यथा अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के विरुद्ध हैं। अतः हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए ?

इसके बाद महोदय, दक्षिण अफरीका में क्या हो रहा हैं ? वहां काले लोगों की हत्या की जा रही हैं। काले पुलिसवालों के द्वारा उनका वध किया जा रहा हैं। एक जाति के विरुद्ध लड़ाई की जा रही हैं। अमरीका की क्या नीती है ? उनकी नीती आपस में लड़ाने की है क्या दक्षिण अफ्रीका के प्रति आर्थिक प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाने चाहिए ? काले लोगों को एक तरफ रखा जा रहा है ताकि अल्पसख्यक गोरे लोग उनके ऊपर शासन कर सकें।

स्थिति बहुत दुःखदायी हैं। दक्षिण अफरीका के प्रति सब प्रकार के आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए हमारे प्रधान मन्त्री को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

जहां तक पश्चिम एशिया का सम्बन्ध है मैं प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं।

विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री ने लड़ाई समाप्त करने के बारे में ईरान और ईराक दोनों ने उनके दोरे का स्वागत किया फिर भी यह सम्भव नहीं हो पाया की लड़ाई खत्म हो जाए। वस्तुतः युद्ध बढ़ गया हैं, समस्या यह है कि ईरान और ईराक के बीच युद्ध कैसे समाप्त किया जाए। मेरा यह विचार होगा कि ईरान और ईराक दोनों की सोवियत रूस द्वारा समझाय जाए क्योंकि दोनों देश सोवियत रूस सें सैनिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

अब मैं श्री लंका पर आता हूं। वहां समस्या भिन्न है भारत सरकार श्री लंका के प्राधिकारीयों से राजनैतिक बातचीत करने के लिए प्रयत्न कर रही है लेकिन यह सम्भव नहीं हो हो पाया है क्योंकि कुछ अन्य ताकतें, जो शांति और सयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रही है, वहां विद्यमान हैं। ब्रिटेन अमरीका तथा अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समस्या के राजनैतिक हल के लिए श्री लंका को समझाना चाहिए। श्री लंका को बातचीत के लिए मनाया जाना चाहिए तमिलों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अन्ततः तमिलों कि इस देश में रहने का और जिम्मेदारीयों में भाग लेने का वैध अधिकार मिलना चाहिए।

पाकिस्तान के बारे में सचिवों का सम्मेलन हुआ है। टकराव और शत्रुता के वातावरण में लाने के बारे में अब वहां एक आम राय बनी है लेकिन केवल आज के समाचार में मैंने देखा कि पाकिस्तान को जो अमरीकन हथियार प्राप्त हो रहे हैं उनको इसलामाबाद में जमा किया जा रहा है। इन हथियारों के भंडार की तस्वीरें प्रधान मन्त्री को दिखाई गई।

अतः दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों के लिए हमारे प्रयास होने के बावजूद हमें इस मूल विचार नहीं भूलना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध हैं यह अमरीका द्वारा प्रभावित होती है यह नीति

इस्लामाबाद में नहीं बनती अतः इस स्त्रोत से भी मानव जाति को शांति के अस्तित्व को खतरा है जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए ।

अब, महोदय, कुछ दिन पहले 'भारत को सहायता' सम्बन्धी विषय पर चर्चा की जा रही थी। अमरीकी प्रशासन का स्पष्टीकरण यह था कि वे भारत के स.थ सम्बन्ध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस वर्ष की अमरीकी सहायता को स्वीकृति मिल सके। परन्तु हमें उसके प्रति सचेत रहना चाहिए जहां से शान्ति के लिए तथा मानव-जीवन के लिए खतरा पैदा हो अमरीका ने सदैव अपनी विचारधारा को राजनयिक पैंतरेबाजी अधीनस्थ रखा है।

महोदय, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान परमाणु या आणविक शस्त्र बनाने ही वाला है (या पहले ही निर्माण कर चुका है) ? कौन नहीं जानता कि शस्त्र प्रयोग की आधुनिकतम प्रणाली उनके पास हैं ? हमेशा से अमरीका पाकिस्तान को आधुनितम हथियार सप्लाई करता रहा है हाल की खबरों के अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान को एफ-16 और चीन द्वारा दिये गये लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए 500 प्रक्षेपास्त्र भेजे हैं यह है जो हो रहा है।

अतः मेरा सुझाव यह है कि पाकिस्तान से संबंध मधुर बनाने की सभी कोशिशें करते हुमें पाकिस्तान सरकार की अपनी सीमाओं के प्रति भी बहुत सावधान रहना है।

बंगला देश के बारे में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं जल की समस्या है । सीमा रेखा की समस्या है । सीमा विवाद हैं। भारतीय नागरिकों की सम्पत्तियों की समस्या है परन्तु नियादी बात यह है कि बंगला देश स्वयं मुसीबत में है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को धर्म-प्रेरित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया है। वहां यही हो रहा है। इसी कारण बंगला देश में जनरोष बदला जा रहा है ! जनता में जो लोकतान्त्रिक विद्रोह है उसको दबाया जा रहा है ! यह एक ऐसा समय है जिसमें भारत के साथ किसी समस्या पर समझौता करना उनके लिए कठिन है। हम सिर्फ अपनी ही सीमा में बाड़ लगा रहे परन्तु वे आगे आकर इस पर एतराज क्यों करते हैं यह ठीक नहीं है।

सोवियत संघ ने कहा है कि प्रक्षेपास्त्र को लगाने पर स्वयं ही रोक लगायी जानी चाहिए। लेकिन अमरीका का इसके प्रति क्या रुख है ? सोवियत संघ हमारी तथा पूरे विश्व के लोगों की बधाई का पात्र है क्योंकि शन्ति स्थापित करने तथा मानवता को बचाने में उसने योगदान दिया है। हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए विश्व में से युद्ध समाप्त हो जाए। इसी कारण सोवियत संघ हमारी बधाई का पात्र है। परन्तु अमरीका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) अब बैठक करने जा रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : इसमें क्या नुकसान हो जाता है अगर वार्ता के दौरान प्रक्षेपास्त्र लगाने का कार्य बन्द कर दिया जाता है ? वास्तव में उस कदम से बातचीत की संभावनाएं

और बढ़ जाती .किन ऐसा नहीं किया गया है 'स्टार धार' तथा अन्य तैयारियों वास्तव में मानवता ारे में डाल रही हैं।

नेपाल और भूटान से हमारी परम मित्रता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि नेपाल और भूटान के अन्दर ऐसी ताकतें कार्य कर रही हैं जो इन देशों को भारत से अलग करना चाहती हैं। लेकिन आजकल हम क्या देखते है कि नेपाल और भूटान में ये ताकतें सीधे ही भारत के विरुद्ध कार्य कर रही हैं।

मैं माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इन ताकतों के प्रति सतर्क रहें और और इनसे अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करें सभी प्रकार की आर्थिक सहायताएं देने की हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद में ताकतें हमारे खिलाफ कार्य कर रही हैं। अत: हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री को उनके विश्व में शान्ति स्थापित करने, और विश्व के विभिन्न भागों में युद्ध तथा विवादों को समाप्त करने के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहार) : सभापति महोदय, मेरे विचार में हमें इस तथ्यों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस सरकार तथा पिछली सरकारों द्वारा सामान्य तौर पर जिस विदेश नीति का पालन किया जा रहा है उस को इसके लिए सभा तथा देश के आम लोगों का समर्थन प्राप्त रहा है। क्योंकि मोटे तौर पर यह नीति मेरे विचार से राष्ट्र-हित में रही हैं और जहां तक राष्ट्रहित की बात है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु जब हम अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद कर रहे हैं तो कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं बोलना चाहता हूं। निस्संदेह इस सीमित समय में प्रत्येक मुद्दे का हवाला नहीं दे सकता। कुछ मुद्दों पर हमें संदेह है तथा कुछ प्रश्न हैं और मैं इन मामलों पर हमें कुछ अधिक जानकारी देगी।

उदाहरण के तौर पर, महोदय, कुछ दिन पहले हमने समाचार पत्र में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ने इस बात की आलोचना की थी कि जिसमें अमरीका चोरी चोरी पाकिस्तानी प्रशासन को परमाणु शस्त्रों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान शायद बम्ब बनाने की योजना पर अमल कर रहा है अमरीका उसकी जान-बूझ कर रहा है और हो सकता है कि अचानक एक दिन हमें एक नई स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में ऐसा कहना एक गंभीर बात है। मैं यह जानना चाहता हू कि सरकार के पास इसकी कोई विश्वसनीय सूचना है और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं ?

अगर स्थिति वास्तव में ऐसी है तो श्री रमेश भंडारी ने अभी हाल ही में इस्लामाबाद से लौटने के पश्चात् राष्ट्रपति जिया के मित्रतापूर्ण इरादों की स्पष्ट सराहना क्यों की और यह कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वहां हर संकेत ऐसा दिया है कि आपसी समझ-

बूझ की एक नया अध्याय बस शुरू ही होने वाला है ? मैं चाहता हूं कि ऐसा हो । लेकिन मैं सुगमता से इन दो परस्पर विरोधी वक्तव्यों से समझौता नहीं कर सकता ।

यदि हमें पाकिस्तान से मित्रता करने के मामले प्रगति करनी हैं तो उनका यह वक्तव्य मेरे विचार में हमारे लिए भविष्य में पाकिस्तान के साथ संभव युद्ध तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु क्षमता के विकास की सम्भावना के विरुद्ध एक सबसे अच्छी गारंटी होगी । परन्तु इनकी प्रगति के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है ।

इसके अतिरिक्त, महोदय, इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 2 पर कहा गया है जिसे मैं उद्धत करता हूं ।

> "भारत द्वारा प्रस्तावित "मैत्री संधि" और पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित "युद्ध न करने की संधि" के दो प्रस्तावो पर विस्तार के साथ विचार-विमर्श हुआ और इसके परिणाम-स्वरूप कुछ बातों पर दोनों पक्षों के विचार एक-दूसरे के कुछ करीब आए हालांकि कुछ बुनियादी बातों पर दोनों में मतभेद बना रहा ।"

इस तरह के कूटनीतिक वाक्य का अर्थ कुछ भी हो सकता है और उसका अर्थ कुछ भी नहीं हो सकता है । लोगों को भ्रम में डालने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों में से यह एक सामान्य किस्म का वाक्य है । मुझे खुशी है कि रंगा जी यह अपनी टिप्पणियों से मुझे उत्साहित करने के लिए यहां उपस्थित हैं ।

यह पहली बात है जिस पर हम कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे । अब, चूंकि आपने विदेश सचिव को पाकिस्तान भेजा था और वहां उनकी बातचीत हुई तथा वह वापिस भी आ चुके हैं और एक तरफ उनके कथन को ध्यान में रखकर तथा दूसरी ओर प्रधानमंत्री के कथन में हमें यह चेतावनी देना, कि कुछ और ही गतिविधियां चल रही हैं हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा दृष्टिकोण क्या है और इन दो प्रस्तावों की क्या स्थिति है ? हम कुछ अधिक ठोस तथा विस्तार से इसके संबंध में जानना चाहेंगे । एक प्रश्न पहले भी किया गया है और आने वाले समय में इसे अधिक बार पूछा जाएगा पर मुझे सरकार से अब और यहां पर स्पष्ट उत्तर मिलने की आशा नहीं है । परन्तु वह आगे की स्थिति पर विचार कर रही होगी । अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि धर्मभाव पाकिस्तानी सरकार से मित्रता और सहयोग के हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, और अगर ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान वास्तव में परमाणु शस्त्र बनाने ही वाला है तो वर्तमान भारत सरकार क्या रुख अपनाने पर विचार कर रही है ? हमारे पास तीन विकल्प होंगे ।

पहला विकल्प है कि हम ऐसे ही रहे जैसे हैं । भूतकाल में हमने किसी भी किस्म के परमाणु बम के विकास न करने का पक्का फैसला किया यद्यपि अगर हमारी इसमें रुचि होती तो हमारे पास इसके बनाने की तकनीकी क्षमता है । हम अपनी इस बात पर अटल रहे हैं कि हम अपने परमाणु ज्ञान का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करेंगे हम उस पर कायम रह सकते हैं ।

दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि हम भी होड़ में शामिल हो सकते हैं, अर्थात् अगर पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है तो हम भी परमाणु बम बनाए, जैसा कि हम पहले कर सकते थे।

तीसरा विकल्प यह है कि हम किसी और पर निर्भर करें; हम किसी अन्य देश का सहारा ढूंढें।

मैं नहीं जानता कि आप यह कहेंगे कि इन बातों पर विचार करूंगा अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो खबरें लगातार आ रही हैं वे अवश्य ही सरकार को आगे सोचने, आगे के लिए योजना बनाने और देर-सवेरे देश को यह बताने के लिए कि सरकार कौनसा विकल्प पसंद करेगी, बाध्य कर रही है।

जहां तक श्रीलंका का संबंध है, श्री जयवर्द्धने ने अभी हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की है और वहां पर दोनों देशों की एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों राष्ट्रपति हिंसा तथा उग्रवाद के इस्तेमाल के विरुद्ध एकमत हो गए हैं। दूसरी ओर हम भी श्रीलंका की सरकार तथा अधिकारियों से बातचीत करने में लगे रहे हैं और हमें बताया गया है कि हम भी श्रीलंका के साथ एक संयुक्त निर्णय पर पहुंचे हैं और उसमें लगता है एक मद यह भी है कि जब तक उग्रवाद और हिंसा नहीं रुकती तब तक शान्तिपूर्ण हल के लिए कोई फलदायक बातचीत नहीं हो सकती। मुझे नहीं मालूम कि यह जो समाचार आया है वह सत्य है या नहीं।

श्रीलंका में उग्रवाद और हिंसा के लिए मुख्यत: कौन कसूरवार है? इसमें किसका हाथ है? संसार के इस भाग के सभी देशों में शायद यही एक देश है जहां स्वयं सबसे तमिलों के विरुद्ध बुरी तरह की उग्रवादी तथा हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त है। वास्तव में हम क्या प्रस्ताव रखना चाहते है, मुझे नहीं पता। लोग क्या चाहते हैं उसका पता लगाए बिना हम बहुत सख्त कार्यवाही करें।

मैं इस बातचीत के विरुद्ध हूं। कि कुछ महिने पहले कुछ लोग यह वकालत कर रहे थे कि हमें श्रीलंका पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजनी चाहिए। हमें यह नहीं करना है; हमें उसके उकसाने में भी नहीं आना चाहिए चाहे किसी को यह अच्छा लगें या बुरा। परन्तु कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। हमारे देश में शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो विशाल समस्या का रूप ले सकती है एक समाचार में, जो मैंने पढ़ा है, कहा गया है कि श्री भंडारी ने कोलम्बो की अपनी यात्रा के दौरान श्री जयवर्द्धने को श्रीलंका के इस संकट को हल करने के लिए किसी पैकेज फार्मूले का सुझाव दिया था जिसके अन्तर्गत यह था कि तमिल बहुमत वाले क्षेत्रों से सेना वापिस अपनी बैठकों में लौट जायें। दूसरी तरफ उग्रवादी गतिविधियां समाप्त होनी चाहिएं तथा जिला परिषदें, जिस भी तरह की हों की जाए और जो लोग गिरफ्तरार हैं तथा जेलों में हैं उनके लिए आम माफी की घोषणा की जाए। मैं नहीं जानता कि टी० यू० एल० एफ० ऐसी शर्तों पर सहमत होगा या नहीं लेकिन मैं जानना

चाहूंगा क्या हमारी तरफ से ऐसे किसी 'पैकेज-फार्मूले' का सुझाव दिया गया था और अगर ऐसा है तो अभी तक श्रीलंका प्रशासन की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

मैं जानना चाहूंगा कि क्या कार्य हम प्रवासी भारतीयों के वास्ते कर रहे हैं ? निसन्देह मैं अब विशेष रूप से उन सिखों की समस्या की बात कर रहा हूं जो विदेशों में जैसे कनाडा, अमरीका तथा ब्रिटेन में बस गए हैं।

हम यह जानते हैं कि उनमें एक ऐसा प्रचार हो रहा है जोकि अशांति फैलाने वाले है तथा हम इस का परिणाम भी देख रहे हैं। अब तो बहुत रिपोर्ट भी उपलब्ध है कि उन लोगों में किस तरह की भावना उत्पन्न की जा रही है या कर दी गई है। श्री जगजीत सिंह चौहान ने श्रीमती मारग्रेट थैचर को एक पत्र लिखा था जो 27 मार्च को लंदन में प्रेस को दिया गया था। उस पत्र में एक वाक्य है जिसको मैं उद्धृत करता हूं—

> "इस देश में मेरे अधिवास मेरी गतिविधियों तथा मेरे वक्तव्यों के बारे में (ब्रिटिश) उनकी सरकार के रवैये से मुझे पुनः आश्वासन मिला है।"

मुझे यह नहीं पता ब्रिटिश सरकार ने क्या आश्वासन दिया। परन्तु श्री जगजीत सिंह चौहान कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने उनकी गतिविधियों तथा वक्तव्यों के बारे में जो भी कहा है, उसे उन्हें पुनः आश्वासन मिला है। दूसरी ओर हमें भी बार-बार आश्वासन मिलते रहते हैं और मैं समझता हूं कि श्रीमती थैचर निकट भविष्य में इस देश का दौरा करेंगी। हमें बताया गया है कि उन्होंने हमारी सरकार को आश्वासन दिया है कि वह ब्रिटेन में इस प्रकार की भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न करेंगी।

परन्तु कृपया हमें बताएं कि स्थिति क्या है ? विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा कुछ कार्य स्वयं करने की आवश्यकता है। मानते हैं कि बहुत से लोग भारतीय नागरिक नहीं रहे हैं। वे ब्रिटेन के नागरिक बन गए हैं। यह एक अलग बात है। परन्तु हमें विदेशों में रहने भारतीय समुदाय में अपने स्वतंत्र कार्य को और तेजी से करना चाहिए तथा हमें अपने उच्च-भागों या अपने दूतावासों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो हमेशा किसी न किसी सरकारी कार्य में उलझे रहते हैं। लोगों को प्रेरित करने के लिए कोई पहल की जानी चाहिए। वहां ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे अपने लोग है, जो हर प्रकार की आंतकवादी उग्रवादी, तथा अलगाव वादी गतिविधियों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। वहां के भारतीय इस प्रकार की गतिविधियों के विरुद्ध प्रेरित करवे तथा सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार क्या करती है ?

फिर, महोदय, हमारे युवा प्रधान मन्त्री निकट भविष्य में सोवियत संघ अमरीका आदि देशों की अपनी औपचारिक तथा सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने इस महीने की 2 तारीख को 'हिन्दुस्तान टाइम्स" के साथ साक्षात्कार में जो कहा है, मैं उसे उद्धृत करता हूं,

> "आगामी जून में उनकी यात्रा का उल्लेख करते हुए जब उनसे उनकी अमरीका की यात्रा करने के लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया "कि मेरे विचार

में एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हम व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे को जान सकेंगे ताकि गलत धारणायें दूर हो सकें।"

जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति रीमन के साथ व्यक्तिगत स्वर पर ही ऐसी गलत धारणायें दूर हो सकती हैं। निस्सन्देह मुझे यह पता नहीं है। परन्तु उम्र के हिसाब से मैं प्रधान मन्त्री से बड़ा हूं तथा मैं समझता हूं कि आप इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। इनके पिताजी मेरे मित्र थे तथा वह लन्दन में राजीव के पैदा होने से पहले मेरे साथ पढ़ा करते थे। मैं प्रधान मन्त्री को मित्र के रूप में इस बारे में एक सलाह दूंगा कि अमरीका में काम-काज कैसे होता है।

मुझे उनके जाने के बारे में, या अमरीका के राष्ट्रपति से किसी प्रकार की व्यक्तिगत बातचीत करने के प्रयास के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं उनको यह आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो अमरीका के कारण हैं, उनका समाधान किसी व्यक्तिगत क्षमता या व्यक्तिगत स्तर पर नही हो सकता। इसका व्यक्तिगत स्तर से कोई सम्बन्ध नहीं है। परम्परागत तथा ऐतिहासिक दृष्टि से हम हमेशा निरस्त्रीकरण के हक में रहे हैं। परन्तु हम यह जानते हैं कि निरस्त्रीकरण का वातावरण पैदा करने में एक सबसे बड़ी बाधा है अमरीका की सरकार, अमरीका के राष्ट्रपति उनके सलाहकार तथा उनका मंत्रिमण्डल, जिनमें सबसे अधिक हथियार बनाने वाले लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं अमरीका में इन हथियार बनाने वाले एकाधिकारियों की रुचि निरस्त्रीकरण के बिल्कुल विरुद्ध रहती है। इन्हें अमरीकी प्रशासन तथा पेंटागन (रक्षा विभाग) से सीधे आदेश मिलने के कारण ये अरबों डालर का मुनाफा कमा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस कार्यक्रम को जारी रखने में जोर दे रहें हैं ताकि घातक हथियार अधिक मात्रा में बनाए जा सकें। यहीं प्रणाली है वहां। सोवियत संघ में कम से कम हथियार बनाने वाले गैर-सरकारी लोग तो नहीं हैं जो इनसे मुनाफा कमा सकें।

सोवियत संघ को आधुनिकतम हथियार बनाने के जितना अधिक मजबूर होना पड़ता है उतना ही अधिक धन राशि जुटाने में होना पड़ता जो शांतिपूर्ण आर्थिक विकास के लिए खर्च किया सकता है। परन्तु अमरीका में इन सुविधा कर्मों का सीधा हित होता है जो हथियार की होड़ से अरबों डालर का मुनाफा कमा रही हैं तथा ये लोग राष्ट्रपति रीगन के मन्त्रीमण्डल में प्रतिनिधित्व वाले ये हाइट हाउस में सलाहकार जैसे उच्च पदों पर आसीन हैं। इसलिए मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री को वहां जाते हुए इन चीजों का भ्रम नहीं रह जाना चाहिए तथा मेरा विचार है कि अमरीका के राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत बातचीत से तथा व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से यह वातावरण बदला जा सकता है। यह बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता।

यह बहुत अच्छी बात है कि हमने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के नेता के रूप में 6 देशों की बैठक दिल्ली में कराई तथा अपील जारी की। हमें पता है कि प्रतिक्रिया क्या रही जबकि यह अधिकृत रिपोर्ट इसे कभी नहीं बताएगी। यह बहुत राजनायिक है। इसमें

कहते क्या है :

"कि एक मामले को छोड़कर हमें अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली ।"

उस एक मामले में हमें अनुमान लगाना होता है । वह कौन था ।

यहां वह प्रस्ताव है जिसका अभी उल्लेख किया गया । वह प्रस्ताव जो दो दिन पहले श्री गोरवाच्योव ने दिया था जिसमें नवम्बर तक यूरोप में प्रक्षेपपात्र लगाने स्थगित करने का सुझाव दिया गया है । भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है । उसने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा क्या इसका स्वागत करती है ? क्या औरों को भी इसका अनुसरण करने की अपील करती है क्या वह यह जानने का कोई प्रयास कर रही हैं कि इसके हक में अधिक जनमत तैयार करने से इस पहल को मदद मिलेगी ? अभी तक मुझे कोई सरकारी प्रतिक्रिया नजर नहीं आती है ।

विडम्बना यह है कि निरस्त्रीकरण के हक में होते हुए भी, जैसा कि हमें मानवता तथा अपने हित में होना चाहिए, हम भी इस उपमहाद्वीप में जबरदस्ती शस्त्रालों को छोटी होड़ में शामिल हो गए हैं । आज विश्व में तथा हमारी सीमाओं के चारों ओर शांति सन्तुलन इस सीमा तक पहुंच गया है कि हमारे जैसे जिन लोगों के पास अपने लोगों के जीवन की मूल आवश्यकता जुटाने के लिए पर्याप्त साधन नही हैं वे भी जबरदस्ती रक्षा पर प्रतिवर्ष 7000 करोड़ या 8000 करोड़ रुपया खर्च करने पर मजबूर हो गए हैं । केवल इसीलिए कि हमारी सीमाओं के आस पास वातावरण ठीक नहीं विशेष रूप से पाकिस्तान की धमकियों तथा हिन्द-महासागर में जो हो रहा है, उसके कारण । हम निरस्त्रीकरण के हक में होते हुए भी हथियारों की छोटी होड़ में फंस गए हैं, जो कि एक कुचक्र की तरह है । हम इसमें निकल भी नहीं सकते । इसीलिए, यह अति महत्वपूर्ण है कि विश्व में निरस्त्रीकरण के लिए हमारे अपने सामान्य दृष्टिकोण, रवैये तथा अभियान के अलावा हमें इस दृष्टि से हर सम्भव प्रयास करने चाहिए कि हमारे अपने क्षेत्रों में तथा हमारे अपने उप-महाद्वीपों में तनाव में कुछ कमी आए तथा और अधिक मैत्रीपूर्ण तथा शान्ति पूर्ण वातावरण बने ताकि हमें उन वस्तुओं पर जिनके प्रयोग की शायद कभी आवश्यकता न पड़े आपने इतने अधिक संसाधन बरबाद न करने पड़ें । परन्तु हमें अपना बारुद सूखा ही रखना पड़ेगा विकासशील देश इस तरह की बात कभी नहीं कर सकते ।

अन्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिसका इस प्रतिवेदन में कई जगह तथा कई बार उल्लेख किया गया है परन्तु जिसकी ओर यहां अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, वह सब आर्थिक पहलू । यहां यह बिल्कुल सही कहा गया है कि स्थायी शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा । यह एक मुख्य आधार है जिस पर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तैयार किया किया है । दो वर्ष पहले श्रीमती गांधी की अध्यक्षता गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों का जो सम्मेलन यहां हुआ था उसकी आर्थिक घोषणा का यह आधार था । वह आर्थिक घोषणा इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देती है तथा यह रिपोर्ट भी इस बात से सहमत है कि विश्व के विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति पश्चिम के औद्योगीकृत देशों के रूख में कोई परिवर्तन

नहीं हुआ है। यह और भी बिगड़ रहा है ब्याज की ऊंची दर इन देशों पर भारी मात्रा में ऋण का दायित्व, उनके द्वारा अपने बाजारों के लिए अपनाई जा रही संरक्षणवादी नीतियां, हमारी वस्तुओं की कीमत में कमी जो कमी हमारे ऊपर थोपी जा रही है तथा ऐसी ही बातें हो रही हैं। यह एक संघर्ष है जो अन्याय पूर्ण तथा शोषणकारी विश्व की वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध है। जो चन्द धनी तथा समृद्ध देशों द्वारा हमारे ऊपर थोपी जा रही है। आज की स्थिति में यह एक नए किस्म के शोषण तथा उपनिवेश वाद के विरुद्ध संघर्ष है दक्षिण तथा दक्षिण के देशों में जो सहयोग था उसे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने थोड़ा सा प्रयत्न तो जरूर किया है परन्तु मेरे विचार से वह पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि जब तक भारत सरकार कम से कम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का नेता रहता है। हम हमेशा तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष रहेंगे नही, क्योंक यह स्थायी पद तो है ही नहीं मैं नहीं जानता कि यह 3 वर्ष के लिए है या 4 वर्ष के दिए हम अभी भी एक अच्छी स्थिति में है, भारत सरकार जिसे एक अतिरिक्त सुविधा यह प्राप्त है कि हमारा देश सभी विकासशील देशों में आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत देश है ; उन सभी में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे अधिक सुदृढ़ है उनकी अपेक्षा हमारे पास अधिक और विभिन्न संसाधन है, तब तक क्यों न इस अवसर का लाभ उठाया जाए और उन्नत पूंजीवादी देशों पर विशेष रूप से ऋण भुगतान दायित्वों के मामले में दबाव डालने के लिए गुट निरपेक्ष देशों तथा विकासशील देशों के बीच सम्मलित तथा सामूहिक कार्रवाई की जाए।

विश्व के बहुत से क्षेत्रों में यह प्रश्न उठाया गया है कि जो गरीब देश हैं, अर्थात जो सबसे गरीब देश हैं, उनका कर्जा कम किया जाना चाहिए तथा वे देश जो सबसे गरीब नहीं हैं जो हमारे जैसे हो सकते हैं। उनके मामले में इन देशों पर कुछ सामूहिक दवाब डालकर ऋण अदायगी की अवधि में कुछ छूट देने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यह एक पक्षीय मामला नहीं है। अब यह सब बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। परन्तु अमरीका में अब स्थिति यह है कि यदि बहुत से ये गरीब देश अपने ऋण को निर्धारित अवधि के अनुसार समय पर अदा करने की स्थिति में नहीं है, यदि वे अदायगी ठीक प्रकार से नहीं करते तो मैं नहीं जानता कि उनका क्या होगा परन्तु अमरीका के बहुत से बैंक बन्द हो जायेंगे ऐसा नहीं है वे किसी न किसी तरह किसी भी स्थिति में लाभ ही कमायेंगे।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने जिसमें जाने सम्बन्धी सम्मेलन को विफल किया गया। इसमें जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न की गई तथा इसे कई बार स्थगित किया गया। हम जानते है कि इसके पीछे कौन है मुख्य रूप से यह अमरीका है जो मुख्य रूप से आपत्ति कर रहा है। अब यह सम्मेलन सन् 1986 में होना निश्चित हुआ है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें हम आश्वस्त हो सके कि इसमें दोबारा बाधाएं उत्पन्न नहीं की जाएंगी। भारत सरकार को मेरा नम्र सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में उस तरह का सर्वमौन सम्मेलन कराने में शायद हम सफल न हो सके। यदि अमरीका जैसी शक्तियां बाधा उत्पन्न करने के लिए दृढ़ संकल्प है तो हमारी सरकार हिन्दमहासागर की सीमा के तटवर्ती देशों तथा जो हिन्दमहासागर शान्ति क्षेत्र की संकल्पना में गहरी रुचि रखते हैं उन देशों का एक हिन्दमहासागर सम्मेलन बुलाने की पहल क्यों नहीं करती। उन्हें आपस में

मिलने दो तथा ठोस विचार रखने दो कि यह क्षेत्र शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है ? यदि वे सब देश, मिलकर सभी तटीय देशों के एक सम्मेलन आयोजित कर कुछ विचार सामने रखकर अपनी कोई नीति बनायें तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे हक में अर्थात इस संकल्पना के हक में एक बहुत ही शक्तिशाली विश्व जनमत तैयार होगा तथा जहां तक हिन्द महासागर का सम्बन्ध है अकबड़ शक्तियों की बैठक में बुलाने के लिए मजबूर करने में विकाशसील देशों के हाथ मजबूत होंगे।

ये कुछ विचार हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है परन्तु समय नहीं है। मुझे आशा है कि मन्त्री जब जबाव देंगे तब उनसे हमें कुछ स्पष्टीकरण कुछ नई बात कुछ जानकारी तथा कुछ आश्वासन मिलेंगे।

श्री सोमनाथ रथ : मैं विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। भारत को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है उसके बावजूद वह गुट निरपेक्ष नीति के प्रति अपनी बचनबद्धता तथा विश्व में सहयोग और आपसी समझबूझ को बढ़ावा देने जैसी हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहा है।

हमने बिना हिचक के विश्व में शांति सुरक्षा - निरस्त्रीकरण और विकास के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और हम किसी भी तरह के उपनिवेषबाद के विरुद्ध हैं।

हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे देश से सुपरीक्षित और सुसंगत विदेश नीति उत्तराधिकारी ने प्राप्त की है इससे राष्ट्र का हित हुआ है। उन्होंने ठीक ही कहा कि हमने हमेंशा शांति के लिए काम करने में विश्वास रखा है। हमारी नीति यह रही है कि पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर सभी देशों से मित्रता की जाए। गुट न्याय समानता और आपसी सहयोग पर आधारित तथा विश्व में नई आर्थिक व्यवस्था के प्रति हमारी बचनबद्धता अटूट है।

28 जनवरी 1985 को हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 राष्ट्रों का शिखर सम्मे- हुआ। और इसमें 22 मई 1984 को की गई अपील की पुन: पुष्टि की गई है। इन छ: राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को एकमत स्वीकार करते हुए 5 आणविक राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि वे आणविक हथियारों के परीक्षण उत्पादन और फैलाव पर पूर्ण रोक लगाने के साथ-साथ इन हथियारों के बाह्य अंतरीक्ष प्रयोग पर भी रोक लगाएं। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जिन बहुमूल्य संसाधनों का सैन्य व्यय के रूप में अपव्यय किया जाता है, उनका उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाए। इसमें संयुक्त राष्ट्र पद्धति को सुदृढ़ बनाना इस प्रयास का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

वर्ष 1985 ऐसा वर्ष होगा कि जब आतंकवाद का स्थान हमारी आशाएं ले लेंगी और इस वर्ष 24 अक्तूबर को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की 40 वीं वर्षगांठ मनाए जाने तक हम मानव जाति अस्तित्व को पैदा हुए खतरे को दूर करने के लिए ठोस कदम उठा चुके होंगे।

हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार इस पर जोर दिया है कि यद्यपि भारत में आणविक शास्त्र बनाने की क्षमता है किंतु हम ऐसे शास्त्र नहीं बनायेंगे। भारत ने 1974 में कार्य के लिए परमाणु विस्फोटन किया और उसके बाद से कोई परीक्षण नहीं किया है।

पद सम्भालने के तुरन्त बाद हमारे प्रधान मंत्री ने जवाहार लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति के मूल दृष्टिकोण और सिद्धांतों को निभाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम विश्व मे शांति हेतु कार्य कराने में विश्वास रखते हैं और हमारी नीति सभी देशों से मित्रता करने की है।

हम देशों की स्वतन्त्रता की रक्षा तथा उनके मामले में हस्तक्षेप न करने और तटस्थता के सिद्धांत्रों पर चलने में विश्वास रखते हैं।

हम फिजी गए वहां रह रहे भारतीयों ने उस देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। वे अब क्या रूख अपना रहे हैं ? इसी तरह नैरोबी में भी हमने ऐसे भारतीयों को देखा जिन्होंने उस देश के विकास में योगदान दिया है। आप देखेंगे कि भारतीयों ने अन्य देशों में जाकर उन देशों का विकास किया और बाद में उन्हें वे देश छोडने के लिए बाध्य किया गया। उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को लीजिए। बहुत पहले श्रीलंका को लीजिए। बहुत पहले श्रीलंका में 500 ई० पू० हमारे भारतीय राजाओं ने बौध धर्म का प्रचार किया और ऐसा 200 ई० पू० तक जारी रहा।

5 00 म० प०

अब श्रीलंका में तमिलों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक लाख परिवार भारत आ गए हैं। निश्चित रूप से भारत श्रीलंका का विघटन नहीं चाहता किन्तु वहां पर होने वाली घटनाओं का मूक दर्शक भी वह नहीं बना रह सकता। पाकिस्तान के मामले में हमें कटु अनुभव हुआ है। पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम शास्त्रों का भंडार जमा करना और उसके पंजाब के मामलों में लिप्त होने से हमें यह चेतावनी मिली है कि हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब मैं बंग्लादेश पर आता हूं। कई कारणों से भारत के साथ इसके अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीमा पर तार लगाने पर जिससे हुई आपत्ति की प्रतिष्ठा कम नहीं है। हम देखते है कि सरकार अलग है और जनता का अपना आस्तित्व है। निश्चय ही श्रीलंका बंग्लादेश और पाकिस्तान के लोग भारत के साथ टकराव नहीं चाहते लेकिन आंतरिक स्थिति में टकराव होने के कारण उन देशों की सरकारें अपने देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए अपने पड़ोसी देश भारत के विरुद्ध कुछ मामले खडे कर देती है। चीन के साथ अपने सम्बन्धों पर विचार करें तो देखते हैं कि हमारा उनके साथ सीमा विवाद है। और चीन तथा पाकिस्तान के बीच की सड़क वैध रूप से भारतीय क्षेत्र में आना है जिस पर अब चीन तथा पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। जब ये सब देश पाकिस्तान चीन श्रीलंका ज्ञात कारणों से इकट्ठा होना चाहते हैं तो हमें इसके प्रति सतर्क रहना होगा। इस संदर्भ में हमारी सरकार अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है उन देशों से वार्ता हो रही है और बातचीत के दौरान द्विपक्षीय मामलों का समाधान किया जाना है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अच्छा परिणाम निकलेगा।

हिन्द महासागर के बारे में भारत ने सबसे अनुरोध किया है कि इसे शांति पूर्ण क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पहलू पर विचार करना होगा तथा मानव कल्याण के लिए इस पर अमल करना होगा।

यह कहा गया गया है कि भारत का झुकाव रुस की ओर है। सोवियत संघ में अनेक मामलों में भारत का साथ दिया है स्वाभाविक है जिसकी मित्रता हमसे हैं हमारा भी उनसे मित्रता है। अमरीका के साथ हमासे सम्बन्धों में केवल इसीलिए तनाव है क्योंकि वे पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार भेज रहे हैं। इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

प्रधान मंत्री भारत-महोत्सव का शुभारंभ करने अमरीका जायेंगे। चर्चा के बाद इसे नए आराम मिल सकते हैं। भारत विश्व के सभी देशों में शांति चाहता है, यह राष्ट्र शास्त्रों के उत्पादन पर निर्भर नहीं है कि जब तक विश्व के किसी भाग में युद्ध नहीं होता, देश में बेरोजगारी रहेगी। इस देश ने बुद्ध और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को अपनाया है। अतः हम विश्व में शांति लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने इरान इराक युद्ध को समाप्त कराने के लिए वहां दूत भेजे हैं। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य यह देखना है कि न केवल विश्व में शांति स्थापित हो अपितु हमारे पड़ोसी देशों के हाथ जो भी समस्या है इनका समाधान बातचीत से हो जाए तथा विश्व में मानव जाति का विकास हो।

बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हुआ है और हम किसी समझोते हैं। मध्य अमेरिका के देशों में तनाव और अनिश्चितता के कारण हम बड़े चिंतित हैं हमारे प्रधान मंत्री, ने जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, 14 नवम्बर 1984 को मध्य अमरीका के संकट के बारे में एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें निकारागुआ के अन्दर तथा उसके आसपास बंठते हुए तनाव तथा समस्त संबंध चिता व्यक्त की है। स्वर्गीया प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी हत्या से कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि मानव जाति तभी जीवित रहेगी जब बड़ी ताकतों में आपसी सहयोग हो। भारत बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण, समस्याओं को इस प्रकार समाधान के लिए दृढ़ इच्छा का वातावरण बनाना चाहता है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी दृढ़ता से संघर्ष कर रहे हैं।

श्री डी० पी० जवेजा (जाम नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और अपनी टिप्पणियां अध्याय 7 अध्याय 7 के भी एक भाग के संबंध में ही दूंगा। यह विश्व का ऐसा भाग है जहां से हमें आक्रमण या युद्ध अथवा आर्थिक प्रमुख का भी कोई भय नहीं है मैं विश्व के उस भाग का जिक्र कर रहा हूं जो लातनी-अमेरिका के नाम से प्रसिद्ध है, इसमें केरिबीअन्स भी शामिल है जिसके साथ दो दशक पहले विदेश नीति का जहां तक प्रश्न है हमारे संबंध नाम-मात्र के थे तथा आज इन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत प्रभाव हो चुके हैं। विकासशील विश्व के तृतीय विशाल भूभाग अर्थात लातीनी अमरीका के साथ निकटतम और अर्थपूर्ण संबंध जोड़ने के लिए, हमारे योग्य प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के मार्गदर्शन में विदेश मंत्रालय ने जो प्रमुख और अथक प्रयास किए हैं निःसंदेह प्रशंसनीय हैं।

करीब 16 वर्ष हमारी प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लातीनी अमरीका के करीब 10 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के परिणामस्वरूप श्रमिती इंदिरा गांधी ने सुस्पष्ट नीति को नई दिसा दी और उसके आगे बढ़ाया और मुझे खुशी है कि इसके फलस्वरूप लातीनी अमरीका के मुख्य देशों के साथ भारत के संबन्धों में परिपक्वता है। भारत और लातीनी अमेरिका के बढ़ते हैं पारस्परिक हितों को प्रमाण देखने की आवश्यकता नहीं। पिछले 12 महीनों में भारत और लातीनी अमेरिका के बीच देशीय स्तर पर महत्वपूर्ण यात्राएं की गईं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर व्यापार और संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने और सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और लातीनी अमरीका के प्रमुख देशों के बीच कई लाभ-दायक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

इनमें से दो बातें अधिक महत्वपूर्ण है। उनमें से एक है—हमारे राष्ट्रपति द्वारा इस प्रदेश के दो लोकतांत्रतिक राज्यों मैक्सिकों और अर्जेन्टीना की यात्रा। वास्तव में भारत के किसी राष्ट्रपति का लातीनी अमरिका के इस देश का पहला दौरा था। इसके अतिक्ति हमारे राष्ट्रपति को प्राचीन लोकतांत्रिक देश-पेरु के राष्ट्रपति से भेंट करने का अवसर मिला।

अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि इस वर्ष जनवरी में मैक्सिको और अर्जेन्टीना के नेताओं ने यहां का दौरा किया। उन्होंने केवल हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा बुलाए गए छः राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग ही लिया, अपितु अपने देशों और हमारे देश के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार और संस्कृति के लिए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिऐ लाभप्रद लिखित सामग्री का आदान-प्रदान भी किया। लातीनी अमरीका के लोग हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, इसका पता उस समय चला जब वहां के कई राजनयिक और सरकारी प्रतिनिधि उस दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आए। लातीनी अमरीका के कई लोगों का विश्वास है कि निःसंदेह श्रीमती गांधी प्रेरणादायक शक्ति थी तथा विकासशील देशों के लोगों की आकांक्षाओं क आवाज थी और उनका प्रतिनिधि करती थी, इसका पता तब चला जब करीब दो वर्ष पूर्व उन्होंने नई दिल्ली में सातवें गुटनिपेक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो बड़ी संख्या में लातीनी अमेरीका के देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया वास्तव में, उसमें भाग लेने वालों में अमरीका के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी को लातीनी अमेरिका के कार्यों में वास्तव में बहुत रुचि थी।

इसीलिए हाल ही में जब मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में अपनी स्वर्गीय प्रधान मंत्री की भूमिका के बारे एक भारतीय विद्वान के लेख को पढ़ा, तो मुझे कुछ हैरानी नहीं हुई उन्होंने लिखा है —

> "अधिकांश भारतीय इस बात से अनुभिज्ञ हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की मध्य अमरीका में वास्तव में लातीनी अमरीका और केरिबियन्स के समूचे भू-राजनैतिक क्षेत्र में उनकी अत्याधिक रुचि थी। उन्होंने समकालीन विश्व में इस विशाल भाग को अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना।"

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती गांधी प्रायः इस बात को कहा करती थीं कि हम लोग इस विशाल क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और इस दूरस्थ क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए।

इसके कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी विश्व नीति और उसकी पहुंच कहा तक है इस बारे में लीतीनी अमरीका का उसी प्रकार हमें कई चुनौतियां और अवसर प्रदान करता है विषय क्योंकि जैसे विशाल लातीनी अमरीका और कैरीबियन्स हमारी ओर प्रेरणा, मार्गदर्शन और दिशा निदेश पाने की दृष्टि से देखते हैं।

मध्य अमरीका में शांति बनाये रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि ऋणग्रस्त लातीनी अमरीका को ऋण-मुक्त—ये दोनों ही विषय विकासशील देशों के लिये गुट निपेक्षता के आधार भूत राजनैतिक सिद्धान्त के लिए चुनौती बने हुए हैं।

विश्व को एक नई दिशा देने के लिए मध्य अमरीका के संकट को हल करने तथा आर्थिक संकट को दूर करने की आवश्यक है जो लातीनी अमरीकी देशों को घेरे हुए है के विपरीत रहा है।

इस संदर्भ में हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव ने जो पहल की है, वह प्रशंसनीय है। प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण किए हुए उन्हें तीन सप्ताह भी नहीं बीते थे कि उन्होंने पहला भाग किया कि विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने जोरदार राष्ट्रों में कहा कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति भारत वचन बद्ध और समर्पित रहेगा तथा उन्होंने मध्य अमरीकी क्षेत्र में हुए तनाव के प्रति घोर चिन्ता व्यक्ति हुए कहा कि मध्य अमरीका का संकट चिन्ता जनक विषय है पुष्टि इन बात से भी होती है कि इसकी गुट निरपेक्ष देशों के नेता के रूप में श्री राजीव गाधी ने अनेक कदम उठाये हैं।

आर्थिक सहायता देना विशेष कर निकारागुआ की आर्थिक सहायता दिया जाना भी उताना ही महत्व पूर्ण है। इसके साथ ही, निकारागुआ में एक भारतीय मिशन शीघ्र ही स्थापित किए जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए इसके लिए हमारे विदेश मन्त्री ने करीब दो वर्ष पूर्व आश्वासन दिया था। मुझे विश्वा है कि इस मामले को अब सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा।

इसके साथ ही लातीनी अमरीका में भारतीय मिशन के बारे में भी कहना है। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व एन्डीअन क्षेत्र में एक दूसरे लातीनी अमरीकी लोकतंत्र अर्थात् इक्वाडोर के साथ एक-दूसरे के लिए में मिशन स्थापित करने के लिए हम सहमत हुए थे। इस समझोते के अनुसार इक्वाडोर ने किसी समय में स्तर के दशक में एक मिशन स्थापित किया था जिसने कुछ वर्ष तक कार्य किया और बाद में इसे हटा लिया गया था। क्योंकि हमने कोई प्रत्युत्तर में वहां मिशन स्थापित नहीं किया था। पुनः लगभग दो वर्ष पूर्व, सितम्बर, 1983 में संयुत्य राष्ट्र संघ में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के साथ हमारी सहमति के के आधार पर इक्वाडोर सरकार ने एक बार फिर अपना मिशन स्थापित किया है।

मैं इस बात की जोरदार सिफारिश करता हूं कि क्यूटो, इक्वाडोर में अपना मिशन स्थापित करने के लिए हम भी शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कदम उठायें। मेरे विचार से, मिशनों में इस प्रकार के आदान-प्रदान से, उपयोगी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अलावा, पारस्परिक सद्भावना भी बढ़ती है। लातीनी अमरीका के अन्य अनेक देशों के साथ बढ़ते हुए अपने संबंधों को देखते हुए हमारे लिए यह उतना ही आवश्यक हो गया है कि जहां हमारे मिशन नहीं वहां अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त किये जायें।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि बोलीविया, बेलाइज जैसे देशों में तथा ब्राजील के रियो-डि-जेनीरो और साव पाउलो जैसे नगरों में इस प्रकार का प्रबंध करने के बारे में हम लोग तत्काल विचार करें। 1983 में जब मैंने बेलाइज का दौरा किया था तब बेलाइज में बसे अनेक भारतीयों से मैं मिला था। उन्होंने जमैका स्थित अपने मिशन के साथ, जो बेलाइज के कार्य को भी देखता है, बात करने में आने वाली अत्यधिक कठिनाई व्यक्त की थी। ऐसी स्थिति में यदि निकट भविष्य में, बेलाइज में एक स्वतन्त्र मिशन स्थापित करना सम्भव नहीं है तो कम से यह अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक होगा कि बेलाइज को जैमेका के बजाये मैक्सिको स्थित हमारे मिशन से सम्बद्ध किया जाये।

मैक्सिको और अर्जेन्टाइना जैसे देशों के साथ आर्थिक, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए द्विपक्षीय संयुक्त आयोग प्रतिष्ठापित किये जा चुके हैं और कुछ उपयोगी कांम पूरा भी हो चुका है। अन्य प्रमुख लातीनी अमरीकी देशों के साथ इस प्रकार के संयुक्त आयोग स्थापित करने का यही उत्तम समय है। इस सम्बन्ध में मेरे विचार से ब्राजील को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इस देश के साथ हमारी प्रारम्भिक औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अर्जेन्टाइना के बारे में क्या है ?

श्री डी० पी० जडेजा : हम लोग मैक्सिको और अर्जेन्टाइना के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

भारत और लातीनी अमरीका के बीच दोनों ओर व्यापार करने के लिए नौवहन सुविधाओं को ढंग से विकसित करना होगा। यह उत्साहवर्धक है कि अर्जेन्टाइना के साथ हमने परिवहन व्यवस्था के बारे में बात-चीत पूरी कर ली है और मुझे पता चला है कि इससे अटलांटिक सागर के तृतीय बन्दरगाहों के साथ व्यापार करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही हमें लातीनी अमरीका के प्रशांत महासागरीय देशों के साथ अपनी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

आर्थिक सहयोग के संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि इससे कृषि क्षेत्र में पर्याप्त सहयोग मिलने की सम्भावना है। वर्तमान समय में, जबकि भारत खाद्य पदार्थों और खाद्य भण्डार के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है, हमारे कृषि वैज्ञानिक इस बात से परेशान हैं कि वर्तमान शताब्दी की समाप्ति के बाद हम अपनी बढ़ती हुई आबादी का भरण-पोषण

किस प्रकार कर सकेंगे विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि व्यवहारिक रूप में हमारी सारी सम्भावित कृषि भूमि पर खेती हो रही होगी। इसके विपरीत, लातीनी अमरीका के कुछ देश, विशेषकर दक्षिण क्षेत्र के देश तथा अर्जेन्टाइना, पैरोग्य, बोलिविया और दक्षिणी ब्राजील के कुछ भाग, जहां कृषि संसाधनों की बहुतायत है और वे कृषकों को अपने देशों में बसाने को तैयार हैं। लातीनी अमरीका के इन देशों के भ्रमण के दौरान मुझे पता चला कि ये देश भी कुछ ऐसा प्रबन्ध करने को लालायित हैं जिससे उनमें सम्पन्न कृषि संसाधनों में हमें और उन्हें, दोनों को लाभ हो सके।

विशेषकर, अर्जेन्टाइना का उत्तरी क्षेत्र काफी की खेती के लिए उपयुक्त हैं और अर्जेन्टाइना के अधिकारी सोचते हैं कि क्या हमारी सरकार इन भूखंडों को विकसित करने के काफी की खेती संस्कृति में कुशल श्रमिक देने के लिए इच्छुक है अथवा नहीं। इससे अर्जेन्टाइना को भी कम काफी आयात करनी पड़ेगी। इस प्रकार वहां ऐसी भूमि है जो विभिन्न प्रकार की दालों के लिए उपयुक्त है और उन दालों की भारत को अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार बेलाइज से लेकर ब्राजील तक के लाती हैं। अमरीका के विभिन्न देशों में अन्य स्थान पशु-पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इसलिए मेरा अत्यधिक अनुरोध है कि उपयुक्त मंत्रालय विदेश मंत्रालय के परामर्श से वहां कम से कम एक अध्ययन-दल भेजे जो वहां कृषि, वृक्षारोपण और अलीय संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगायेगा।

दो और भी मुद्दे है जिन पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक हैं हम लोगों को पता है कि लातानी अमरीका को राजनैतिक वातावरण में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और वातावरण अच्छा होता जा रहा है। मैं लातीनी अमरीका में बढ़ते हुए लोकतान्त्रिक रवैये का उल्लेख करता हूं। केवल एक दशक पूर्व लातीनी अमरीका के अधिकांश देशों में सैनिक शासन था। आज स्थिति बदल चुकी है। गत 12 महीनों के भीतर लातीनी अमरीका के अधिकांश भागों में लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं जिनमें लोगों ने नेतृत्व का चयन किया है। है कि हम लातीनी अमरीका की जनता भी लोकतंत्र के प्रति वचन बद्ध है क्योंकि भारत और लाटीनी अमरीका के देशों विश्व शांति के प्रति वचनबद्ध है। इन दोनों सिद्धांतों के प्रति वचन बद्ध है और इसीलिए लातीनी अमरीका देश हमारे निकट आ गए हैं और वे गुट निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो गए हैं। संसदीय लोकतंत्र की उनकी पुनानी परम्परा रही है और इसीलिए उन्होंने अन्तर-संसदीय अभिसमय में अग्रिम भूमिका निभायी है। इस वर्ष जून में, लातीनी के संसद की बैठक ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में होगी और मुझे विश्वास है कि अभिसमय में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है।

यह मेरी प्रबल इच्छा है कि इसके लिए हमें इन्हें पूर्ण सहयोग दें तथा इस अभिसमय में भाग लें। इसके साथ ही इसे चाहिए कि लातीनी अमरीका को विभिन्न विधान सभाओं का दौरा करने के लिए और अधिक संसदीय शिष्टमंडल गठित किए जायें। यहां आने वाले उनके शिष्ट मण्डलों की संख्या अधिक है।

मैं एक अंतिम टिप्पणी करना चाहता हूं। हमारी स्वर्गीया प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा

गांधी का विचार था कि अपने देश में लातीनी अमरीका के सम्बन्ध में छात्रवृति दी जाए। लातीनी अमरीका के सम्बन्धी प्रमुख सिद्धांतों एवं अन्य विषयों के सम्बन्ध में उस क्षेत्र में विचारों से श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं भी बहुत अधिक प्रभावित थी। यही कारण है कि लातीनी अमरीका से लौटने के तत्काल बाद उन्होंने सभा भवन में यह घोषणा की थी कि सरकार द्वारा इस देश में लातीनी अमरीका के सम्बन्धी अध्ययन के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जाएगा। मुझे खेद है कि यह विंदु अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है। इस समय केवल जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में लातीनी के सम्बन्धी अध्ययन का एक छोटा सा कार्यक्रम चल रहा है। इसके विपरीत लातीनी अमरीका के अनेक देशों के प्रमुख विश्व विद्यालयों में भारत सम्बन्धी अध्ययन और भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जवाहार लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जहां आवश्यकता से अधिक अब संरचना पहले से ही उपलब्ध है लातीनी अमरीका सम्बन्धी अध्ययन के संबर्द्धन के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं विदेश मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन मांगों का समर्थन करता हूं मेरा यह भी निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय के लिए और अधिक निधियों का प्रावधान किया जाए, क्योंकि आज भारत की विश्व में अद्वितीय स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए तथा विश्व के लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमें सभी केन्द्रों के लिए और अधिक धन और अधिक मशीनों और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

उन्होंने अपने थोड़े से कार्यकाल में विदेश मन्त्रालय का काम सम्भालने श्रीलंका को तानावपूर्ण स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठाने पाकिस्तान से निपटने पाकिस्तान को दिए गए शास्त्रों का अनुमान लगाने और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ मित्रता बनाए रखने ईरान ईराक समस्या को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय के राज्य मन्त्री भेजने के बारे में तथा चीन के साथ जो समस्याएं है उनको निपटाने के बारे में जो सफालता मिली है सबसे पहले उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं।

इस प्रकार अपने छोटे से कार्य काल में उन्होंने विदेश मन्त्रालय को भली भांति सम्भाल लिया है। वर्तमान सरकार के 100 दिन के बारे में अमरीकी समाचार पत्रों में जो प्रतिवेदन प्रकाशित हुए हैं उन्हें पढ़कर पता चलता है कि निःसंदेह उन्होंने इस सरकार की प्रशसा ही की है और उन्होंने एक बात यह कही है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में यह सरकार मजबूत होगी इससे मुझे प्राचीन भारत की दो घटना याद आ गई हैं। उनमें से एक यह है कि जब सिकन्दर महान भारत में आया था और जब उसने नंद राज्य के बारे में सुना कि उसके पास एक शक्तिशाली सेना है तो वह लौट गया और आगे नहीं बढ़ा।

दूसरी घटना राजा अशोक से सम्बन्धित है। उसने विभिन्न देशों को अपने दूत भेजे थे और दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध तभी बनाए रख सका जबकि वह स्वयं में बहुत शक्ति शाली था।

इन दो घटनाओं से हमें यह सबक लेना होगा कि निसन्देह हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति है किन्तु हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा । यदि भारत को वास्तव में एक गुट-निरपेक्ष देश की भूमिका निभानी है तो उसे एक शक्तिशाली देश बनाना होगा। इसलिए अपनी विदेश नीति का दृष्टिकोण रचनात्मक विश्वासोत्पादक और सुरक्षात्मक व्यापक होना चाहिए और अन्ततोगत्वा उसका उद्देश्य हमारे देश के हित में वृद्धि होनी चाहिए।

अपनी विदेश नीति के इन पहलुओं पर मैं एक-एक करके प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मैं रचनात्मक गुट-निरपेक्ष की नीति को लेता हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे। कोई भी देश हमें सम्मान नहीं देगा। कैमिकल्स ने भी यही कहा है—

"क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो" हमें शक्तिशाली बनना होगा। अन्यथा कोई भी निर्बल राष्ट्र की बात सुनने में तैयार नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में जबकि पाकिस्तान के पास सभी प्रकार के आधुनिकतम अस्त्र होते जा रहे हैं हमारे देश पर चारों ओर से खतरा बढ़ता जा रहा है तो हमें अपनी आणविक नीति के बारे में फिर से विचार करना होगा। कुछ माननीय सदस्य ने तीन विकल्प बताए हैं।

मेरे विचार से एक ही विकल्प है और वह आणुविक अस्त्र बनाना। भारत जब तक आणविक अस्त्र नहीं बनाएगा कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा और न कोई उसकी ओर ध्यान देगा। भारत को एक बहुत ही शक्तिशाली देश बनाना होगा।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे प्रधान मंत्री अमरीका क्यों जा रहे है क्या उन्हें वहां कोई गलतफहमी दूर करनी है। जी हां अमरीका वासियों और अमरीकी सरकार के मस्तिष्क में निश्चित रूप से गलत फहमी है । उन्होंने सदा गलत सरकारों का समर्थन किया है उन्होंने लोकतंत्र की सरकारों का नहीं अपितु तानाशाही सरकारों का सदा ही समर्थन किया है ।

यही गलत फहमी है और इसी को दूर करना है। यदि हमारे प्रधानमंत्री को इसमें सफलता मिलती है तो विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों को उसका लाभ होगा।

जहां तक विदेश नीति के बारे में हमारे रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रश्न है विदेश मंत्रालय को अन्य देशों के समक्ष भारत की एक रचनात्मक छवि प्रस्तुत करनी होगी। उसे ऐसी छवि प्रस्तुत करनी होगी कि किसी भी समय ऐसा प्रतीत न हो कि अभी तक हम सपेरों का ही देश है विदेशों में उद्योग, कृषि, शिक्षा, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामलों में हमारी प्रगति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जहां तक विश्वासोत्पादकता के दृष्टिकोण के दूसरे पहलू का

संबंध है हम अन्य देशों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी रहनी चाहिए। न केवल राजनैतिक जानकारी बल्कि विकास सम्बन्धी जानकारी और अन्य सभी जानकारियां हमारे देश को उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हम भी इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कर सकें। इस समय हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

जहां तक निवारक पक्ष का सम्बन्ध है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है खालिस्तान का नारा 10 या 12 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन तब इस तरफ जब किसी ने भी इस ओर ध्यान नही दिया। कई ऐसी बातें हैं जिन पर हमें रोक लगानी होगी।

हम अमरीका का अन्य किसी देश को यह अनुरोध नहीं कर सकते कि हमारे देश में जासूसी न करें। कोई भी इस पर ध्यान नही देगा। इसलिए हमें इस क्षेत्र में रोकथाम करनी होगी। विदेश मंत्रालय का यह भी एक कार्य है।

किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि विदेश मंत्रालय को व्यापार द्वारा कुछ लाभ कमाने की दिशा में भी काम करना होगा। हां आजकल विदेश मंत्रालय को यह भी एक काम है और हमें इस दिशा में सम्भावनाएं खोजनी चाहिए।

एक दफा मैं अमरीका से एक दक्षिणी कोरिया के किसी व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा था। वह लोगों के स्वादों का अध्ययन कर रहा था। उसने मुझसे कहा मैं विभिन्न देशों के लोगों के स्वादों और पसन्दों का अध्ययन करने जा रहा हूं और वापस आकर इस बारे में अपने देश को बतलाऊंगा ताकि हम उनकी पसन्द के अनुसार सामान तैयार कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था का हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है।

हमें विभिन्न देशों के लोगों के पसन्द प्रवृत्ति और रुचि में आए परिवर्तन का अध्ययन करना होगा और अगर हम सही ढंग से अपने निर्यात में परिवर्तन करें तो हम काफी मात्रा में मुद्रा कमा सकते हैं। वास्तव में विदेश मन्त्रालय का यह भी एक कार्य होना चाहिए।

अब आपके पड़ोसी देश के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। किसी ने चीन के बारे में होशियार रहने के लिए कहा है लेकिन हमें चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमेशा ही अपने सभी पड़ोसी देशों से सावधान रहना चाहिए। हमारे पड़ोसी के बारे में चाणक्य ने इस बारे में काफी पहले कहा था कि :

"आप हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के प्रति सावधान रहिए और आपके पड़ोसी के साथ वाले देश आपके साथ बने रहेंगे।

यह आज भी सत्य है हमें अपनी सीमा चाहे वह उत्तर में हिमालय से लगती हो या पूर्व में बर्मा से या दक्षिण और पश्चिम में विशाल समुद्र के प्रति सदैव सावधान रहना होगा। इसके लिए हमें सैनिक व औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते विश्व में कोई भी देश हमारी इज्जत नहीं करेगा। हमारी विदेश नीति का यही मूलमंत्र

होना चाहिए। हमें कुछ देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित करने होंगे जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है और इस बारे में मुझे खुद भी कुछ व्यक्तिगत अनुभव है।

शायद हम दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। दक्षिणपूर्व एशिया के सभी राष्ट्र हमारी ओर आशा से देख रहे हैं।

...(व्यवधान)...

इन देशों के पास से ही विकल्प हैं चीन या भारत। जब भारत एक मजबूत राष्ट्र बन कर उभरेगा तभी वे देश हमारी आकृष्ट होंगे।

इस प्रकार देखते हैं कि ताकत ही हमारी विदेश नीति की सफलता है। हमें निश्चय ही इन देशों और अफ्रीकी देशों के साथ और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इन देशों के साथ व्यापार-संबंध स्थापित करने की संभावनाओं का अभी तक पता नहीं लगाया गया है।

मेरे एक माननीय विद्वान मित्र ने कहा है कि हमें लातिनी अमरीकी देशों में अधिक से अधिक संभवानाओं का पता लगाना चाहिए। भारत को गुट निरपेक्ष देशों के नेता के रूप में और उन देशों की ओर से जो गुट-निरपेक्ष और आपसी शान्ति और सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर चल रहे हैं, की ओर से उत्तर-दक्षिण वार्ता में परमाणु विरोधी बातचीत में अधिक अनुनय-विनय से काम लेना चाहिए और साथ ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समस्या को सुलझाने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए।

भारत को या तो अपनी परमाणु नीति को बदलना चाहिए या इस पर कुछ पुनर्विचार करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि हमारे प्रधान मंत्री सोवियत संघ के साथ संबंध सुदृढ़ करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ के साथ भी हमें समान आधार पर वार्ता करनी चाहिए। एक कमजोर देश या अधिनस्थ के रूप में नहीं। हमारा उद्देश्य इन बड़ी शक्तियों के साथ समान आधार पर व्यवहार होना चाहिए, तभी अन्य सारे देश हमारी इज्जत करेंगे।

इस प्रकार हमारी विदेश नीति का मूलमंत्र होना चाहिए—भारत को सैनिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से काफी मजबूत बनाना।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। विदेश मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 1 में कहा गया है :

> "जुलाई-अगस्त, 1983 में श्रीलंका में जो जातीय दंगे हुए और वहां तमिलों के विरुद्ध निरंतर हिंसा की जो वारदातें हुईं, उनसे भारत में गहरी चिंता फैल गई। भारत बराबर इस बात पर जोर देता रहा है कि इस समस्या का तत्काल कोई ऐसा

राजनीतिक समाधान निकालना बहुत जरूरी है जिससे श्रीलंका में जातीय समानता फिर से कायम हो जाए और वहां की जातियां आपस में मिलकर शांति और सद्भाव के साथ रह सकें।''

आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीलंका में हो रहे तमिलों के जातिसंहार के प्रति केन्द्रीय सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। रोजाना ही हजारों तमिलों की हत्या की जा रही है लेकिन यह सरकार मात्र दर्शक बनकर वक्तव्य जारी करती रही है।

यहां सरकार चलाने वाले कुछ लोगों के, मन में यह धारणा है कि श्रीलंका में तमिल शरणार्थी हैं। यह एक गलत धारणा है ; मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं। मैं पूरे जोर से यह कहना चाहता हूं कि तमिल श्रीलंका के मूल निवासी हैं। सिंहली इतिहासकार डा० पाल ई० पेरिस ने लिखा है कि द्रविड़ श्रीलंका के मूल निवासी थे। उनके 'महावामसा' और 'कुलावामसा' में कहा गया है कि इस द्वीप में उनका इतिहास हिन्द महासागर से होकर आये एक ऊपरी महाद्वीप के राजकुमार विजय के आने से ही आरम्भ होता है। वास्तव में, श्रीलंका सरकार ने 1956 में एक स्मारक एक टिकट जारी किया था, जिसमें 'विजय अगामन' को दर्शाया गया था। इसे बाद में जल्द से वापस ले लिया था।

राजा चोल के शासन के दौरान, श्रीलंका को 'एलम' के नाम से जाना जाता था। तमिलों को राज्य उस समय बढ़कर सारे 'ऐलम' में फैल गया था। इसीलिए सिंहली इतिहासकार खुद स्वीकार करते हैं कि तमिल वहां के मूल निवासी हैं...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सिंहली भी।

डा० ए० कलानिधि ((मद्रास मध्य) : अन्य लोग वहां आकर बस गए थे। तमिल मूल निवासी थे।

श्री एन० वी० एन० सोमू : द्रविड़ मूल निवासी थे और उनमें मुख्यतः तमिल, आंध्र, कन्नड़, मलयाली लोग थे। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज लोगों ने इसे उपनिवेश बनाया और इसे उपनिवेश बनाया और इसे एक नया नाम 'श्रीलंका' दिया। इस द्वीप पर इन तीन शक्तियों ने शासन किया। लेकिन केवल अंग्रेज ही इस सारे द्वीप को जीत सके। वही वहां उपनिवेश कायम कर सकें उस समय तक सारा दीप तमिलों और सिंहलों द्वारा शासित था। वे अपने-अपने प्रभु सत्ता सम्पन्न राजाओं द्वारा शासित थे और उनका क्षेत्र भी स्पष्टतया विभाजित था।

जब अंग्रेजों ने इस द्वीप पर अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया, तब उन्होंने सिंहलो और तमिलों के लिए अलग-अलग प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को सुधारू रूप दिया और राजनैतिक रूप से अलग-अलग हुए इस द्वीप को एक कर अपना शासन मजबूत किया।

1829 ई० में, ब्रिटिश राजा ने श्रीलंका में राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो लागू करने की पांच के लिए कोलब्रुक आयोग नियुक्त किया। 1832 ई० में आयोग ने

राजा को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश के भिन्न भागों में अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है और द्वीप में रहने वाले लोगों में भेदभाव कम होना चाहिए और ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली को अपनाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया था कि द्वीप को संघटित होना चाहिए। अलग-अलग प्रशासनिक प्रशासनों को समाप्त करना चाहिए, तमिलों और सिंहलों के लिए एक ही कानून बनाए जाने चाहिए और सारे द्वीप के ब्रिटिश सरकार की तरह ऐकिक सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। 18 फरवरी, 1833 ई० को० ब्रिटिश राजा ने श्रीलंका द्वीप को न्याय दिलाने के लिए एक शासनपत्र (चार्टर) जारी किया जिसके तहत आयोग की सिफारिशें कानून बन गई। इस प्रकार एक राजनीतिक राज्य के रूप में श्रीलंका का उदय हुआ, इस प्रकार सिंहलों ने 'अपना' देश प्राप्त किया। 1948 तक ब्रिटिश शासकों ने इस द्वीप पर शासन किया।

अंग्रेजों के राज में तमिलों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था और नाहि उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता था।

लेकिन 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद सिंहल अपनी अधिक संख्या के कारण अन्य लोगों को सताने लगे और उन्होंने जातिगत भेदभाव की क्रूर प्रक्रिया आरम्भ की और समय-समय पर तमिलों पर हिंसा करने लगे। सिंहली नेताओं में राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता जिसमें सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उनमें से कौन ज्यादा सिंहली लोगों को इस बात के लिए अपने साथ कर पाता है कि तमिल लोगों को समान अधिकार, भाषा, धर्म, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में न दिए जाएं...

यही कारण था कि अपने बचाव और प्रगति के लिए 1976 में तमिलों ने एक अलग गणराज्य देश की मांग उठाने का फैसला किया। तमिल लोगों के लिए अलग तमिल देश का अर्थ है 1833 से पूर्व तमिल बाडल क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रादेशिक सीमा और इन क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग देश की स्थापना, अलग देश की मांग में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि जुलाई में सिंहलों के उन्माद और आवेश द्वारा तमिल लोगों पर जबरदस्त हिंसा की गई थी। अगर तमिलों को सिंहलों के समान नहीं स्वीकार किया जाता तो यह उचित ही है कि तमिलों को एक अलग प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य दिया जाए। यह सोचने की बात है कि हालांकि सिंगापुर में तमिल मात्र 7 प्रतिशत ही है लेकिन वहां उन्हें समान मानवी भासाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। फिन्लैण्ड में भी जहां स्वीडिश लोगों कुल आबादी का मात्र : प्रतिशत ही है, समान अधिकार प्राप्त हैं।'

लेकिन श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या 25 प्रतिशत है। सिंहलों और राष्ट्रपति जयवर्दने को यह हिम्मत कैसे हुई कि वे उनकी हत्या कर सकें? 1983 में— 5 अगस्त, 1983 को हमारी स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने टेलीफोन पर जयवर्द्धने से कहा था," भारत श्रीलंका के आन्तिरिक मामलों में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगा।" इससे उन्हें तमिल समुदाय को हत्या करने का साहस दिया। दूसरी ओर बंगलादेश में संकट के समय

31 मार्च, 1971 को श्रीमती गांधी ने इस सम्मान सभा में कहा था, जिसे में यहां उद्धृत कर रहा हूं :

"यह सभा पूर्वी बंगाल की हाल की घटनाओं पर गहरा दुःख और गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है। पूर्वी बंगाल की सारी जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को दबाने की दृष्टि से वहां संपूर्ण जनता के विरुद्ध पश्चिमी पाकिस्तान से भेजी गई सशस्त्र सेनाओं ने बड़े दल-बल से हमला किया है।......

....

पूर्वी बंगाल की जनता को संगीनों, मशीनगनों, टैंकों, तोपों तथा विमानों के नग्न बल प्रयोग द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत की सरकार तथा जनता सदा पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण, सामान्य और भाई-चारे के सम्बन्ध रखने की कामना करती रही हैं और इसके लिए यत्नशील रही है किन्तु भारत की भौगोलिक स्थिति और इतिहास, संस्कृति और परम्परा के शताब्दियों पुराने सम्बन्धों से इस उपमहाद्वीप की जनता के आबद्ध होने के कारणा यह सभा अपनी सीमा के इतने निकट घटित हो रहे इस भयावह कांड के प्रति उदासीन नहीं रह सकती। इस समय वहां के निहत्थे तथा निरपराध लोगों पर जिस अभूतपूत पूर्व पैमाने पर अात्याचार किए जा रहे हैं, उसकी हमारे देश में सर्वत्र जनता द्वारा असंदिग्ध शब्दों में निन्दा की गई है।...

शांति में निहित भारत के स्थायी हितों और मानव अधिकारों के समर्थन में और संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह सभा मांग करती है, कि बल प्रयोग का और संरक्षणाधीन लोगों के व्यापार नरसंहार का तुरन्त अन्त किया जाए।

यह सभा विश्व के सभी लोगों और सरकारों से अनुरोध करती है कि वे योजनाबद्ध नरसंहार को, जो जाति विनाश के समान हैं, तुरन्त समाप्त करने हेतु पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने के लिए अविलम्ब और सक्रिय कदम उठाये।

मैं आप से श्रीलंका और बंगला देश की स्थिति की तुलना करने का अनुरोध करता हूं। दोनों की स्थिति समान है। इतना ही नहीं मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे तत्कालीन स्वदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कई देशों की यात्रा करने के बाद यह कहा था :

"6 जून और 22 जून, 1971 के बीच मैंने मास्को, बोन, पेरिस, ओटावा न्यूयार्क, वाशिंगटन और लन्दन को इसी क्रम में यात्रा की उपर्युक्त प्रत्येक राजधानी में मैंने राष्ट्राध्यक्षों और स्वदेश मन्त्रियों से विस्तृत विचार-विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ऊ-थांट और उनके सहयोगियों से विचार विमर्श किया। मैं प्रत्येक राजधानी में कई अन्य सरकारी नेताओं विधायकों, सम्पादकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक नेताओं से भी मिला।"

हमारे वर्तमान विदेश मन्त्री इसी प्रकार श्रीलंका के विषय में भी यात्रा क्यों नहीं करते ? घाव पर नमक छिड़कने वाली एक बात यह हुई कि जब हमारे माननीय श्री नरसिंह राव ने श्रीलंका की यात्रा की वे उन्हें शरणार्थी शिविरों का दौरा नहीं करने दिया गया। भूतपूर्व विदेश मन्त्री आगे कहते हैं, मैं उन्हें यहां उद्धृत करता हूं :

> "हमें बंगला देश को मान्यता देने के प्रश्न के बारे में देश की भावनाओं की जानकारी है। हमारी प्रधान मन्त्री ने सभा में और उसके बाहर कई अवसरों पर इस सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है इस विषय पर प्रधान मन्त्री ने, जो कुछ कहा है, हमें उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। फिर भी एक बात स्पष्ट है कि मुक्ति फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों का अदम्य साहस अन्ततः बंगला देश की स्थापना में सफल होगा।"

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार भेदभाव पूर्ण और दोहरा दृष्टिकोण क्यों अपना रही है ? मुक्ति फौज और तमिल टाइगर्स भेदभाव क्यों है ? विश्वस्त सूत्रों के अनुसार तमिलों की सौ फैक्ट्रियां, 1000 दुकानें, 18,000 मकान और 200 रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गई है। वास्तविक आंकड़े तो कहीं अधिक होंगे। असंख्य लोगों की मृत्यु हुई है। तमिल लड़कियों और औरतों के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया है एक गर्भवती तमिल महिला के पेट को काट कर फाड़ा गया और गर्भस्थ शिशु को बाहर खींच कर जमीन पर फेंक दिया गया। इस प्रकार का अत्याचार अभी हो रहा है और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अपने दिल पर हाथ रख कर उत्तर दीजिए। यदि वे हिन्दी क्षेत्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता तो क्या आप इसी प्रकार चुप रहते ? हमने श्री पार्थसारथी और श्री भण्डारी को भेजा। क्या वे कत्ले-आम रुकवा पाए ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम होने की बजाय इसमें वृद्धि हुई।

मैं बताना चाहता हूं कि सितम्बर, 1984 में कोलम्बो से जाफना जा रही प्राइवेट बस में यात्रा करते हुए वावुनिया के निकट सोलह तमिलों को बाहर खींच लिया गया और एक पंक्ति में खड़ा करके मार दी गई। दिसम्बर, 1984 में कन्नार में 107 तमिलों को गलियों में, घरों में विद्यालयों में और पूजा स्थलों पर मार दिया गया। इसके बाद एक डाक घर के दस कर्मचारियों को काम छोड़कर बाहर आने का आदेश दिया गया और पंक्ति में खड़ा करके गोली मार दी गई। एक पुजारी तथा अन्य लोगों को मन्नार में सेना शिविर के पास गोली मार दी गई। उनके शवों को वैन रखा गया और वैन सहित जला दिया गया। एक कैथोलिक पदारी और उसके साथ रहने वाले दो अनाथ बच्चों को चर्च में ही गोली मार कर दी गई और उनके शव वहां से निकालकर मन्नार जिले के वनकलाई में जला दिए गए। दिसम्बर, 1984 में 89 राजनीतिक बन्दियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई और वावुनिया में दो सैनिक शिविरों में जला दिया। सेना ने जिक्को माली और भुलईटिवु में दस गांव से तमिलों को बाहर निकाल दिया। मुल्लईमाल्लई में 16 जनवरी, 1985 को एक घर में दूरदर्शन देख रहे 17 व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जब माताएं अपने बेटों

की लाशें लेने गई उन्हें कहा गया कि वे एक कागज पर दस्तखत कर दें कि उनके बेटों को 'टाइगर्स' ने मारा है।

फरवरी के प्रारम्भ में मुल्लईटिवु जिले में फसलों की कटाई करने गए 52 किसानों को हेलीकाप्टर से गोली चलाकर मार दिया गया। पुरुषों की हत्याएं की जाती है और महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। मन्नार जाफना और जिनको माली से सौ से अधिक बलात्कारों की खबर प्राप्त हुई है।

इस प्रकार का अपराध करते समय ये व्यक्ति आंखें तरेर कर कहते हैं "अब तुम तमिल 'टाइगर्स' को जन्म नहीं दोगी अपितु सिंहली 'लायन' को जन्म दोगी।" अन्धाधुन्ध और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्रूर किस्म के अत्याचार आम बातें हैं। युवकों के मुंहों में सांप घुसेड़े जाने और उनके गिर्द अजगर लपेट देने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व में कभी कहीं ऐसे अत्याचार हुए हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या वह स्वायत्ता के पर्याप्त उपायों के आधार पर श्रीलंका संकट का जो हल निकालेगा उससे सहमत होंगे तो उन्होंने समाचार पत्रों को बताया कि वास्तव में यह उस विषय पर तमिलों और श्रीलंका सरकार को बातचीत करनी चाहिए।

मुझे इस पर अचम्भा हुआ। बंगला देश संकट के समय हमें किसी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि बंगलादेश की समस्या हल करने के लिए बंगलादेश के लोग और पाकिस्तान सरकार परस्पर बैठकर समस्या पर विचार करें। किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा।

अब श्रीलंका में रह रहे तमिलों के बारे में सोचिए।

आप जानते हैं उनकी क्या स्थिति है?

पुलिस में 16,050 सिंहली हैं और केवल 940 तमिल हैं।

सेना में 9,780 सिंहली है परन्तु तमिलों की संख्या केवल 220 है।

नौसेना में सिंहलियों की संख्या 20,24 है जबकि तमिल केवल 146 हैं।

इस स्थिति में तमिल और सिंहली एक साथ कैसे रह सकते हैं।

इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे अपना घर वापस चाहते हैं। यह पृथकता नहीं है बल्कि वापस लेना है। हमारे दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने कई आंदोलन चलाए हैं। कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे दल ने घोषणा की है कि इस महीने के अंत में धरना देने का एक और आंदोलन चलाया जाएगा। इसकी घोषणा हमारे नेता डा० कलईगनार करुणानिधि द्वारा की गई है। हमारे आदरणीय नेता ने कहा है कि चूंकि भारत की एकता में हमारा अब भी विश्वास है, इसलिए 'द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार ने बंगला देश युद्ध के लिये छः करोड़ रुपये दान किए हैं। मेरे नेता कहते हैं:

"श्रीलंका-तमिल समस्या के प्रति केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण के कारण ही यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या केन्द्रीय सरकार का भारत की एकता में कोई विश्वास है ?"

वह आगे चेतावनी देते हैं :

"यदि श्रीलंका से तमिल जाति का उन्मूलन किया जाता है तो लोग सोचेंगे कि तमिलनाडु के भारत संघ में रहने का कोई लाभ नहीं है ?"

महोदया, हमें इस सरकार से पृथक इलाम को मान्यता देने, श्रीलंका में तत्काल सेना भेजने के लिए, जैसाकि बंगलादेश के मामले में किया गया था, कहने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि हम भाषा से तमिल हैं, जाति से द्रविड़ हैं और हमारा देश भारत है, हम भारतीय हैं।

मैं इस सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देता हूं कि वह कृपया इन घटनाओं की मूकदर्शक न बनी रहे।

मैं न्यायाधीश श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर द्वारा उद्धृत करता हूं। जो इस प्रकार है :

"पहले वे यहूदियों के लिए आए और मैं मूक रहा क्योंकि मैं यहूदी न था।

तब ने साम्यवादियों के लिए आए और में मूक रहा क्योंकि मे साम्यवादी न था।

फिर वे मजदूर-नेता के लिए आए और में मूक रहा क्योंकि में मजदूर नेता न था।

फिर वे मेरे लिए आए और अब मेरे लिए बोलने वाला कोई न बचा था।"

अब समाप्त करने से पहले मैं यहां कहना चहता हूं :

श्रीलंका से प्राप्त हो रहे नवीनतम समाचारों से पता चलता है कि वहां एक दुःखद वातावरण बना हुआ है। जिसमें सेना और पुलिस 20 और 30 वर्ष के बीच के युवक को "टाईगर" नाम से बुलाती है और उसके बाद उसके बारे में केवल ईश्वर जानता है।

समाप्त करने से पूर्व में यह उद्धृत करना चाहता हूं :

"इन सभी वास्तविकताओं के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, मुक्ति के लिए खून बहाना पड़ता है जो सब जगह बहा है—लेबनान में, उत्तरी आयरलैण्ड में, दक्षिणी अफ्रिका में और मध्य अमरीका में। श्रीलंका में बहने वाला खून अधिकांशत: तमिल है वहां भारतीय तमिल मजदूरों द्वारा जो पसीना और आंसू बहाए गए हैं उनका तो कोई जिक्र भी नहीं है।

न्यायोचित कार्य के लिए खून बहाने वालों को कम से कम यह सन्तोष तो होता

है कि उन्होंने उन शब्दों को पूरा किया है जो मसीहा के मुख से फिलीस्तीन में एक "अप्पर रूम" में निकले थे।

"लो, खाओ यह मेरा शरीर तुम्हारे लिए क्षत-विक्षत किया गया है

लो, पीओ, यह मेरा खून जो तुम्हारे लिए बहा है।"

—कोई भी व्यक्ति तमिले कौम की हत्या करने और उसकी सम्पत्ति जलाने का प्रयास कर सकता है...

परन्तु

इसकी आत्मा घायल शरीर में नवजीवन का संचार करने और लूटे गए घर को पुनः आबाद करने के लिए सदा अमर रहेगी।"

महोदय मैं अब सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि—सरकार निष्क्रिय न रहे।

सरकार निर्दयता से मारे जा रहे और कत्ल किए जा रहे हमारे तमिल भाइयों के नरसंहार को रोकने के लिए तत्काल सेना भेजे। मैं अब इस सम्मानित सभा को संबोधित कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अब तक कितनी तमिल महिलाओं से बलात्कार किया जा चुका होगा। मैं नहीं जानता कितने तमिल 'टाइगर्स' मार दिए गए होंगे। मैं नहीं जानता कितने शिशुओं की गर्भ में ही हत्या कर दी गई होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि विदेश मन्त्रालय जैसे गंभीर विषय पर हमारे जैसे साधारण आदमी को बोलने का मौका दिया गया। मैं, हमारे माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान की मांगें पेश की हैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मैं अपने पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों की बातें बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं जो बातें मुझे कहनी हैं वे बातें हैं जो कि गांवों में शहरों में लोग कहते हैं। उन्हीं भावों को मैं यहां व्यक्त कर रहा हूं।

मान्यवर, इस समय दो बड़ी शक्तियां हैं और समूचा विश्व दो बड़ी शक्तियों में बंटा हुआ था। एक अमेरिकन लाबी है और दूसरी रशियन लाबी है। हम अपनी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की कि इन दोनों शक्तियों के बीच एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ और सौ राष्ट्रों ने मिल कर एक तीसरा गुट बनाया। भारत उसका अगुवा बना है। इस बात को देख कर बड़ी शक्तियों के सीने पर सांप लोट रहा है

जितनी आबादी अमेरिका, रूस ब्रिटेन और फ्रांस की होगी, उतनी आबादी भारत की उन लोगों ने जब यह देखा कि भारत जैसा विशाल देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और

उसने एक तीसरा गुट बना लिया है जिसमें कि सौ राष्ट्र हैं तो हो सकता है कि यह दिन दूर न हो कि वह हमारे बराबर आ जाए या हमसे आगे निकल जाए।

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे मन्त्री पहले भी कह चुके हैं और बार-बार कहते हैं कि हमारी यह नीती है कि हम किसी मुल्क पर चढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, न किसी मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं। साथ ही हम यह भी कहते हैं कि हम पर कोई चढ़ाई न करें, हमको कोई गुलाम न बनाये। यह हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। परन्तु आज हालात क्या हैं? हमारे बंगाल में बंगलादेश है जिसकी हमने बहुत मदद की है। जब हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सीमाओं पर तार लगा रहे थे तो वह कहता है कि हम यह तार नहीं लगाने देंगे। दूसरी तरफ हमारे बगल में पातिस्तान है। रोज हम बाहर भी और सदन में भी कहते हैं और अपने लोगों की मंत्रियों को जहां भेजते हैं और वहां जा कर भी वे यह कहते हैं कि हम मित्रता का हाथ बढ़ाने आये हैं लेकिन उससे मित्रता नहीं हुई हैं, चीन भी हमारे बगल में बैठा हुआ है।

हमें वह दिन याद है जब चीन के आक्रमण से पहले हमारे मुल्क में हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे लगे थे। जब यह नारे लग रहे थे तो उसने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। हमारी सरहदों की जमीन आज तक उसके कब्जे में हैं हमारे चव्हाण साहब ने कहा था कि जब तक वह हमारी कब्जा की हुई जमीन वापस नहीं करेगा तब तक हम उसके साथ बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उस चीन ने आजकल हमारे कश्मीर की सरहद पर और भारत की दूसरी सरहद पर अपनी चौकियाँ बना ली हैं हमारी तो बहुत इच्छा है कि हम सभी मुल्कों के साथ भाई-भाई की तरह रहे किसी से विवाद में न उलझें लेकिन वे लोग बढ़ते जा रहे हैं।

हम बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करो। मुझे समझ नहीं आता कि जमीन हमारी है, सरहद हमारी है, मद हमारा है तो अमेरिका जा कर के वहां अपना अड्डा जमाये हुए बैठा है तो इसके लिए कौन दोषी है?

हम अमेरीका से भी मित्रता चाहते हैं हम श्रीलंका से भी मित्रता चाहते। लेकिन श्री लंका में हमारे हजारों-हजारों लोग मारे जा रहे हैं। मैं अपना आक्रोश तो व्यक्त नही कर रहा हूं लेकि अपने भाव जरूर व्यक्त कर रहा हूं हमारा देश ऐसा है कि हम बर्दाश्त करते रहते हैं। अगर अमेरिका का या इग्लैंड का या श्री लंका का कोई आदमी यहां मारा जाएगा तो वह बर्दाशत नहीं करेगा। लेकिन भारत के रहने वाले जो लोग हैं, वे श्रीलंका में मारे जा रहे हैं लेकिन हम चुपचाप इसको देख रहे हैं। इसके लिए हमको पुनः निरीक्षण करना होगा।

हमारे यहां भोजपुरी में एक दोहा बोला जाता है—

तेरह जानि शंका सब काहू
वक्र चन्द्रमा ऐसे न राहू॥

चन्द्रमा पर जब ग्रह लगता है, तो वह पूर्णमासी का चन्द्रमा होता है तभी उस पर ग्रह लगता है, वह चतुर्दशी के चन्द्रमा पर नहीं लगता है।

6.00 म० प०

सारे लोग कहते हैं कि भारत अशोक के समय का राज्य है, अहिंसावादी है। चाहे उसकी जितनी ही जमीन ले लो, कितने ही लोगों की हत्या कर दो, यह सदा हाथ ही जोड़ता रहेगा अनुनय-विनय करता रहेगा लेकिन कुछ कर नहीं सकता।

मान्यवर, समूचे विश्व की आबादी लगभग चार अरब है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 अप्रैल, 1985/20 चैत्र, 1907 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।